मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २२ सन् २०१८

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, २०१८

विषय—सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा ४ का संशोधन.

४. धारा ७ का संशोधन.

५. धारा ११ का स्थापन.

६. धारा १३ का संशोधन.

७. धारा १३-क का अंत:स्थापन.

८. धारा १९ का स्थापन.

९. धारा २१ का लोप.

१०. धारा २२ का स्थापन.

११. धारा २४ का स्थापन.

१२. धारा २७ का संशोधन.

१३. धारा २८ का संशोधन.

१४. धारा २९ का स्थापन.

१५. धारा ३५ का संशोधन.

१६. धारा ४१ का लोप.

१७. धारा ४४ का स्थापन.

१८. धारा ४५ का लोप.

१९. धारा ४६ का स्थापन.

२०. धारा ४७ का स्थापन.

२१. धारा ४९ का संशोधन.

२२. धारा ५० का स्थापन.

२३. धारा ५१ का संशोधन.

२४. धारा ५४ का स्थापन.

२५. धारा ५५ का लोप.

२६. धारा ५६ का संशोधन.

२७. धारा ५७ का संशोधन.

२८. धारा ५८ का संशोधन.

२९. धारा ५८-क का स्थापन.

३०. धारा ५८-ख का लोप.

३१. धारा ५९ का स्थापन.

३२. धारा ६० का स्थापन.

३३. अध्याय सात तथा अध्याय आठ का स्थापन.

३४. धारा १०४ का स्थापन.

३५. धारा १०५ का स्थापन.

३६. धारा १०६ का स्थापन.

३७. धारा १०७ का स्थापन.

३८. धारा १०८ का स्थापन.

३९. धारा १०९ का स्थापन.

४०. धारा ११० का स्थापन.

४१. धारा ११२ का लोप.

४२. धारा ११३ का स्थापन.

४३. धारा ११४ का स्थापन.

४४. धारा ११४-क का स्थापन.

४५. धारा ११५ का स्थापन.

४६. धारा ११६ का लोप.

४७. धारा ११८ का लोप.

४८. धारा ११९ का लोप.

४९. धारा १२० का संशोधन.

५०. धारा १२१ का लोप.

५१. धारा १२४ का स्थापन.

५२. धारा १२५ का संशोधन.

५३. धारा १२६ का संशोधन.

५४. धारा १२७ का स्थापन.

५५. धारा १२८ का संशोधन.

५६. धारा १२९ का स्थापन.

५७. धारा १३० का संशोधन.

५८. धारा १३१ का स्थापन.

५९. धारा १३२ का लोप.

६०. धारा १३३ का स्थापन.

६१. धारा १३६ का लोप.

६२. धारा १३८ का संशोधन.

६३. धारा १३९ का लोप.

६४. धारा १४० का स्थापन.

६५. धारा १४१ का स्थापन.

६६. धारा १४२ का स्थापन.

६७. धारा १४३ का स्थापन.

६८. धारा १४४ का स्थापन.

६९. धारा १४५ का संशोधन.

७०. धारा १४६ का स्थापन.

७१. धारा १४७ का संशोधन.

७२. धारा १४९ का संशोधन.

७३. धारा १५० का स्थापन.

७४. धारा १५१ का संशोधन.

७५. धारा १५३ का संस्थान.

७६. धारा १५४-क का संशोधन.

७७. धारा १५५ का संशोधन.

७८. धारा १५८ का संशोधन.

७९. धारा १६१ का संशोधन.

८०. धारा १६२ का लोप.

८१. धारा १६३ का लोप.

८२. धार १६५ का संशोधन.

८३. धारा १६८ का स्थापन.

८४. धारा १६९ का लोप.

८५. धारा १७१ का लोप.

८६. धारा १७२ का लोप.

८७. धारा १७४ का लोप.

८८. धारा १७६ का लोप.

८९. धारा १७८-क का स्थापन.

९०. धारा १८१-क का स्थापन.

९१. धारा १८२ का संशोधन.

९२. धारा १८३ का स्थापन.

९३. धारा १८४ का लोप.

९४. अध्याय चौदह का लोप तथा व्यावृत्ति.

९५. धारा २०३ का स्थापन.

९६. धार २१० का संशोधन.

९७. धार २२४ का संशोधन.

९८. धारा २२५ का लोप.

९९. धारा २२७ का संशोधन.

१००. धारा २२९ का संशोधन.

१०१. धारा २३० का संशोधन.

१०२. धारा २३१ का स्थापन.

१०३. धारा २३२ का लोप.

१०४. धारा २३३ का स्थापन.

१०५. धारा २३३-क का अन्त: स्थापन.

१०६. धारा २३४ का स्थापन.

१०७. धारा २३९ का संशोधन.

१०८. धारा २४० का संशोधन.

१०९. धारा २४३ का संशोधन.

११०. धारा २४४ का स्थापन.

१११. धारा २४५ का स्थापन.

११२. धारा २४६ का संशोधन.

११३. धारा २४८ का संशोधन.

११४. धारा २५० का स्थापन.

११५. धारा २५०-क का लोप.

११६. धारा २५२ का लोप.

११७. धारा २५३ का संशोधन.

११८. धारा २५४ का लोप.

११९. धारा २५५ का लोप.

१२०. धारा २५७ का संशोधन.

१२१. धारा २५८ का संशोधन.

१२२. अनुसूची एक का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २२ सन् २०१८

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, २०१८

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ को और संशोधित करने लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जैसी कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

धारा २ का संशोधन

२. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ की उप-धारा (१) में,—

(एक) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क) "आबादी" से अभिप्रेत है किसी ग्राम में उसके निवासियों के निवास के लिए या उसके आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए, समय-समय पर, आरक्षित क्षेत्र और इस अभिव्यक्ति के किसी अन्य सजातीय रूप भेद, जैसे 'ग्राम स्थल' या 'गांव स्थान' का अर्थ भी तद्नुसार लगाया जाएगा;";

(दो) खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त: स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(च-1) "विकास योजना" का वही अर्थ होगा, जो कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) में उसके लिए दिया गया है;";

(तीन) खण्ड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(झ) "खाता" से अभिप्रेत है, ऐसा भू-खण्ड जिस पर भू-राजस्व पृथक् रूप से निर्धारित किया गया है और जो एक ही भू-धृति के अधीन धारित है;";

(चार) खण्ड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त: स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ड-१) "भू-राजस्व" से अभिप्रेत है, धारित भूमि के लिए, राज्य सरकार को देय समस्त धन और इसमें सम्मिलित हैं प्रीमियम, लगान, पट्टाधन, प्रमुक्ति भाटक या इन अभिव्यक्तियों के कोई अन्य सजातीय रूप;";

(पांच) खण्ड (थ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(थ) "भू-खण्ड संख्याक" से अभिप्रेत है, इस संहिता के अधीन भू-खण्ड संख्यांक के रूप में विरचित किए गए या उस रूप में मान्य किए गए भूमि के किसी प्रभाग को समनुदेशित संख्यांक;";

(छह) खण्ड (न) में, उपखण्ड (एक) में, शब्द "धारा १८८ के उपबंधों के अनुसार, मौसमी कृषक द्वारा अपने भूमिस्वामी को, या" लोप किया जाए;

(सात) खण्ड (फ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त: स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(फ-1) "सेक्टर" से अभिप्रेत है, नगरीय क्षेत्र में भूमि का कोई भू-भाग जो इस संहिता के उपबंधों के अधीन सेक्टर के रूप में विरचित या मान्य किया गया है;

(फ-2) ''सेवा भूमि'' से अभिप्रेत है, नगरेतर क्षेत्र में की ऐसी भूमि जो किसी कोटवार को उसकी पदावधि के दौरान कृषि प्रयोजन के लिए दी गयी हो ;'';

(आठ) खण्ड (भ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(भ) ''सर्वेक्षण संख्याक'' से अभिप्रेत है, इस संहिता के अधीन सर्वेक्षण संख्याक के रूप में विरचित किए गए या उस रूप में मान्य किए गए भूमि के ऐसे प्रभाग को दिया गया संख्याक और जिसकी प्रविष्टि भू-अभिलेखों में, खसरा क्रमांक नामक सूचक संख्यांक के अधीन की गयी है;'';

(नौ) खण्ड (म) का लोप किया जाए;

(दस) खण्ड (य-३) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(य-३) ''दखलरहित भूमि'' से अभिप्रेत है, ऐसी भूमि जो आबादी या सेवाभूमि से या किसी भूमिस्वामी या सरकारी पट्टेदार द्वारा धारित भूमि से भिन्न है;'';

(ग्यारह) खण्ड (य-५) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(य-५) ''ग्राम'' से अभिप्रेत है, नगरेतर क्षेत्र में का कोई ऐसा भू-भाग जिसे संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व, तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन ग्राम के रूप में मान्य किया गया था या उस रूप में घोषित किया गया था तथा नगरेतर क्षेत्र में का कोई ऐसा अन्य भू-भाग जिसे किसी भू-सर्वेक्षण में ग्राम के रूप में मान्य किया गया या जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ग्राम के रूप में घोषित करे.''.

धारा ४ का संशोधन

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, मण्डल का अध्यक्ष तथा उसके सदस्य ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर भी बैठक करेंगे जैसा कि राज्य सरकार, मंडल के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात् अधिसूचित करे.''.

धारा ७ का संशोधन

४. मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''७. मण्डल की अधिकारिता-मण्डल ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन उसे प्रदत्त की गई हैं अथवा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो किसी अधिनियमिति के अधीन अथवा उसके द्वारा उसे प्रदत्त किए गए हों या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे.

धारा ११ का स्थापन

५. मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''**११. राजस्व अधिकारी.**—राजस्व अधिकारियों के निम्नलिखित वर्ग होंगे, अर्थात्:—

प्रमुख राजस्व आयुक्त;
आयुक्त;
अपर आयुक्त;
आयुक्त भू-अभिलेख;
अपर आयुक्त भू-अभिलेख
कलेक्टर;
अपर कलेक्टर;
जिला सर्वेक्षण अधिकारी;
उप खण्ड अधिकारी;
उप सर्वेक्षण अधिकारी;
सहायक कलेक्टर;
संयुक्त कलेक्टर;

डिप्टी कलेक्टर;
तहसीलदार;
अपर तहसीलदार;
सहायक सर्वेक्षण अधिकारी;
भू-अभिलेख अधीक्षक;
नायब तहसीलदार;
सहायक भू-अभिलेख अधीक्षक.".

धारा १३ का संशोधन

६. मूल अधिनियम की धारा १३ में,—

(एक) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(२) राज्य सरकार, किसी भी जिले या उपखण्ड या तहसील की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और नवीन जिले या उपखण्ड या तहसील का सृजन कर सकेगी या विद्यमान जिलों या उपखण्डों या तहसीलों को समाप्त कर सकेगी :

परन्तु राज्य सरकार, ऐसी प्रस्थापनाओं के लिए, विहित प्ररूप में आपत्तियां आमंत्रित करेगी और प्राप्त की गई आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करेगी.";

(दो) उपधारा (३) का लोप किया जाए.

धारा १३-क का अन्त:स्थापन.

७. मूल अधिनियम की धारा १३ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"**१३-क. प्रमुख राजस्व आयुक्त की नियुक्ति तथा उसकी शक्तियां एवं कर्तव्य.**—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक प्रमुख राजस्व आयुक्त की नियुक्ति करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उस पर अधिरोपित किए जाएं.".

धारा १९ का स्थापन.

८. मूल अधिनियम की धारा १९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"१९. तहसीलदार, अपर तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार की नियुक्ति.—

(१) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले के लिए उतने व्यक्तियों को, जितने कि वह ठीक समझे—

(क) तहसीलदार;
(ख) अपर तहलीदार ; तथा
(ग) नायब तहसीलदार;

नियुक्त कर सकेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उन्हें प्रदत्त की गई हैं तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उन पर अधिरोपित किए गए हैं.

(२) कलेक्टर, किसी तहसीलदार को तहसील का भारसाधक बना सकेगा जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उन्हें प्रदत्त की गयी हों, तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा अधिरोपित किए गये हैं.

(३) कलेक्टर, किसी तहसील में एक या एक से अधिक अपर तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार नियुक्त कर सकेगा जो उसमें ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन तहसीलदार को प्रदत्त की गयी हैं तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किये गये हैं जैसा कि कलेक्टर, लिखित आदेश द्वारा निदेशित करे.''.

धारा २१ का लोप.

९. मूल अधिनियम की धारा २१ का लोप किया जाए.

धारा २२ का स्थापन.

१०. मूल अधिनियम की धारा २२ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''२२. **उपखण्ड अधिकारी.**—कलेक्टर, किसी सहायक कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को जिले के एक या एक से अधिक उपखण्डों का भार-साधक बना सकेगा जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उपखण्ड अधिकारी को प्रदत्त की गयी हैं या अधिरोपित किए गये हैं.''.

धारा २४ का स्थापन.

११. मूल अधिनियम की धारा २४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''२४. **राज्य सरकार द्वारा राजस्व अधिकारियों की शक्तियाँ किसी लोक सेवक या स्थानीय निकाय को प्रदत्त की जाना.**—राज्य सरकार वे शक्तियां, जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन किसी राजस्व अधिकारी को प्रदत्त की गई हैं, किसी लोक सेवक या स्थानीय निकाय को प्रदत्त कर सकेगी :

परन्तु—

(क) धारा ७२, ११३, १३५, १६५, २३७, २३८, २४३ एवं २५१ के अधीन कलेक्टर की शक्तियाँ;

(ख) धारा ५९, ११५, १७०, १७०क, १७०ख, २३४, २४१, २४२, २४८(२-क) एवं २५३ के अधीन उपखण्ड अधिकारी की शक्तियाँ;

(ग) धारा ४४ के अधीन अपील प्राधिकारी की शक्तियाँ, तथा

(घ) धारा ५० के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी की शक्तियाँ;

किसी लोक सेवक या स्थानीय निकाय को प्रदत्त नहीं की जाएंगी.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिये ''लोक सेवक'' से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो राज्य सरकार में या किसी शासी निकाय में या राज्य सरकार द्वारा स्थापित और नियंत्रित संस्था में पद धारण करता हो.''.

धारा २७ का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा २७ में, परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परंतु उपखण्ड अधिकारी किसी मामले की जांच या सुनवाई जिले के भीतर किसी भी स्थान पर कर सकेगा.''.

धारा २८ का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम की धारा २८ में, शब्द "समस्त राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, भू-मापक तथा पटवारी" के स्थान पर, शब्द "किसी राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, नगर सर्वेक्षक तथा पटवारी" स्थापित किए जाएं.

धारा २९ का संशोधन.

१४. मूल अधिनियम की धारा २९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"**२९. मामलों को अंतरित करने की शक्ति.**—(१) जब कभी यह प्रतीत हो कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आदेश देना समीचीन है, तो मण्डल निदेश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला एक राजस्व अधिकारी के पास से समान पद श्रेणी के किसी अन्य राजस्व अधिकारी को अंतरित कर दिया जाए.

(२) आयुक्त, यदि उसकी राय हो कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह समीचीन है, तो यह आदेश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला एक राजस्व अधिकारी के पास से उसी जिले के या उसी संभाग के किसी अन्य जिले के समान पद श्रेणी के किसी अन्य राजस्व अधिकारी को अंतरित कर दिया जाए.".

धारा ३५ का संशोधन.

१५. मूल अधिनियम की धारा ३५ में,—

(एक) उपधारा (१) का लोक किया जाए;

(दो) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(३) वह पक्षकार, जिसके विरुद्ध उपधारा (२) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है, ऐसें आदेश की तारीख से या उस दशा में जब कि सूचना या समन की सम्यक् रूप से तामील न की गई हो, उस आदेश के जानकारी में आने की तारीख से तीस दिन के भीतर उसे अपास्त कराने के लिये आवेदन इस आधार पर कर सकेगा कि सुनवाई में उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था और राजस्व अधिकारी, उस विरोधी पक्षकार को, जो उस तारीख को उपस्थित था जिसको कि ऐसा आदेश पारित किया गया था, सूचना देने के पश्चात् तथा ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, पारित किए गए आदेश को अपास्त कर सकेगा.".

धारा ४१ का लोप.

१६. मूल अधिनियम की धारा ४१ का लोप किया जाए.

धारा ४४ का स्थापन.

१७. मूल अधिनियम की धारा ४४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"**४४. अपील तथा अपील प्राधिकारी.**—(१) उस स्थिति को छोड़कर जहाँ कि अन्यथा उपबंधित किया गया है, इस संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसा आदेश पारित करने के लिये सक्षम किसी राजस्व अधिकारी के प्रत्येक मूल आदेश की अपील—

(क) यदि ऐसा आदेश उपखण्ड अधिकारी के अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी ने पारित किया है,—उपखण्ड अधिकारी को होगी;

(ख) यदि ऐसा आदेश उप सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ राजस्व अधिकारी ने पारित किया है—उप सर्वेक्षण अधिकारी को होगी:

(ग) यदि ऐसा आदेश उपखण्ड अधिकारी ने पारित किया है—कलेक्टर को होगी;

(घ) यदि ऐसा आदेश उप सर्वेक्षण अधिकारी ने पारित किया है.—जिला सर्वेक्षण अधिकारी को होगी;

(ङ) यदि ऐसा आदेश किसी सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर द्वारा पारित किया गया है, जिसे इस संहिता की धारा २४ के अधीन शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं.—कलेक्टर को होगी;

(च) यदि ऐसा आदेश किसी ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किया गया है जिसके कि संबंध में धारा १२ की उपधारा (३) के अधीन निदेश दिया गया हो—ऐसे राजस्व अधिकारी को होगी जिसके कि बारे में राज्य सरकार निदेश दे;

(छ) यदि ऐसा आदेश कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी ने पारित किया है—आयुक्त को होगी;

(ज) यदि ऐसा आदेश आयुक्त ने पारित किया है—मण्डल को होगी.

(२) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रथम अपील में.—

(क) उपखण्ड अधिकारी या उप सर्वेक्षण अधिकारी या कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा पारित किए गये प्रत्येक आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील आयुक्त को होगी;

(ख) आयुक्त द्वारा पारित किए गये प्रत्येक आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील मण्डल को होगी.

(३) द्वितीय अपील.—

(क) यदि मूल आदेश को प्रथम अपील में खर्च के मामले में के अतिरिक्त अन्य मामले में फेरफारित किया गया हो या उलट दिया गया हो; या

(ख) निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर होगी, न कि किसी अन्य आधार पर, अर्थात् :—

(एक) यह कि आदेश विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल है; या

(दो) यह कि आदेश द्वारा विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा संबंधी किसी सारवान विवाद्यक का अवधारण नहीं हो सका हो; या

(तीन) यह कि इस संहिता द्वारा यथाविहित प्रक्रिया में ऐसी सारवान गलती या त्रुटि हुई है जिससे कि गुणागुण के आधार पर मामले के विनिश्चय में गलती या त्रुटि उत्पन्न हुई हो.

(४) पुनर्विलोकन में, किसी आदेश में फेरफार करते हुए या उससे उलटते हुए, पारित किया गया कोई आदेश उसी रीति में अपीलनीय होगा जिस रीति में कि मूल आदेश अपीलनीय होता है.''.

धारा ४५ का लोप.

१८. मूल अधिनियम की धारा ४५ का लोप किया जाए.

धारा ४६ का स्थापन.

१९. मूल अधिनियम की धारा ४६ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''४६. **कतिपय आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी.**—धारा ४४ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी.—

(क) किसी भी ऐसे आदेश की.—

(एक) जिसके द्वारा किसी आवेदन को परिसीमा अधिनियम, १९६३ (१९६३ का ३६) की धारा ५ में विनिर्दिष्ट आधारों पर विलम्ब के विचारण के लिये मंजूर या नामंजूर किया गया है; या

(दो) पुनर्विलोकन के लिये किए गए किसी आवेदन को नामंजूर किया गया है; या

(तीन) आवेदन को, जो रोक (स्टे) के लिये मंजूर या नामंजूर किया गया है; या

(चार) जो अंतरिम स्वरूप का है; या

(पांच) जो धारा २९, ३०, १०४, १०६, ११४-क, १२७, १४६, १४७, १५०, १५२, १६१, २०७, २०८, २१०, २१२, २१३, २१५, २२० तथा २४३ के उपबंधों के अधीन पारित किया गया है,

कोई अपील नहीं होगी; और

(ख) धारा १३१ की उपधारा (१), धारा १३४, धारा १७३, धारा २३४, धारा २३९, धारा २४०, धारा २४१, धारा २४२, धारा २४४ तथा धारा २४८ के उपबंधों के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील में पारित आदेश के विरुद्ध कोई द्वितीय अपील नहीं होगी.''.

धारा ४७ का स्थापन.

२०. मूल अधिनियम की धारा ४७ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''**४७. अपीलों की परिसीमा.**—प्रथम तथा द्वितीय अपील फाइल करने के लिए परिसीमा अवधि, अपील के लिए आदेश की तारीख से पैंतालीस दिन होगी :

परन्तु जहां कोई आदेश, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जा रही है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रवृत्त होने के पूर्व किया गया था, वहाँ अपील करने की परिसीमा की अवधि, उक्त संशोधन अधिनियम के पूर्व, संहिता में यथा उपबंधित अनुसार होगी :

परन्तु यह और कि जहाँ किसी ऐसे पक्षकार को, जो उस पक्षकार से भिन्न हो जिसके कि विरुद्ध आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है, उस तारीख की, जिसको कि आदेश पारित किया गया था, कोई पूर्व सूचना न रही हो, वहां परिसीमा की संगणना ऐसे आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से की जाएगी.''.

धारा ४९ का संशोधन.

२१. मूल अधिनियम की धारा ४९ में, उपधारा (३) में, प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परन्तु अपील प्राधिकारी, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को मामले को निपटाने के लिये साधारणतया प्रतिप्रेषित नहीं करेगा.''.

धारा ५० का स्थापन.

२२. मूल अधिनियम की धारा ५० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"५०. पुनरीक्षण.—(१) उपधारा (२), (३), (४) तथा (५) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए,—

(क) मण्डल, किसी भी समय, स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर किसी ऐसे मामले का, जो कि विनिश्चित किया जा चुका हो या किन्हीं भी ऐसी कार्यवाहियों का, जिसमें आयुक्त द्वारा इस संहिता के अधीन आदेश पारित किया जा चुका हो, अभिलेख मंगा सकेगा;

(ख) आयुक्त, किसी भी समय, स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर किसी ऐसे मामले का, जो कि विनिश्चित किया जा चुका हो या किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों का, जिसमें कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा इस संहिता के अधीन आदेश पारित किया जा चुका हो, अभिलेख मंगा सकेगा;

(ग) कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी, किसी भी समय, स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन किए जाने पर किसी ऐसे मामले का, जो कि विनिश्चित किया जा चुका हो या किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों का, जिनमें उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा इस संहिता के अधीन आदेश पारित किया गया हो, अभिलेख मंगा सकेगा;

और यदि यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ राजस्व अधिकारी ने.—

(एक) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो कि इस संहिता द्वारा उसमें निहित न की गई हो; या

(दो) इस प्रकार निहित की गई अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा हो; या

(तीन) अपनी अधिकारिता का अविधिपूर्ण प्रयोग किया है या सारवान अनियमितता की है;

तो मण्डल या आयुक्त या कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे.

(२) पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन.—

(क) इस संहिता के अधीन अपीलनीय किसी आदेश के विरुद्ध;

(ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरुद्ध;

(ग) पुनरीक्षण में पारित किए गए किसी आदेश के विरुद्ध;

(घ) धारा २१० के अधीन आयुक्त के किसी आदेश के विरुद्ध;

(ङ) जब तक कि आदेश की तारीख से या पक्षकार को इसकी संसूचना की तारीख से पैंतालीस दिन, जो भी पश्चात् का हो, के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया हो,

ग्रहण नहीं किया जाएगा:

परन्तु जहां किसी आदेश, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण का आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रवृत्त होने के पूर्व किया गया था, पुनरीक्षण के लिये आवेदन प्रस्तुत करने के लिये परिसीमा अवधि उक्त संशोधन अधिनियम के पूर्व संहिता में उपबंधित किए गए अनुसार होगी.

(३) मण्डल या आयुक्त या कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश या कार्यवाही के अनुक्रम में किसी विवाद्यक का विनिश्चिय करने वाले किसी आदेश में फेरफार नहीं करेगा या उसे नहीं उलटेगा, सिवाय जहां कि.—

(क) ऐसा आदेश, यदि वह पुनरीक्षण का आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया हो, तो कार्यवाहियों का अंतिम रूप से निपटारा करता हो; या

(ख) ऐसा आदेश, यदि प्रवृत्त बना रहता है तो न्याय की विफलता का कारण बनेगा या उस पक्षकार को, जिसके कि विरुद्ध यह किया गया था अपूरणीय क्षति कारित करेगा.

(४) पुनरीक्षण का प्रभाव राजस्व अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही को स्थगित करने वाला नहीं होगा, सिवाय जहां कि ऐसी कार्यवाही यथास्थिति, मण्डल या आयुक्त या कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा स्थगित की गई हो.

(५) किसी भी ऐसे आदेश को पुनरीक्षण में तब तक फेरफारित नहीं किया जाएगा या उलटा नहीं जायेगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकार पर सूचना की तामील न कर दी गई हो और उसे सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिये समस्त राजस्व अधिकारी मण्डल के अधीनस्थ समझे जाएंगे.".

धारा ५१ का संशोधन.

२३. मूल अधिनियम की धारा ५१ में, उपधारा (१) तथा उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"(१) मण्डल या कोई राजस्व अधिकारी, या तो स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर, उसके द्वारा या उसके किसी पूर्वाधिकारी द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसके संदर्भ में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे :

परन्तु,

(एक) यदि आयुक्त, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी किसी ऐसे आदेश का, जो कि उसने स्वयं पारित न किया हो, पुनर्विलोकन करना आवश्यक समझता है, तो वह पहले मण्डल की मंजूरी अभिप्राप्त करेगा, और यदि कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ कोई अधिकारी किसी ऐसे आदेश का, जो स्वयं उसके द्वारा या उसके किसी पूर्ववर्ती द्वारा पारित किया गया हो, पुनर्विलोकन करने की प्रस्थापना करता है तो वह पहले कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी की, ठीक जिसके कि वह अधीनस्थ है, लिखित मंजूरी अभिप्राप्त करेगा;

(दो) किसी भी आदेश को तब तक फेरफारित नहीं किया जाएगा या उल्टा नहीं जाऐगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने तथा ऐसे आदेश के समर्थन में उन्हें सुने जाने की सूचना न दे दी गई हो;

(तीन) किसी भी ऐसे आदेश का, जिसकी कि अपील की गई है या जो किन्हीं पुनरीक्षण की कार्यवाहियों का विषय है, उस समय तक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी अपील या कार्यवाहियां लंबित रहती हैं;

(चार) किसी भी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन, जो निजी व्यक्तियों के बीच अधिकार संबंधी किसी प्रश्न पर प्रभाव डालता हो, कार्यवाहियों के किसी पक्षकार के आवेदन पर ही किया जाएगा अन्यथा नहीं और ऐसे आदेश के पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि वह उस आदेश के पारित किये जाने के पैंतालीस दिन के भीतर न किया गया हो.

(२) किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन निम्नलिखित आधारों के सिवाय नहीं किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) नए तथा महत्वपूर्ण विषय या साक्ष्य के पता चलने पर जो आवेदक की जानकारी में उसके सम्यक् तत्परता बरतने के पश्चात् भी नहीं था या उसके द्वारा उस समय जब आदेश पारित किया गया था, प्रस्तुत नहीं किया जा सका;

(ख) कोई भूल या गलती जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट हो; या

(ग) कोई अन्य समुचित कारण.".

धारा ५४ का स्थापन.

२४. मूल अधिनियम की धारा ५४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"**५४. पुनरीक्षण का लंबित रहना.**—इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी कार्यवाहियां जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित हों,—

(क) यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हों, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित धारा ५० की उपधारा (१) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जाएगी तथा विनिश्चित की जाएगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो, तो ऐसे सक्षम राजस्व अधिकारी को अंतरित की जाएगी;

(ख) यदि वे मण्डल या किसी राजस्व अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से शुरू की गई हों तो यथास्थिति, मण्डल या ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा उसी प्रकार सुनी तथा विनिश्चित की जाएंगी मानो कि यह संशोधन अधिनियम पारित नहीं किया गया हो;

(ग) यदि वे बंदोबस्त आयुक्त द्वारा शूरू की गई हों तो संबंधित संभाग के आयुक्त को अंतरित की जाएंगी, जो उन्हें सुनेगा और विनिश्चित करेगा;

(घ) यदि वे बंदोबस्त अधिकारी द्वारा शुरू की गई हों तो यथास्थिति, जिला सर्वेक्षण अधिकारी या कलेक्टर को अंतरित की जाएंगी, जो उन्हें सुनेगा और विनिश्चित करेगा.".

२५. मूल अधिनियम की धारा ५५ का लोप किया जाए. धारा ५५ का लोप.

२६. मूल अधिनियम की धारा ५६ में, शब्द "यथास्थिति इस कोड या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए" के स्थान पर, शब्द "इस संहिता के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए" स्थापित किए जाएं. धारा ५६ का संशोधन

२७. मूल अधिनियम की धारा ५७ की उपधारा (२) का लोप किया जाए. धारा ५७ का संशोधन.

२८. मूल अधिनियम की धारा ५८ में,— धारा ५८ का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१) समस्त भूमि, चाहे वह किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोजित की जाती हो और चाहे वह कहीं भी स्थित हो, राज्य सरकार को राजस्व के भुगतान के लिए दायित्वाधीन है सिवाय ऐसी भूमि के जिसे इस संहिता द्वारा या इसके अधीन या राज्य सरकार के विशेष अनुदान या राज्य सरकार के साथ की गई संविदा द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, इस बाबत् जारी अधिसूचना द्वारा, ऐसे दायित्व से पूर्णत: या भागत: छूट दी गई है.".

(दो) उपधारा (२) का लोप किया जाए.

२९. मूल अधिनियम की धारा ५८-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :— धारा ५८-क का स्थापन.

५८-क. भू-राजस्व के भुगतान से छूट.—इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) अनन्यरूपेण कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये गये दो हेक्टेयर तक किसी खाते;

(ख) गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग मे लायी गयी ऐसी अन्य भूमि जैसी कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे,

के संबंध में, कोई भी भू-राजस्व देय नहीं होगा.".

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए 'खाते' से अभिप्रेत है संपूर्ण राज्य में किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिश: धारित समस्त भूमि और संयुक्त रूप से उसके द्वारा धारित भूमियों में उसका हिस्सा, यदि कोई हो, का योग.".

३०. मूल अधिनियम की धारा 5८-ख का लोप किया जाए. धारा ५८-ख का लोप.

३१. मूल अधिनियम की धारा ५९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :— धारा ५९ का स्थापन.

"५९. **जिस प्रयोजन के लिए भूमि उपयोग में लायी जा रही है, के अनुसार भू-राजस्व**—(१) भूमि के निम्नलिखित उपयोग के संबंध में भू-राजस्व का निर्धारण ऐसी दरों पर किया जाएगा जैसी कि विहित की जाएं :—

(क) कृषि के प्रयोजन के लिए, जिसमें उस पर किया गया कोई सुधार भी सम्मिलित है,

(ख) निवास गृहों के प्रयोजन के लिए;

(ग) शैक्षणिक प्रयोजन के लिए;

(घ) वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए;

(ङ) औद्योगिक प्रयोजन के लिए, जिसमें खान तथा खनिज भी सम्मिलित हैं;

(च) उपरोक्त मद (क) से (ङ) में विनिर्दिष्ट किए गए प्रयोजन से भिन्न ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए.

(२) जहां कोई भूमि जिस पर किसी एक प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जाने हेतु निर्धारण किया गया हो, किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित कर दी जाए, वहां ऐसी भूमि पर देय भू-राजस्व, इस बात के होते हुए भी कि उस अवधि का, जिसके लिए कि निर्धारण नियत किया गया हो, अवसान नहीं हुआ है, उस प्रयोजन के लिए विहित दर पर निर्धारण किये जाने के दायित्वाधीन होगा जिसके कि लिए वह व्यपवर्तित कर दी गयी है.

(३) जहां कोई भूमि जो किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने की शर्त पर भू-राजस्व के भुगतान से मुक्त रूप से धारित है किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित कर दी जाती है, वहां वह भूमि भू-राजस्व के भुगतान के दायित्वाधीन हो जाएगी और उस पर उस प्रयोजन के लिए विहित दर पर निर्धारण किया जाएगा जिसके कि लिए वह व्यपवर्तित की गयी है.

(४) जहां किसी एक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाली भूमि किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित कर दी जाती है और उस पर भू-राजस्व का निर्धारण इस धारा के उपबंधों के अधीन किया जाता है वहां ऐसे व्यपवर्तन पर प्रीमियम ऐसी दर पर संदेय होगा जो कि विहित की जाए.

(५) जब कभी भूमि का निर्धारण एक प्रयोजन के लिए किया गया है और उसे अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित किया जाता है, तो भूमि स्वामी प्रीमियम की गणना करेगा तथा देय भू-राजस्व का पुनर्निर्धारण करेगा और इस प्रकार गणना की गई रकम विहित रीति में जमा करेगा.

(६) भूमिस्वामी ऐसे व्यपवर्तन की उपखण्ड अधिकारी को उपधारा (५) के अधीन रकम जमा करने की पावती के साथ लिखित प्रज्ञापना करेगा और ऐसी प्रज्ञापना की तारीख से भूमि व्यपवर्तित मानी जाएगी.

(७) उपधारा (६) के अधीन प्रज्ञापना प्राप्त होने पर, उपखण्ड अधिकारी यथाशक्य शीघ्र भूमि स्वामी द्वारा की गई गणना की शुद्धता की जांच करेगा तथा भूमि स्वामी को या तो उपधारा (५) के अधीन गणना की पुष्टि करने की या देय प्रीमियम तथा भू-राजस्व की सही रकम की संसूचना देगा. उपधारा (५) के अधीन जमा की गई रकम के, उपखण्ड अधिकारी द्वारा की गई गणना की रकम से कम होने की दशा में अंतर की राशि भूमिस्वामी द्वारा ऐसी प्रज्ञापना की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर संदत्त की जाएगी:

परन्तु उपधारा (५) के अधीन जमा की गई रकम उपखण्ड अधिकारी द्वारा की गई गणना से अधिक होने की दशा में अंतर की राशि साठ दिन के भीतर भूमिस्वामी को वापस की जाएगी.

(८) यदि उपखण्ड अधिकारी उपधारा (६) के अधीन प्राप्त प्रज्ञापना की तारीख से पांच वर्ष के भीतर उपधारा (७) के अधीन भूमिस्वामी को संसूचित करने में असफल रहता है तो, पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की बकाया पांच वर्ष से अधिक किसी अवधि के लिये देय नहीं होगी.

(९) यदि भूमिस्वामी उपधारा (६) के अधीन विहित अवधि के भीतर व्यपवर्तन की प्रज्ञापना देने में असफल रहता है तो उपखण्ड अधिकारी स्वप्रेरणा से या ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर प्रीमियम की गणना तथा ऐसे व्यपवर्तन के मद्दे देय भू-राजस्व का पुनर्निर्धारण करेगा और देय कुल रकम के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति भी अधिरोपित करेगा:

परन्तु पुनर्निधारित भू-राजस्व अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे व्यपवर्तन की तारीख से देय होगा:

परन्तु यह और कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष के लिए कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी.

(१०) भूमि स्वामी केवल ऐसे प्रयोजन के लिए ही भूमि व्यपवर्तित करेगा जैसा कि तत्समय प्रवृत्त भूमि के उपयोग को विनियमित करने वाली विधि के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु इस धारा के अधीन भूमिस्वामी या उपखण्ड अधिकारी की कोई कार्रवाई लागू विधि के उपबंधों के प्रतिकूल भूमि के उपयोग के परिवर्तन हेतु अनुज्ञा देने वाली नहीं समझी जाएगी:

परन्तु यह और कि सक्षम प्राधिकारी इस धारा के अधीन की गई किसी दण्डात्मक कार्रवाई का विचार किए बिना तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के प्रतिकूल ऐसे व्यपवर्तन के लिए भूमिस्वामी के विरुद्ध कार्रवाई कर सकेगा.

(११) प्रीमियम तथा पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की गणना, यथास्थिति, उपधारा (६) के अधीन भूमिस्वामी द्वारा प्रज्ञापना की तारीख या उपधारा (९) के अधीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने की तारीख को प्रचलित दरों पर की जाएगी.

(१२) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रारंभ होने के पूर्व मण्डल या किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष लंबित इस धारा के अधीन की समस्त कार्यवाहियां समाप्त हो जाएंगी तथा उपखण्ड अधिकारी इस धारा के उपबंधों के अनुसार व्यपवर्तन के मद्दे प्रीमियम अधिरोपित करेगा और भू-राजस्व का निर्धारण करेगा.''.

धारा ६० का स्थापन.

३२. मूल अधिनियम की धारा ६० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''६०. भूमि जिस पर निर्धारण नहीं किया गया है, का निर्धारण

उन समस्त भूमियों पर जिन पर निर्धारण नहीं किया गया है, भूमि का निर्धारण इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कलेक्टर द्वारा किया जाएगा.''.

अध्याय सात तथा अध्याय आठ का स्थापन.

३३. मूल अधिनियम की धारा ६१ से १०३ (दोनों सम्मिलित हैं) को अंतर्विष्ट करने वाले अध्याय-सात तथा अध्याय-आठ के स्थान पर, निम्नलिखित अध्याय स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''अध्याय-सात

भू-सर्वेक्षण

६१. भू-सर्वेक्षण की परिभाषा ''भू-सर्वेक्षण'' से अभिप्रेत है—

(क) समस्त या निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कोई क्रियाकलाप—

(एक) भूमि का सर्वेक्षण संख्यांकों में विभाजन, विद्यमान सर्वेक्षण संख्यांकों को मान्य करना, उन्हें पुनर्गठित करना या कृषि प्रयोजनों तथा उनसे आनुषांगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि में नवीन सर्वेक्षण संख्यांक विरचित करना;

(दो) भूमि का भूखण्ड संख्यांकों में विभाजन, विद्यमान भूखण्ड संख्यांकों को मान्य करना, उन्हें पुनर्गठित करना तथा गैर कृषि प्रयोजनों तथा उनके आनुषांगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लायी जाने वाली भूमि में नये भू-खण्ड संख्यांक विरचित करना तथा उन्हें ब्लाक में समूहीकृत करना;

(तीन) नगरेत्तर क्षेत्रों में सर्वेक्षण संख्यांकों तथा ब्लाक को ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर में समूहीकृत करना तथा उनके आनुषांगिक क्रियाकलाप;

(ख) यथास्थिति, प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक या भूखण्ड संख्यांक का क्षेत्रफल, वर्तमान भूमि उपयोग तथा अन्य विशेषताओं का वर्णन करने वाली क्षेत्र पुस्तिका (फील्ड बुक) तैयार करना;

(ग) यथास्थिति, खेत का नक्शा तैयार करना या उसका पुनरीक्षण करना या उसमें सुधार करना;

(घ) किसी स्थानीय क्षेत्र में भू-अभिलेखों को अद्यतन रखने के उद्देश्य से अधिकार अभिलेख तैयार करना;

(ङ) कोई अन्य अभिलेख तैयार करना जैसा कि विहित किया जाए.

६२. **आयुक्त, भू-अभिलेख की नियुक्ति.**—राज्य सरकार, आयुक्त, भू-अभिलेख की नियुक्ति कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए निर्देश के अध्यधीन रहते हुए, भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेखों का प्रबंध करेगा.

६३. **अपर आयुक्त, भू-अभिलेख की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां और कर्तव्य.**—(१) राज्य सरकार एक या उससे अधिक अपर आयुक्त, भू-अभिलेख की नियुक्ति कर सकेगी.

(२) अपर आयुक्त, भू-अभिलेख ऐसे मामलों में या मामले के ऐसे वर्ग में, जैसा कि राज्य सरकार या आयुक्त, भू-अभिलेख निदेशित करे, ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो इस संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा आयुक्त, भू-अभिलेख को प्रदत्त तथा उस पर अधिरोपित किए गए हैं और अपर आयुक्त, भू-अभिलेख के संबंध में जब कि वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, यह समझा जाएगा कि वह इस संहिता या बनाए गए किसी नियम के प्रयोजनों के लिए आयुक्त, भू-अभिलेख नियुक्त किया गया है.

६४. **प्रस्थापित भू-सर्वेक्षण की अधिसूचना.**—(१) आयुक्त, भू-अभिलेख किसी तहसील क्षेत्र में भू-सर्वेक्षण, राजपत्र में उस आशय की एक अधिसूचना प्रकाशित करके प्रारंभ कर सकेगा.

(२) भू-सर्वेक्षण तहसील क्षेत्र में की समस्त भूमियों पर या उसके केवल ऐसे भाग पर हो सकेगा जैसा कि आयुक्त, भू-अभिलेख उपधारा (१) के अधीन जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट करे.

(३) उपधारा (१) के अधीन अधिसूचित भूमियां, उक्त अधिसूचना की तारीख से तब तक भू-सर्वेक्षण के अधीन धारित समझी जाएंगी जब तक कि ऐसे भू-सर्वेक्षण को बंद किए जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जाए.

६५. **जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी.**—(१) ऐसी भूमियों के संबंध में जो कि भू-सर्वेक्षण के अधीन हैं,—

(क) जिले का कलेक्टर जिला सर्वेक्षण अधिकारी होगा;

(ख) उपखण्ड का उपखण्ड अधिकारी उसके उपखण्ड के लिए उप सर्वेक्षण अधिकारी होगा,

(ग) तहसीलदार, अपर तहसीलदार या नायब तहसीलदार उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सहायक सर्वेक्षण अधिकारी होंगे.

(२) समस्त जिला सर्वेक्षण अधिकारी आयुक्त, भू-अभिलेख के अधीनस्थ होंगे.

(३) जिले में के समस्त उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी जिला सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ होंगे.

(४) उपखण्ड में के समस्त सहायक सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ होंगे.

६६. **जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियां.**—(1) ऐसी भूमियों के संबंध में, जो कि भू-सर्वेक्षण के अधीन हैं इस संहिता के अधीन कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार की शक्तियां क्रमश: जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी या सहायक सर्वेक्षण अधिकारी में निहित होंगी.

(2) राज्य सरकार, इस संहिता के अधीन जिला सर्वेक्षण अधिकारी की समस्त या किन्हीं भी शक्तियों को उप सर्वेक्षण अधिकारी या सहायक सर्वेक्षण अधिकारी में निहित कर सकेगी.

६७. **सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्याक, भू-खण्ड संख्यांक की विरचना और उनको नगरेतर क्षेत्रों में ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर में समूहीकृत करना.**—इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जिला सर्वेक्षण अधिकारी—

(क) उस भूमि का, जिस पर भू-सर्वेक्षण किया जाना है, मापन कराएगा तथा उस पर ऐसी संख्या में सर्वेक्षण चिन्हों को संनिर्मित कर सकेगा जितनी कि आवश्यक हों;

(ख) ऐसी भूमि को सर्वेक्षण संख्यांकों में विभाजित कर सकेगा, विद्यमान सर्वेक्षण संख्यांकों को मान्य कर सकेगा, सर्वेक्षण संख्यांकों को पुनर्गठित कर सकेगा या कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि में नवीन सर्वेक्षण संख्यांक विरचित कर सकेगा;

(ग) ऐसी भूमि को ब्लाक संख्यांकों में विभाजित कर सकेगा, विद्यमान ब्लाक संख्यांकों को मान्य कर सकेगा, ब्लाक संख्यांकों को पुनर्गठित कर सकेगा या गैर कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जाने वाली भूमि में नवीन ब्लाक संख्यांक विरचित कर सकेगा;

(घ) ब्लाक को भू-खण्ड संख्यांकों में विभाजित कर सकेगा, विद्यमान भू-खण्ड संख्यांकों को मान्य कर सकेगा, भू-खण्ड संख्यांकों को पुनर्गठित कर सकेगा या गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लायी जाने वाली भूमि में नवीन भू-खण्ड संख्यांक विरचित कर सकेगा;

(ङ) नगरेतर क्षेत्रों में सर्वेक्षण संख्यांकों तथा ब्लाक को ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर के रूप में समूहीकृत कर सकेगा:

परन्तु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) के अधीन अनुमोदित विन्यास की सीमाओं के भीतर आने वाली किसी भूमि के भू-खण्ड इस संहिता के अधीन भू-खण्ड समझे जाएंगे:

परन्तु यह और कि यहां इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय और क्षेत्र की अनुमोदित विकास योजना, यदि कोई हो, के अध्यधीन रहते हुए, भविष्य में न्यूनतम विहित सीमा से कम का कोई सर्वेक्षण क्रमांक या भू-खण्ड क्रमांक निर्मित नहीं किया जाएगा.

६८. **सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक तथा भूखण्ड संख्यांक को पुनर्क्रमांकित करने या उपविभाजित या समामेलित करने की शक्ति.**—(१) जिला सर्वेक्षण अधिकारी, सर्वेक्षण संख्यांकों को या तो पुनर्क्रमांकित कर सकेगा या उन्हें उतने उपखण्डों में उपविभाजित कर सकेगा जितने कि अपेक्षित हों या भूमि में अधिकारों के अर्जन की दृष्टि से या किसी अन्य कारण से एक या एक से अधिक सर्वेक्षण संख्यांकों को एकल सर्वेक्षण संख्यांक में समामेलित कर सकेगा.

(२) जिला सर्वेक्षण अधिकारी, ब्लाक संख्यांकों को तथा भू-खण्ड संख्यांकों को या तो पुनर्क्रमांकित या उन्हें इतने उपखण्डों में उप विभाजित कर सकेगा जितने कि अपेक्षित हों या भूमि में अधिकारों के अर्जन की दृष्टि से या किसी अन्य कारण से एक या एक से अधिक ब्लाक संख्यांकों तथा भू-खण्ड संख्यांकों को एकल ब्लाक संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक में समामेलित कर सकेगा:

परन्तु ऐसे ब्लाक संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक का विभाजन या समामेलन नहीं होगा जहां कि ऐसा ब्लाक या भू-खण्ड या उसका कोई भाग मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) के अधीन अनुमोदित विन्यास की सीमाओं के भीतर आता हो.

(३) किसी सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक का विभाजन या समामेलन तथा उनका निर्धारण इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा.

(४) जिला सर्वेक्षण अधिकारी, एक या एक से अधिक भू-खण्ड संख्यांकों को किसी ब्लाक से निकालकर या एक या एक से अधिक भू-खण्ड संख्यांकों को उससे लगे हुए ब्लाक में जोड़कर किसी ब्लाक को परिवर्तित कर सकेगा.

(५) जहां कोई खाता कई सर्वेक्षण संख्यांकों तथा भू-खण्ड संख्यांकों से मिलकर बना हो वहां जिला सर्वेक्षण अधिकारी, प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक के लिए देय भू-राजस्व का निर्धारण करेगा.

(६) जब कभी सर्वेक्षण संख्यांकों, ब्लाक संख्यांकों या भू-खण्ड संख्यांकों को पुनर्क्रमांकित किया जाए तो जिला सर्वेक्षण अधिकारी इस संहिता के अधीन तैयार किए गए या संधारित किए गए समस्त अभिलेखों में प्रविष्टियों की शुद्धि करेगा.

६९. **भू-अभिलेख में सर्वेक्षण संख्यांकों, ब्लाक संख्यांकों तथा भू-खण्ड संख्यांकों तथा उनके उप खण्डों की प्रविष्टि.**—सर्वेक्षण संख्यांकों और भू-खण्ड संख्यांकों तथा उनके उप खंडों के क्षेत्रफल तथा उनका निर्धारण और ब्लॉक संख्यांकों के क्षेत्रफल की प्रविष्टि भू-अभिलेख में ऐसी रीति में की जाएगी जैसी कि विहित की जाए.

७०. **ग्राम की आबादी का अवधारण.**—जिला सर्वेक्षण अधिकारी प्रत्येक बसे हुए ग्राम की दशा में भूमियों में के अधिकारों का सम्यक् ध्यान रखते हुए, निवासियों के निवास के लिए या उससे आनुषांगिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित किए जाने वाला क्षेत्रफल अभिनिश्चित करेगा तथा अवधारित करेगा और ऐसे क्षेत्रफल को ग्राम की आबादी समझा जाएगा.

७१. **ग्रामों और सेक्टर को विभाजित या सम्मिलित करने या उनमें से किसी क्षेत्र को अपवर्जित करने की जिला सर्वेक्षण अधिकारी की शक्ति.**—(१) जिला सर्वेक्षण अधिकारी, इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार दो या अधिक ग्रामों का गठन करने के लिए किसी ग्राम को विभाजित कर सकेगा या दो या अधिक ग्रामों को सम्मिलित कर एक ग्राम गठित कर सकेगा या किसी ग्राम की सीमाओं को, उसमें किसी ऐसे ग्राम के, जो उसके सामीप्य में हो, किसी क्षेत्र को सम्मिलित करके अथवा उसमें समाविष्ट किसी क्षेत्र को उसमें से अपविर्जत करके, परिवर्तित कर सकेगा.

(२) जिला सर्वेक्षण अधिकारी इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार दो या दो से अधिक सेक्टर का गठन करने के लिए किसी सेक्टर को विभाजित कर सकेगा या दो या अधिक सेक्टरों को एक सेक्टर गठित करने के प्रयोजन से सम्मिलित कर सकेगा या किसी सेक्टर की सीमाओं को, उसमें किसी ऐसे सेक्टर के, जो कि उसके सामीप्य में हों, किसी क्षेत्र को सम्मिलित करके अथवा उसमें समाविष्ट किसी क्षेत्र को उसमें से अपवर्जित करके परिवर्तित कर सकेगा.

७२. **निर्धारण.**—जिला सर्वेक्षण अधिकारी प्रत्येक खाते पर, ऐसी दरों पर, जैसी विहित की जाएं, निर्धारण नियत करेगा.

७३. **समस्त भूमियां निर्धारण के दायित्वाधीन होंगी.**—जिला सर्वेक्षण अधिकारी ऐसी समस्त भूमियों पर, जिन पर सर्वेक्षण विस्तारित होता है, निर्धारण करेगा, चाहे ऐसी भूमियां भू-राजस्व के भुगतान के दायित्वाधीन हों या न हों.

७४. **नक्शे तथा अभिलेख रखने का जिला सर्वेक्षण अधिकारी का कर्तव्य.**—जब कोई क्षेत्र भूमि सर्वेक्षण के अधीन हो, तो, ऐसे क्षेत्र के नक्शे तथा अभिलेख रखने का कर्तव्य, कलेक्टर के पास से जिला सर्वेक्षण अधिकारी को अंतरित हो जायेगा जो इसके बाद अध्याय-नौ से अठारह के किन्हीं उपबंधों के अधीन कलेक्टर, को प्रदत्त की गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा.

७५. **गलतियों को ठीक करने की उपखण्ड अधिकारी की शक्ति.**—उपखण्ड अधिकारी भू-सर्वेक्षण बंद हो जाने के पश्चात् किसी भी समय सर्वेक्षण में हुई गलती अथवा अंकगणितीय अशुद्ध गणना के कारण किसी सर्वेक्षण संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक अथवा ब्लाक संख्यांक के क्षेत्रफल अथवा निर्धारण में हुई किसी गलती को ठीक कर सकेगा:

परन्तु ऐसी गलती को ठीक करने के कारण भू-राजस्व का कोई बकाया देय नहीं होगा.

७६. **भू-सर्वेक्षण के अधीन न आने वाले क्षेत्रों में, इस अध्याय के अधीन उपबंधित शक्तियों का प्रयोग कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी तथा तहसीलदार द्वारा किया जाना.**—ऐसे क्षेत्र में, जो भू-सर्वेक्षण के अधीन नहीं है कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, इस अध्याय के अधीन उपबंधित क्रमशः जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेंगे.

७७. **नियम बनाने की शक्ति.**—राज्य सरकार इस अध्याय के अधीन भू-सर्वेक्षण को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.".

धारा १०४ का स्थापन.

३४. मूल अधिनियम की धारा १०४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"**१०४. नगरेतर क्षेत्र में पटवारी हल्कों की विरचना तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टरों की विरचना और पटवारियों तथा नगर सर्वेक्षकों की नियुक्ति.—**

(१) आयुक्त, भू-अभिलेख, प्रत्येक तहसील के लिए ग्रामों को पटवारी हल्कों में विन्यस्त करेगा तथा प्रत्येक नगरीय क्षेत्र को सेक्टर में विभाजित करेगा और किसी भी समय विद्यमान पटवारी हल्कों या सेक्टर की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा तथा नवीन पटवारी हल्कों या सेक्टरों का सृजन कर सकेगा या विद्यमान पटवारी हल्कों या सेक्टरों को समाप्त कर सकेगा.

(२) कलेक्टर, शुद्ध भू-अभिलेखों को रखने के लिए तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिए जैसे कि विहित किए जाएं, प्रत्येक पटवारी हल्के में एक पटवारी तथा प्रत्येक सेक्टर में एक नगर सर्वेक्षक की नियुक्ति करेगा.

(३) उपधारा (१) के अधीन नगरीय क्षेत्र में सेक्टर की विरचना होने तक मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व इसमें विद्यमान प्रत्येक ग्राम एक सेक्टर के रूप में समझा जाएगा तथा ऐसे ग्राम के सुसंगत भू-अभिलेख ऐसे सेक्टर के भू-अभिलेख समझे जाएंगे.".

धारा १०५ का स्थापन.

३५ मूल अधिनियम की धारा १०५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"१०५. **नगरेतर क्षेत्र में राजस्व निरीक्षक वृत्तों की विरचना.**—आयुक्त, भू-अभिलेख, किसी तहसील में के पटवारी हल्कों को, राजस्व निरीक्षक वृत्तों में विन्यस्त करेगा और किसी भी समय किसी वृत्त की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा तथा नवीन वृत्तों का सृजन कर सकेगा या विद्यमान को समाप्त कर सकेगा.".

धारा १०६ का स्थापन.

३६. मूल अधिनियम की धारा १०६ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"१०६. नगरेतर क्षेत्रों में राजस्व निरीक्षकों की नियुक्ति.—कलेक्टर, प्रत्येक राजस्व निरीक्षक वृत्त में, भू-अभिलेखों को तैयार किए जाने तथा संधारण, पर्यवेक्षण करने तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, जैसे कि विहित किए जाएं, राजस्व निरीक्षक को नियुक्त कर सकेगा.".

धारा १०७ का स्थापन.

३७. मूल अधिनियम की धारा १०७ के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"**१०७. ग्राम, आबादी, ब्लाक तथा सेक्टर के नक्शे.**—(१) प्रत्येक ग्राम के लिए—

(क) सर्वेक्षण-संख्यांकों तथा ब्लाक संख्यांकों की सीमाओं को दर्शाने वाला एक नक्शा तैयार किया जाएगा जो कि "ग्राम का नक्शा" कहलाएगा;

(ख) आबादी के लिए धारकों द्वारा अधिभोग में रखा गया क्षेत्र तथा वह क्षेत्र जो ऐसे अधिभोग में न हो, दर्शाने वाला, पृथक् पृथक् भू खण्ड संख्यांक तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां देते हुए जैसी कि विहित की जाएं, एक नक्शा तैयार किया जाएगा जो कि "आबादी का नक्शा" कहलायेगा;

(ग) व्यवर्तित की गई भूमियों के लिए, धारकों द्वारा अधिभोग में रखा गया क्षेत्र, पृथक्-पृथक् भू-खण्ड संख्यांक तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां देते हुए जैसी कि विहित की जाएं, एक नक्शा तैयार किया जाएगा जो कि "ब्लाक का नक्शा" कहलाएगा.

(२) प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में, धारकों द्वारा अधिभोग में रखा गया क्षेत्र तथा वह क्षेत्र जो ऐसे अधिभोग में न हो, दर्शाने वाला पृथक्-पृथक् भू-खण्ड सख्यांक तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां देते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, प्रत्येक सेक्टर के लिए एक नक्शा तैयार किया जाएगा जो कि "सेक्टर का नक्शा" कहलाएगा.

(३) उपधारा (१) तथा (२) के अधीन नक्शा ऐसे पैमाने (स्केल) पर तैयार किया जाएगा जो कि विहित किया जाए.".

धारा १०८ का स्थापन

३८. मूल अधिनियम की धारा १०८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"१०८. **अधिकार अभिलेख.**—(१) प्रत्येक ग्राम क्षेत्र तथा प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक सेक्टर के लिए अधिकार अभिलेख इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार तैयार किया जाएगा तथा रखा जाएगा और ऐसे अभिलेख में निम्नलिखित विशिष्टियां सम्मिलित होगी:—

(क) समस्त भूमिस्वामियों के नाम, उनके द्वारा धारित सर्वेक्षण संख्यांकों या भू-खण्ड संख्यांकों तथा वह प्रयोजन जिसके लिए वे उपयोग किए जा रहे हों और उनके क्षेत्रफल तथा कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि की दशा में सिंचाई की स्थिति, सहित;

(ख) समस्त सरकारी पट्टेदारों के नाम तथा पट्टेदारों के ऐसे वर्ग जो कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, उनके द्वारा धारित सर्वेक्षण संख्यांकों या भू-खण्ड संख्यांकों का तथा वह प्रयोजन जिसके लिए उनका उपयोग किया जा रहा हो तथा उनके क्षेत्रफल और कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि की दशा में सिंचाई की स्थिति, सहित;

(ग) ग्राम की आबादी में अधिभोग रखने वाले समस्त व्यक्तियों या यथा स्थिति नगरीय क्षेत्र में की ऐसी भूमि में अधिभोग रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम जो कि ऐसे नगरीय क्षेत्र के गठन के पूर्व ग्राम की आबादी थी, भूमि में उनके हित की प्रकृति, उनके द्वारा धारित भू-खण्ड संख्यांकों तथा वह प्रयोजन जिसके लिए भूमि उपयोग में लायी जा रही हो, सहित;

(घ) राज्य सरकार द्वारा या किसी अधिनियमिति के अधीन अधिकृत व्यक्ति द्वारा या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के निदेश के अधीन किसी व्यक्ति को समनुदेशित की गई या दी गई भूमि में हित की प्रकृति तथा उसकी सीमा, निम्न सहित—

(एक) ऐसे व्यक्तियों के अपने-अपने हितों के प्रकार और शर्तें तथा दायित्व, यदि कोई हों;

(दो) ऐसे व्यक्तियों द्वारा देय भू-राजस्व या भू-भाटक, यदि कोई हो; और

(तीन) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो कि विहित की जाएं.

(२) उपधारा (१) में वर्णित अधिकार अभिलेख, राजस्व सर्वेक्षण के दौरान या जब कभी भी राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसा निदेश दे, तैयार किया जाएगा.".

धारा १०९ का स्थापन

३९. मूल अधिनियम की धारा १०९ के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"१०९. **अधिकारों के अर्जन की रिपोर्ट की जाएगी:**—(१) कोई भी व्यक्ति, जो भूमि में पूर्ण अधिकार हित विधिपूर्वक अर्जित करता है, अपने द्वारा ऐसा अधिकार अर्जित किए जाने की रिपोर्ट ऐसे अर्जन की तारीख से छह मास के भीतर विहित प्ररूप में देगा,—

(क) नगरेतर क्षेत्र में स्थित भूमि की दशा में पटवारी को या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या तहसीलदार को,

(ख) नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि की दशा में नगर सर्वेक्षक को या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या तहसीलदार को:

परन्तु जब अधिकार अर्जित करने वाला व्यक्ति अवस्यक हो या अन्यथा निरर्हित हो, तो उसका संरक्षक या ऐसा अन्य व्यक्ति, जो उसकी संपत्ति का भारसाधक हो, पटवारी या नगर सर्वेक्षक या अधिकृत व्यक्ति या तहसीलदार को ऐसी रिपोर्ट करेगा.

''**स्पष्टीकरण एक** : ऊपर वर्णित किए गए अधिकार के अन्तर्गत कोई सुखाचार या संपत्ति अन्तरण अधिनियम, १८८२ (१८८२ का अधिनियम संख्यांक ४) की धारा १०० में विनिर्दिष्ट किए गए प्रकार का कोई ऐसा भार, जो कि बंधक की कोटि में नहीं आता है, नहीं है.

स्पष्टीकरण दो : कोई ऐसा व्यक्ति जिसके कि पक्ष में किसी बंधक का मोचन हो जाए या भुगतान कर दिया जाए या किसी पट्टे का पर्यवसान हो जाए, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत् अधिकार अर्जित करता है.

स्पष्टीकरण तीन : इस धारा के अधीन दी जाने के लिए अपेक्षित लिखित प्रज्ञापना या तो संदेशवाहक की मार्फत दी जा सकेगी या व्यक्तिशः सौंपी जा सकेगी या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकेगी या ऐसी अन्य रीति में भेजी जा सकेगी जैसी कि विहित की जाए.

स्पष्टीकरण चार : इस धारा के प्रयोजन के लिए ''अन्यथा निरर्हित'' में सम्मिलित है नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम, २०१६ (२०१६ का ४९) की धारा २ के खण्ड (५) में यथा परिभाषित नि:शक्तजन हैं.

(२) जब कोई ऐसा दस्तावेज जिसके कि द्वारा ऐसी भूमि, जो कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लायी जाती है या जिसके संबंध में एक खसरा तैयार किया गया है, कोई हक या उस पर कोई भार सृजित किया जाना, समनुदेशित किया जाना या निर्वापित किया जाना तात्पर्यित हो, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का १६) के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जाती है तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उस क्षेत्र पर, जिसमें भूमि स्थित है, अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार को ऐसे प्ररुप में तथा ऐसे समय पर, जैसी कि विहित किया जाए, प्रज्ञापना भेजेगा

(३) ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अधिकारों, हित या दायित्वों का इस अध्याय के अधीन किसी अभिलेख या रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाना अपेक्षित हो या जो उसमें प्रविष्ट किये जा चुके .. किसी राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, नगर सर्वेक्षक या पटवारी की, जो अभिलेख या रजिस्टर का संकलन करने या उसको संशोधित करने में लगा हो, लिखित अध्यपेक्षा पर इस बात के लिए आबद्ध होगा कि वह उस अभिलेख या रजिस्टर के सही संकलन या संशोधन के लिए आवश्यक समस्त ऐसी जानकारी या दस्तावेज, जो उसकी जानकारी में या उसके कब्जे या अधिकार में हो, ऐसी अध्यपेक्षा की जाने की तारीख से एक मास के भीतर, उसके निरीक्षण के लिए दे या पेश करे. प्रस्तुत की गयी जानकारी या पेश किए गए दस्तावेज की लिखित अभिस्वीकृति व्यक्ति को दी जाएगी.

(४) कोई भी व्यक्ति, जो विनिर्दिष्ट की गयी कालावधि के भीतर उपधारा (१) द्वारा अपेक्षित की गयी रिपोर्ट करने में या उपधारा (३) द्वारा अपेक्षित की गयी जानकारी देने में या दस्तावेज पेश करने की उपेक्षा करेगा तो वह तहसीलदार के स्वविवेक पर पांच हजार रुपये से अनधिक की शास्ति का दायी होगा.

(५) इस धारा के अधीन किसी अधिकार अर्जन से संबंधित किसी ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो विनिर्दिष्ट की गयी कालावधि के पश्चात् प्राप्त हुई हो, धारा ११० के उपबंधो के अनुसार कार्यवाही की जाएगी.''.

धारा ११० का स्थापन.

४०. मूल अधिनियम की धारा ११० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"११०. **भू-अभिलेखों में अधिकार—अर्जन बाबत् नामांतरण.**—(१) पटवारी या धारा १०९ के अधीन नगर सर्वेक्षक या अधिकृत व्यक्ति अधिकार के प्रत्येक ऐसे अर्जन के, जिसकी कि रिपोर्ट उसे धारा १०९ के अधीन की गयी हो या जो किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना पर उसकी जानकारी में आये, उस रजिस्टर में दर्ज करेगा जो कि उस प्रयोजन के लिए विहित किया गया है.

(२) यथास्थिति, पटवारी या नगर सर्वेक्षक या अधिकृत व्यक्ति अधिकार—अर्जन संबंधी समस्त ऐसी रिपोर्ट जो कि उपधारा (१) के अधीन उसे प्राप्त हुई हों, ऐसी रीति में तथा ऐसे प्ररूप में जो कि विहित किया जाए, उसके द्वारा उसे प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर तहसीलदार को प्रज्ञापित करेगा.

(३) धारा १०९ के अधीन प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर या किसी अन्य स्रोत से ऐसे अधिकार अर्जन की प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर, तहसीलदार पंद्रह दिन के भीतर,—

(क) अपने न्यायालय में मामला पंजीकृत करेगा;

(ख) हितबद्ध समस्त व्यक्तियों को तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों तथा प्राधिकारियों को, जो कि विहित किए जाएं, ऐसे प्ररूप में तथा विहित रीति में नोटिस जारी करेगा; और

(ग) अपने कार्यालय के सूचना पटल पर प्रस्तावित नामांतरण से संबंधित नोटिस चस्पा करेगा तथा उसे संबंधित ग्राम या सेक्टर में विहित रीति में प्रकाशित करेगा;

(४) तहसीलदार हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, तथा ऐसी और जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, नामांतरण से संबंधित आदेश मामला पंजीकृत होने की तारीख से अविवादित मामले की दशा में तीस दिवस में एवं विवादित मामले की दशा में पांच मास में पारित करेगा तथा यथास्थिति, ग्राम के खसरे या सेक्टर के खसरे में तथा ऐसे अन्य भू-अभिलेख में आवश्यक प्रविष्टि करेगा.

(५) तहसीलदार उपधारा (४) के अधीन पारित किये गये आदेश तथा अद्यतन भू-अभिलेखों की प्रमाणित प्रति विहित रीति में तीस दिन के भीतर पक्षकारों नि:शुल्क प्रदाय करेगा और उसके पश्चात् मामले को बंद करेगा:

परन्तु यदि अपेक्षित प्रतियां विनिर्दिष्ट कलावधि के भीतर प्रदाय नहीं की जाती हैं तो तहसीलदार कारण अभिलिखित करेगा तथा उपखण्ड अधिकारी को रिपोर्ट देगा.

(६) धारा ३५ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन कोई मामला किसी पक्षकार की अनुपस्थिति में खारिज नहीं किया जाएगा तथा गुणागुण क्रम में निपटाया जाएगा.

(७) इस धारा के अधीन समस्त कार्यवाहियां पंजीकरण होने की तारीख से अविवादित मामले के संबंध में दो माह के भीतर पूर्ण की जाएगी तथा विवादित कार्यवाहियों के मामले के छह माह के भीतर पूरी की जाएंगी. उस दशा में, जहां कार्यवाहियां विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर निराकृत नही की जाती हैं, तो तहसीलदार, लंबित मामलों की जानकारी की रिपोर्ट ऐसे प्ररूप तथा रीति में जैसा कि विहित किया जाए, कलेक्टर को देगा.".

धारा ११२ का लोप

४१. मूल अधिनियम की धारा ११२ का लोप किया जाए.

धारा ११३ का स्थापन.

४२. मूल अधिनियम की धारा ११३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"११३. **अधिकार अभिलेख में गलतियों का शुद्धिकरण.** कलेक्टर, किसी भी समय, लेखन संबंधी किन्हीं भी गलतियों को तथा किन्हीं भी ऐसी गलतियों को जिनके कि संबंध में हितबद्ध पक्षकार यह स्वीकार करते हों, कि वे धारा १०८ के अधीन तैयार किए गए अधिकार अभिलेख में हुई हैं, शुद्ध कर सकेगा या शुद्ध करवा सकेगा.".

४३. .—मूल अधिनियम की धारा ११४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:— धारा ११४ का स्थापन.

"११४. **भू-अभिलेख**—(१)निम्नलिखित भू-अभिलेख प्रत्येक ग्राम के लिए तैयार किए जाएंगे, अर्थात्:—

(क) ग्राम का नक्शा, आबादी का नक्शा तथा धारा १०७ के अधीन ब्लॉक का नक्शा;

(ख) धारा १०८ के अधीन अधिकार-अभिलेख;

(ग) ग्राम का खसरा या ग्राम की क्षेत्र पुस्तक ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित की जाए;

(घ) धारा ११४--क के अधीन भू-अधिकार पुस्तिका;

(ङ) (एक) धारा २३३ के अधीन समस्त दखल रहित भूमि के ब्यौरे;

(दो) धारा २३४ के अधीन निस्तार पत्रक;

(तीन) धारा २४२ के अधीन वाजिब-उल-अर्ज, यदि कोई हो;

(च) व्यपवर्तित की गई भूमि के ब्यौरे; और

(छ) कोई अन्य अभिलेख जो कि विहित किए जाएं.

(२) प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में प्रत्येक सेक्टर के लिए निम्नलिखित भू-अभिलेख तैयार किए जाएंगे, अर्थात्:—

(क) धारा १०७ के अधीन सेक्टर का नक्शा;

(ख) धारा १०८ के अधीन अधिकार-अभिलेख;

(ग) सेक्टर का खसरा या सेक्टर की क्षेत्र पुस्तिका ऐसे प्ररूप में जो कि विहित की जाए;

(घ) धारा ११४-क के अधीन भू-अधिकार पुस्तिका;

(ङ) (एक) धारा २३३ के अधीन समस्त दखल रहित भूमि के ब्यौरे;

(दो) धारा २३३-क के अधीन लोक प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि;

(च) व्यपवर्तित की गयी भूमि के ब्यौरे; और

(छ) कोई अन्य अभिलेख जो कि विहित किए जाएं.".

४४. मूल अधिनियम की धारा ११४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:— धारा ११४-क का स्थापन.

"**११४-क. भू-अधिकार पुस्तिका.**—(१) तहसीलदार, ऐसे प्रत्येक भूमिस्वामी को, जिसका नाम धारा ११४ के अधीन तैयार किए गए खसरे में प्रविष्ट है, यथास्थिति, किसी ग्राम में के या सेक्टर में के उसके समस्त खातों के बारे में एक भू-अधिकार पुस्तिका, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी फीस के, जो कि विहित की जाए, भुगतान करने पर उसे उपलब्ध कराएगा.

(२) भू-अधिकार पुस्तिका दो भागों से मिलकर एक पुस्तक के रूप में आबद्ध होगी जिसमें ऐसी विशिष्टयां अन्तर्विष्ट होंगी जो कि विहित की जाएं.

(३) तहसीलदार स्वप्रेरणा से या भूमिस्वामी के आवेदन पर, ऐसी जांच करने के पश्चात, जैसी कि वह उचित समझे, भू-अधिकार पुस्तिका में किसी गलत या अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध कर सकेगा.''.

धारा ११५ का स्थापन.

४५. मूल अधिनियम की धारा ११५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''**११५. भू-अभिलेख में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि का शुद्धिकरण** :—(१) उपखण्ड अधिकारी स्वप्रेरणा से या व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, भू अधिकार पुस्तिका तथा अधिकार अभिलेख को छोड़कर धारा ११४ के अधीन तैयार किये गए भू-अभिलेखों में अप्राधिकृत प्रविष्टियों को सम्मिलित करते हुए गलत या अशुद्ध प्रविष्टि को, ऐसी जांच जैसी कि वह उचित समझे करने के पश्चात् शुद्ध कर सकेगा और ऐसी शुद्धियां उसके द्वारा अधिप्रमाणित की जाएंगी :

परन्तु कलेक्टर की लिखित मंजूरी के बिना पांच वर्ष की कालावधि के पूर्व की किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी.

(२) उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश—

(क) संबंधित तहसीलदार से लिखित रिपोर्ट प्राप्त किये; और

(ख) सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए;

बिना पारित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यदि सरकार का हित निहित है तो उपखण्ड अधिकारी, मामला कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा.

(३) उपधारा (२) के अधीन मामला प्राप्त होने पर कलेक्टर ऐसी जांच जैसी कि वह ठीक समझे, करेगा और ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे.''.

धारा ११६ का लोप.

४६. मूल अधिनियम की धारा ११६ का लोप किया जाए.

धारा ११८ का लोप.

४७. मूल अधिनियम की धारा ११८ का लोप किया जाए.

धारा ११९ का लोप.

४८. मूल अधिनियम की धारा ११९ का लोप किया जाए.

धारा १२० का संशोधन.

४९. मूल अधिनियम की धारा १२० में, शब्द ''मापक'' के स्थान पर, शब्द 'नगर सर्वेक्षक' स्थापित किए जाएं.

धारा १२१ का लोप.

५०. मूल अधिनियम की धारा १२१ का लोप किया जाए.

धारा १२४ का स्थापन.

५१. मूल अधिनियम की धारा १२४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''**१२४. ग्रामों, सेक्टरों तथा सर्वेक्षण संख्यांकों या भू-खण्ड संख्यांकों के सीमा चिन्हों का संनिर्माण.**—(१) समस्त ग्रामों तथा सेक्टरों की सीमाएं नियत की जाएंगी तथा स्थायी सीमा चिन्हों द्वारा उनको सीमांकित किया जाएगा.

(२) राज्य सरकार, किसी भी ग्राम या सेक्टर के संबंध में, अधिसूचना द्वारा यह आदेश दे सकेगी कि किसी ग्राम या सेक्टर या उसके भाग के समस्त सर्वेक्षण संख्यांकों, ब्लाक संख्यांकों या भू खण्ड संख्यांकों की भी सीमाएं नियत की जाएं तथा सीमा चिन्हों द्वारा उनको सीमांकित भी किया जाए

(३) ऐसे सीमा चिन्ह इसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे विनिर्दिष्ट के होंगे तथा ऐसी रीति में सन्निर्मित तथा अनुरक्षित किए जाएंगे, जैसा कि विहित किया जाए.

(४) प्रत्येक भू-धारक, भूमि पर बनाए गए स्थायी सीमा-चिन्हों के अनुरक्षण तथा उनकी मरम्मत के लिए उत्तरदायी होगा.''.

धारा १२५ का संशोधन.

५२. मूल अधिनियम की धारा १२५ में,—

पार्श्व शीर्ष, और उपबंध में, शब्द ''ग्रामों, सर्वेक्षण संख्याकों तथा भू-खण्ड संख्यांकों'' के स्थान पर, शब्द, ''ग्रामों, सेक्टरों, सर्वेक्षण संख्याकों, ब्लाक संख्यांकों तथा भू-खण्ड संख्यांकों'' स्थापित किए जाएं.

धारा १२६ का संशोधन.

५३. मूल अधिनियम की धारा १२६ में,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द ''संक्षेपत: बेदखल'' के स्थान पर, शब्द ''विहित रीति में संक्षेपत: बेदखल'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) तथा (३) का लोप किया जाए.

धारा १२७ का स्थापन.

५४. मूल अधिनियम की धारा १२७ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''**१२७. सीमाकन तथा सीमा पंक्तियों का अनुरक्षण** :—(१) ग्राम की सड़क या सेक्टर की सड़क या दखलरहित भूमि या सामुदायिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित की गई भूमि से लगी हुई भूमि का प्रत्येक धारक, अपने स्वयं के खर्चे से तथा विहित रीति में—

(क) अपनी भूमि तथा उससे लगी हुई ग्राम की सड़क या सेक्टर की सड़क या दखलरहित भूमि अथवा सामुदायिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित की गई भूमि के बीच सीमा चिन्ह लगाएगा; और

(ख) समय-समय पर ऐसे सीमा-चिन्हों की मरम्मत तथा उनका नवीकरण करेगा.

(२) यदि धारक, उपधारा (१) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार सीमा-चिन्ह नहीं लगाता है या सीमा चिन्हों की मरम्मत या उनका नवीकरण नहीं करता है तो तहसीलदार, ऐसी सूचना के पश्चात्, जैसा कि वह ठीक समझे, सीमा चिन्ह लगवा सकेगा या सीमा चिन्हों की मरम्मत या उनका नवीकरण करवा सकेगा तथा उपगत किया गया खर्च भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली कर सकेगा.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''ग्राम की सड़क या सेक्टर की सड़क'' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सड़क जिस पर कोई उपदर्शक सर्वेक्षण संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक अंकित हो.''.

धारा १२८ का संशोधन.

५५. मूल अधिनियम की धारा १२८ में, उपधारा (१) में, शब्द ''प्रतिवर्ष नवम्बर मास की समाप्ति के पश्चात्, ग्राम का पटेल'' के स्थान पर, शब्द ''पटवारी या नगर सर्वेक्षक'' स्थापित किए जाएं.

धारा १२९ का स्थापन.

५६. मूल अधिनियम की धारा १२९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''**१२९. सर्वेक्षण संख्यांक या सर्वेक्षण संख्यांक के उपखण्ड या ब्लाक संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक का सीमांकन**.—(१) तहसीलदार, किसी पक्षकार के आवेदन पर, राजस्व निरीक्षक अथवा नगर सर्वेक्षक को किसी सर्वेक्षण संख्यांक की या किसी सर्वेक्षण संख्यांक के उप खण्ड की, या किसी ब्लाक संख्यांक की या भू खण्ड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन और उस पर सीमा चिन्ह संनिर्मित करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा.

(२) इस प्रकार प्रतिनियुक्त किया गया राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक, पड़ोस के भूमि धारकों सहित हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात्, सर्वेक्षण संख्यांक की या सर्वेक्षण संख्यांक के किसी उपखण्ड की या ब्लाक संख्यांक की या भू-खण्ड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन करेगा और उस पर सीमा चिन्ह सन्निर्मित करेगा तथा तहसीलदार को, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, एक सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा. सीमांकन रिपोर्ट में सीमांकित की गई भूमि पर भूमिस्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति के कब्जे से संबंधित विशिष्टयां भी सम्मिलित की जाएंगी.

(३) राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक सीमांकन के क्रियान्वयन के समय ऐसी एजेंसी की सहायता ऐसी रीति से ले सकेगा, जैसी कि विहित की जाए.

(४) तहसीलदार, सीमांकन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, हितबद्ध पक्षकारों सहित पड़ोस वाले भू-धारकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि कर सकेगा या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे.

(५) उपधारा (४) के अधीन सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि से व्यथित पक्षकार निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर उपखण्ड अधिकारी को अपास्त करने हेतु आवेदन कर सकेगा—

(क) कि उसे उपधारा (२) के अधीन अपेक्षित सूचना नहीं दी गयी थी या धारा (४) के अधीन सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था, या;

(ख) कोई अन्य पर्याप्त आधार :

परन्तु ऐसा आवेदन, तहसीलदार द्वारा सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि की तारीख या ऐसे सीमांकन के ज्ञात होने की तारीख, इनमें जो भी बाद की हो, पैंतालीस दिनों के अवसान पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा.

(६) उपखण्ड अधिकारी, यदि वह उपधारा (५) के अधीन किए गए आवेदन को स्वीकृत करता है, तो वह हितबद्ध पक्षकारों सहित पड़ोस वाले भू-धारकों को सुनवाई का अवसर देने तथा ऐसी जांच करने, जैसा कि वह उचित समझे, के पश्चात् या तो वह उपधारा (२) के अधीन प्रस्तुत किए गए सीमांकन प्रतिवेदन की पुष्टि करेगा या एक बार फिर से सीमांकन करने के लिए एक दल को प्रतिनियुक्त कर सकेगा जिसमें ऐसे व्यक्ति होंगे जैसे कि विहित किए जाएं.

(७) उपधारा (६) के अधीन प्रतिनियुक्त दल, हितबद्ध पक्षकारों सहित पड़ोस वाले भू-धारकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, सर्वेक्षण संख्यांक की या सर्वेक्षण संख्यांक के किसी उपखण्ड की या ब्लाक संख्यांक अथवा भू-खण्ड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन करेगा, उस पर सीमा-चिन्ह सन्निर्मित करेगा और उपखण्ड अधिकारी को ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उपखण्ड अधिकारी उस पर ऐसा आदेश, जैसा कि वह उचित समझे, पारित कर सकेगा.

(८) धारा ४४ तथा ५० में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अपील या पुनरीक्षण का आवेदन, पारित किए गए किसी आदेश के या इस धारा के अधीन की गई कार्यवाहियों के विरुद्ध नहीं होगा.

(९) राज्य सरकार, सर्वेक्षण संख्यांक की या सर्वेक्षण संख्यांक के किसी उपखण्ड की या ब्लाक संख्यांक की या भू-खण्ड संख्यांक का सीमांकन करने में तहसीलदार द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए नियम बना सकेगी जिनमें उन सीमा चिन्हों का, जो कि उपयोग में लाये जाएंगे, की प्रकृति को विहित करते हुए तथा सीमांकित सर्वेक्षण संख्यांक या उपखण्ड या ब्लाक संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक में की भूमि के धारकों से फीस के उद्धरण हेतु प्राधिकृत किया जाएगा.''.

५७. मूल अधिनियम की धारा १३० में, शब्द "एक हजार" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार" स्थापित किए जाएं तथा शब्द "तथा इत्तिला देने वाले को, यदि कोई हो, इनाम देने के" विलोपित किए जाएं. धारा १३० का संशोधन.

५८. मूल अधिनियम की धारा १३१ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :— धारा १३१ का स्थापन.

"१३१. **मार्गाधिकार तथा अन्य प्राइवेट सुखाचार संबंधी अधिकारी.**—(१) इस बारे में कि कोई खेतिहर अपने खेतों पर या दखलरहित भूमि पर या ग्राम की चरागाहों पर, मान्यता प्राप्त सड़कों, पथों या सार्वजनिक भूमि पर से जिसके अन्तर्गत वे सड़कें तथा पथ हैं जो धारा २४२ के अधीन तैयार किए गए ग्राम के वाजिब-उल-अर्ज में अभिलिखित हैं, न होकर अन्यथा किसी मार्ग द्वारा पहुंचेगा, या इस बारे में कि वह किस स्रोत से या किस जलसरणी से अपने लिए जल प्राप्त कर सकेगा या किस जलसरणी से अपने खेतों में जल निकासी कर सकेगा. कोई विवाद उद्भूत होने की दशा में, तहसीलदार, स्थानीय जांच करने के पश्चात्, प्रत्येक मामले विषयक पूर्व रूढ़ि के प्रति निर्देश करके तथा संबंधित समस्त पक्षकारों की सुविधा का सम्यक् ध्यान रखते हुए, उस मामले को, विनिश्चित कर सकेगा.

(२) तहसीलदार, जांच के किसी प्रक्रम पर, यदि उसकी राय में मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा अनुतोष प्रदान करना आवश्यक है तो वह उपधारा (१) में के विवाद के अधीन किसी मामले के संबंध में तुरन्त अनुतोष प्रदान करने का अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा:

परन्तु ऐसा अंतरिम आदेश, आदेश की तारीख से नब्बे दिन के अवसान हो जाने पर, यदि पूर्व में समाप्त नहीं किया गया है तो स्वत: समाप्त हो जाएगा.".

५९. मूल अधिनिम की धारा १३२ का लोप किया जाए. धारा १३२ का लोप.

६०. मूल अधिनियम की धारा १३३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :— धारा १३३ का स्थापन.

"१३३. **बाधा का हटाया जाना.**—(१) यदि किसी तहसीलदार को यह प्रतीत होता है कि कोई अधिक्रमण या बाधा किसी ग्राम की किसी मान्यता प्राप्त सड़क या पथ जिसके अन्तर्गत वे सड़कें तथा वे पथ हैं जो ग्राम के वाजिब-उल-अर्ज में अभिलिखित हैं, अथवा किसी ग्राम की सार्वजनिक भूमि के अबाध उपयोग में अड़चन पैदा करती हैं या जिससे किसी ऐसी सड़क या जलसरणी या जलस्त्रोत या जल निकासी में अड़चन पैदा होती है, जो धारा १३१ के अधीन किसी विनिश्चिय से संबंधित हों तो, वह ऐसे अधिक्रमण या बाधा के लिए उसे उत्तरदायी व्यक्ति को हटाने के लिए आदेश दे सकेगा.

(२) यदि ऐसा व्यक्ति, उपधारा (१) के अधीन पारित आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो तहसीलदार उस अधिक्रमण या बाधा को हटवा सकेगा और उसके हटाये जाने का खर्च ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकेगा तथा वह व्यक्ति तहसीलदार के ऐसे लिखित आदेश के अधीन, जिसमें मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का कथन किया गया हो, ऐसी शास्ति का दायी होगा जो दस हजार रुपये तक की हो सकेगी.

(३) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन ऐसे अधिक्रमण या बाधा, उसके हटाए जाने के आदेश की तारीख से सात दिवस से अधिक के पश्चात् भी हटाने में असफल रहता है, तो उपखण्ड अधिकारी, ऐसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कि उपधारा (२) के अधीन अधिरोपित की जा सकेगी, उसकी गिरफ्तारी करा सकेगा और अधिक्रमण या बाधा के हटाए जाने संबंधी प्रथम आदेश की दशा में पन्द्रह दिन की कालावधि के लिए और अधिक्रमण या बाधा के हटाए जाने के द्वितीय या पश्चातवर्ती आदेश की दशा में छह मास की कालावधि के लिए सिविल कारागार में निरुद्ध किए जाने के वारन्ट के साथ भेजेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति को उपखण्ड अधिकारी के समक्ष सूचना में विनिर्दिष्ट किए गए दिवस पर उपस्थित होने के लिए और यह कारण दर्शाने की सूचना जारी न कर दी जाए कि क्यों न उसे सिविल कारागार के सुपुर्द कर दिया जाए :

परन्तु यह और कि यदि उपखण्ड अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अधिक्रमण या बाधा हटा दी गई है, तो ऐसे व्यक्ति को वारन्ट में उल्लिखित कालावधि के अवसान होने के पूर्व कारागार से मुक्त करने का आदेश दे सकेगा :

परन्तु यह और भी कि इस धारा के अधीन किसी भी महिला को गिरफ्तार या निरुद्ध नहीं किया जाएगा.''.

धारा १३६ का लोप.

६१. मूल अधिनियम की धारा १३६ का लोप किया जाए.

धारा १३८ का संशोधन.

६२. मूल अधिनियम की धारा १३८ में उपधारा (१) में, शब्द ''मुख्यत:'' का लोप किया जाए.

धारा १३९ का लोप.

६३. मूल अधिनियम की धारा १३९ का लोप किया जाए.

धारा १४० का स्थापन.

६४. मूल अधिनियम की धारा १४० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''**१४०. तारीख, जिसको भू-राजस्व शोध्य होगा तथा देय होगा.**—(१) किसी वर्ष के मद्दे देय भू-राजस्व उस वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन शोध्य हो जाएगा तथा उस वर्ष के जून मास के अंतिम दिन तक ऐसी रीति में, ऐसे व्यक्ति को तथा ऐसे स्थान पर, जैसा कि विहित किया जाए, भुगतान किया जाएगा :

परन्तु मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रवृत्त होने की तारीख को देय भू-राजस्व का बकाया १ अप्रैल २०१९ के पूर्व संदेय होगा.

(२) कोई भी व्यक्ति, स्वयं के विकल्प पर दस वर्ष का भू-राजस्व अग्रिम में जमा कर सकेगा :

परन्तु ऐसे अग्रिम भुगतान के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि भू-राजस्व में वृद्धि बाद में की जाती है तो अंतर की रकम देय होगी.''.

धारा १४१ का स्थापन.

६५. मूल अधिनियम की धारा १४१ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा, स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''**१४१. 'बकाया' तथा 'बकायादार' की परिभाषाएं.**—कोई भी भू-राजस्व, जो शोध्य हो और जिसका भुगतान धारा १४० में यथा विनिर्दिष्ट की गई कालावधि की समाप्ति पर्यन्त नहीं किया गया है, उस तारीख से 'बकाया' हो जाता है और उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति 'बकायादार' हो जाते हैं.''.

धारा १४२ का स्थापन.

६६. मूल अधिनियम की धारा १४२ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''**१४२. भू-राजस्व प्राप्त करने वाला व्यक्ति रसीद देने के लिए आबद्ध होगा.**—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो भू-राजस्व के मद्दे या भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली योग्य किसी धनराशि के मद्दे कोई भुगतान प्राप्त करे, वहां वह ऐसी राशि के लिए भुगतानकर्ता को ऐसे प्ररूप में जैसा कि विहित किया जाए रसीद देगा.''.

धारा १४३ का स्थापन.

६७. मूल अधिनियम की धारा १४३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"**१४३. भू-राजस्व के विलंब से भुगतान के लिए दाण्डिक ब्याज.**—यदि भू-राजस्व का भुगतान, धारा १४० में यथा विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति तक नहीं किया जाता है तो बकाया पर प्रथम बारह मास के लिये बारह प्रतिशत वार्षिक की दर से और उसके पश्चात्, पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भुगतान की तिथि तक देय होगा:

परन्तु जहां की सरकार के आदेश से भू-राजस्व का कोई भुगतान निलंबित कर दिया गया है वहां भुगतान में विलंब के लिये ऐसा कोई ब्याज देय नहीं होगा.".

धारा १४४ का स्थापन.

६८. मूल अधिनियम की धारा १४४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"**१४४. फसलों के मारे जाने पर भू-राजस्व की माफी या उसका निलंबन.**—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, कारण अभिलिखित करते हुए उन वर्षों में जिनमें फसलें किसी क्षेत्र में मारी गयी हों या जिन वर्षों में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विधि के अधीन किए गए किसी आदेश के परिणामस्वरूप, किसी क्षेत्र में फसलें नहीं उगाई जा सकी हों, भू-राजस्व की माफी या उसका निलंबन मंजूर कर सकेगी.".

धारा १४५ का संशोधन.

६९. मूल अधिनियम की धारा १४५ में, उपधारा (१) में, शब्द "कलेक्टर द्वारा या तहसीलदार द्वारा" के स्थान पर शब्द "तहसीलदार द्वारा" स्थापित किए जाएं.

धारा १४६ का स्थापन.

७०. मूल अधिनियम की धारा १४६ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"**१४६. मांग की सूचना.**—(१) तहसीलदार, बकाया की वसूली के लिए धारा १४७ के अधीन कोई आदेशिका जारी करने के पूर्व, किसी बकायादार पर मांग की सूचना तामील करवाएगा.

(२) कोई बकायादार, तहसीलदार को यह आवेदन कर सकेगा कि कोई भी शोध्य बकाया नहीं है अथवा शोध्य रकम उस रकम से कम है, जिसके लिए मांग की सूचना की तामील की गयी है और तहसीलदार, इस प्रकार उठाई गई आपत्ति को विनिश्चित करेगा और उसके पश्चात् ही धारा १४७ के अधीन कोई आदेशिका जारी करने की कार्यवाही करेगा, यदि अपेक्षित हो.".

धारा १४७ का संशोधन.

७१. (१) मूल अधिनियम की धारा १४७ को उसकी उपधारा (१) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और

(एक) इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (१) में,—

(क) प्रारंभिक पैरा में आए शब्द "या ग्राम सभा" का लोप किया जाए;

(ख) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्;

(ग) बकायादार की किसी अन्य अचल सम्पत्ति की कुर्की या बिक्री द्वारा, जहां कहीं भी स्थित हो;";

(दो) इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

"(२) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, तहसीलदार, बकायादार की किन्हीं वित्तीय आस्तियों, जिनमें बैंक खाते या लॉकर सम्मिलित हैं, जहां कहीं भी स्थित हों, कुर्की करते हुए भू राजस्व की बकाया वसूल कर सकेगा. बकायादार की वित्तीय आस्तियों की कुर्की जहां तक संभव हो, सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) की प्रथम अनुसूची में

अंतर्विष्ट आदेश २१ में अधिकथित रीति में वित्तीय आस्तियों के भारसाधक पर गार्निशी आदेश की तामीली करके की जाएगी. बकायादार द्वारा किराये पर लिए गए किसी लॉकर की दशा में, ऐसे भारसाधक की उपस्थिति में लॉकर को सीलबंद किया जाएगा जो इसके अंदर की वस्तुओं की विवरण सूची तैयार करने और उनका अंतिम रूप से निराकरण करने के लिए तहसीलदार के आगामी आदेश तक रुका रहेगा.

(३) उपखण्ड अधिकारी, पचास लाख रुपये से अधिक की भू-राजस्व की बकाया के भुगतान में चूक करने वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करा सकेगा और उसे पन्द्रह दिन से अनधिक कालावधि के लिए सिविल कारागार में निरुद्ध किये जाने के वारंट के साथ भेजेगा जब तक कि बकाया का त्वरित भुगतान नहीं कर दिया जाता है :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति को उपखण्ड अधिकारी के समक्ष सूचना में विनिर्दिष्ट किये गये दिवस पर उपस्थित होने के लिए और यह कारण दर्शाने की सूचना जारी न कर दी जाए कि क्यों न उसे सिविल कारागार के सुपुर्द कर दिया जाए.

(४) उपधारा (३) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी व्यक्ति को भू-राजस्व की बकाया के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या उसे सिविल कारागार में निरुद्ध नहीं किया जाएगा जहां तक कि और जब तक कि ऐसा व्यक्ति —

(क) अवयस्क है, या मानसिक रूप से बीमार या मंदबुद्धि व्यक्ति है;

(ख) सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) की धारा १३३, १३५ या १३५-क के अधीन छूट प्राप्त है.

(५) गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाला उपखण्ड अधिकारी ऐसा वारंट वापिस ले सकेगा यदि बकायादार संपूर्ण बकाया या उसके सारवान भाग का भुगतान कर देता है या भुगतान करने का वचन देता है और उसके लिए पर्याप्त प्रतिभूति प्रस्तुत कर देता है.''.

धारा १४९ का संशोधन.

७२. मूल अधिनियम की धारा १४९ में, शब्द तथा कोष्ठक ''के खण्ड (क) तथा (ग)'' का लोप किया जाए.

धारा १५० का स्थापन.

७३. मूल अधिनियम की धारा १५० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''**१५०. संपत्ति के विक्रय की बोली खत्म होने के पूर्व भुगतान कर दिया जाने पर कार्यवाही का रोक दिया जाना.**—यदि भू-राजस्व की बकाया की वसूली के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाहियां इस अध्याय के अधीन की जाती हैं, तो वह व्यक्ति, सम्पत्ति के विक्रय की बोली खत्म होने के पूर्व किसी भी समय दावाकृत रकम का भुगतान कर सकेगा और तदुपरि कार्यवाहियां रोक दी जाएंगी.''.

धारा १५१ का संशोधन.

७४. मूल अधिनियम की धारा १५१ में, उपधारा (२) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''धारा १४७ के खण्ड (ग)'' के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''धारा १४७ की उपधारा (१) के खण्ड (ग)'' स्थापित किए जाएं.

धारा १५३ का स्थापन.

७५. मूल अधिनियम की धारा १५३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''**१५३. क्रेता का हक.**—जहां स्थावर सम्पत्ति का विक्रय इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किया जाता है और ऐसा विक्रय पूर्ण हो गया है, वहां वह सम्पत्ति क्रेता में उस समय से निहित हो गयी समझी जाएगी जबकि क्रेता द्वारा विक्रय पत्र में यथा विनिर्दिष्ट पूर्ण धन जमाकर दिया जाता है.''.

धारा १५४-क का संशोधन.

७६. मूल अधिनियम की धारा १५४-क में, उपधारा (१) में,—

(एक) शब्द, तथा अंक धारा १४७ के स्थान पर, शब्द, तथा अंक कोष्ठक धारा १४७ की उपधारा (१) स्थापित किए जाएं;

(दो) प्रथम परन्तुक का लोप किया जाए;

(तीन) द्वितीय परन्तुक में, शब्द "और भी" का लोप किया जाए.

धारा १५५ का संशोधन.

७७. मूल अधिनियम की धारा १५५ में, खण्ड (छ) के परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अर्ध विराम स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(ज) वे समस्त धन जो राज्य सरकार के स्वामित्व के और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित ऐसी सत्ता के हों जो कि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, देय होते हों :

परन्तु इस खण्ड में विनिर्दिष्ट की गई धनराशि की वसूली के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे आवेदन पत्र के साथ उक्त सत्ता जो किसी भी नाम से जानी जाती हो, के मुख्य कार्यपालक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उक्त धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति की जानी चाहिए, संलग्न न कर दिया गया हो.".

धारा १५८ का संशोधन.

७८. मूल अधिनियम की धारा १५८ में, उपधारा (३) में, परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु ऐसा कोई भी व्यक्ति, पट्टे या आवंटन की तारीख से दस वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी भूमि को अंतरित नहीं करेगा और तत्पश्चात् ऐसी भूमि का अंतरण, धारा १६५ की उपधारा (७-ख) के अधीन अनुज्ञा अभिप्राप्त करके कर सकेगा.".

धारा १६१ का संशोधन.

७९. मूल अधिनियम की धारा १६१ में, पार्श्व शीर्ष तथा उपधारा (१) में, शब्द "बंदोबस्त चालू रहने के दौरान" का लोप किया जाए.

धारा १६२ का लोप.

८०. मूल अधिनियम की धारा १६२ का लोप किया जाए.

धारा १६३ का लोप.

८१. मूल अधिनियम की धारा १६३ का लोप किया जाए.

धारा १६५ का संशोधन.

८२. मूल अधिनियम की धारा १६५ में उपधारा (४) में, द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्.—

परन्तुक यह और कि औद्योगिक प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती परन्तुक के खण्ड (एक) के उपखण्ड (क) के अधीन भूमि का अन्तरण, ऐसे अन्तरण के पूर्व धारा ५९ के अधीन भूमि व्यपवर्तित की जाएगी.

धारा १६८ का स्थापन.

८३. मूल अधिनियम की धारा १६८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"१६८. **पट्टे.**—(१) कोई भी भूमिस्वामी उसके खाते में समाविष्ट किसी ऐसी भूमि को, जिसे धारा ५९ के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित किया गया है, एक समय में पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए पट्टे पर दे सकेगा.

(२) पट्टेदार उस भूमि को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर धारित करेगा जो कि उसके तथा भूमिस्वामी के बीच करार में तय पाई जाएं.

(३) भूमिस्वामी के आवेदन पर, तहसीलदार किसी सारवान निबंधन में या पटटे की शर्त के भंग के आधार पर या पट्टा प्रवृत्त न रहने के कारण भूमि का कब्जा भूमिस्वामी को देने का आदेश कर सकेगा.

(४) यदि कोई पट्टेदार, पट्टे के अवसान हो जाने पर या उपधारा (३) के अधीन तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की तारीख से सात दिन के भीतर भूमिस्वामी को भूमि का कब्जा नहीं सौंपता है तो भूमिस्वामी के बारे में यह समझा जाएगा कि पट्टेदार द्वारा उसकी भूमि से उसे अनुचित रूप से बेदखल कर दिया गया है और वह धारा २५० के अधीन अनुतोष पाने का हकदार हो जाएगा.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए—

(क) "पट्टा" से अभिप्रेत है किसी भूमि का उपभोग करने के अधिकार का ऐसा अन्तरण जो एक अभिव्यक्त या विवक्षित समय के लिए, किसी कीमत के, जो दी गई हो या जिसे देने का वचन दिया गया हो अथवा धन या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के, जो कालावधीय रूप से अन्तरिती द्वारा, जो उस अन्तरण को ऐसे निबंधनों पर प्रतिगृहीत करता है, अन्तरक को दी जानी है, प्रतिफल के रूप में किया गया हो;

(ख) किसी ऐसे ठहराव को, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति भूमिस्वामी को भूमि की उपज का कोई विनिर्दिष्ट अंश देने की शर्त पर भूमिस्वामी की किसी भूमि पर खेती करता है, पट्टा समझा जाएगा;

(ग) उपधारा (१) के अधीन पांच वर्ष से अधिक की किसी कालावधि के लिए दिया गया पट्टा, पांच वर्ष की कालावधि के लिए दिया गया समझा जाएगा;

(घ) केवल घांस काटने या पशु चराने या सिंघाड़ा उगाने या लाख का प्रजनन या संग्रहण करने या तेन्दु पत्ते को तोड़ने या उनका संग्रहण करने के अधिकार का दिया जाना भूमि का पट्टा नहीं समझा जाएगा.".

धारा १६९ का लोप. ८४. मूल अधिनियम की धारा १६९ का लोप किया जाए.

धारा १७१ का लोप. ८५. मूल अधिनियम की धारा १७१ का लोप किया जाए.

धारा १७२ का लोप. ८६. मूल अधिनियम की धारा १७२ का लोप किया जाए.

धारा १७४ का लोप. ८७. मूल अधिनियम की धारा १७४ का लोप किया जाए.

धारा १७६ का लोप. ८८. मूल अधिनियम की धारा १७६ का लोप किया जाए.

धारा १७८-क का स्थापन. ८९. मूल अधिनियम की धारा १७८-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"**१७८-क. भूमिस्वामी के जीवन काल में भूमि का विभाजन.**—(१) यदि कोई भूमि-स्वामी धारा ५९ के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित अपने खाते या उसके किसी भाग को अपने जीवनकाल के दौरान अपने विधिक वारिसों में विभाजित करना चाहता है तो वह ऐसे खाते या उसके भाग के विभाजन के लिए तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा.

(२) तहसीलदार, विधिक वारिसों की सुनवाई करने के पश्चात्, उस खाते को या उसके भाग को विभाजित कर सकेगा और निर्धारण को इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रभाजित कर सकेगा.''.

धारा १८१-क का स्थापन.

९०. मूल अधिनियम की धारा १८१-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''**१८१-क. फ्री होल्ड अधिकार रखने वाला व्यक्ति भूमिस्वामी होगा.**—प्रत्येक व्यक्ति, जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रवृत्त होने के अव्यवहित पूर्व भूमि में फ्री-होल्ड अधिकार रखता है, ऐसी भूमि का भूमिस्वामी होगा.''.

धारा १८२ का संशोधन.

९१. मूल अधिनियम की धारा १८२ में, उपधारा (२) में, शब्द, ''राजस्व अधिकारी'' के स्थान पर, शब्द ''कलेक्टर'' स्थापित किया जाए.

धारा १८३ का स्थापन.

९२. मूल अधिनियम की धारा १८३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''**१८३. सेवा भूमि.**—(१) कोटवार के रूप में सेवा करने की शर्त पर भूमि धारण करने वाला कोई व्यक्ति उस दशा में ऐसी भूमि का हकदार नहीं रह जाएगा जबकि वह ऐसी भूमि को कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तित कर देता है.

(२) सेवा भूमि में किसी कोटवार को ऐसा अधिकार, किसी विक्रय, दान, बंधक, उप पट्टे द्वारा या अन्यथा एक वर्ष से अनधिक कालावधि तक के उप-पट्टे के सिवाय न तो अंतरित किया जाएगा और न ही अन्तरणीय होगा.

(३) यदि कोटवार की मृत्यु हो जाती है, पद त्याग देता है, या विधि पूर्वक पदच्युत कर दिया जाता है तो सेवा भूमि उसके उत्तरवर्ती को संक्रात हो जाएगी.

(४) किसी कोटवार का ऐसी भूमि पर अधिकार किसी डिक्री के निष्पादन में कुर्क नहीं किया जाएगा या बेचा नहीं जाएगा और न ही ऐसी भूमि का प्रबंध करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का संख्यांक ५) की धारा ५१ के अधीन कोई रिसीवर नियुक्त किया जाएगा.

(५) यदि कोई कोटवार उपधारा (१) और (२) के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो इस संहिता या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी सेवा भूमि तहसीलदार के आदेश द्वारा उससे वापस ली जा सकेगी और उस कोटवार या किसी अन्य किसी व्यक्ति को, जो अप्राधिकृत रूप से उस भूमि पर लगातार कब्जा बनाए रखता है, धारा २४८ के अधीन बेदखल किया जा सकेगा.

(६) ऐसी सेवा भूमियां जो—

(क) नगरीय क्षेत्र में;

(ख) ऐसे क्षेत्र में, जिसके लिए विकास योजना अनुमोदित की गई है; या

(ग) ऐसे क्षेत्र में, जो राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र की बाह्य सीमा से बाहर अवस्थित हैं,

राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित तारीख से सेवा भूमि नहीं रह जाएंगी और तहसीलदार भू-अभिलेखों में आवश्यक परिवर्तन कराएगा.''.

धारा १८४ का लोप.

९३. मूल अधिनियम की धारा १८४ का लोप किया जाए.

अध्याय चौदह का लोप और व्यावृति.

९४. मौरूसी कृषक से संबंधित मूल अधिनियम के अध्याय चौदह की धारा १८५ से २०२ तक (दोनों धाराओं को सम्मिलित करते हुए) का लोप किया जाए.

उक्त अध्याय का लोप होते हुए भी, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रारंभ होने के पूर्व बोर्ड या किसी राजस्व अधिकारी या किसी प्राधिकारी के समक्ष मौरूसी कृषक से संबंधित कोई मामला या कार्यवाही लंबित है वे बोर्ड या राजस्व अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा ऐसे सुनी और विनिश्चित की जाएंगी मानो कि संशोधन अधिनियम पारित नहीं हुआ हो.".

धारा २०३ का स्थापन.

९५. मूल अधिनियम की धारा २०३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्.—

"**२०३. जलोढ़ तथा जल-प्लावन.**—(१) किसी तट पर बनी जलोढ़ भूमि राज्य सरकार में निहित होगी, किन्तु ऐसे तट से लगी हुई भूमि का भूमिस्वामी, यदि कोई हो, उसके खाते में इस प्रकार बढ़ गई जलोढ़ भूमि का उपयोग भू सर्वेक्षण होने तक तब तक भू-राजस्व का भुगतान किए बिना करने का हकदार होगा जब तक कि उसके खाते में बढ़ गया क्षेत्रफल आधा हेक्टर से अधिक न हो जाए.

(२) जहां जल-प्लावन द्वारा किसी खाते के क्षेत्रफल में आधे हेक्टेयर से अधिक की कमी हो जाए, वहां ऐसे खाते के संबंध में देय भू-राजस्व कम कर दिया जाएगा.".

धारा २१० का संशोधन.

९६. मूल अधिनियम की धारा २१० में, शब्द "बन्दोबस्त आयुक्त" के स्थान पर, शब्द "आयुक्त" स्थापित किया जाए.

धारा २२४ का संशोधन.

९७. मूल अधिनियम की धारा २२४ में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(क) ऐसे वसूली प्रभार की कटौती करने के पश्चात्, जैसी कि राज्य सरकार, समय-समय पर, अवधारित करे, भू-राजस्व तथा अन्य संबंधित करों तथा उपकरों जो कि उसके मार्फत देय हैं, और अन्य शासकीय शोध्य को जो उसके द्वारा संग्रहित होना आदेशित हैं, संगृहीत करें तथा शासकीय कोषालय में जमा करें;".

धारा २२५ का लोप.

९८. मूल अधिनियम की धारा २२५ का लोप किया जाए.

धारा २२७ का संशोधन.

९९. मूल अधिनियम की धारा २२७ में, शब्द तथा अंक "या २२५" का लोप किया जाए.

धारा २२९ का संशोधन.

१००. मूल अधिनियम की धारा २२९ में, शब्द तथा अंक "धारा २३२" के उपबंधों के अनुसार गठित की गई" का लोप किया जाए.

धारा २३० का संशोधन.

१०१. मूल अधिनियम की धारा २३० में उपधारा (१) के परन्तुक का लोप किया जाए.

धारा २३१ का स्थापन.

१०२. मूल अधिनियम की धारा २३१ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"२३१. **कोटवारों का पारिश्रमिक.**—राज्य सरकार, साधारण आदेश द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों के, जो उस आदेश में वर्णित किए जाएं, अध्यधीन रहते हुए, समय-समय पर, कोटवारों को उनकी सेवाओं के लिये सेवा भूमि उपलब्ध कराने या उनका पारिश्रमिक या दोनों के लिये मापदण्ड नियत कर सकेगी.".

धारा २३२ का लोप.

१०३. मूल अधिनियम के अध्याय १७ में, उप शीर्षक "ग ग्राम सभा" और धारा २३२ का लोप किया जाए.

१०४. मूल अधिनियम की धारा २३३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :— धारा २३३ का स्थापन.

"२३३. **दखलरहित भूमि का अभिलेख.**—प्रत्येक ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र के लिये समस्त दखलरहित भूमि के अभिलेख इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार तैयार किए जाएंगे.".

१०५. मूल अधिनियम की धारा २३३ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात् :— धारा २३३-क का अन्त:स्थापन.

"२३३-क. **नगरीय क्षेत्र में लोक प्रयोजनों के लिये भूमि का पृथक् रखा जाना.**—कलेक्टर, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर, जारी निदेशों के अनुसार,

(क) दखलरहित भूमियों को, जो नगरीय क्षेत्र में स्थित हैं, लोक प्रयोजनों के लिये पृथक् रख सकेगा;

(ख) उस लोक प्रयोजन को परिवर्तित कर सकेगा जिसके लिए वह भूमि पृथक् से रखी गई है; या

(ग) किसी ऐसी भूमि के संबंध में खण्ड (क) के अधीन की गई कार्रवाई खत्म कर सकेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भूमि लोक प्रयोजनों के लिये पृथक् से नहीं रखी जाएगी जो कि अनुमोदित विकास योजना से असंगत है.".

१०६. मूल अधिनियम की धारा २३४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :— धारा २३४ का स्थापन.

"२३४. **निस्तार पत्रक का तैयार किया जाना.**—उपखण्ड अधिकारी, इस संहिता तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक ग्राम के लिये एक निस्तार पत्रक तैयार करेगा, जिसमें किसी ग्राम में की समस्त दखलरहित भूमि के प्रबंध की स्कीम तथा उससे आनुषांगिक समस्त विषयों और विशिष्टत: धारा २३५ में विनिर्दिष्ट विषयों का समावेश होगा.".

१०७. मूल अधिनियम की धारा २३९ में,— धारा २३९ का संशोधन.

(एक) उपधारा (२), (३) तथा (४) का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (५) तथा (६) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"(५) यदि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रारम्भ होने के पूर्व इस धारा के अधीन मंजूर किए गए वृक्षारोपण अनुज्ञापत्र या वृक्ष पट्टे के किन्हीं निबन्धनों और शर्तों का भंग किया जाता है तो तहसीलदार, वृक्षारोपण अनुज्ञापन पत्र या वृक्ष पट्टा, धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, रद्द कर सकेगा और यदि ऐसा व्यक्ति दखलरहित भूमि को अनधिकृत रूप से लगातार कब्जे में बनाए रखता है तो तहसीलदार धारा २४८ के अधीन उसके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु अग्रसर होगा.

(६) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रारंभ होने के पूर्व दखलरहित भूमि जिस पर कोई वृक्षारोपण अनुज्ञापन पत्र या वृक्ष पट्टा दिया गया है, कलेक्टर के आदेश द्वारा किसी लोक प्रयोजन के लिए उपयोग में ली जा सकेगी, यदि ऐसे वृक्षारोपण अनुज्ञापत्र या वृक्ष पट्टे के धारक का कोई हित या ऐसे उपयोग के कारण से प्रतिकूल प्रभावित होता है तो धारक ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा जो ऐसी रीति में संगणित किया जाएगा जो कि विहित की जाए.".

१०८. मूल अधिनियम की धारा २४० में,— धारा २४० का संशोधन.

(एक) विद्यमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"ग्रामों में कतिपय वृक्षों के काटे जाने का प्रतिषेध";

(दो) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१) राज्य सरकार, ग्रामों भूमिस्वामी की भूमि पर या राज्य सरकार की भूमि पर खड़े ऐसे वृक्षों को काटे जाने का प्रतिषेध या विनियमन इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा कर सकेगी, यदि उसका यह ६ हो जाता है कि ऐसा प्रतिषेध या विनियमन लोकहित में या मिट्टी के कटाव को राकने क लिये अपेक्षित है.".

धारा २४३ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम को धारा २४३ में, उपधारा (३) में. शब्द, अंक तथा कोष्ठक भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ (१८९४ का संख्यांक १)" के स्थान शब्द, अंक तथा कोष्ठक "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ (२०१३ का ३०)' स्थापित किए जाएं.".

धारा २४४ का स्थापन.

११०. मूल अधिनियम की धारा २४४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

'**२४४. आबादी स्थलों का आबंटन.**—इस संबंध में बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, तहसीलदार आबादी क्षेत्र में पट्टे पर आबादी स्थलों का आबंटन करेगा.".

धारा २४५ का स्थापन.

११. मूल अधिनियम की धारा २४५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात :—

"**२४५. भू-राजस्व दिए बिना गृह स्थल धारण करने का अधिकार.**—आबादी में स्थित युक्तियुक्त माप (डायमेंशन) का कोई भवन स्थल, जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रारंभ होने के समय किसी कोटवार द्वारा धारित है या किसी व्यक्ति द्वारा जो भूमि धारण करता है या ऐसे ग्राम में या उस ग्राम में जिसमें कि सामान्यत: ऐसे ग्राम में खेती की जाती है, या कृषि शिल्पी या कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करता है, भू-राजस्व के भुगतान के दायित्वाधीन नहीं होगा.".

धारा २४६ का संशोधन

११२. मूल अधिनियम की धारा २४६ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

'**२४६. आबादी में गृहस्थल धारण करने वाले व्यक्तियों का अधिकार.**—प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व आबादी में गृहस्थल के रूप में कोई भूमि विधिपूर्वक धारण करता है, भूमिस्वामी होगा.".

धारा २४८ का संशोधन.

११३. मूल अधिनियम की धारा २४८ में, उपधारा (१) में, शब्द "अप्राधिकृत दखल की कालावधि के लिये भूमि का लगान उस स्थान में ऐसी भूमि के लिये स्वीकार्य दर की दुगनी दर से चुकाने के तथा ऐसे जुर्माने के, जो ऐसी अधिक्रमित भूमि के बाजार मूल्य का बीस प्रतिशत तक का हो सकता है" के स्थान पर, शब्द "ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा" स्थापित किए जाएं.

ध २ का ापन-

११४. मूल अधिनियम की धारा २५० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"२५०. अनुचित रूप से बेकब्जा किए गए भूमिस्वामी का पुन:स्थापन.—

(१) तहसीलदार,—

(क) किसी भूमिस्वामी या उसके हित उत्तराधिकारी के आवेदन पर जिन्हें अनुचित रूप से बेकब्जा किया गया है उसके कब्जे का आधार पर वर्णन कर भूमिस्वामी की भूमि पर कब्जा कर रहे व्यक्ति को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेगा और ऐसी जांच करेगा जैसी कि वह उचित समझे; या

(ख) यह ज्ञात होने पर कि भूमिस्वामी को अनुचित रूप से बेकब्जा किया गया है, स्वप्रेरणा से खण्ड (क) के अधीन कार्यवाहिया प्रारंभ करेगा.

(२) यदि जांच के पश्चात् तहसीलदार इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भूमिस्वामी को अनुचित रूप से बेकब्जा किया गया है तो वह भूमिस्वामी को कब्जा वापस दिए जाने का आदेश देगा और फिर वह उसे भूमि का कब्जा भी दिलाएगा

(३) तहसीलदार, जांच के किसी भी प्रक्रम पर भूमिस्वामी का कब्जा दिए जाने के लिए अन्तरिम आदेश पारित कर सकेगा, यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे इस धारा के अधीन आवेदन प्रस्तुत किए जाने या स्वप्रेरणा से कार्यवाहियां प्रारंभ की जाने के पूर्व के छह मास के भीतर विरोधी पक्षकार द्वारा बेकब्जा कर दिया गया था.

(४) कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उपधारा (३ के अधीन कोई अन्तरिम आदेश पारित कर दिया गया हो, तो तहसीलदार यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह तहसीलदार द्वारा अन्तिम आदेश पारित किए जाने तक उस भूमि का कब्जा लेने से विरत रहने के लिये ऐसी राशि का, जैसी कि तहसीलदार उचित समझे, बंधपत्र निष्पादित करे और यदि यह पाया जाए कि बंधपत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति ने बंधपत्र के उल्लंघन मे उस भूमि में प्रवेश किया है या उसका कब्जा ले लिया है, तो तहसीलदार बंधपत्र को पूर्णत: या भागत: समपहृत कर सकेगा और ऐसी राशि भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल कर सकेगा.

(५) जहां तहसीलदार का उपधारा (२) के अधीन भूमिस्वामी को कब्जा पुन: दिलाये जाने का आदेश हो वहां तहसीलदार उसके अप्राधिकृत किए गए कब्जे की कालावधि के लिये विरोधी पक्षकार से भूमिस्वामी को संदत्त किया जाने वाला प्रतिकर भी अधिनिर्णीत करेगा तथा ऐसा प्रतिकर उस दर पर संगणित होगा जो दस हजार रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष के अनुपातिक हो. इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत किया गया प्रतिकर भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा

(६) जब उपधारा (२) के अधीन, भूमिस्वामी को पुन: कब्जा दिलाया जाने के लिए आदेश पारित कर दिया गया हो, वहां तहसीलदार विरोधी पक्षकार से इस बात के लिये अपेक्षा कर सकेगा कि वह आदेश के उल्लंघन में भूमि का कब्जा लेने से विरत रहने के लिये ऐसी राशि का, जैसी कि तहसीलदार उचित समझे, बंधपत्र निष्पादित करे.

(७) जहाँ उपधारा (२) के अधीन, भूमिस्वामी को पुन: कब्जा दिलाये जाने के लिये आदेश पारित कर दिया गया हो, वहां विरोधी पक्षकार जुर्माने के, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा लिए भी दायित्वाधीन होगा.

(८) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (२) या उपधारा (३) के अधीन कब्जा वापस दे दिया जाने के आदेश की तारीख के पश्चात्, सात दिनों से अधिक कालावधि तक किसी भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा किए रहता है, तो उक्त उपधारा (५) के अधीन देय प्रतिकर या उपधारा (७) के अधीन जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे भूमिस्वामी को कब्जा वापस दिए जाने के लिये किए गए प्रथम आदेश की दशा में, उपखण्ड अधिकारी उसे गिरफ्तार करवाएगा और पन्द्रह दिन की कालावधि के लिये परिरूद्ध किया जाने के लिए, उसे वारण्ट के साथ सिविल कारागार में भेजेगा, तथा ऐसे भूमिस्वामी को कब्जा वापस दिए जाने के लिए द्वितीय या पश्चात्वर्ती आदेश की दशा में, उपखण्ड अधिकारी उसे गिरफ्तार करवाएगा और तीन मास की कालावधि के लिए परिरूद्ध किया जाने के लिए, उसे वारण्ट के साथ सिविल कारागार में भेजेगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक की उस व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाली सूचना न जारी कर दी गई हो कि वह उपखण्ड अधिकारी के समक्ष ऐसी तारीख को, जो कि सूचना में विनिर्दिष्ट की जाएगी, उपसंजात हो और इस संबंध में कारण दर्शाए कि उसे सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाए .

परन्तु यह और कि उपखण्ड अधिकारी ऐसे व्यक्ति को, वारण्ट में उल्लिखित कालावधि का अवसान होने के पूर्व, निरोध से छोड़े जाने का आदेश दे सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अप्राधिकृत कब्जा छोड़ दिया गया है.

स्पष्टीकरण-एक.—इस धारा के प्रयोजन के लिए, भूमिस्वामी में सम्मिलित है सरकारी पट्टेदार.

स्पष्टीकरण-दो.—इस धारा के प्रयोजन के लिये "अनुचित रूप से बेकब्जा किये गये भूमिस्वामी" से अभिप्रेत है ऐसे किसी भूमिस्वामी को भूमि से विधि के सम्यक् अनुक्रम में बेकब्जा न करके अन्यथा बेकब्जा कर दिया गया हो, या यदि कोई व्यक्ति भूमिस्वामी की किसी ऐसी भूमि पर, जिसके कि उपयोग के लिये ऐसा व्यक्ति हकदार न रह गया हो, अप्राधिकृत रूप से कब्जा किए रहे.".

धारा २५०-क का लोप.

११५. मूल अधिनियम की धारा २५०-क का लोप किया जाए.

धारा २५२ का लोप.

११६. मूल अधिनियम की धारा २५२ का लोप किया जाए.

धारा २५३ का संशोधन.

११७. मूल अधिनियम का धारा २५३ में, उपधारा (२) का लोप किया जाए.

धारा २५४ का लोप.

११८. मूल अधिनियम की धारा २५४ का लोप किया जाए.

धारा २५५ का लोप.

११९. मूल अधिनियम, मूल अधिनियम की धारा २५५ का लोप किया जाए.

धारा २५७ का संशोधन.

१२०. मूल अधिनियम की धारा २५७ में,—

(एक) खण्ड (ढ), (ण), (त), (थ), (द), (ध), (न) तथा (प) का लोप किया जाए;

(दो) खण्ड (भ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए—

"(भ) धारा २५० के अधीन अनुचित रूप से बेकब्जा किए गए भूमिस्वामी के पुनः स्थापन तथा सिविल कारगार में निरुद्ध के बारे में कोई विनिश्चय;";

(तीन) खण्ड (भ-१) का लोप किया जाए;

(चार) खण्ड (य-१) का लोप किया जाए.

धारा २५८ का संशोधन.

१२१. मूल अधिनियम की धारा २५८ में,

(एक) उपधारा (२) में,—

(क) खण्ड (एक) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(एक-क) धारा १३(२) के अधीन प्रस्थापना के प्रकाशन के लिए प्ररूप विहित किया जाना;";

(ख) खण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(दो) धारा २० (२) के अधीन भू-अभिलेख अधीक्षकों तथा सहायक भू-अभिलेख अधीक्षकों के कर्तव्यों का विहित किया जाना;";

(ग) खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(तीन) धारा ५९ के अधीन निर्धारण की दरें, प्रीमियम तथा निर्धारण का अधिरोपण तथा भू-राजस्व का पुनर्निर्धारण तथा व्यपवर्तन की प्रज्ञापना के लिए रीति;";

(घ) खण्ड (चार) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(चार-क) धारा ६१ (ङ) के अधीन अन्य अभिलेख विहित करना;

(चार-ख) प्रयोग की जाने वाली शक्तियां तथा कर्तव्य धारा ६३ (२) के अधीन निर्वहन करेगा;";

(ङ) खण्ड (पांच) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(पांच) धारा ६७ के अधीन सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक, भू-खण्ड संख्यांक की विरचना और उनको नगरेतर क्षेत्रों में ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर में समूहीकृत करना;

"(पांच-क) धारा ६८ की उपधारा (३) के अधीन किसी सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक का विभाजन या समामेलन तथा उनका निर्धारण किया जाना;";

(च) खण्ड (छह) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(छह) धारा ६९ के अधीन भू-अभिलेख में सर्वेक्षण संख्यांकों, ब्लाक संख्यांकों तथा भू-खण्ड संख्यांकों तथा उनके उप-खण्डों की प्रविष्टि किया जाना;";

(छ) खण्ड (सात) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(सात) धारा ७१ के अधीन ग्राम या सेक्टर को विभाजित करना या ग्रामों या सेक्टरों को सम्मिलित करना;";

(ज) खण्ड (आठ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(आठ) धारा ७२ के अधीन खातों पर नियत दरों पर निर्धारण किया जाना;";

(झ) खण्ड (नौ), (दस) और (ग्यारह) लोप का किया जाए;

(ञ) खण्ड (बारह) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(बारह) धारा ७७ के अधीन भू-सर्वेक्षण करने के लिए विनियमन;";

(ट) खण्ड (पंद्रह), (सोलह), (सत्रह) तथा (अट्ठारह) का लोप किया जाए;

(ठ) खण्ड (उन्नीस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(उन्नीस) धारा १०४ (२) के अधीन पटवारी तथा नगर सर्वेक्षक के अन्य कर्तव्यों का विहित किया जाना;";

(ड) खण्ड (इक्कीस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(इक्कीस) धारा १०७ के अधीन नक्शों का माप तथा अन्य विशिष्टियों का विहित किया जाना;";

(ढ) खण्ड (तेईस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(तेईस) धारा १०९ तथा ११० के अधीन निम्नलिखित के लिए रीति तथा प्ररूपों का विहित किया जाना—

(क) अधिकार का अर्जन, प्रज्ञापना की रिपोर्ट करना;

(ख) नामांतरण पूर्व का स्केच, यदि कोई हो;

(ग) अभिस्वीकृति;

(घ) रजिस्टर;

(ङ) लिखित प्रज्ञापना या नोटिस को प्रदर्शित किया जाना;

(च) प्रतिलिपि का प्रदाय;

(छ) लंबित मामलों की जानकारी; और

(ज) फीस का विहित किया जाना.";

(ण) खण्ड (चौबीस) का लोप किया जाए;

(त) खण्ड (पच्चीस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(पच्चीस) धारा ११४ के अधीन भू-अभिलेखों को तैयार करना तथा उन्हें विहित करना;";

(थ) खण्ड (पच्चीस) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(पच्चीस-क) उस फीस का विहित किया जाना जिसका कि भुगतान किये जाने पर धारा ११४-क के अधीन भू-अधिकार पुस्तिका दी जाएगी तथा प्रविष्टियों के ब्यौरे विहित किए जाना;";

(द) खण्ड (अट्ठाईस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(अट्ठाईस) धारा १२४ के अधीन ग्रामों, सेक्टरों के तथा सर्वेक्षण संख्यांकों या भू-खण्ड संख्यांकों के सीमा चिन्हों संबंधी विनिर्देश तथा सन्निर्माण एवं अनुरक्षण की रीति;";

(ध) खण्ड (उन्तीस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(उन्तीस) धारा १२७ के अधीन ग्राम की सड़क, ग्राम की बंजर भूमि या सामुदायिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि तथा उससे लगी हुई भूमि के बीच सीमा चिन्हों को अंकित करने की रीति और वह रीति जिसमें वे सु-अवस्था में रखे जाएंगे तथा उनका नवीनीकरण किया जाएगा;";

(न) खण्ड (इकतीस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(इकतीस) वह रीति, वे व्यक्ति जिन्हें तथा वह स्थान जहां भू-राजस्व धारा १४० के अधीन संदत्त किया जाएगा;";

(प) खण्ड (छत्तीस) में, शब्द "बंदोबस्त के चालू रहने के दौरान" का लोप किया जाए;

(फ) खण्ड (सैंतीस) का लोप किया जाए;

(ब) खण्ड (इकतालीस) का लोप किया जाए;

(भ) खण्ड (तैंतालीस) का लोप किया जाए;

(म) खण्ड (चवालीस) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(चवालीस-क) धारा १७८-क के अधीन भूमिस्वामी के जीवनकाल में विभाजन तथा निर्धारण के प्रभाजन का विनियमन;";

(य) खण्ड (सैंतालीस) से (इक्यावन) का लोप किया जाए;

(य-क) खण्ड (छप्पन) का लोप किया जाए;

(य-ख) खण्ड (सतावन) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्.—

"(सतावन-क) धारा २३३-क के अधीन संधारित किए जाने वाले अभिलेख का विहित किया जाना;

(य-ग) खण्ड (साठ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(साठ) धारा २३९ (६) के अधीन प्रतिकर की संगणना करने की रीति;";

(य-घ) खण्ड (पैंसठ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(पैंसठ-क) धारा २५० के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए;";

(य-ङ) खण्ड (सड़सठ) का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अन्त:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"(२-क) राज्य सरकार, समय-समय पर, मण्डल की पद्धति तथा प्रक्रिया को तथा अन्य राजस्व न्यायालयों द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करते हुए, इस संहिता के उपबंधों से संगत नियम बना सकेगी तथा ऐसे नियमों द्वारा अनुसूची-एक में से समस्त नियमों या उनमें से किसी भी नियम को बातिल कर सकेगी, परिवर्तित कर सकेगी या परिवर्धित कर सकेगी.

(२-ख) विशिष्टतया तथा उपधारा (२-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्:—

(क) साधारणतया या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में समन, सूचनाओं तथा अन्य आदेशिकाओं की डाक द्वारा या किसी अन्य रीति में तामील और ऐसी तामील का सबूत;

(ख) पक्षकारों तथा साक्षियों को समन करने की राजस्व अधिकारियों की शक्ति का विनियमन और साक्षियों के लिए व्ययों की मंजूरी;

(ग) मान्यताप्राप्त अभिकर्ताओं का, इस संहिता के अधीन की कार्यवाहियों में उनके द्वारा की जाने वाली उपसंजातियों, किए जाने वाले आवेदनों तथा किए जाने वाले कार्यों के बारे में विनियमन;

(घ) वह प्रक्रिया जिसका अनुपालन जंगम तथा स्थावर सम्पत्तियों की कुर्की करने में किया जाएगा;

(ङ) विक्रयों को प्रकाशित करने, संचालित करने, अपास्त करने तथा उनकी पुष्टि करने के लिए प्रक्रिया तथा ऐसी कार्यवाहियों से संसक्त समस्त आनुषंगिक विषय;

(च) पशुधन तथा अन्य जंगम सम्पत्ति का, जबकि वह कुर्की के अधीन हो, अनुरक्षण तथा उसकी अभिरक्षा, ऐसे अनुरक्षण तथा ऐसी अभिरक्षा के लिए देय फीस, ऐसे पशुधन तथा संपत्ति का विक्रय और ऐसे विक्रय के आगम;

(छ) अपील तथा अन्य कार्यवाहियों का समेकन;

(ज) ऐसे समस्त प्ररूप, रजिस्टर, पुस्तकें, प्रविष्टियां तथा लेखे जो कि राजस्व न्यायालयों के कामकाज के संपादन के लिए आवश्यक या वांछनीय हों;

(झ) वह समय जिसके भीतर, किसी अभिव्यक्त उपबंध के अभाव में, अपीलें फाइल की जा सकेंगी या पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाइल किए जा सकेंगे;

(ञ) किन्हीं भी कार्यवाहियों के तथा उनसे आनुषांगिक खर्चे;

(ट) कमीशन पर साक्षियों की परीक्षा तथा ऐसी परीक्षा पर आनुषंगिक व्ययों का भुगतान;

(ठ) अर्जी लेखकों का अनुज्ञापन और उनके आचरण का विनियमन.

(२-ग) ऐसे नियमों का प्रकाशन होने की तारीख से या ऐसी अन्य तारीख से, जो कि विनिर्दिष्ट की जाए, वही बल और प्रभाव होगा मानो कि वे अनुसूची-एक में अन्तर्विष्ट थे.".

अनुसूची-एक का संशोधन.

१२२. मूल अधिनियम की अनुसूची-एक में, शीर्ष में, कोष्ठक शब्द और अंक "(धारा ४१ देखें)" के स्थान पर, कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर "(धारा २५८), (२क) तथा (२ग) देखें)" स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य के कृषकों एवं भूमिस्वामियों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य भूमि सुधार आयोग का गठन किया गया था. आयोग द्वारा अनुभव किया गया है कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ में अब तक किये गए संशोधन कई मुद्दों को हल करने में सक्षम नहीं है और नागरिकों की उम्मीदों की पूर्ति नहीं हो पा रही है. आयोग राज्य के विभिन्न संभागीय मुख्यालयों पर पहुंचकर जन प्रतिनिधियों तथा जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों से मिला एवं वर्तमान संहिता में आवश्यक विभिन्न संशोधनों पर उनके विचार तथा सुझाव प्राप्त किए. आयोग को संहिता में संशोधन के लिए १,७०० से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं. आयोग ने राजस्व मण्डल के अध्यक्ष, उनके सदस्यों एवं राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों से भी प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तार से चर्चा की गई.

२. आयोग द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के आधार पर तथा समय-समय पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तथा भूमि प्रबंधन में उद्भूत होने वाली कठिनाईयों को दूर करने की दृष्टि से यह संशोधन विधेयक प्रस्तावित किया जा रहा है. प्रस्तावित संशोधनों की प्रमुख बातें निम्नानुसार है:-

(१) संहिता के अध्याय-७ एवं ८ जो कि नगरेतर क्षेत्रों में राजस्व सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त और नगरीय क्षेत्रों में भूमि का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण से संबंधित हैं, के स्थान पर, अध्याय ७ -भू-सर्वेक्षण प्रतिस्थापित किया जा रहा है. अब राजस्व सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त के स्थान पर भू-सर्वेक्षण का कार्य जिला कलेक्टर द्वारा आयुक्त भू-अभिलेख के सीधे नियंत्रण में संचालित किया जाएगा.

(2) भूमि प्रबंधन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अब नगरेतर क्षेत्रों में ग्राम होंगे तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर होंगे. ग्राम और सेक्टर में गैर कृषि भूमि में ब्लॉक तथा भू-खण्ड होंगे, जो कि बेहतर स्केल पर आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए नक्शे तैयार करने में समर्थ होंगे.

(३) संहिता की धारा ३५ आदेशिका फीस जमा न करने जैसे तुच्छ आधारों पर मामलों को खारिज होने से बचाने के लिए संशोधित की जा रही है. संहिता के वर्तमान अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन के विद्यमान प्रावधानों को भी संशोधित किया जा रहा है. अब कलेक्टर के अधीन कार्य कर रहे राजस्व अधिकारियों के आदेशों का पुनरीक्षण कलेक्टर द्वारा किया जा सकेगा और कलेक्टर द्वारा पारित आदेश का पुनरीक्षण संभागायुक्त द्वारा किया जा सकेगा. संभागायुक्त द्वारा पारित आदेश का राजस्व मण्डल द्वारा किया जा सकेगा. अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन के लिए समयावधि एक समान की गई है. कतिपय आदेशों के विरूद्ध कुछ विशिष्ट धाराओं के लिए प्रथम अपील या द्वितीय अपील बाधित की गई है जिसका संशोधन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है.

(४) नामांतरण, सीमांकन एवं विभाजन की महत्वपूर्ण धाराओं में भी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं. अविवादित नामांतरण एवं विवादित नामांतरण के प्रकरण में क्रमशः २ माह तथा ६ माह की समय सीमा उपबंधित की गई है. नामांतरण की प्रक्रिया तभी पूर्ण हो गई समझी जाएगी जब भू-अभिलेख में शुद्धिकरण तथा आदेश और अद्यतन भू-अभिलेख की प्रति आवेदकों को निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाती है. सीमांकन के मामलों में यदि आवेदक संतुष्ट नहीं होता है तो उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगा, जो विशेष दल गठित कर एक बार फिर से सीमांकन करा सकेगा. सीमांकन की कार्यवाही के लिए निजी एजेंसी के पैनल की भी तैनाती की जाएगी.

(५) संहिता की धारा १४० में यह प्रावधान किया जा रहा है कि कोई भूमि धारक १० वर्ष का भू-राजस्व एक मुश्त जमा कर सकेगा. फसलों के नुकसान होने पर भू-राजस्व की माफी या उसके निलंबन के लिए राज्य सरकार को प्राधिकृत किया जा रहा है.

(६) मौरूसी कृषक से संबंधित अध्याय-१४ को विलोपित किया गया है क्योंकि अब यह सुसंगत नहीं रहा है तथा इस प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश भूमिस्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण अधिनियम, २०१६ (क्रमांक १३ सन् २०१८) इस विषय को ध्यान में रखकर पृथक अधिनियमित किया गया है.

(७) संहिता की धारा १७२ को विलोपित किया गया है जिससे भूमि के व्यपवर्तन के लिए पूर्व अनुज्ञा आवश्यक नहीं होगी. अब भूमिस्वामी अपना व्यपवर्तित भू-राजस्व का निर्धारण स्वयं कर सकेगा और अपेक्षित रकम जमा कर सकेगा और विद्यमान अन्य विधियों का पालन करते हुये व्यपवर्तन कर सकेगा अब उसे किसी भी प्रकार की लिखित अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा.

(८) नगरीय क्षेत्रों में, दखलरहित सरकारी भूमि के बेहतर प्रबंधन हेतु तथा उसके उपयोगी सामुदायिक प्रयोजन के लिए विशिष्ट प्रयोजन हेतु कलेक्टर को भूमि आरक्षित रखे जाने के लिए सक्षम किये जाने के उपबंध किए गए हैं.

(९) नगरीय तथा नगरेतर क्षेत्रों में अधिकार अभिलेख पृथक् से तैयार किए जाएंगे और समस्त भूमिस्वामियों, सरकारी पटटेदारों एवं आबादी में निवासरत व्यक्तियों के अधिकार ऐसे अभिलेखों में अभिलिखित किए जाएंगे. भू-अभिलेखों में अशुद्ध प्रविष्टियों के शुद्धीकरण करने के प्रावधानों को भी उपांतरित किया जा रहा है. मार्गाधिकार तथा अन्य प्राइवेट सुखाचार संबंधी अधिकारों के प्रावधानों को भी अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है.

(१०) उपरोक्त वृहद् संशोधनों के अतिरिक्त, अनेक प्रक्रियात्मक सुधार भी प्रस्तावित किए गए हैं जैसे कि परिभाषा खण्ड में सेक्टर, सेवा भूमि, विकास योजना आदि के लिए विशिष्ट परिभाषाएं सम्मिलित की गई हैं. नए उपखण्ड के सृजन की प्रक्रिया को भी नई तहसील के सृजन के पूर्ववर्ती उपबंधों के समान प्रस्तावित किया गया है. शोध्य भू-राजस्व की वसूली के लिए प्रभावी उपबंध किए गए हैं.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख : २१ जून, २०१८.

उमाशंकर गुप्ता

भारसाधक सदस्य.

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तुत संशोधन विधेयक में किसी नई संरचना अथवा नये पद निर्माण का प्रस्ताव नहीं है और न ही किसी अन्य प्रकार से कोई व्यय अंतर्ग्रस्त है, इस कारण किसी भी प्रकार के नये वित्तीय भार का प्रस्ताव नहीं है.

प्रत्यायोजन विधायन का ज्ञापन

प्रस्तुत संशोधन विधेयक के जिन खण्डों द्वारा विधायिनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है:-

खण्ड (७) धारा १३ (२) के अधीन प्रस्थापना के प्रकाशन के लिए प्ररुप विहित किये जाने;

खण्ड (८) धारा २०(२) के अधीन भू अभिलेख अधीक्षकों तथा सहायक भू अभिलेख अधीक्षकों का विहित किये जाने;

खण्ड (३१) धारा ५९ के अधीन निर्धारण की दरें, प्रीमियम तथा निर्धारण का अधिरोपण तथा भू-राजस्व का पुनर्निर्धारण तथा व्यपवर्तन की प्रज्ञापना के लिए रीति विहित किये जाने;

खण्ड (३२) धारा ६० के अधीन उस भूमि पर निर्धारण जिस पर निर्धारण नहीं हुआ हो का निर्धारण किये जाने;

खण्ड (३३) धारा ६१ (ड़) के अधीन अन्य अभिलेख विहित किये जाने;

खण्ड (३३) धारा ६७ के अधीन सर्वेक्षण संख्यांकों, ब्लॉक संख्यांक, भू-खण्ड संख्यांक की विरचना और नगरेतर क्षेत्रों में उनको ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर में समूहीकृत किये जाने;

खण्ड (३३) धारा ६८ (३)के अधीन किसी सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक का विभाजन या समामेलन तथा उनका निर्धारण किये जाने;

खण्ड (३३) धारा ६९ के अधीन भू-अभिलेख में सर्वेक्षण संख्यांकों, ब्लॉक संख्यांकों और भू-खण्ड संख्यांकों तथा उनके उपखण्डों की प्रविष्टि किये जाने;

खण्ड (३३) धारा ७१ के अधीन ग्राम या सेक्टर को विभाजित करना या ग्रामों या सेक्टरों को सम्मिलित करना;

खण्ड (३३) धारा ७२ के अधीन खातों पर नियत दरों पर निर्धारण किये जाने;

खण्ड (३३) धारा ७७ के अधीन भू-सर्वेक्षण के लिए विनियमन;

खण्ड (३४) धारा १०४ (२) में पटवारी तथा नगर सर्वेक्षक के अन्य कर्तव्यों का विहित किये जाने;

खण्ड (३६) धारा १०६ के अधीन राजस्व निरीक्षक के कर्तव्य विहित किये जाने;

खण्ड (३७) धारा १०७ के अधीन आबादी नक्शों का माप तथा अन्य विशिष्टियों का विहित किये जाने;

खण्ड (३८) धारा १०८ के अधीन अधिकार अभिलेख में दर्ज करायी जाने वाली विशिष्टियां;

खण्ड (३९) धारा १०९ के अधीन अधिकार के अर्जन की रिपोर्ट दिये जाने से संबंधित विभिन्न प्ररूप एवं रीति विहित किये जाने;

खण्ड (४०) धारा ११० के अधीन भू-अभिलेखों में अधिकार अर्जन बावत् नामांतरण की प्रक्रिया, प्ररूप एवं रीति विहित किये जाने;

खण्ड (४३) धारा ११४ के अधीन भू-अभिलेखों को तैयार करना तथा उन्हें विहित किये जाने;

खण्ड (४४) उस फीस का विहित किया जाना जिसका की भुगतान किये जाने पर धारा ११४-क के अधीन भू-अधिकार पुस्तिका दी जाएगी तथा प्रविष्टियों के ब्योरे विहित किये जाने;

खण्ड (५१) धारा १२४ के अधीन ग्रामों, सेक्टरों के तथा सर्वेक्षण संख्यांकों या भू-खण्ड संख्यांकों के सीमा चिन्हों के सीमा चिन्हों संबंधी विर्निदेश तथा संनिर्माण एवं अनुरक्षण की रीति;

खण्ड (५३) धारा १२६ के अधीन संक्षेपत: बेदखल करने की रीति विहित किये जाने;

खण्ड (५४) धारा १२७ के अधीन ग्राम की सड़क, ग्राम की बंजर भूमि या सामुदायिक प्रयोजन के लिये आरक्षित भूमि तथा उससे लगी हुई भूमि के बीच सीमा चिन्हों को अंकित करने की रीति और वह रीति जिसमें वह सु-अवस्था में रखे जाएंगे तथा उनका नवीनीकरण किये जाने;

खण्ड (५६) धारा १२९ के अधीन सर्वेक्षण संख्यांक या सर्वेक्षण संख्यांक के उपखण्ड या ब्लॉक संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक के सीमांकन की रीति;

खण्ड (६४) वह रीति, वे व्यक्ति जिन्हें तथा वह स्थान जहां भू-राजस्व धारा १४० के अधीन संदत्त किये जाने;

खण्ड (६६) धारा १४२ के अधीन भू-राजस्व प्राप्त करने वाले के द्वारा दी जाने वाली रसीद का प्ररूप विहित किये जाने;

खण्ड (८९) धारा १७८-क के अधीन भूमिस्वामी के जीवनकाल में विभाजन तथा निर्धारण के प्रभाजन का विनियमन;

खण्ड (१०५) धारा २३३-क के अधीन संधारित किये जाने वाले एवं अभिलेख विहित किये जाने;

खण्ड (१०६) धारा २३४ के अधीन निस्तार पत्रक तैयार किये जाने;

खण्ड (१०७) धारा २३९ (६) के अधीन प्रतिकर की संगणना करने की रीति;

खण्ड (१०८) धारा २४० के अधीन भूमिस्वामी या राज्य सरकार की भूमि पर खड़े वृक्षों को काटे जाने तथा वनोत्पाद के नियंत्रण, प्रबंध, काटकर गिराए जाने या हटाए जाने;

खण्ड (११०) धारा २४४ के अधीन आबादी क्षेत्र में आबादी के आवंटन के लिए

खण्ड (११४) धारा २५० के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए तथा;

खण्ड (१२९) मंडल या राजस्व न्यायालयों द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया का विनियमन तथा कामकाज संबंधी;

संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकेगी जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) से उद्धरण

X x x x x

२ परिभाषाएँ – इस संहिता में, जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात विरूद्ध न हो--

(क)"आबादी" से अभिप्रेत है – नगरेतर क्षेत्र के किसी ग्राम में उसके निवासियों के निवास के लिये या उससे आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए समय-समय पर आरक्षित क्षेत्र और इस अभिव्यक्ति के किसी अन्य स्थानिक पर्याय, जैसे "ग्राम स्थल" या "गाँव स्थान" का अर्थ भी तदनुसार लगाया जायेगा;

(ख)"कृषि" के अन्तर्गत है –

(एक) वार्षिक या नियतकालिक फसलों का, जिसमें पान तथा सिंघाड़े और उद्यान की उपज सम्मिलित है, उगाया जाना;

(दो) उद्यान कृषि;

(तीन) फलोद्यान लगाना तथा उनका समारक्षण;

(चार) चारे, चराई या छप्पर छाने की घास के लिये भूमि का आरक्षित किया जाना; और

(पाँच) नगरीय क्षेत्रों की उपांत सीमा से पांच किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित किसी क्षेत्र में कुक्कुट पालन, मछली पालन या पशु पालन के लिए भूमि का उपयोग करना;

(ग)"कृषि वर्ष" से अभिप्रेत है १ जुलाई या ऐसी अन्य तारीख को, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करें, प्रारम्भ होने वाला वर्ष;

(घ) "मण्डल" से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन गठित राजस्व बोर्ड;

(ङ)"वास्तविक कृषक" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो भूमि पर स्वयं खेती करता है या जिससे युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा की जा सकती है कि वह स्वयं खेती करेगा;

(च)"सहकारी सोसायटी" से अभिप्रेत है सहकारी सोसायटियों से सम्बन्धित किसी विधि के, जो राज्य के किसी क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त है, अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत सोसायटी;

(छ) "सरकारी वन" से अभिप्रेत है कोई ऐसा वन जो भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ का संख्यांक १६) के उपबन्धों के अनुसार आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में गठित किया गया है;

(ज) "सरकारी पट्टेदार" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो राज्य सरकार से धारा १८१ के अधीन भूमि धारण करता है;

(झ)"खाता" से अभिप्रेत है--

(एक) ऐसा भूमि-खण्ड जिस पर भू-राजस्व पृथक रूप से निर्धारित किया गया है और जो एक भू-धृति के अधीन धारित है; और

(दो) कृषक द्वारा धारित भूमि के संदर्भ में कोई ऐसा भूमि-खंड जो भूमि स्वामी से एक ही पट्टे के अधीन या एक ही संवर्ग की शर्तों के अधीन धारित है;

(ञ) "सुधार" से किसी खाते के संदर्भ में, अभिप्रेत है कोई ऐसा संकर्म जिससे खाते के मूल्य में तात्विक वृद्धि होती है, जो खाते के लिये उपयुक्त है तथा उस प्रयोजन से संगत है जिसके लिये खाता धारित है और जो, यदि खाते पर निष्पादित न किया हो, तो या तो प्रत्यक्षत: उसके फायदे के लिये निष्पादित किया गया है या

निष्पादित किया जाने के पश्चात्, उसके लिये प्रत्यक्षत: फायदाप्रद बना दिया गया है; और, पूर्वगामी उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, उसके अन्तर्गत है --

(एक) कृषि प्रयोजनों के लिए जल के संग्रहण, प्रदाय या वितरण के लिये तालाबों, कुओं, जल सरणियों, बाँधों तथा अन्य संकर्मों का सन्निर्माण;

(दो) भूमि के जल-निकास के लिये या बाढ़ों से या जल द्वारा कटाव से या जल से होने वाले अन्य नुकसान से भूमि के संरक्षम के लिये संकर्मों का सन्निर्माण;

(तीन) वृक्षारोपण और भूमि का कृष्यकरण, भूमि की सफाई, उसका घेरा लगाना, उसे समतल करना या उसकी सीढ़ी वन्दी करना;

(चार) आबादी या नगरीय क्षेत्र में न होकर अन्यत्र होने वाले खाते पर या उसके सामीप्य में ऐसे भवनों का परिनिर्माण जो उस खाते के सुविधाजनक या लाभदायक उपयोग या अधिगम के लिये अपेक्षित हों; और

(पाँच) पूर्वगामी संकर्मों में से किसी भी संकर्म का नवीकरण या पुनर्सन्निर्माण या उसमें परिवर्तन या परिवर्धन ।

किन्तु उसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है:-

(क) अस्थायी कुएँ और ऐसी जलसरणियाँ, बाँध समतलन, घेरे या अन्य संकर्म या ऐसे संकर्मों में छोटे-मोटे परिवर्तन या उनकी मरम्मत जो कि उस स्थान के खेतिहरों द्वारा कृषि के मामूली अनुक्रम में सामान्यत: की जाती है; या

(ख) कोई ऐसा संकर्म, जिससे कहीं भी स्थित किसी ऐसी भूमि के मूल्य में सारभूत रूप से कमी होती है जिसे कि कोई अन्य व्यक्ति भूमिस्वामी की हैसियत में या मौरूसी कृषक की हैसियत में अधिभोग रखता है।

स्पष्टीकरण – किसी ऐसे संकर्म को, जिससे विभिन्न खातों को फायदा पहुँचता है, ऐसे खातों में से प्रत्येक खाते के संबंध में सुधार समझा जा सकेगा;

(ट) "भूमि" से अभिप्रेत है धरती की सतह का कोई भाग चाहे वह जल के नीचे हो या न हो; और जहाँ भी इस संहिता के प्रति निर्देश किया गया है, वहाँ उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसके अन्तर्गत वे समस्त चीजें हैं जो ऐसे भूमि मे बद्ध हैं या ऐसी भूमि के बद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं;

(ठ) **"भूमिहीन व्यक्ति"** से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो वास्तविक कृषक है और जो अकेले या अपने कुटुम्ब के अन्य सदस्यों के संयुक्त रूप से कोई भूमि धारण नहीं करता है या इतनी भूमि धारण है जिसका क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल से कम है जो कि इस संबंध में विहित किया जाये;

स्पष्टीकरण – इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति का कुटुम्ब उसकी पत्नी या पति, सन्तति तथा माता-पिता से मिलकर बना है ।

(ड) **"भूमि अभिलेख"** से अभिप्रेत है इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रखे गये अभिलेख;

(ढ) **"विधि व्यवसायी"** से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो विधि व्यवसायी अधिनियम, १८७९ (१८७९ का सं. १८) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मध्यप्रदेश के न्यायालयों में किसी भी न्यायालय में से विधि-व्यवसाय करने का हकदार है;

(ण) **"आम्रकुंज"** से अभिप्रेत है आम के वृक्ष जो इतनी संख्या में लगाये गये हैं कि उनसे उस भूमि का, जिस पर कि वे खड़े हैं या उसके किसी बड़े प्रभाग का, मुख्यत: किसी ऐसे प्रयोजन के लिये जो वृक्षारोपण से भिन्न हो, उपयोग में लाया जाना रूक जाता है या उन आम के वृक्षों के पूरी तरह बढ़ जाने पर यह संभाव्य है कि उनसे भूमि का या उसके किसी बडे प्रभाग का, मुख्यत: उक्त प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जाना रूक जायेगा;

(ण-क) "**बाजार मूल्य**" से अभिप्रेत है भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना तथा उनका पुनरीक्षण नियम, २००० के अधीन कलक्टर द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित भूमि का मूल्य;

(त) "**फलोद्यान**" से अभिप्रेत है फल के वृक्ष जो इतनी संख्या में लगाये गये हैं कि उनसे उस भूमि का, जिस पर कि वे खड़े हैं, या उसके किसी बड़े प्रभाग का मुख्यत: किसी ऐसे प्रयोजन के लिये जो वृक्षारोपण से भिन्न हो, उपयोग में लाया जाना रूक जाता है या उन फलों के वृक्षों के पूरी तरह बढ़ जाने पर यह सम्भाव्य है कि उससे भूमि का या उसके किसी बड़े प्रभाग का, मुख्यत: उक्त प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जाना रूक जायेगा;

(थ) "**भू-खंड संख्यांक**" से अभिप्रेत है नगरीय क्षेत्र में की भूमि का वह प्रभाग जो धारा ९३ के अधीन भू-खण्ड संख्यांक के रूप में विरचित किया गया है या उस रूप में मान्य किया गया है और जिसकी बावत क्षेत्रफल तथा देय-भू-राजस्व की प्रविष्टि विहित अभिलेखों में सूचक संख्यांक के अधीन पृथक-पृथक की गई है तथा उसके अन्तर्गत भूमि का कोई ऐसा प्रभाग भी है जिसकी प्रविष्टि पूर्व के अभिलेखों में खसरा या सर्वेक्षण नामक सूचक संख्यांक के अधीन की गई है;

(द) "**मान्यता प्राप्त अभिकर्ता**" से, इस संहिता के अधीन कार्यवाही के पक्षकार के संदर्भ में अभिप्रेत है--

(एक) वह व्यक्ति जिसे ऐसे पक्षकार ने, ऐसी कार्यवाहियों में उसकी ओर से उपसंजात होने तथा आवेदन करने एवं अन्य कार्य करने के लिये, मुख्तारनामे के अधीन प्राधिकृत किया है; और

(दो) वह व्यक्ति जिसे ऐसे पक्षकार ने, ऐसी कार्यवाहियों में उसकी ओर से उपसंजात होने के लिये लिखित में प्राधिकृत किया है;

(ध) "**क्षेत्र**" से अभिप्रेत है यथास्थिति महाकौशल क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र, भोपाल क्षेत्र, विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र और सिरोंज क्षेत्र, या इनमें से कोई भी क्षेत्र;

(न) "लगान" से अभिप्रेत है वह कुछ भी जो --

(एक) धारा १८८ के उपबंधों के अनुसार मौरूसी कृषक द्वारा अपने भूमिस्वामी को, या पट्टेदार द्वारा अपने भूमिस्वामी को, उसके द्वारा ऐसे भूमिस्वामी से धारित भूमि के उपयोग या अधिभोग के मद्दे; या

(दो) सरकारी पट्टेदार द्वारा सरकार को, उस भूमि के, जो कि सरकार द्वारा उसे पट्टे पर दी गई है, उपयोग या अधिभोग के मद्दे, धन या वस्तु के रूप में संदत्त किया जाता है या देय है;

(प) "**राजस्व अधिकारी**" इस संहिता के किसी उपबंध में "राजस्व अधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा राजस्व अधिकारी जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राजस्व अधिकारी के उस उपबंध के अधीन के कृत्यों का निर्वहन करने के लिये निदेश दे;

(फ) "**राजस्व वर्ष**" से अभिप्रेत है वह वर्ष जो ऐसी तारीख से प्रारम्भ होता है जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र के बारे में नियत करें;

(ब) "**सर्वेक्षण संख्यांक का उपखंड**" से अभिप्रेत है सर्वेक्षण संख्यांक का ऐसा प्रभाग जिसकी बावत क्षेत्रफल तथा देय – भू-राजस्व की प्रविष्टि भू-अभिलेखों में उन सर्वेक्षण संख्यांकों के, जिनका कि वह प्रभाग है, सूचक संख्यांक के अधीनस्थ सूचक संख्यांक के अधीन पृथक्-पृथक् की गई है;

(भ) "**सर्वेक्षण संख्यांक**" से अभिप्रेत है नगरेतर क्षेत्र में की भूमि का ऐसा प्रभाग जो ठीक पहले के राजस्व-सर्वेक्षण के समय सर्वेक्षण संख्यांक के रूप में विरचित किया गया है या उस रूप में मान्य किया गया है अथवा कलेक्टर द्वारा उसके पश्चात् उस रूप में मान्य किया गया है और जिसकी बाबत क्षेत्रफल तथा देय भू-राजस्व की प्रविष्टि भू-अभिलेखों में, सूचक संख्यांक के अधीन पृथक्-पृथक् की गई है; और उसके अंतर्गत भूमि का कोई भी ऐसा प्रभाग है जिसकी प्रविष्टि भू-अभिलेखों में, खसरा क्रमांक नामक सूचक संख्यांक के अधीन की गई है;

(म) "कृषक" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो अध्याय १४ के अधीन भूमिस्वामी से मौरूसी कृषक के रूप में भूमि धारण करता है;

(य) "भू-धारी" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो राज्य सरकार से भूमि धारण करता है और जो इस संहिता के उपबन्धों के अधीन भूमिस्वामी है या भूमिस्वामी समझा जाता है;

(य-१) "इमारती लकड़ी के वृक्ष" से अभिप्रेत है निम्नलिखित जाति के वृक्ष, अर्थात्:-

(एक) टेक्टोना ग्रेन्डिस (सागवान);

(दो) टेकोकारपस मारसुपियम (बीजा);

(तीन) डलबेरिया लेटीफोलिया (शीशम);

(चार) शोरिया रोबस्टा (साल);

(पाँच) तिनसा;

(छः) टर्मोनेलिया टोमन्टोसा (एन या साज);

(सात) सन्टालम अलबम (चन्दन);

(आठ) एडाइना कॉर्डिफोलिया (हल्दू);

(नौ) मित्रागाइना पारविफ्लोरा (मुण्डी);

(दस) टर्मिनेलिया अर्जुना (अर्जुन);

(ग्यारह) डायोस्पाइरस मेलनोक्जाइलान (तेन्दू);

(बारह) मेलाइना आरबोरिया (खम्हार);

(य-२) "स्वयं खेती करना" से अभिप्रेत है –

(एक) अपने स्वयं के श्रम द्वारा, या

(दो) अपने कुटुम्ब के किसी भी सदस्य के श्रम द्वारा, या

(तीन) ऐसी मजदूरी पर, जो नगदी या वस्तु के रूप में देय है किन्तु फसल के अंश के रूप में देय नहीं है, रखे गये सेवकों द्वारा, या

(चार) अपने वैयक्तिक पर्यवेक्षण के अधीन या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के वैयक्तिक पर्यवेक्षण (Personal supervision) के अधीन – भाड़े के श्रमिकों द्वारा अपने स्वयं के लिये खेती करना;

(य-३) "दखलरहित भूमि" से अभिप्रेत है किसी ग्राम में की ऐसी भूमि जो आवादी या सेवाभूमि से, या किसी भूमिस्वामी, कृषक या सरकारी पट्टेदार द्वारा धारित भूमि से भिन्न है;

(य-४) "नगरीय क्षेत्र" से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जो नगरपालिकाओं से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी नगरपालिक निगम की या किसी नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र की या किसी ऐसे ग्राम या ग्राम समूह की, जो कि राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाय, सीमाओं के भीतर तत्समय सम्मिलित है; और अभिव्यक्ति "नगरेतर क्षेत्र" का तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा;

(य-५) "ग्राम" से अभिप्रेत है कोई भू-भाग जिसे इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी ऐसी विधि के, जो तत्समय प्रवृत्त है, उपबन्धों के अधीन ग्राम के रूप में मान्य किया गया था या उस रूप में घोषित किया गया था, तथा कोई ऐसा अन्य भू-भाग जिसे किसी राजस्व सर्वेक्षण में एतद्पश्चात् ग्राम के रूप में मान्य किया जाय या जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ग्राम के रूप में घोषित करें।

(२) इस संहिता के प्रवृत्त होने की तारीख के प्रति इस संहिता में किये गये किसी भी निर्देश का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा मानो कि वह धारा १ की उपधारा (३) के अधीन अधिसूचना द्वारा नियत की गई तारीख के प्रति निर्देश है।

(३) विद्यमान मण्डल के अध्यक्ष तथा सदस्य मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल के क्रमश: प्रथम अध्यक्ष तथा सदस्य होंगे ।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

४-राजस्व मण्डल का प्रधान स्थान तथा उसकी बैठकों के अन्य स्थान- (१) मण्डल का प्रधान स्थान ऐसे स्थान पर होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, नियत करें।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, मण्डल का अध्यक्ष तथा उसके सदस्य ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर भी बैठक कर सकेंगे जिन्हें मण्डल का अध्यक्ष, राज्य सरकार के अनुमोदन से, नियत करे।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

७-मण्डल की अधिकारिता :-(१)मण्डल ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन उसे प्रदत्त की गई हैं तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन उसे प्रदत्त किये गये हैं और वह राज्य सरकार के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जिन्हें राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस संबंध में विनिर्दिष्ट करे तथा वह ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनिमय द्वारा या उसके अधीन मुख्य राजस्व प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को प्रदत्त किये गये हों या प्रदत्त किये जायें ।

(2) राज्य सरकार, ऐसी शर्तों के साथ जैसी कि वह अधिरोपित करना ठीक समझे, मण्डल को या मण्डल के किसी सदस्य को, अधिसूचना द्वारा, ऐसी अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान कर सकेगी या ऐसे अतिरिक्त कृत्य सौंप सकेगी जो तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन राज्य सरकार को समनुदेशित हैं ।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

११-राजस्व पदाधिकारी-राजस्व पदाधिकारियों के निम्नलिखित वर्ग होंगे अर्थात् –

आयुक्त (जिनमें अपर आयुक्त सम्मिलित है);

बन्दोबस्त आयुक्त (जिसके अन्तर्गत अपर वन्दोबस्त आयुक्त है);

कलेक्टर (जिसके अन्तर्गत अपर कलेक्टर है);

बन्दोबस्त अधिकारी ;

उपखण्ड अधिकारी;

सहायक कलेक्टर;

संयुक्त कलेक्टर (जिनके अन्तर्गत डिप्टी कलेक्टर भी है);

उप-बन्दोबस्त अधिकारी;

सहायक बन्दोबस्त अधिकारी;

तहसीलदार (जिसके अन्तर्गत अपर तहसीलदार है);

भू-अभिलेख अधीक्षक;

नायब तहसीलदार;

सहायक भू-अभिलेख अधीक्षक ।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

१३-संभागों जिलों, उपखंडों तथा तहसीलों को परिवर्तित करने, सृजित करने या समाप्त करने की शक्ति (१) राज्य शासन संभागों की सृजन कर सकेगा जिनमें ऐसे जिले समाविष्ट होंगे जिन्हें कि वह ठीक समझे और वह ऐसे संभागों को समाप्त कर सकेगी या उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा ।

(२) राज्य सरकार, किसी जिले या तहसील की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और नवीन जिलों या तहसीलों का सृजन कर सकेगा या विद्यमान जिलों या तहसीलों को समाप्त कर सकेगी और किसी जिले को उपखण्डों में विभाजित कर सकेगी तथा किसी भी उपखंड की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी या उसे समाप्त कर सकेगी:

परन्तु राज्य सरकार, किसी संभाग या जिले या तहसील की सीमाओं में परिवर्तन करने या नवीन सम्भागों, जिलों या तहसीलों का सृजन करने या विद्यमान संभागों, जिलों या तहसीलों को समाप्त करने सम्बन्धी के किसी प्रस्थापना पर इस धारा के अधीन कोई आदेश पारित करने के पूर्व, ऐसे प्रस्थावनाओं को, आपत्तियाँ आमन्त्रित करने के लिये, विहित प्ररूप में प्रकाशित करेगी और ऐसे प्रस्थापना के सम्बन्ध में की गई किन्हीं आपत्तियों पर विचार करेगी ।

(३) उपधारा (२) के अधीन राज्य शासन के आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक तहसील को जिले का उपखण्ड समझा जायेगा।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

१९-तहसीलदारों, अपर तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों की नियुक्ति – (१) राज्य सरकार प्रत्येक तहसील में एक तहसीलदार तथा एक या एक से अधिक नायब तहसीलदार नियुक्त कर सकेगी जो उस तहसील में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उन्हें प्रवृत्त की गई हैं तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उन पर अधिरोपित किए गए है।

(२) राज्य सरकार किसी तहसील में एक या एक से अधिक अपर तहसीलदार नियुक्त कर सकेगी । अपर तहसीलदार, उन शक्तियों में से, जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन तहसीलदार को प्रदत्त की गई हों, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उन कर्तव्यों में से, जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन तहसीलदार पर अधिरोपित किये गये हों, ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि जिले का कलेक्टर, लिखित आदेश द्वारा निदेशित करे।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

२१-अन्य अधिकारी – (१) राज्य सरकार ऐसे अन्य अधिकारी नियुक्त कर सकेगी तथा उन्हें विनिहित कर सकेगी जो इस संहिता के उपबन्धों को प्रभावशील करने के लिए आवश्यक हों ।

(२) ऐसे अधिकारी ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तथा ऐसे प्राधिकारियों के अधीनस्थ होंगे जिन्हें राज्य सरकार निदेशित करे ।

२२-उपखंड अधिकारी – (१) कलेक्टर, एक या अधिक सहायक कलेक्टरों या संयुक्त कलेक्टरों या डिप्टी कलेक्टरों को जिले के किसी एक उपखंड या जिले के दो या अधिक उपखंडों का भारसाधक बना सकेगा ।

(२) ऐसा सहायक कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर उपखंड अधिकारी कहलायेगा और कलेक्टर की ऐसी शक्तियों को प्रयोग करेगा जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेशित करे ।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

२४-राज्य शासन द्वारा राजस्व पदाधिकारियों की शक्तियों का पदाधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों को प्रदान किया जाना – (१) राज्य शासन वे शक्तियां जो, इस संहिता द्वारा या इसके अधीन किसी राजस्व पदाधिकारी को प्रदत्त शक्तियाँ किसी भी व्यक्ति को प्रदान कर सकेगा ।

(२) राज्य शासन, इस संहिता द्वारा उच्चतम श्रेणी के राजस्व पदाधिकारी को दी गई शक्तियाँ किसी असिस्टेंट कलेक्टर, तहसीलदार या नायब तहसीलदार को प्रदान कर सकेगा ।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

२७-**जाँच करने के लिये स्थान** – उन कारणों के सिवाय जो लेखबद्ध किये जायेंगे, कोई भी राजस्व अधिकारी किसी मामले की जाँच या सुनवाई अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर किसी स्थान पर नहीं करेगा:

परन्तु उपखंड अधिकारी किसी मामले की जाँच या सुनवाई उस जिले के, जिनमें कि उसे नियुक्त किया गया है, भीतर किसी स्थान पर कर सकेगा ।

२८-**भूमि पर प्रवेश करने तथा उसका सर्वेक्षण (परिमाप) करने की शक्ति** – समस्त राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, भू-मापक तथा पटवारी और उनके सेवक तथा कर्मकार जबकि वे उनके पर्यवेक्षण एंव नियंत्रण के अधीन हों, उस स्थिति में जबकि उन्हें ऐसा निर्देश दिया जाय भूमि पर प्रवेश कर सकेंगे तथा उसका सर्वेक्षण कर सकेंगे और सीमांकन कर सकेंगे एवं इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन अपने कर्तव्यों से संबंधित अन्य कार्य कर सकेंगे और ऐसा करने में उस नुकसान से अधिक नुकसान पारित नहीं करेंगे जो कि उनके कर्तव्यों के सम्यक् पालन के निमित्त आवश्यक हो :

परन्तु कोई भी व्यक्ति किसी भवन में या किसी निवास गृह में संलग्न किसी घेरा लगे हुए प्रांगण या उद्यान में उसके अधिभोगी की सम्मति के बिना तथा ऐसे अधिभोगी को कम से कम चौबीस घंटे की सूचना दिये बिना प्रवेश नहीं करेगा और ऐसे प्रवेश के समय अधिभोगी की सामाजिक तथा धार्मिक भावनाओं का सम्यक् ध्यान रखा जायगा ।

२९-**मामलों को अन्तरित करने की शक्ति** – (१) जब कभी मण्डल (बोर्ड) को यह प्रतीत हो कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इस धारा के अधीन आदेश देना समीचीन है तो वह निर्देश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला एक राजस्व अधिकारी के पास से उसी जिले के या किसी अन्य जिले के अधीन या वरिष्ठ पद श्रेणी के किसी अन्य राजस्व अधिकारी को अन्तरित कर दिया जाये ।

(२) आयुक्त इस संबंध में उसको किये गये आवेदन पर, यदि उसकी यह राय हो कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह समीचीन है, यह आदेश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला एक राजस्व अधिकारी पास से उसी जिले के या उसी संभाग के किसी अन्य जिले के समान या वरिष्ठ पद श्रेणी के किसी अन्य राजस्व अधिकारी को अन्तरित कर दिया जाय।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

३५-**पक्षकार की अनुपस्थिति में सुनवाई** – (१) यदि राजस्व अधिकारी किसी मामले या कार्यवाही की सुनवाई के लिये नियत की गई तारीख को यह पाये कि किसी पक्षकार पर समन या सूचना की तामील इसलिए नहीं हुई थी कि विरोधी पक्षकार ने ऐसी तामील के लिये अपेक्षित आदेशिका फीस का भुगतान नहीं किया था, तो उस मामले या कार्यवाही को ऐसी आदेशिका फीस का भुगतान न किया जाने के कारण खारिज किया जा सकेगा ।

(२) यदि राजस्व अधिकारी के समक्ष के मामले या कार्यवाही का कोई पक्षकार; उस पर सूचना या समन की सम्यक तामील हो जाने के पश्चात् उस तारीख को, जो सुनवाई के लिये नियत की गई है, उपसंजात नहीं होता है तो वह मामला यथास्थिति उसकी अनुपस्थिति में सुना तथा अवधारित किया जा सकेगा या अनुपस्थिति के कारण खारिज किया जा सकेगा ।

(३) वह पक्षकार, जिसके विरुद्ध उपधारा (१) या (२) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है, ऐसे आदेश की तारीख से या उस दशा में जबकि सूचना या समन की सम्यक् रूप से तामील न की गयी हो, उस आदेश के जानकारी में आने की तारीख से तीस दिन के भीतर उसे अपास्त करने के लिये अपने शपथ-पत्र के साथ आवेदन इस आधार पर कर सकेगा कि वह विरोधी पक्षकार का समन या सूचना की तामील के लिये अपेक्षित आदेशिका फीस का भुगतान करने से या सुनवाई में उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था और राजस्व अधिकारी, उस विरोधी पक्षकार को जो उस तारीख को उपस्थित था जिसको कि ऐसा आदेश पारित किया गया था सूचना देने के पश्चात् तथा ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, पारित किये गये आदेश को अपास्त कर सकेगा ।

(४) जहाँ उपधारा (३) के अधीन फाइल किया गया आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है, वहाँ व्यथित पक्षकार उस प्राधिकारी को अपील फाइल कर सकेगा जिसको कि ऐसे अधिकारी द्वारा पारित किये गये मूल आदेश के विरूद्ध अपील होती है।

(५) उपधारा (४) में यथा उपबन्धित के सिवाय या उस दशा में के सिवाय जब किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष किसी मामले या कार्यवाही का गुणागुण के आधार पर विनिश्चय किया गया है, इस धारा के अधीन पारित किये गये किसी आदेश के विरूद्ध, कोई अपील नहीं होगी।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

४१-मण्डल को नियम बनाने की शक्ति – (१) मण्डल समय-समय पर, अपनी पद्धति और प्रक्रिया को तथा अन्य राजस्व न्यायालयों द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करते हुए, इस संहिता के उपबन्धों से संगत नियम बना सकेगा और ऐसे नियमों द्वारा अनुसूची १ में से समस्त नियमों या उनमें से किसी भी नियम को बातिल कर सकेगा, परिवर्तित कर सकेगा या उसमें परिवर्धन कर सकेगा ।

(२) विशिष्टतया तथा उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात्: –

(क) साधारणत: या किन्हीं विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में समन, सूचनाओं तथा अन्य आदेशिकाओं की डाक द्वारा या किसी अन्य रीति में तामील और ऐसी तामील का सबूत;

(ख) पक्षकारों तथा साक्षियों को समन करने की राजस्व अधिकारियों की शक्ति का विनियमन तथा साक्षियों के लिये व्ययों की मंजूरी;

(ग) मान्यताप्राप्त अभिकर्ताओं का इस संहिता के अधीन की कार्यवाहियों में उनके द्वारा की जाने वाली उपसंजातियों, किये जाने वाले आवेदनों तथा किये जाने वाले कार्यों के बारे में विनियमन;

(घ) वह प्रक्रिया जिसका अनुपालन जंगम तथा स्थावर (Movable and immovable) सम्पत्तियों की कुर्की करने में किया जायेगा;

(ङ) विक्रयों को प्रकाशित करने, संचालित करने, अपास्त करने तथा उनकी पुष्टि करने के लिये प्रक्रिया तथा ऐसी कार्यवाहियों से संसक्त (ancillary) समस्त आनुषंगिक विषय;

(च) पशुधन तथा अन्य जंगम सम्पत्ति का, जबकि वह कुर्की के अधीन हो अनुरक्षण तथा उसकी अभिरक्षा, ऐसे अनुरक्षण तथा ऐसी अभिरक्षा के लिये देय फीस, ऐसे पशुधन तथा सम्पत्ति का विक्रय, और ऐसे विक्रय के आगम;

(छ) अपीलों तथा अन्य कार्यवाहियों का समेकन (Consolidation);

(ज) ऐसे समस्त प्ररूप, रजिस्टर, पुस्तकें, प्रविष्टियाँ तथा लेखे जो राजस्व न्यायालयों के कामकाज के सम्पादन के लिये आवश्यक या वांछनीय हों,

(झ) वह समय जिसके भीतर किसी अभिव्यक्ति उपबन्ध के अभाव में अपीलें फाइल की जा सकेंगी या पुनरीक्षण के लिये आवेदन फाइल किये जा सकेंगे;

(ञ) किन्हीं भी कार्यवाहियों के तथा उनके आनुषंगिक (Incidental) खर्चे;

(ट) कमीशन पर साक्षियों की परीक्षा और ऐसी परीक्षा से आनुषंगिक व्ययों का भुगतान;

(ठ) अर्जी लेखकों का अनुज्ञापन और उनके आचरण का विनियमन।

(३) ऐसे नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के तथा राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे, और उनके इस प्रकार बनाये जाने तथा अनुमोदित हो जाने के पश्चात्, वे राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे और प्रकाशन की

तारीख से या ऐसी अन्य तारीख से, जो कि विनिर्दिष्ट की जाये, उनका वही बल और प्रभाव होगा मानों कि वे अनुसूची १ में अन्तर्विष्ट थे।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

४४-अपील तथा अपीलीय अधिकारी – (१) जहाँ अन्यथा उपबन्धित किया गया हो, उसके अतिरिक्त इस संहिता अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रत्येक मूल आदेश की अपील हो सकेगी –

(क) यदि ऐसा आदेश उपखण्डीय पदाधिकारी के अधीनस्थ किसी भी राजस्व पदाधिकारी द्वारा दिया गया हो, चाहे आदेश देने वाला पदाधिकारी में कलेक्टर की शक्तियाँ विनिहित की गई हों उपखण्डीय पदाधिकारियों को;

(ख) यदि ऐसा आदेश उपखण्डीय पदाधिकारी द्वारा दिया गया हो, चाहे उसमें कलेक्टर की शक्तियाँ विनिहित की गयी हों या नहीं, कलेक्टर को;

(ग) यदि ऐसा आदेश बन्दोबस्त पदाधिकारी के अधीनस्थ किसी भी राजस्व पदाधिकारी द्वारा दिया गया हो, बन्दोबस्त पदाधिकारियों को;

(घ) यदि ऐसा आदेश किसी ऐसे राजस्व पदाधिकारी द्वारा दिया गया हो जिसके सम्बन्ध में धारा १२ की उपधारा (३) अथवा धारा २१ की उपधारा (२) के अधीन निर्देश दिया गया हो, ऐसे राजस्व पदाधिकारी को, जिसे राज्य शासन निदेशित करे;

(ङ) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश कलेक्टर द्वारा बन्दोबस्त की अवधि के चालू रहने के दौरान चाहे कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ या चाहे बन्दोबस्त अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुये पारित किया गयाहै-आयुक्त को हे०गी;

(च) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा किसी बन्दोबस्त संक्रिया के संबंध में चाहे बन्दोबस्त अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुये या चाहे कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करते हुये पारित किया गया है, जब तक कि अभिव्युक्ति रूप से अन्यथा उपबन्धित न हो-बन्दोबस्त आयुक्त को होगी;

(छ) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश आयुक्त अथवा बन्दोबस्त आयुक्त ने पारित किया है- मण्डल को होगी ।

(२) अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस कोड या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन-प्रथम अपील में –

(एक) उपखण्ड अधिकारी या कलेक्टर द्वारा पारित किये गये प्रत्येक आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त को होगी;

(दो) बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पारित किये गये प्रत्येक आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील बन्दोबस्त आयुक्त को होगी;

(तीन) आयुक्त द्वारा पारित किये गये प्रत्येक आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील मण्डल को –

(क) उस दशा में होगी जबकि मूल आदेश को प्रथम अपील में खर्चे के मामले में के अतिरिक्त अन्य मामले में परिवर्तित किया गया हे०ा उलट दिया गया हो; या

(ख) निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर होगी, न कि किसी अन्य आधार पर, अर्थात् –

(एक) यह कि आदेश विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल है; या

(दो) यह कि आदेश द्वारा विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा सम्बन्धी किसी सारवान् विवाद्यक का अवधारण नहीं हो सका है; या

(तीन) यह कि इस कोड द्वारा यथाविहित प्रक्रिया में ऐसी सारवान गलती या त्रुटि हुई है जिसके कि गुणागुण के आधार पर मामले के विनिश्चय में गलती या त्रुटि उत्पन्न हो ।

(४) पुनर्विलोकन में किसी भी आदेश को परिवर्तित करने वाला या उलटने वाला आदेश, मूल आदेश की भाँति ही अपील योग होगा।

४५-**कतिपय लम्बित कार्यवाहियों का बन्दोबस्त आयुक्त को अन्तरण** – ऐसी समस्त कार्यवाहियाँ, जो मध्य भारत क्षेत्र से उद्भूत हुई हों तथा इस संहिता के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन में भू-अभिलेख संचालक के समक्ष लम्बित हों, बन्दोबस्त आयुक्त को अन्तरित हो जायेंगी और प्रत्येक ऐसी कार्यवाही बन्दोबस्त आयुक्त द्वारा उसी प्रकार सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी मानों कि वह उसके द्वारा इस संहिता के उपबन्धों के अधीन ग्रहण की गई हो ।

४६-**कतिपय आदेशों के विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी** – किसी भी ऐसे आदेश की–

(क) जिसके द्वारा कोई अपील या पुनर्विलोकन के लिये कोई आवेदन परिसीमा अधिनियम, १९६३ (१९६३ का ३६) की धारा ५ में विनिर्दिष्ट किये गये आधारों पर ग्रहण किया गया है; या

(ख) जिसके द्वारा पुनर्विलोकन के लिये किये गये किसी आवेदन को नामंजूर किया गया है; या

(ग) जिनके द्वारा किसी ऐसे आवेदन को जो रोक (स्टे) के लिये हो, मन्जूर या नामंजूर किया गया है; या

(घ) जो अन्तरिम स्वरूप का है; या

(ड) जो धारा १०४ की उपधारा (२) या धारा १०६ की उपधारा (१) के अधीन की नियुक्ति से सम्बन्धित है, इस संहिता के अधीन कोई अपील नहीं होगी ।

४७-**अपीलों की परिसीमा** –

(क) उस आदेश की तारीख से जिसके कि सम्बन्ध में आपत्ति की जाये, (तीस दिन) का अवसान हो जाने के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी या कलेक्टर को या बन्दोबस्त अधिकारी या बन्दोबस्त आयुक्त को कोई अपील नहीं होगी; या

(ख) ऐसी तारीख से पैंतालीस दिन का अवसान हो जाने के पश्चात् आयुक्त को कोई अपील नहीं होगी; या

(ग) ऐसी तारीख से साठ दिन का अवसान हो जाने के पश्चात् मण्डल को कोई अपील नहीं होगी:

परन्तु वह आदेश, जिसके कि विरूद्ध अपील की जा रही है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०११ के प्रवृत्त होने के पूर्व किया गया हो, वहाँ ऐसे मामले में अपील उक्त अधिनियम के पूर्व की संहिता में उपबंधित समय-सीमा के भीतर ग्रहण की जाएगी:

परन्तु यह और भी कि जहाँ किसी ऐसे पक्षकार को, जो उस पक्षकार से भिन्न हो जिसके कि विरूद्ध आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है, उस तारीख की, जिसको कि आदेश पारित किया गया है, कोई पूर्व सूचना न रही हो, वहाँ इस धारा के अधीन परिसीमा की संगणना ऐसे आदेश के संसूचित किये जाने की तारीख से की जायेगी।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

४९-**अपील प्राधिकारी की शक्ति** – (१) अपील प्राधिकारी या तो अपील को ग्रहण कर सकेगा या, अभिलेख माँगने और अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसे संक्षेपत: नामन्जूर कर सकेगा:

परन्तु अपील प्राधिकारी उस दशा में अभिलेख मँगाने के लिये आवद्ध नहीं होगा जबकि अपील समय-वर्जित है या अपील नहीं हो सकती है ।

(२) यदि अपील ग्रहण कर ली जाती है तो सुनवाई के लिये तारीख नियत की जायेगी और प्रत्यर्थी पर सूचना तामील की जायेगी ।

(३) पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, अपील प्राधिकारी उस आदेश की, जिसके कि विरूद्ध अपील की गई है, पुष्टि कर सकेगा, उसमें फेरफार कर सकेगा या उसे उलट सकेगा या ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा जैसा कि आदेश पारित करने के लिए वह आवश्यक समझे:

परन्तु यह कि अपील प्राधिकारी, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा मामले को, निपटाने के लिए प्रतिप्रेषित नहीं करेगा:

परन्तु यह और कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०११ के प्रवृत्त होने के पूर्व के समस्त ऐसे मामले, जो अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को प्रतिप्रेषित किए गए हैं, ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा सुने तथा विनिश्चित किए जाएंगे।

५०-पुनरीक्षण – (१) मण्डल किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन दिए जाने पर या आयुक्त या बन्दोबस्त आयुक्त या कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी किसी भी समय स्वप्रेरणा से, किसी ऐसे मामले का, जो विनिश्चित किया जा चुका हो या किन्ही ऐसी कार्यवाहि०यों का, जिनमेंउसके या उनके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वाराकोई अपील न होती हो, अभिलेख मंगा सकेगा और यदि यह प्रतीतहोता हो कि ऐसे अधीनस्थ राजस्व अधिकारी,-

(क) ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो इस संहिता द्वारा उसमें निहित न की गई हो, या

(ख) इस प्रकार निहित की गई अधिकारिता का प्रयोग करने मे असफल रहा है, या

(ग) ने अपनी अधिकारिता का प्रये०ाग करने में अविधिपूर्ण या सारवान अनियमितता के साथ प्रयोग किया है,

तो, यथास्थिति,मण्डल या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी,मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह उचित समझे:

परन्तु मण्डल या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी,इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश में या कार्यवाही के अनुक्रम में किसी विवाद्यक का विनिश्चय करने वाले किसी आदेश में फेरफार नहीं करेगा या उसे नहीं उलटेगा, सिवाय जहां कि –

(क) ऐसा आदेश, यदि वह मण्डल को पुनरीक्षण का आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया हो, कार्यवाही का अंतिम रूप में निपटारा करता हो, या

(ख) ऐसा आदेश, यदि वह प्रवृत्त रहता है, न्याय की विफलता या उस पक्षकार को, जिसके विरूद्ध यह किया गया था, अपूरणीय क्षति कारित करेगा।

(२) मंडल या आयुक्त तथा बन्दोबस्त आयुक्त या कलेक्टर या बन्दोबस्त अधिकारी इस धारा के अधीन, किसी ऐसे आदेश में, जिसके विरूद्ध या तो मंडल को या उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को अपील होती हो, कोई फेरफार नहीं करेगा या उसे नहीं उलटेगा।

(३) राजस्व अधिकारी के समक्ष किसी पुनरीक्षण का प्रभाव कार्यवाही को स्थगित करने वाला नहीं होगा, सिवाय जहां कि ऐसी कार्यवाही यथास्थिति मंडल या आयुक्त या बन्दोबस्त आयुक्त या कलेक्टर या बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा स्थगित की गई हो।

(४) पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन--

(क) इस संहिता के अधीन अपीलनीय किसी आदेश के विरूद्ध;

(ख) धारा २१० के अधीन बंदोबस्त आयुक्त के किसी आदेश के विरूद्ध;

(ग) जब तक कि वह मण्डल को साठ दिन के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो, ग्रहण नहीं किया जाएगा:

परन्तु जहां ऐसा आदेश, जिसके विरूद्ध पुनरीक्षण का आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०११ के प्रवृत्त होने के पूर्व किया गया हो, वहाँ ऐसे मामले में पुनरीक्षण आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर ग्रहण किया जाएगा ।

(५) किसी भी आदेश को पुनरीक्षण में तब तक फेरफारित नहीं किया जाएगा या उलटा नहीं जाएगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकार पर सूचना की तामील न कर दी गई हो और उन्हें सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

(६) उपधारा (१) में, अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी –

(एक) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी मामले के संबंध में कार्यवाहियां मण्डल का प्रारंभ की गई हों, वहाँ उसके संबंध में कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी;

(दो) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी मामले के संबंध में कार्यवाहियां कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा प्रारंभ की गई हों, वहां इस धारा के अधीन ऐसे मामले के संबंध में मण्डल, यथास्थिति, कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा मामले के अंतिम निपटारे तक या तो विरत रहेगा या ऐसी कार्यवाहियां वापस ले सकेगा या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए समस्त राजस्व अधिकारी मण्डल के अधीनस्थ समझे जाएंगे।

५१-आदेशों का पुनर्विलोकन – (१) मण्डल तथा प्रत्येक राजस्व अधिकारी, या तो स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर, किसी ऐसे आदेश का, जो स्वत: उसके द्वारा या उसके पूर्वाधिकारियों में से किसी पूर्वाधिकारी द्वारा पारित किया गया हो, पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे:

परन्तु –

(एक) यदि आयुक्त, बन्दोवस्त आयुक्त, कलेक्टर या बन्दोबस्त अधिकारी किसी ऐसे आदेश का, जो कि उसने स्वयं पारित न किया हो, पुनर्विलोकन करना आवश्यक समझता है, तो वह पहले मंडल की मंजूरी अभिप्राप्त करेगा; और यदि कलेक्टर या वन्दोबस्त अधिकारी के अधीनस्थ कोई अधिकारी किसी ऐसे आदेश का, जो चाहे स्वयं उसके द्वारा या उसके किसी पूर्वाधिकारी द्वारा पारित किया गया हो, पुनर्विलोकन करने की प्रस्तावना करता है तो वह पहले उस प्राधिकारी की, जिसके कि वह अधीनस्थ है, लिखित मंजूरी अभिप्राप्त करेगा।

(एक-क) किसी आदेश को तब तक फेरफारित नहीं किया जायेगा या उलटा नहीं जायेगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने तथा ऐसे आदेश की पुष्टि में सुने जाने की सूचना न दे दी हो ।

(दो) किसी भी ऐसे आदेश का, जिसकी कि अपील की गई है, या जो किन्हीं पुनरीक्षण कार्यवाहियों का विषय है; उस समय तथा पुनर्विलोकन नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी अपील या कार्यवाहियाँ लम्बित रहती हैं ।

(तीन) किसी भी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन जो प्राइवेट व्यक्तियों के बीच अधिकार सम्बन्धी किसी प्रश्न पर प्रभाव डालता हो, कार्यवाहियों से किसी पक्षकार के आवेदन पर ही किया जायेगा अन्यथा नहीं और ऐसे आदेश के पुनर्विलोकन के लिये कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उस आदेश के पारित किये जाने के साठ दिन के भीतर न किया गया हो:

परन्तु जहां ऐसा आदेश, जिसके कि विरूद्ध पुनर्विलोकन का आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहित (संशोधन) अधिनियम, २०११ के प्रवृत्त होने के पूर्व किया गया हो, वहां ऐसे मामले में पुनर्विलोकन, आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर ग्रहण किया जाएगा ।

(२) किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का संख्यांक ५) में उपबन्धित किये गये आधारों पर ही किया जायेगा अन्यथा नहीं ।

(३) उस धारा के प्रयोजनों के लिये, कलेक्टर को किसी भी ऐसे राजस्व अधिकारी का पद उत्तरवर्ती समझा जायेगा जिसने जिला छोड़ दिया है या जिसने राजस्व अधिकारी की हैसियत से शक्तियों का प्रयोग करना बन्द कर दिया है तथा जिले में जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है।

(४) किसी भी ऐसे आदेश का, जिस पर अपील या पुनरीक्षण में विचार किया जा चुका है, किसी ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन नहीं किया जायेगा जो अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी के अधीनस्थ है।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

५४-पुनरीक्षण का लम्बित रहना- इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी समस्त कार्यवाहियां जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०११ के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण में लंबित हों, ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा उसी प्रकार सुनी जाएंगी तथा विनिश्चित की जाएंगी मानो कि यह संशोधन अधिनियम पारित ही न हुआ हो ।

५५-अध्याय का लागू होना – शंका के परिवर्जन के लिये, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस संहिता में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अध्याय के उपबन्ध निम्नलिखित होंगे –

(क) ऐसे समस्त आदेशों को, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने की तारीख के पूर्व किसी राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किये गये हों और जिनके कि विरूद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण कार्यवाहियाँ ऐसी तारीख के पूर्व लम्बित न हों, और

(ख) राजस्व अधिकारियों के समक्ष की समस्त कार्यवाहियों को, इस बात के होते हुए भी कि वे इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व संस्थित की गई थीं या प्रारम्भ की गई थी अथवा इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व संस्थित था प्रारम्भ की गई कार्यवाहियों से उद्भूत हुई थीं।

५६-आदेश का अर्थान्वयन— इस अध्याय में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अभिव्यक्ति "आदेश" से अभिप्रेत है उस विनिश्चय की प्ररूपित अभिव्यक्ति जो कि यथास्थिति मण्डल या किसी राजस्व अधिकारी द्वारा इस कोड या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी मामले के सम्बन्ध में किया गया हो।

५७-समस्त भूमियों में राज्य का स्वामित्व (State ownership) – (१) समस्त भूमियाँ राज्य सरकार की हैं और एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि ऐसी समस्त भूमियाँ जिनमें रूका हुआ तथा बहता हुआ पानी, खानें, पत्थ्र की खदानें, खनिज पदार्थ तथा वन, चाहे वे रक्षित हों या नहीं, सम्मिलित हैं, तथा किसी भूमि की अधोमृदा (sub - soil) में समस्त अधिकार राज्य सरकार की सम्पत्ति है:

परन्तु इस कोड में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस धारा की कोई भी बात किसी की व्यक्ति के किसी ऐसी समपत्ति में के किन्हीं ऐसे अधिकारों पर, जो इस कोड के प्रवृत्त होने के समय अस्तित्व में रहे हों प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जायेगी।

(२) जब उपधारा (१) के अधीन दिये गये किसी अधिकार के सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा किसी व्यक्ति के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाये तो विवाद राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया जायेगा।

(३) विलुप्त

(३-क) विलुप्त

(४) विलुप्त

५८-भू-राजस्व के भुगतान के लिये भूमि का दायित्व.- (१) समस्त भूमि, चाहे वह किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोजित की जाती हो और चाहे वह कहीं भी स्थित हो राज्य सरकार के राजस्व के भुगतान के लिये दायित्वाधीन है सिवाय ऐसी भूमि के लिये राज्य सरकार के विशेष अनुदान या राज्य सरकार के साथ की गई संविदा द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के उपबंधों के अधीन ऐसे दायित्व से पूर्णत: छूट दे दी गई है:

परन्तु धारा २४५ के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए आवादी भूमि, और वह भूमि जो नगरेतर क्षेत्रों में स्थित है तथा कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जाती है जो ऐसे दायित्व से छूट प्राप्त नहीं है, ग्राम सभा को राजस्व के भुगतान के लिये दायित्वाधीन है ।

(२) ऐसा राजस्व 'भू–राजस्व' कहलाता है और उस शब्द के अर्न्तगत भूमि के लिये राज्य सरकार को देय समस्त धन है, भले ही ऐसे धन किसी अधिनियमिति, नियम, संविदा या विलेख में प्रीमियम, लगान पट्टा – धन प्रमुक्ति-भाटक के रूप में या किसी अन्य रूप में वर्णित किये जायें ।

५८ क-कतिपय भूमियों को भू-राजस्व की देनगी से छूट दी जायेगी.- इस कोड में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी, भू-राजस्व अनन्यरूपेण कृषि के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाये गये अलाभप्रद खाते में देय नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिये-

(क) 'अलाभप्रद खाते' से अभिप्रेत होगा, ऐसा खाता जिसका कि विस्तार ५ एकड़ से अधिक न हों;

(ख) 'खाते' से अभिप्रेत है वह कुल भूमि, जो कि राज्य में किसी व्यक्ति द्वारा धारित हो, इस बात के होते हुए भी कि उसके किसी भाग पर भू- राजस्व प्रथक रूप से निर्धारित है, और

(ग) 'भू-राजस्व' के अर्न्तगत वे धन नहीं आते जो पाँच वर्ष से कम कालावधि के लिये पट्टे पर दी गई भूमि के बारे में प्रीमियम पट्टा धन के, या प्रमुक्ति भाटक के रूप में भूमि के लिये राज्य सरकार को देय हों।

स्पष्टीकरण.- (२) स्पष्टीकरण १ के खंड **(ख)** के प्रयोजन के लिये 'राजस्व में किसी व्यक्ति द्वारा धारित कुल भूमि' से अभिप्रेत है-

(क) वह कुल भूमि जो कि राज्य में किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिशः धारित हो, और उसके अन्तर्गत-

(एक) जहां भूमि ऐसे व्यक्ति द्वारा एक या अधिक व्यक्तियों के साथ संयुक्तः धारित हो, वहां भूमि का उतना भाग आता है जो कि उसके हिस्से में आता हो; और

(दो) मध्यप्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, १९६८ (क्र. २८ सन् १९६८) के अधीन ऐसे व्यक्ति द्वारा भूदान धारक के रूप में धारित भूमि आती है; और

(ख) जहां भूमि किसी व्यक्ति द्वारा एक या अधिक व्यक्तियों के साथ संयुक्तः धारित हो, वहां इस प्रकार से संयुक्तः धारित एकल खाता ।

५८ ख-निर्धारित भू-राजस्व का आधा भू-राजस्व अनन्यरूपेण सूक्ष्म तथा लघु उद्यम की किसी परियोजना के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाए गए खाते के लिये ही देय होगा – (१) इस संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निर्धारित भू-राजस्व का केवल आधा भू राजस्व अनन्यरूपेण सूक्ष्म तथा लघु उद्यम की किसी परियोजना के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाए गए दो हेक्टर तक खाते के बारे में देय होगा।

(२) उपधारा (१) के प्रयोजन के लिए कलक्टर हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी जांच, जैसी कि वह आवश्यक समझे, करने के पष्चात विनिश्चित करेगा कि संबंधित खाता सूक्ष्म तथा लघु उद्यम की परियोजना का है ।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए सूक्ष्म उद्यम तथा लघु उद्यम के वही अर्थ होंगे जो सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, २००६ (२००६ का २७) की धारा ७ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उनके लिए दिए गए है।

५९-जिस प्रयोजन के लिये भूमि उपयोग में लाई जावे उसी के अनुसार भू-राजस्व मे फेरफार- (१) किसी भूमि पर राजस्व का निर्धारित निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये उस भूमि के उपयोग को दृष्टि में रखते हुए किया जायेगा-

(क) कृषि या ऐसे प्रक्षेत्र गृह (फार्म हाउस) के प्रयोजन के लिये उपयोग जो एक एकड या अधिक के खाते पर स्थित है;

(ख) निवास-ग्रहों के लिये स्थानों के रूप में उपयोग;

(ग) क्षणिक प्रयोजन के लिये उपयोग;

(घ) औद्योगिक प्रयोजन के लिए उपयोग:

(ड) वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग;

(च) खान और खनिज (विनियमन और विकाश) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का ६७) के अर्थ के अंतर्गत खनन पट्टे के अधीन खनन के प्रयोजन के लिये;

(छ) उपरोक्त पद (क) से (च) में विनिर्दिष्ट किए गए प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिये उपयोग:

परन्तु किसी ऐसी भूमि पर, जो उन क्षेत्रों में स्थित है, जिन्हें भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ का सं. १६) के अधीन आरक्षित या संरक्षित वनों के रूप में गठित किया जाये पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिये भूमि के उपयोग के प्रति निर्देश से भू-राजस्व के निर्धारण की कार्यवाही या संहिता के सुसंगत उपबन्धों के अधीन निर्धारण के समबन्ध में अनुसरित की जाने वाली कोई भी प्रक्रिया, वन विभाग के ऐसे किसी अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त, सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया हो भूमि के उपयोग को अनुज्ञात करते हुए जारी किये गये प्रमाण-पत्र पर ही की जायेगी या प्रारम्भ की जायगी अन्यथा नहीं ।

स्पष्टीकरण - खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए "प्रक्षेत्र गृह" (फार्म हाउस) से अभिप्रेत है ऐसा भवन या सन्निर्माण जो धारा २ की उपधारा (१) के खण्ड (ज्ञ) में यथा परिभाषित सुधार है और जिसका कुर्सी क्षेत्र (प्लिथ एरिया) एक सौ वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा और निर्मित क्षेत्र एक सौ पचास वर्ग मीटर से अधिक नही होगा।

(२) जहां कोई भूमि, जिस पर किसी एक प्रयोजन के लिये उपयोग में लाये जाने के हेतु निर्धारण किय गया हो, किसी अन्य प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित कर दी जाय, वहां ऐसी भूमि पर देय भू राजस्व इस बात के होते हुए भी कि उस अवधि का जिसके कि लिये निर्धारण नियत किया गया हो, अवसान नहीं हुआ है उस प्रयोजन के अनुसार परिवर्तित तथा निर्धारित किये जाने के दायित्वाधीन होगा जिसके कि लिये वह व्यपवर्तित कर दी गई है।

(२-क) उपधारा (२) में निर्दिष्ट किया गया परिवर्तन या निर्धारण उपखंड अधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

(३) जहां वह भूमि जो इस शर्त पर भू-राजस्व के भुगतान से मुक्त रूप धारित है कि उसे किसी प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जायगा किसी अन्य प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित कर दी जाती है, वहाँ वह भूमि भू-राजस्व के भूगतान के दायित्वाधीन हो जायगी और उस पर उस प्रयोजन के अनुसार निर्धारण किया जायेगा जिसके कि लिये वह व्यपवर्तित कर दी गई है।

(४) उपधारा (२) तथा (३) के अधीन किया गया निर्धारण उन नियमों के अनुसार होगा जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये हों और ऐसे नियम यथास्थिति अध्याय ७ या ८ में अन्तर्विष्ट सिद्धांतों के अनुसार होगे।

(५) जहाँ किसी एक प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जाने वाली भूमि किसी अन्य प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित कर दी जाती है और उस पर भू-राजस्व का निर्धारण इस धारा के उपबंधों के अधीन किया जाता है वहाँ उपखंड अधिकारी को यह शक्ति भी होगी कि वह उस व्यपवर्तन पर प्रीमियम इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार अधिरोपित करें:

परन्तु किसी भूमि के ऐसे व्यपवर्तन के लिये कोई प्रीमियम अधिरोपित नही किया जायगा जो कि पूर्त प्रयोजनों के लिये हो।

(६) किसी प्रथा या अनुदान के या किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भूमि को जो मध्यप्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड,१९५४ (क्र. २ सन १९५५) के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व मालिक मकबूजा अधिकार में धारित थी, धारण करने वाले समस्त व्यक्तियों का वह अधिकार जो कि उन्हे ऐसी भूमि के व्यपवर्तन पर, प्रीमियम का भुगतान करने से छूट के सम्बन्ध में प्राप्त था, एतद्वारा समाप्त किया जाता है, किन्तु प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, ऐसी भूमि के व्यपवर्तन पर, ऐसे अधिकार के बदले, उपधारा (५) के अधीन अवधारित की गई प्रीमियम की रकम में से उतने रिबेट का हकदार होगा जो ऐसी भूमि के लिये देय एक वर्ष के भू-राजस्व के बराबर हों।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

६०-निर्धारण किसके द्वारा नियत किया जाएगा- उन समस्त भूमियों पर, जिन पर निर्धारण नहीं किया गया है, भू-राजस्व का निर्धारण कलेक्टर द्वारा उन नियमों के अनुसार किया जाएगा जो कि इस संहिता के अधीन बनाए गए हों।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

अध्याय-७
नगरेतर क्षेत्रों में राजस्व सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त

अध्याय- सात तथा अध्याय -आठ का स्थापन :- मूल अधिनियम की धारा ६१ से १०३ (दोनो सम्मिलित है) में अंतर्विष्ट अध्याय-सात तथा अध्याय - आठ के स्थान पर, निम्नलिखित अध्याय स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

६१-इस अध्याय का नगरेतर क्षेत्रों में की भूमियों को लागू होना.- इस अध्याय के उपबन्ध नगरेतर क्षेत्रों में की भूमियों के सम्बन्ध में लागू होंगे।

६२-बन्दोबस्त आयुक्त की नियुक्ति- राज्य सरकार एक बन्दोबस्त आयुक्त की नियुक्ति कर सकेगी जो राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन रहते हुए, राजस्व सर्वेक्षण और/या वन्दोबस्त की संक्रियाओं का नियंत्रण करेगा।

६३- अपर बन्दोस्त आयुक्तों की नियुक्ति और उनकी शक्तियाँ तथा कर्तव्य- (१) राज्य सरकार एक या अधिक अपर वन्दोबस्त आयुक्तों की नियुक्ति कर सकेगी ।

(२) अपर बन्दोबस्त आयुक्त ऐसे मामलो में या ऐसे वर्ग के मामलो में जैसे कि राज्य सरकार या वन्दोबस्त आयुक्त निदेशित करे, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा अथवा इस संहिता या ऐसी अन्य अधिनियमिति के अधीन बनाये गये किसी नियम द्वारा बन्दोबस्त आयुक्त को प्रदत्त की गई है तथा ऐसे कर्तव्यो का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा अथवा इस संहिता या ऐसी अन्य अधिनियमिति के अधीन बनाये गये किसी नियम द्वारा बन्दोबस्त आयुक्त पर अधिरोपित किये गये है और अपर बन्दोव्सत आयुक्त के सम्बन्ध में, जबकि वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, यह समझा जायेगा कि उसे इस संहिता या ऐसी अन्य अधिनियमिति के या इस संहिता या ऐसी अन्य अधिनियमिति के अधीन वनाये गये किसी नियम के प्रयोजन के लिये बन्दोवस्त आयुक्त नियुक्त किया है।

६४-बन्दोबस्त अधिकारियों, उप-बन्दोबस्त अधिकारियों तथा सहायक बन्दोबस्त अधिकारियों की नियुक्ति.- (१) राज्य सरकार किसी अधिकारी को, जिसे इसमें इसके पश्चात् बन्दोबस्त अधिकारी कहा गया है, राज्य सर्वेक्षण और/या बन्दोबस्त के भारसाधक के रूप में नियुक्त कर सकेगी तथा इतने उप-बन्दोबस्त अधिकारी और सहायक बन्दोवस्त अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने कि वह ठीक समझे।

(२) समस्त बन्दोवस्त अधिकारी, उप-वन्दोबस्त अधिकारी तथा सहायक बन्दोवस्त अधिकारी बन्दोबस्त आयुक्त के अधीनस्थ होंगे और किसी स्थानीय क्षेत्र के समस्त उप-बन्दोबस्त अधिकारी तथा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, बन्दोस्त अधिकारी के अधीनस्थ होंगे।

६५-बन्दोबस्त अधिकारी, उप-बन्दोबस्त अधिकारी तथा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी की शक्तिया.- (१) राज्य सरकार, किसी बन्दोबस्त अधिकारी या उप-बन्दोबस्त अधिकारी या सहायक बन्दोबस्त अधिकारी में इस

संहिता के अधीन की कलेक्टर की समस्त शक्तियाँ या उनमें से कोई भी शक्ति विनिहित कर सकेगी जो उसके द्वारा ऐसे मामलों में या ऐसे वर्ग के मामलो में प्रयोग में लाई जायेंगी जैसा कि राज्य सरकार निर्दिष्ट करे ।

(२) राज्य सरकार किसी उप-बन्दोबस्त अधिकारी या सहायक बन्दोबस्त अधिकारी में इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन की बन्दोबस्त अधिकारी में समस्त शक्तियाँ या उनमें से कोई भी शक्ति विनिहित कर सकेगी ।

ख – राजस्व सर्वेक्षण

६६-राजस्व सर्वेक्षण की परिभाषा.- इस भाग के उपबन्धों के अनुसार की गई संक्रियाएँ अर्थात् –

(१) भूमि को सर्वेक्षण संख्यांकों में विभाजित करने तथा उनके ग्रामों के रूप में समूह वनाने, विद्यमान सर्वेक्षण संख्यांकों को मान्य करने, उन्हें पुनर्गठित करने या नवीन सर्वेक्षण संख्यांक विरचित करने सम्बन्धी समस्त संक्रियाएँ या उनमें से कोई संक्रिया और उनसे आनुषंगिक संक्रियाएँ;

(२) मिट्टी का वर्गीकरण;

(३) खेत का नक्शा तैयार करना या यथास्थिति उसका पुनरीक्षण करना या उनमें सुधार करना;

(४) किसी स्थानीय क्षेत्र में भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाने के लिये अधिकार अभिलेख तैयार करना, राजस्व सर्वेक्षण कहलाती है ।

६७-प्रस्थापित राजस्व सर्वेक्षण की अधिसूचना.- (१) जव कभी राज्य सरकार यह विनिश्चित करे कि किसी स्थानीय क्षेत्र का राजस्व सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, तो वह उस प्रभाव की अधिसूचना प्रकाशित करेगी और ऐसा स्थानीय क्षेत्र ऐसी अधीसूचना कि तारीख से लेकर तव तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा जब कि ऐसी संक्रियाओं के बन्द किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जाये ।

(२) ऐसी अधिसूचना का विस्तार स्थानीय क्षेत्र में की साधारणत: समस्त भूमियों पर या केवल ऐसी भूमियों पर हो सकेगा जिनके बारे में राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

६८-सर्वेक्षण संख्यांकों तथा ग्रामों की विरचना.- इस संहिता के अधीन वनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, बन्दोबस्त अधिकारी –

(क) उस भूमि का, जिस पर राजस्व सर्वेक्षण विस्तारित है, माप कर सकेगा और उस पर इतनी संख्या में सर्वेक्षण चिन्ह सन्दर्भित कर सकेगा और जितने कि आवश्यक हों;

(ख) ऐसी भूमियों को सर्वेक्षण-संख्यांकों में विभाजित कर सकेगा और ऐसे सर्वेक्षण संख्यांकों के ग्रामों के रूप में समूह बना सकेगा; और

(ग) विद्यमान सर्वेक्षण- संख्यांकों को मान्य कर सकेगा, सर्वेक्षण-संख्यांकों को पुनर्गठित कर सकेगा या नवीन सर्वेक्षण-संख्यांक विरंचित कर सकेगा:

परन्तु इसमें इसके पश्चात् तथा उपबंधित के सिवाय, कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जाने वाली भूमि को समाविष्ट करने वाले कोई भी सर्वेक्षण-संख्यांक इसके पश्चात् उस न्यूनतम विस्तार से कम विस्तार के नहीं बनाये जायेंगे जो कि भूमि के विभिन्न वर्गों के लिये विहित किया जाये:

परन्तु यह और पूर्वोक्त परन्तु के अधीन विहित की गई सीमा उन सर्वेक्षण-संख्यांकों की दशा में लागू नहीं होगी जो धारा ६७ की उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना की तारीख के ठीक पूर्व पहले से ही विद्यमान हो ।

६९-व्यपर्तित की गई या विशेष रूप से समनुदेशित की गई भूमि का पृथक् सीमांकन .- धारा ६८ के उपबन्धों के होते भी, जव कृषि भूमि का कोई प्रभाव धारा १७२ के उपवन्धों के अधीन किसी कृषि भिन्न प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित किया जाता है, या जव भूमि का कोई प्रभाव धारा २३७ के अधीन विशेष रूप से समनुदेशित किया

जाता है या भूमि के किसी प्रभाग पर का कोई निर्धारण धारा ५९ की उपधारा (२) के अधीन परिवर्तित किया जाता है तो बन्दोवस्त अधिकारी ऐसे प्रभाग को पृथक् सर्वेक्षण संख्यांक या सर्वेक्षण संख्यांक के उपखंड के रूप में गठित कर सकेगा ।

७०-सर्वेक्षण-संख्यांकों को पुनर्क्रमांकित या उपविभाजित करने की शक्ति.- (१) बन्दोबस्त अधिकारी सर्वेक्षण संख्यांकों को या तो पुनर्क्रमांकित कर सकेगा या उन्हें इतने उपखंडों में उप विभाजित कर सकेगा जितने कि भूमि में अधिकारों के अर्जन की दृष्टि से या किसी अन्य कारण से अपेक्षित हो ।

(२) सर्वेक्षण संख्यांकों का उपखंडों में विभाजन तथा सर्वेक्षण संख्यांक पर के निर्धारण का उपखंडों के बीच प्रभाजन इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किया जायगा और ऐसे नियमों में या तो क्षेत्रफल की या भू – राजस्व की या दोनो की ऐसी सीमाओं का उपबन्ध हो सकेगा जिनसे नीचे कोई उपखंड मान्य नहीं किया जायेगा:

परन्तु किसी सर्वेक्षण संख्यांक पर के निर्धारित की कुल रकम में बन्दोबस्त की अवधि के दौरान तब तक वृद्धि नहीं की जायगी तब तक कि ऐसा निर्धारण इस संहिता के उपबन्धों के अधीन परिवर्तनीय हो ।

(३) जहाँ कोई खाता कई खसरा क्रमांको से मिलकर बना हो, वहाँ बन्दोबस्त अधिकारी प्रत्येक खसरा क्रमांक के लिये देय भू–राजस्व निर्धारण करेगा और उन्हें पृथक्–पृथक् सर्वेक्षण- संख्यांकों के रूप में अभिलिखित करेगा।

(४) जब कभी सर्वेक्षण–संख्यांकों को पुनर्क्रमांकित किया जाये तो बन्दोबस्त अधिकारी अध्याय ९ के अधीन तैयार किये गये या रखे गये समस्त अभिलेखों की प्रविष्टियों में शुद्धियाँ करेगा ।

७१-अभिलेखों में सर्वेक्षण–संख्यांकों तथा उपखंडों की प्रविष्टि.- सर्वेक्षण- संख्यांकों तथा सर्वेक्षण – संख्याकों के उपखंडों का क्षेत्रफल तथा निर्धारण ऐसे अभिलेखों में प्रविष्ट किया जायेगा जो कि विहित की जाये ।

७२-ग्राम की आबादी का अवधारण.- बन्दोबस्त अधिकारी प्रत्येक बसे हुए ग्राम के मामले में भूमियों में के अधिकारियों का सम्यक् ध्यान रखते हुए निवासियों के निवास के लिये या उसमें आनुषंगिक प्रयोजनों के लिये आरक्षित किये जाने वाला क्षेत्र अभिनिश्चित तथा अवधारित और ऐसे क्षेत्र को ग्राम की आबादी समझा जायेगा ।

७३-ग्रामों को विभाजित या संयोजित करने या उनमें से किसी क्षेत्र को अपवर्तित करने की बन्दोबस्त अधिकारी की शक्ति.- बन्दोबस्त अधिकारी इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किसी एक ग्राम को दो या अधिक ग्राम गठित करने के प्रयोजन से विभाजित कर सकेगा या दो या अधिक ग्रामों को एक ग्राम गठित करने के प्रयोजन से समामेलित कर सकेगा, या किसी ग्राम की सीमाओं को, उनमें किसी ऐसे ग्राम के, जो उनके समीप्य में हो, किसी क्षेत्र को सम्मिलित करके अथवा उनमें समाविष्ठ किसी क्षेत्र को उनमें से अपवर्जित करके परिवर्तित कर सकेगा।

७४-ग्रामों के समूह बनाना.- प्रत्येक जिले या तहसील के या किसी जिले या तहसील के भाग के उन ग्रामों के जो उस क्षेत्र में समाविष्ट हो जिसका कि राजस्व सर्वेक्षण किया जाना है; समूह बनाये जायेंगे और ऐसे समूह बनाने में प्राकृतिक विशेषताओं, कृषिक तथा आर्थिक दशाओं एवं व्यापारिक सुविधाओं तथा संचार साधनों को ध्यान में रखा जायेगा।

ग-लगान का बन्दोबस्त

७५- बन्दोबस्त की परिभाषा – राजस्व सर्वेक्षण चालू रहने के दौरान किसी स्थानीय क्षेत्र में की भूमियों पर देय भू-राजस्व अवधारित करने या पुनरीक्षित करने के लिए इस भाग के उपबन्धों के अनुसार की गई संक्रियओं का परिणाम "बन्दोबस्त" कहलाता है और वह कालावधि, जिसके कि दौरान पुनरीक्षित भू-राजस्व प्रवृत्त रहेगा "बन्दोबस्त की अवधि" कहलाती है।

७६-प्रस्तावित बन्दोबस्त की अधिसूचना.- धारा ६७ की उपधारा (१) के अधीन राजस्व सर्वेक्षण की संक्रियाओं को बन्द करने की घोषणा करने वाली अधिसूचना के जारी होने पर राज्य सरकार, यदि वह विनिश्चित करती है कि किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र में, जिसमें कि राजस्व सर्वेक्षण बन्द कर दिया गया है, बन्दोबस्त संक्रियाओं को जाना चाहिए तो वह उस प्रभाव की अधिसूचना प्रकाशित करेगी और ऐसा क्षेत्र ऐसी अधिसूचना की तारिख से

लेकर तब तक बन्दोबस्त के अधीन रहेगा जब तक कि स्थानीय क्षेत्र में की किसी भूमि की बाबत धारा ८२ के अधीन बन्दोबस्त का आख्यापन पूर्ण न हो जाय :

परन्तु यदि अधिसूचना, धारा ६७ की उपधारा (१) के अधीन राजस्व सर्वेक्षण संक्रियाओं के बन्द करने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी किये जाने की तारीख से पाँच वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात जारी की जाती है, तो इसके पूर्व की इस भाग में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार बन्दोबस्त संक्रियाएँ की जाये, धारा १०८ के अधीन अधिकार अभिलेख तैयार किये जायेंगे।

७७-**निर्धारण दरों का नियत किया जाना** - (१) बन्दोबस्त अधिकारी, आवश्यक जाँच, जो कि विहित की जाये, पूरी कर लेने पर, विभिन्न वर्गो की भूमि के लिये निर्धारण दरों के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी अन्य विशिष्टियों के साथ जैसा कि विहित किया जाये, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(२) राज्य सरकार निर्धारण दरों को ऐसे उपान्तरणों के साथ अनुमोदित कर सकेगी जैसा कि वह ठीक समझे।

७८-विलुप्त

७९-**उचित निर्धारण का नियत किया जाना**.- बन्दोबस्त अधिकारी प्रत्येक खाते पर निर्धारण, धारा ७७ के अधीन अनुमोदित की गई निर्धारण दरों के तथा धारा ८१ के उपबन्धों के अनुसार; नियत करेगा और ऐसा निर्धारण ऐसे खाते का उचित निर्धारण होगा।

८०-**समस्त भूमियाँ निर्धारण के दायित्वाधीन होंगी**.— बन्दोबस्त अधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह किसी भी प्रकार की ऐसी समस्त भूमियों पर; जिन पर बन्दोबस्त विस्तारित होता है, उचित निर्धारण करे, चाहे ऐसी भूमियाँ भू-राजस्व के भुगतान के दायित्वाधीन हो या न हों।

८१-**निर्धारण के सिद्धान्त**— (१) समस्त भूमियों के उचित निर्धारण की संगणना इस धारा में उपवर्णित किये गये सिद्धान्तों तथा निर्बन्धनो के अनुसार की जायेगी ।

(२) विशेषाधिकार प्राप्त निर्बन्धनो पर भूमि धारण करने के किसी भी दावे पर विचार नही किया जायेगा।

(३) कृषि भूमि की दशा में, कृषि के लाभो का, पट्टों के लिये दिये गये प्रतिफल का, भूमि की विक्रय कीमतों का तथा बन्धकों पर के मूलधनों का, तथा कृषि भिन्न की दशा में, उस प्रायोजन के लिये जिसके कि लिये वह भूमि धारित है, भूमि के मूल्य का ध्यान रखा जायेगा ।

(४) गैर कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की गई भूमि पर उचित निर्धारण धारा ५९ के अधीन बनाए गए नियमो के अनुसार नियत किया जाएगा।

(५) जहाँ कृषि के प्रयोजन के लिये धारित किसी खाते में उसके धारक द्वारा या धारक के खर्चे से किसी भी समय कोई सुधार किया गया हो, वहाँ ऐसे खाते का उचित निर्धारण इस प्रकार नियत किया जायेगा मानो कि वह सुधार किया ही नही गया हो।

(६) विलुप्त

८२-**बन्दोबस्त का आख्यापन**.- (१) जब किसी भूमि का निर्धारण ७९ के अनुसार नियत कर दिया गया हो, तो उसकी सूचना इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार दी जायेगी, और ऐसी सूचना बन्दोबस्त का आख्यापन कहलायेगी।

(२) किसी भूमि का इस धारा के अधीन यथा आख्यापित निर्धारण बन्दोवस्त की अवधि के दौरान ऐसी भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष देय भू-राजस्व होगा जब तक कि उसे इस संहिता के या किसी अन्य विधि के उपबधों के अनुसार उपान्तरित न किया जाय।

८३-**बन्दोबस्त का प्रारम्भ**- बन्दोबस्त की अवधि, आख्यापन की तारीख के ठीक आगामी राजस्व वर्ष का आरम्भ होने के समय से या पूर्व बन्दोबस्त की अवधि का अवसान होने के समय से, इसमें से जो भी बात की हो प्रारम्भ होगी।

८४-अधिकारों को त्यागने वाले भूमि स्वामी को वृद्धि मे माफी- बन्दोवस्त की अवधि के प्रथम वर्ष के दौरान किसी भी ऐसे भूमि स्वामी को, जो नवीन निर्धारण मे असन्तुष्ट हो कृषि वर्ष प्रारम्भ होने के एक मास पूर्व उसके द्वारा अपने खाते में के अपने अधिकार धारा १७३ द्वारा विहित की गई रीति में त्याग देने पर, किसी भी ऐसी वृद्धि मे; जो उस निर्धारण द्वारा अधिरोपित की गई हो, माफी मिल सकेगी:

परन्तु किसी खाते के केवल ऐसे भाग का या ऐसे खाते का, का जो किसी विल्लंगम या भार के अध्यधीन हो, त्यागना अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

८५-बन्दोबस्त की अवधि.- (१) बन्दोवस्त की अवधि राज्य सरकार द्वारा नियत की जायेगी और वह तीस वर्ष से कम की नहीं होगी:

परन्तु यदि बन्दोवस्त चालू रहने के दौरान, किसी भी समय, राज्य सरकार यह पाये कि बन्दोवस्त के पश्चात् साधारण परिस्थितियों में हुई तब्दीलियों को ध्यान में रखते हुए यह वांछनीय है कि निर्धारण में कमी की जानी चाहिए तो वह ऐसे निर्धारण में ऐसी कालावधि तक के लिये, जो कि वह ठीक समझे, कमी कर सकेगी

(२) उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे क्षेत्र में, जहां खेती के विस्तार के लिये या कृषि के विकास के लिये पर्याप्त गुंजाइश है या जहां कि लगान का परिमाण (पिच आफ रेंट) असम्यक् रूप से कम है या जहाँ सड़कों, रेलों या नहरों के सन्निर्माण के कारण गत बन्दोबस्त के पश्चात् संधानों का द्रुत गति से विकाश हुआ है, वहाँ राज्य सरकार अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, ऐसी अवधि नियत कर सकेगी जो तीस वर्ष से कम की हो सकेगी किन्तु वह किसी भी दशा में बीस वर्ष से कम की नहीं होगी

(३) इस बात के होते हुए भी कि किसी स्थानीय क्षेत्र के लिये उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन नियत की गई बन्दोबस्त की अवधि का अवसान हो चुका है, उक्त अवधि के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह उस क्षेत्र में पश्चात्वर्ती बन्दोबस्त की अवधि के प्रारम्भ होने के लिये बढ़ा दी गई है ।

८६-अधूरी कार्यवाहियों को पूरा करने की कलेक्टर की शक्ति.- जहाँ बन्दोबस्त संक्रियाएँ बन्द कर दी जाये, वहाँ ऐसे समस्त आवेदन तथा कार्यवाहियाँ जो बन्दोवस्त अधिकारी के समक्ष उस समय लम्बित हो, कलेक्टर को अन्तरित कर दी जायेगी जिसे उनके निपटारे के लिये बन्दोबस्त अधिकारी की शक्तियाँ होगी ।

घ- साधारण

८७-कृषि के लाभों तथा भूमि के मूल्य के सम्बन्ध में जाँच.- (१) इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय से, राज्य सरकार, कृषि के लाभों के सम्बन्ध में तथा कृषि एवं कृषि-भिन्न प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जाने वाली भूमि के मूल्य के सम्बन्ध में इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार निरन्तर जारी रखवा सकेगी ।

(२) कृषि के लाभों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिये, खेती की लागत का प्राक्कलन करने में निम्नलिखित तत्वों पर विचार किया जायेगा, अर्थात.-

(क) स्टाफ तथा भवनों का अवक्षयण;

(ख) खेतिहर के तथा उसके कुटुम्ब के श्रम तथा पर्यवेक्षण के समतुल्य धन;

(ग) जाँच के अधीन आने वाली भूमि पर खेती करने में सामान्यत: उपगत किये गये समस्त अन्य व्यय, और

(घ) भवनों तथा स्टाफ की लागत पर और बीज एवं खाद के व्यय पर तथा कृषि संक्रियाओं के लिये नगदी में भुगतान किये गये खर्च पर ब्याज ।

(३) बन्दोवस्त अधिकारी, निर्धारण दरों के लिये अपनी प्रस्थापनाएँ तैयार करते समय, इस जाँच के अनुक्रम में संगृहीत की गई जानकारी पर विचार करेगा ।

८८-नक्शे तथा अभिलेख रखने का कर्तव्य बन्दोबस्त अधिकारी को अन्तरित करने की शक्ति.- जब कोई स्थानीय क्षेत्र राजस्व सर्वेक्षण के अधीन हो तो नक्शे तथा अभिलेख रखने का कर्तव्य, राज्य सरकार के आदेशों के अधीन, कलेक्टर के पास से बन्दोबस्त अधिकारी को अन्तरित किया जा सकेगा जो तदुपरि उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा जो अध्याय ९ तथा अध्याय १८ के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध में कलेक्टर को प्रदत्त की गई है।

८९-गलतियों को ठीक करने की उपखंड अधिकारी की शक्ति.- उपखंड अधिकारी, राजस्व सर्वेक्षण बन्द हो जाने के पश्चात तथा बंदोबस्त की प्रविधि के दौरान किसी सर्वेक्षण संख्यांक या खाते के क्षेत्रफल या निर्धारण में की किसी ऐसी गलती को, जो सर्वेक्षण में हुई भूल या गणना करने में हुई भूल के कारण हुई हो ठीक कर सकेगा :

परन्तु ऐसी गलती को ठीक करने के कारण भू-राजस्व का कोई बकाया देय नहीं हो जाएगा ।

९०-बन्दोबस्त आदि की अवधि के दौरान कलेक्टर की शक्ति.- राजस्व सर्वेक्षण बन्द हो जाने के पश्चात् तथा बंदोवस्त की अवधि के दौरान, कलेक्टर, जबकि राज्य सरकार द्वारा उसे ऐसा निर्देश दिया जाय, धारा ६८, ६९, ७०, ७२ तथा ७३ के अधीन बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

९१-बन्दोबस्त की अवधि के दौरान बन्दोबस्त अधिकारी को शक्ति प्रदान करने की शक्ति.- राज्य सरकार, राजस्व सर्वेक्षण बंद हो जाने के पश्चात् तथा बंदोबस्त की अवधि के दौरान, इस अध्याय के अधीन की बंदोबस्त अधिकारी की समस्त शक्तियाँ या उनमें से कोई भी शक्ति ऐसे क्षेत्र के भीतर तथा ऐसे निर्बन्धनों के अध्यधीन एंव ऐसी कालावधि के लिये जैसी कि वह ठीक समझे, किसी राजस्व अधिकारी में विनिहित कर सकेगी ।

९१ क-नियम बनाने की शक्ति.- राज्य सरकार इस अध्याय के अधीन साधारणत: राजस्व सर्वेक्षण या बंदोबस्त के संचालन का विनियम करने के लिये नियम बना सकेगी।

अध्याय-८

नगरीय क्षेत्रों में भूमि का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण

९२- इस अध्याय के उपबन्ध नगरीय क्षेत्रों में की भूमि को लागू होगें.- इस अध्याय के उपबन्ध उस भूमि को लागू होंगे जो .-

(एक) भूमि स्वामी द्वारा,

(दो) नवीकरण का अधिकार प्रदान करने वाले पट्टे के अधीन सरकारी पट्टेदार द्वारा, और

(तीन) सेवा-भूमि के धारक द्वारा,

नगरीय क्षेत्र में, चाहे कृषि प्रयोजनों के लिये चाहे कृषि भिन्न प्रयोजनों के लिये धारित हो ।

(२) जब कभी किसी भू-खण्ड संख्यांक पर निर्धारित किया गया भू-राजस्व या लगान पुनरीक्षण योग्य हो जाय तो कलेक्टर उस भू-खण्ड पर निर्धारण इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार करेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिये, किसी भू-खण्ड के लिये देय भू-राजस्व या लगान-

(एक) उस दशा में जबकि वह भू-खण्ड पट्टे पर धारित हो, उस समय पुनरीक्षण योग्य हो गया समझा जायगा जबकि पट्टा नवीकरण योग्य हो जाता है; और

(दो) उस दशा में जबकि वह भू-खण्ड भूमि-स्वामी द्वारा धारित हो, उस समय पुनरीक्षण योग्य हो गया समझा जायगा जबकि बन्दोबस्त की मूल अवधि का अवसान हो जाता है ।

९३-भूमियों को भू-खंड संख्यांकों में विभाजित करने की कलेक्टर की शक्तियाँ.- इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, कलेक्टर –

(क) नगरीय क्षेत्र में की भूमियों को भू-खंड संख्यांक में विभाजित कर सकेगा, और

(ख) विद्यमान सर्वेक्षण- संख्यांकों को भू-खंड संख्यांकों के रूप में मान्य कर सकेगा, भू-खंड संख्यांकों को पुनर्गठित कर सकेगा या नवीन भू-खंड संख्यांक विरचित कर सकेगा

९४-भू-खंड संख्यांकों के पुन: क्रमांकित करने का उपविभाजित करने की कलेक्टर की शक्तियाँ.- (१) कलेक्टर भू-खंड संख्यांकों को या तो पुन: क्रमांकित कर सकेगा या उन्हें उपखंडों में उपविभाजित कर सकेगा जितने कि भूमि में अधिकारों के अर्जन की दृष्टि से या किसी अन्य कारण से अपेक्षित हो ।

(२) भू-खंड संख्यांकों का उपखंडों में विभाजन तथा भू-खंड संख्यांक के निर्धारण का उपखंडों के बीच प्रभाजन इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किया जायगा ऐसे नियमों द्वारा, किसी स्थानीय क्षेत्रों में, यथास्थिति क्षेत्रफल की अथवा भू-राजस्व का लगान की या दोनों की ऐसी सीमाओं का उपबन्ध हो सकेगा जिनसे नीचे कोई उपखंड मान्य नहीं किया जायेगा:

परन्तु किसी भू-खंड संख्यांक के निर्धारण की कुल रकम में बन्दोबस्त की अवधि के दौरान तब तक कोई वृद्धि नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसा निर्धारण इस संहिता के उपबन्धों के अधीन परिवर्तनीय न हो ।

९५-भू-खंड संख्यांकों तथा उपखंडों का क्षेत्रफल तथा निर्धारण अभिलेखों में दर्ज किया जायेगा.- भू-खंड संख्यांकों के उपखंडों तथा भू-खंड संख्यांकों का क्षेत्रफल तथा निर्धारण ऐसे अभिलेखों में दर्ज किया जायेगा जो कि विहित किये जायँ ।

९६-निर्धारण के लिये नगर का क्षेत्र खंडों में विरचित किया जायेगा – निर्धारण के प्रयोजनों के लिये, किसी नगर का क्षेत्र खंडों (ब्लाक्स) में विरचित किया जायेगा और ऐसे खंडों को विरचित करने में, औद्योगिक, वाणिज्यिक, निवास सम्बन्धी या ऐसे अन्य विशेष प्रयोजनों के लिये, जो कि विहित किये जायं, भूमि के उपयोग को ध्यान में रखा जायेगा ।

९७-विलुप्त

९८-उचित निर्धारण – कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही भूमियों का उचित निर्धारण धारा ८१ में दिए गए सिद्धांतों और निर्बन्धनों के अनुसार संगणित तथा नियत किया जाएगा और गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही भूमियों का, उचित निर्धारण धारा ५९ के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, नियत किया जाएगा ।

९९-विलुप्त

१००-पुनरीक्षण के समय उचित निर्धारण का नियत किया जाना – उन भूमियों की दशा में, जिन पर कि निर्धारण किसी ऐसे प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो जिसके कि संबंध में उनका निर्धारण पुनरीक्षण के ठीक पूर्व किया जा चुका था, वह निर्धारण जो कि इस प्रकार संगणित किया गया हो, कृषि भूमि की दशा में, उस भू-राजस्व या लगान के, जो पुनरीक्षण के ठीक पूर्व देय हो, डेढ़ गुने से अधिक होता हो तथा अन्य भूमियों की दशा में, उस भू-राजस्व या लगान के, जो पुनरीक्षण के ठीक पूर्व देय हो, छह गुने से अधिक होता हो, तो निर्धारण कृषि भूमि की दशा में , ऐसे भू-राजस्व या लगान के डेढ़ गुने के हिसाब से तथा अन्य भूमियों की दशा में, ऐसे भू-राजस्व या लगान के छह गुने के हिसाब से नियत किया जाएगा :

परन्तु जहां कृषि के प्रयोजन के लिए धारित किसी खाते में उसके धारक द्वारा या उसके धारक के व्यय पर किसी भी समय कोई सुधार किया गया हो, वहाँ ऐसे खाते का निर्धारण इस प्रकार नियत किया जाएगा मानो कि वह सुधार किया ही नहीं गया था।

१०१-बन्दोबस्त की अवधि – धारा १०० के अधीन नियत किया गया निर्धारण तीन वर्ष की कालावधि तक या ऐसी दीर्घतर कालावधि तक, जो कि उस कालावधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण किये जाने के पूर्व बीत जाय, प्रवृत्त रहेगा और ऐसी कालावधि को, समस्त प्रयोजनों के लिये, बन्दोबस्त की अवधि समझा जायेगा ।

१०२-नियत किया गया निर्धारण भू-राजस्व या लगान होगा – धारा १०० के अधीन नियत किया गया निर्धारण, जब तक ऐसे भू-खंड संख्यांक पर प्रतिवर्ष देय भू-राजस्व या लगान होगा जब तक कि वह इस संहिता या किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अनुसार उपान्तरित न कर दिया जाय।

१०३-पूर्व के बन्दोबस्त या पट्टों के अधीन नियत किया गया भू-राजस्व या लगान चालू रहेगा – इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व किये गये बन्दोबस्त या नवीकरण के अधिकारों सहित सरकार से प्राप्त किये गये पट्टे के अधीन नगरीय क्षेत्र में की किसी भूमि के लिये नियत किया गया भू-राजस्व या लगान; ऐसे बन्दोबस्त या पट्टे की

अवधि का अवसान हो जाने पर भी; तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि ऐसी भूमि पर निर्धारण इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार नियत नहीं कर दिया जाय ।

xxxxx................xxxxxxx...................xxxxx

१०४-पटवारी के हल्कों की विरचना तथा उनमें पटवारियों की नियुक्ति – (१) कलेक्टर, समय-समय पर, तहसील के ग्रामों को पटवारी हल्कों में विन्यस्त (arrange) करेगा और किसी भी समय, किसी विद्यमान हल्के की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा तथा नवीन हल्कों का सृजन कर सकेगा या विद्यमान हल्कों को समाप्त कर सकेगा ।

(२) कलेक्टर भू-अभिलेख रखने तथा उनके शुद्धिकरण के लिये और ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिये, जैसे कि राज्य सरकार विहित करे प्रत्येक पटवारी हल्के में एक या अधिक पटवारियों की नियुक्ति करेगा ।

(३) किसी प्रथा के अथवा किसी संधि, अनुदान या अन्य लिखित में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी व्यक्ति को विरासत द्वारा पटवारी के पद का उत्तराधिकारी होने के अधिकार आधार पर पटवारी बने रहने या पटवारी नियुक्त किये जाने का कोई अधिकार या दावा प्राप्त नहीं होगा ।

१०५-राजस्व निरीक्षकों के हल्कों की विरचना (formation) – कलेक्टर, तहसील में के पटवारी हल्कों को राजस्व निरीक्षकों के हल्कों में विन्यस्त (arrange) करेगा और वह, किसी भी समय किसी विद्यमान हल्के की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा तथा नवीन हल्कों का सृजन कर सकेगा या विद्यमान हल्कों को समाप्त कर सकेगा ।

१०६-राजस्व निरीक्षकों आदि की नियुक्ति – (१) कलेक्टर प्रत्येक जिले में इतने व्यक्तियों को, जितने कि वह ठीक समझे राजस्व निरीक्षक, नगर सर्वेक्षक; सहायक नगर सर्वेक्षक तथा मापक (मेजरर) इस हेतु से नियुक्त कर सकेगा कि वे भू-अभिलेख तैयार किये जाने तथा रखे जाने का पर्यवेक्षण करें और ऐसे अन्य कर्तव्यों का, जो कि विहित किये जायें, पालन करें ।

(२) नगर सर्वेक्षक तथा सहायक नगर सर्वेक्षक को, उनके भारसाधन के अधीन आने वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में; धारा ९८, १०९, ११०, ११२, ११८ तथा १२० के प्रयोजनों के लिये पटवारी समझा जायेगा ।

१०७-खेत का नक्शा.- (१) उस दशा में के सिवाय जबकि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट किया जाय, प्रत्येक ग्राम के लिये, सर्वेक्षण-संख्यांकों या भू-खंड संख्यांकों की सीमाओं तथा बन्जर भूमियों को दर्शाने वाला एक नक्शा तैयार किया जायेगा जो खेत का नक्शा कहलायेगा।

(२) प्रत्येक ग्राम की आबादी के लिये नक्शा तैयार किया जा सकेगा जिसमें प्राइवेट धारकों द्वारा अभियोग में रखा गया क्षेत्र तथा वह क्षेत्र, जो ऐसे अधिभोग में न हो, एवं ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो कि विहित की जायें, दर्शाई जाएंगी।

(३) यदि राज्य सरकार यह समझे कि किसी ग्राम के मामले में यह आवश्यक है कि उपधारा (२) के अधीन तैयार किये गये नक्शे में उन भू-खंडों को, जो प्राइवेट धाराकों के अधियोग में है, पृथक से दर्शाया जाय, तो वह कलेक्टर को यह निर्देश दे सकेगी कि वह नक्शे को उस प्रकार करवाये या पुनरीक्षित करवाये।

(४) यदि कोई ग्राम पंचायत ऐसा संकल्प पारित कर देती है कि प्राइवेट धारकों के अधियोग में के भू-खंडों को पृथकता दर्शाते हुए ग्राम की आबादी का नक्शा तैयार किया जाय और वह सर्वेक्षण सम्बन्धी संक्रियाओं के खर्च के प्रति उतने अनुपात में, जो कि विहित किया जाय, अभिदाय करने के लिये रजामन्द है, तो राज्य सरकार ऐसा नक्सा तैयार कराने का कार्य हाथ में ले सकेगी।

(५) ऐसा नक्शा राजस्व सर्वेक्षण, के समय बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा और समस्त अन्य परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा यथास्थिति तैयार या पुनरीक्षित किया जायेगा।

१०८-अधिकार-अभिलेख.— (१) प्रत्येक ग्राम के लिये अधिकार-अभिलेख उन नियमो के अनुसार तैयार किया जायेगा तथा रखा जायेगा जो कि इस सम्बन्ध में बनाये गये हों और ऐसे अभिलेख में निम्नलिखित विशिष्टियां सम्मिलित होंगी:-

(क) समस्त भूमि स्वामियों के नाम, उनके द्वारा धारित सर्वेक्षण संख्यांको या भू-खंड संख्यांकों तथा उनके सिंचित या असिंचित क्षेत्रफल सहित;

(ख) समस्त मौरूसी कृषकों तथा सरकारी पट्टेदारों के नाम, उनके द्वारा धारित सर्वेक्षण संख्यांकों या भू-खंड संख्याकों तथा उनके सिंचित या असिंचित क्षेत्रफल सहित;

(ग) ऐसे व्यकितयों के अपने-अपने हितों का प्रकार तथा उनकी सीमा और उससे सलग्न शर्ते या दायित्व, यदि कोई हों;

(घ) ऐसे व्यक्तियों द्वारा देय लगान या भू-राजस्व, यदि कोई हो; और

(ड) ऐसी अन्य विशिष्टियाँ जो कि विहित की जाएं।

(२) उपधारा (१) में वर्णित अधिकार-अभिलेख राजस्व सर्वेक्षण के दौरान या जब कभी भी राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसा निदेश दे, तैयार किया जायगा।

१०९-अधिकारों के अर्जन की रिपोर्ट की जायगी.- (१) कोई भी व्यक्ति, जो भूमि में कोई अधिकार या हित (.....) विधिपूर्वक अर्जित करता है, अपने द्वारा ऐसा अधिकार अर्जित किये जाने की रिर्पोट ऐसे अर्जन की रिपोर्ट ऐसे अर्जन की तारीख से छह मास के भीतर पटवारी को मौखिक रूप से या लिखित में करेगा, और पटवारी ऐसी रिपोर्ट के लिये लिखित अभिस्वीकृति रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को विहित प्ररूप में तत्काल देगा:

परन्तु जब अधिकार अर्जित करने वाला व्यक्ति अवयस्क हो या अन्यथा निरर्हित हो, तो उसका संरक्षक या ऐसा अन्य व्यक्ति, जो उसकी सम्पति का भारसाधक हो, पटवारी को ऐसी रिपोट करेगा

स्पष्टीकरण एक.- उपर वर्णित किये गये अधिकार के अन्तर्गत कोई सुखाचार या सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम ,१८८२ (१८८२ का अधिनियम संख्यांक ४) की धारा १०० में विनिर्दिष्ट किये गये प्रकारण का कोई भार, जो वन्धक की कोटि में नही आता है, नहीं है।

स्पष्टीकरण दो.- कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके कि पक्ष में किसी बन्धक का मोचन हो जाय या भुगतान कर दिया जाय किसी पटटे का पर्यावसान हो जाय ,इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत अधिकार अर्जित करता है

स्पष्टीकरण तीन.- इस अध्याय के प्रयोजन के लिये, शब्द "पटवारी" के अतंर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इस अध्याय के अधीन पटवारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त किया गया हो।

स्पष्टीकरण चार.- इस धारा के अधीन पटवारी को दी जाने के लिये अपेक्षित लिखित प्रज्ञापना या तो संदेशवाहक की मार्फत दी जा सकेगी या व्यक्तिश: सौंपी जा सकेगी या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकेगी।

(२) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो कि उपधारा (१) में निर्दिष्ट किया गया है, अपने द्वारा ऐसे अधिकारो के अर्जन की लिखित रिपोर्ट, ऐसे अर्जन की तारीख से छह मास के भीतर तहसीलदार को भी कर सकेगा

११०-क्षेत्र-पुस्तक तथा अन्य सुसंगत भू-अभिलेखों में अधिकार अर्जन बाबत नामान्तरण.- (१) पटवारी अधिकार के प्रत्येक ऐसे अर्जन को, जिसकी कि रिपोर्ट उसे धरा १०९ के अधीन की गई हो या जो ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त प्रज्ञापना पर से उसकी जानकारी में आए, उस रजिस्टर में दर्ज करेगा जो कि उस प्रयोजन के लिये विहित किया गया है।

(२) पटवारी अधिकार-अर्जन सम्बन्धी समस्त ऐसी रिपोर्ट, जो उपधारा (१) के अधीन उसे प्राप्त हुए हो, उन रिपोर्टो के उसे प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर तहसीलदार को प्रज्ञापित करेगा।

(३) उपधारा (२) के अधीन पटवारी से प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर, तहसीनदार उसे विहित रीति में ग्राम में प्रकाशित करवायेगा और उसकी लिखित प्रज्ञापना उन समस्त व्यक्तियों को जो कि उसे नामान्तरण में हितबद्ध प्रतीत होते हो, तथा साथ ही ऐसे अन्य व्यक्तियों एवं प्राधिकारियों को भी देगा जो कि विहित किये जाएं।

(४) तहसीलदार हितवध्द व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी अतिरिक्त जाँच, जैसी कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् क्षेत्र-पुस्तक तथा अन्य सुसगंत भू- अभिलेखो में आवश्यक प्रविष्टि करेगा।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

११२-अन्तरणों के संबंध में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारियों द्वारा प्रज्ञापना --- जब कोई ऐसा दस्तावेज, जिसके द्वारा किसी ऐसी भूमि, जो कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जाती है, या जिसके कि संबंध में क्षेत्र पुस्तक तैयार की जा चुकी है, के संबंध में कोई हक या उस पर कोई भार सृजित किया जाना, समनुदेशित किया जाना या निर्वाचित किया जाना तात्पर्यित हो, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम १९०८ (१९०८ का संख्यांक १६) के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जाती है, तो रजिस्टीकर्ता अधिकारी ,उस क्षेत्र पर, जिसमें कि वह भूमि स्थित है, अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समयों पर, जैसा कि इस संहिता के अधीन के नियमों द्वारा विहित किया जाय, प्रज्ञापना भेजेगा।

११३-लेखन सम्बन्धी गलतियों का शुद्धिकरण.- उपखंड अधिकारी, किसी भी समय, लेखन समबन्धी किन्ही भी गलतियों को, तथा किन्हीं भी ऐसी गलतियों को, जिनके कि सम्बन्ध में हितबध्द पक्षकार यह स्वीकार करते हों कि वे अधिकार-अभिलेख में हूई हैं, शुध्द कर सकेगा या शुध्द करवा सकेगा

११४-भू अभिलेख.- नक्शे तथा भू अधिकार पुस्तिकाओं के अतिरिक्त, प्रत्येक गावं के लिये खसरा या क्षेत्र पुस्तक (फील्ड बुक) और ऐसे अन्य भू-अभिलेख, जो कि विहित किये जायं, तैयार किये जायेगे।

११४ क-भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका.- (१) ऐसे प्रत्येक भूमि स्वामी, जिसका नाम धारा ११४ के अधीन तैयार किये गये खसरे या क्षेत्र पुस्तक में प्रविष्ट है, के लिये यह बाध्यकर होगा कि वह किसी ग्राम में के अपने समस्त खातो के बारे में एक भू- अधिकार एवं ऋण पुस्तिका रखे जो ऐसी फीस के जैसी कि विहित की जाय, चुकाये जाने पर उसे दी जायगी

(२) भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका के दो भाग होंगे, अर्थात भाग-१ जिसमें खाते पर के अधिकारों तथा खाते पर के विल्लंगमों (एन्कम्ब्रेंसेज) का उल्लेख रहेगा तथा भाग-२ जिसमें खाते पर के अधिकार, खाते के बाबत भू-राजस्व की वसूली तथा खाते पर के विल्लंगमों का उल्लेख रहेगा और उसमें निम्नलिखित बातें अंतर्विष्ट होगी:

(एक) खसरा या क्षेत्र पुस्तक की उन प्रविष्टियों में से, जो किसी भूमिस्वामी के किसी से सम्बन्धित हो, ऐसी प्रविष्टियाँ जो कि विहित की जायँ;

(दो) ऐसे खाते की बाबत भू राजस्व, सरकारी उधार तथा गैर-सरकारी उधार की वसूली के बारे में विशिष्टयाँ; ओर

(तीन) ऐसी अन्य विशिष्टियाँ जो विहित की जायँ।

(३) खसरा या क्षेत्र पुस्तक तथा भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका में अन्तर्विष्ट प्रविष्टियों में कोई अन्तर होने की दशा में तहसीलदार, स्वप्रेरणा से या उस सम्बन्ध में उसको आवेदन किया जाने पर तथा ऐसी जांच जैसी कि वह उचित समझे; करने के पश्चात् उस अन्तर के सम्बन्ध में विनिश्चय कर सकेगा तथा तहसीलदार का विनिश्चिय अन्तिम होगा।

११५-खसरा तथा किन्हीं अन्य भू अभिलेखों में गलत प्रविष्टि का वरिष्ट पदाधिकारियों द्वारा शुद्धिकरण.- यदि किसी तहसीलदार को यह पता चले कि उसके अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा धारा ११४ के अधीन तैयार किये गये भू-अभिलेखों में गलत या कि अशुद्ध प्रविष्टि की गई है, तो वह सम्यक लिखित सूचना देने के पश्चात सम्बन्धित व्यक्तियों से ऐसी पूछ-ताछ करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, उसमें आवश्यक परिवर्तन लाल स्याही से किये जाने का निर्देश देगा।

११६- **खसरा या किन्ही अन्य भू अभिलेखों में की प्रविष्टि के बारे में विवाद.-** (१) यदि कोई व्यक्ति धारा ११४ के अधीन तैयार किये गये भू-अभिलेखों में की किसी ऐसी प्रविष्टि से व्यथित हो तो धारा १०८ में निर्दिष्ट की गई बातों से भिन्न बातों के सम्बन्ध में की गई हो, तो वह ऐसी प्रविष्टि के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उसके शुद्धिकरण के लिये तहसीलदार को आवेदन करेगा।

(२) तहसीदार, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, मामले में आवश्यक आदेश देगा।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

११८- **हक के बारे में जानकारी देने की बाध्यता-** (१) कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे अधिकारों, हित या दायित्वों का इस अध्याय के अधीन के किसी अभिलेख या रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाना अपेक्षित हो या जो उसमें प्रविष्ट किये जा चुके हों, किसी ऐसे राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक या पटवारी की, जो अभिलेख या रजिस्टर का संकलन करने का उसका पुनरीक्षण करने में लगा हो, लिखित अध्यपेक्षा पर इस बात के लिये आबद्ध होगा कि वह उस अभिलेख या रजिस्टर के सही संकलन या पुनरीक्षण के लिये आवश्यक समस्त ऐसी जानकरी या दस्तावेजों,जो उसकी जानकारी में या उसके कब्जे या अधिकार में हों, ऐसी अध्यपेक्षा की जाने की तारीख से एक मास के भीतर, उसके निरीक्षण के लिये दे या पेश करे।

(२) वह राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षण या पटवारी, जिसको उपधारा (१) के अधीन कोई जानकारी दी हो या जिसके समक्ष उक्त उपधारा के अधीन कोई दस्तावेज पेश की गई हो, उस व्यक्ति को, जिसने ऐसी जानकारी दी हो या ऐसी दस्तावेज पेश की हो, उसकी लिखित अभिस्वीकृति तुरन्त देगा और किसी ऐसी दस्तावेज पर, उसके पेश किये जाने तथा पेश किये जाने की तारीख सम्बन्धी तथ्य का उल्लेख करते हुए, एक टीप अपने हस्ताक्षर से पृष्ठांकित करेगा।

११९-**जानकारी देने में उपेक्षा करने के लिये शास्ति-** (१) कोई भी व्यक्ति जो विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर धारा १०९ द्वारा अपेक्षित की गई रिपोर्ट करने में या धारा ११८ द्वारा अपेक्षित की गई जानकारी में या दस्तावेज पेश करने में उपेक्षा करेगा, वह तहसीलदार के विवेकाधिकार पर, एक हजार रूपये से अनधिक की शास्ति का दायी होगा जो भू- राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगी।

(२) धारा १०९ के अधीन किसी प्रकार के अर्जन सम्बन्धी किसी ऐसी रिपोर्ट के बारे में, जो विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के पश्चात् पटवारी को प्राप्त हुई हो, धारा ११० के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

परन्तुक लुप्त।

१२०-**नक्शे तथा अधिकार अभिलेख तैयार करने में सहायता की अध्यपेक्षा.** – इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, कोई भी राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, मापक या पटवारी कोई नक्शा या रेखांक, जो इस अध्याय के अधीन किसी अभिलेख या रजिस्टर के लिये या उसके सम्बन्ध में अपेक्षित हो, तैयार करने या पुनरीक्षित करने के प्रयोजन के लिये, भूमि के किसी धारक तथा आबादी में स्थित भू-खंड के किसी धारक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपनी भूमि या भू-खंड की सीमाएं बतलाये।

१२१-**भू-अभिलेखों के लिये नियम बनाने की शक्ति** – राज्य शासन, इस संहिता के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित भू-अभिलेखों के तैयार किये जाने, रखे जाने तथा पुनरीक्षित किये जाने का विनियमन करने हेतु नियम बना सकेगा।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

१२४-**ग्रामों तथा सर्वेक्षण संख्यांकों या भू-खंड संख्यांकों के सीमा-चिन्हों का सन्निर्माण** – (१) समस्त ग्रामों की सीमाएं नियत की जाएंगी तथा स्वामी सीमा-चिन्ह द्वारा उनका सीमांकन किया जायगा।

(२) राज्य सरकार, किसी भी ग्राम के सम्बन्ध में, अधिसूचना द्वारा, यह आदेश दे सकेगी कि समस्त सर्वेक्षण-संख्यांकों या भू-खंड संखयांकों की भी सीमाएँ नियत की जायँ तथा सीमा-चिन्हों द्वारा उनका सीमांकन किया जाय।

(३) ऐसे सीमा चिन्ह, इसमे इसके पश्चात अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे विनिर्देश के हों तथा ऐसी में सन्निर्मित तथा अनुरक्षित किये जायेंगे जैसा कि विहित किया जाये।

(४) जहां नियमों द्वारा ऐसे विनिर्देश के सीमा-चिन्ह विहित किये जायँ जो किसी ग्राम में प्रचलित विनिर्देश से भिन्न हों, वहां ऐसे ग्राम में नवीन विनिर्देश उस ग्राम के भू-धारकों में से कम-से कम आधे भू-धारकों द्वारा तहसीलदार को आवेदन किया जाने पर ही प्रवर्तित किया जायगा अन्यथा नहीं। जब ऐसा आवेदन कर दिया गया हो तो तहसीलदार सम्पूर्ण ग्राम में नवीन सीमा-चिन्हों का सन्निर्माण करायेगा और उस पर हुए खर्च को इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार ग्राम के भू-धारकों के बीच अनुपातता विभाजित करेगा। प्रत्येक धारक का अंश-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा।

(५) प्रत्येक भू-धारक, भूमि पर बनाये गये स्थायी सीमा चिन्हों तथा सर्वेक्षण-चिन्हों के अनुरक्षण तथा उनकी मरम्मत के लिये जिम्मेदार होगा।

१२५-ग्रामों, सर्वेक्षण संख्यांकों तथा भू-खंड संख्यांकों के बीच सीमाओं के बारे में विवाद – ग्रामों, सर्वेक्षण-संख्यांकों तथा भू-खंड संख्यांकों की सीमाओं के बारे में समस्त विवाद, जहां कि ऐसी सीमाएँ धारा १२४ के उपबन्धों नियत कर दी गई हो, तहसीलदार द्वारा, ऐसी स्थानीय जांच जिसमें समस्त हितवद्ध व्यक्ति को उपसंजात होते तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होगा, करने के पश्चात् विनिश्चय किये जायेंगे।

१२६-सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्तियों को बेदखली. – (१) जब धारा १२४ के उपबन्धों के अधीन कोई सीमा नियत कर दी गई हो, तो तहसीलदार किसी भी ऐसे व्यक्ति को संक्षेपत: बेदखल कर सकेगा जो किसी ऐसी भूमि का, जिसके बारे में यह पाया गया हो कि वह उसके खाते से या किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसकी कि मार्फत या जिसके कि अधीन वह दावा करता है, खाते से अनुलग्न नहीं है, सदोष कब्जा रखता है।

(२) जहां किसी व्यक्ति को उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन किसी भूमि से वेदखल कर दिया गया हो, वहां वह, उन भूमि पर अपना हक स्थापित करने के लिये ऐसी बेदखली की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर सिविल वाद संस्थित कर सकेगा:

परन्तु तहसीलदार या किसी राजस्व अधिकारी को उस हैसियत में ऐसा वाद का पक्षकार नहीं बनाया जायगा।

(३) तहसीलदार, किसी भी समय, भू-राजस्व के ऐसे पुनर्वितरण के लिये आदेश कर सकेगा जैसा कि उसकी राय में, उपधारा (२) के अधीन संस्थित किये गये ऐसी बेदखली बाद में दी गई डिक्री के परिणामस्वरूप किया जाना चाहिए, और ऐसा पुनर्वितरण उस आदेश की तारीख के आगामी राजस्व वर्ष के प्रारम्भ से प्रभावी होगा।

१२७-सीमांकन तथा सीमा पंक्तियों का अनुरक्षण. – (१) ग्राम की सड़क, ग्राम की बंजर भूमि या सामुदायिक प्रयोजन के लिये आरक्षित की गई भूमि से लगी हुई भूमि का प्रत्येक धारक, अपने स्वयं के खर्चे से तथा विहित रीति में –

(क) अपनी भूमि तथा उससे लगी हुई ग्राम की सड़क, ग्राम की बंजर भूमि या सामुदायिक प्रयोजनों के लिये आरक्षित की गई भूमि के बीच सीमांकन, सीमा-चिन्हों द्वार करेगा; और

(ख) समय-समय पर ऐसी सीमा चिन्हों की मरम्मत तथा उनका नवीकरण होगा।

(२) यदि धारक उपधारा (१) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार सीमांकन नहीं करता है या सीमा चिन्हों की मरम्मत या उनका नवीकरण नहीं करता है तो तहसीलदार, ऐसी सूचना के पश्चात जैसी कि वह ठीक समझे, सीमांकन करवा सकेगा या सीमा चिन्हों की मरम्मत या उनका नवीकरण करवा सकेगा तथा उपगत किया गया खर्च भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूल कर सकेगा।

(३) सीमांकन के बारे में या सीमा-चिन्हों को मरम्मत करके समुचित अवस्था में बनाये रखने के बारे में कोई विवाद उठने की दशा में, वह मामला कलेक्टर द्वारा विनिश्चित किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिये, ग्राम की सड़क से अभिप्रेत है कोई ऐसी सड़क जिस पर कोई उपदर्शक सर्वेक्षण संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक अंकित हों।

१२८-सीमा चिन्हों या सर्वेक्षण चिन्हों की मरम्मत कराने के लिये बाध्य करना. – (१) प्रतिवर्ष नवम्बर मास की समाप्ति के पश्चात ग्राम का पटेल ऐसे प्रत्येक धारक को, जिसकी भूमि पर सीमा चिन्ह का सर्वेक्षण त्रुटिपूर्ण है, एक लिखित सूचना देगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह आगामी १ मार्च के पूर्व उनकी उचित मरम्मत करवाये।

(२) किसी भी वर्ष में १ मार्च के पश्चात्, तहसीलदार या कोई ऐसा अन्य राजस्व अधिकारी, जो कार्य करने के लिये सशक्त हो, किन्हीं भी त्रुटिपूर्ण सीमा-चिन्हों या सर्वेक्षण-चिन्हों की उचित रूप से मरम्मत करवा सकेगा और ऐसी मरम्मत का खर्च ऐसे सीमा-चिन्हों या सर्वेक्षण-चिन्हों के अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी धारक या धारकों से; ऐसी शास्ति सहित वसूल कर सकेगा जो इस प्रकार मरम्मत किये गये प्रत्येक सीमा-चिन्ह के लिये एक हजार रूपये तक की हो सकेगी। ऐसी खर्च तथा शास्ति भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूल की जा सकेगी।

१२९-सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड भू-खंड संख्यांक की सीमांकन – (१) तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लिये सशक्त हो, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी सर्वेक्षण-संख्यांक की या उपखंड या भू-खंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन कर सकेगा और उस पर सीमा-चिन्ह सन्निर्मित कर सकेगा।

(२) राज्य सरकार, सर्वेक्षण-संख्यांक या उपखंड या भू-खंड संख्यांक का सीमांकन करने में तहसीलदार द्वारा या कार्य करने के लिये सशक्त किये गये अन्य किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया का विनियमन करने के लिये नियम बना सकेगी जिनमें उन सीमा-चिन्हों का, जो उपयोग में लाये जायेंगे, प्रकार विहित किया जायगा, और सीमांकित सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड संख्यांक में की भूमि के धारकों से फीस का उद्ग्रहण प्राधिकृत किया जायगा।

१३०-सीमा चिन्हों या सर्वेक्षण-चिन्हों को विनष्ट करने, क्षति पहुँचाने या हटाने के लिये शास्ति – यदि कोई व्यक्ति, विधि-पूर्वक सन्निर्मित किये गये सीमा-चिन्ह या सर्वेक्षण-चिन्ह को जानबूझकर विनिष्ट करेगा या क्षति पहुँचायेगा या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना हटायेगा तो उसे तहसीलदार द्वारा या कार्य करने के लिये सशक्त किये गये किसी अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा यह आदेश दिया जा सकेगा कि वह ऐसे प्रत्येक चिन्ह के लिये, जिसे इस प्रकार विनष्ट किया गया हो, क्षति पहुँचाई गई हो या हटाया गया हो, एक हजार रूपये से अनधिक ऐसे जुर्माने का भुगतान करे जो तहसीलदार या कार्य करने के लिये सशक्त किये गये किसी अन्य अधिकारी राजस्व की राय में, उसी सीमा-चिन्ह या सर्वेक्षण-चिन्ह को पुन:स्थापित करने के तथा इत्तिला देने वाले को यदि कोई हो, इनाम देने के व्यय को चुकाने के लिये आवश्यक हो।

१३१-मार्गाधिकार तथा अन्य प्राइवेट सुखाचार सम्बन्धी अधिकार – (१) इस बारे में कि कोई खेतिहर अपने खेतों पर या ग्राम की बन्जर भूमि या चारागाहों पर मान्यता प्राप्त सड़कों, पथों या सार्वजनिक भूमि पर से, जिसके अन्तर्गत वे सड़कें तथा पथ हैं जो धारा २४२ के अधीन तैयार किये गये ग्राम के बाजिबुउल-अर्ज में अभिलिखित हैं, न होकर अन्यथा किसी मार्ग द्वारा पहुँचेगा या इस बारे में कि वह किस स्त्रोत से या किस जलसरणी से अपने लिये जल प्राप्त कर सकेगा, कोई विवाद उद्भूत होने की दशा में तहसीलदार स्थानीय जांच करने के पश्चात, उस मामले को, प्रत्येक मामले विषयक पूर्व रूढ़ि के प्रति निर्देश करके तथा समस्त सम्बन्धित पक्षकारों की सुविधा को सम्यक ध्यान रखते हुए, विनिश्चित कर सकेगा।

(२) इस धारा के अधीन पारित किया गया कोई भी आदेश किसी व्यक्ति को सुखाचारों के ऐसे अधिकारों को स्थापित करने से विवर्जित नहीं करेगा जिनका कि दावा यह सिविल वाद द्वारा कर सकता हो।

१३२-मार्ग आदि पर बाधा उपस्थित करने के लिये शास्ति – कोई भी व्यक्ति, जो किसी ग्राम की किसी मान्यता प्राप्त सड़क तथा पथ जिसके अन्तर्गत वे सड़कें तथा पथ हैं जो ग्राम के वाजिबउल अर्ज में अभिलखित हैं, पर अथवा किसी सार्वजनिक भूमि पर अधिक्रमण करेगा या उसके उपयोग में कोई बाधा पहुँचायेगा या जो धारा

१३१ के अधीन पारित किये गये तहसीलदार के विनिश्चय की अवज्ञा करेगा तहसीलदार के लिखित आदेश, जिसमें मामले के तथ्य तथा परिस्थितियाँ कथित की जायेंगी, के अधीन शास्ति का जो दस हजार रूपये तक की हो सकेगी, दायी होगा।

१३३-बाधा का हटाया जाना – यदि किसी तहसीलदार को यह प्रतीत हो कि कोई बाधा किसी ग्राम की किसी मान्यता प्राप्त सड़क, पथ या सार्वजनिक भूमि के अबाध उपयोग में अड़चन डालती है या जिससे किसी ऐसी सड़क या जल सरणी या जल स्त्रोत में, जो धारा १३१ के अधीन किसी विनिश्चय का विषय रहा हो, अड़चन पड़ती है, तो वह ऐसी बाधा के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को उसे हटाने का आदेश दे सकेगा और, यदि ऐसा व्यक्ति उस आदेश का अनुपालन न करे तो वह उस बाधा को हटवा सकेगा और उसके हटाए जाने का खर्च ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकेगा तथा ऐसा व्यक्ति, तहसीलदार के ऐसे लिखित आदेश के अधीन, जिसमें मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का कथन किया गया हो, ऐसी शास्ति का दायी होगा जो दस हजार रूपये तक की हो सकेगी।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

१३६-इस अध्याय के प्रवर्तन से मुक्त करने की शक्ति. - राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि इस अध्याय के कोई भी समस्त उपन्ध किसी ग्राम या ग्रामों के किसी वर्ग पर लागू नहीं होंगे ।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

१३८-भू-राजस्व के भूगतान के लिये उत्तरदायित्व .- (१) किसी खाते पर निर्धारित किये गये भू–राजस्व के भुगतान के लिये निम्नलिखित व्यक्ति मुख्यत: दायी होंगे:-

(क) भूमि स्वामी के खाते के मामले में, भूमि स्वामी;

(ख) किसी ऐसे खाते के मामले में, जो राज्य सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि से मिलकर बनता हो, उसका पट्टेदार ।

(२) जब किसी खाने में एक से अधिक भूमिस्वामी या पट्टेदार हों तो ऐसे खाते पर निर्धारित किये गये भू–राजस्व के भुगतान के लिये यथास्थिति ऐसे समस्त भूमिस्वामी या पटटेदार, संयुक्त और पृथक्त: दायी होंगे ।

१३९-भू–राजस्व कब्जा रखने वाली किसी भी व्यक्ति से वसूल किया जायेगा.- किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो धारा १३८ के अधीन मूख्यत: दायी है, व्यतिक्रम किया जाने की दशा में भू–राजस्व, जिसके अंतर्गत बकाया भी है, कब्जा रखने वाले किसी भी व्यक्ति से वसूल किया जा सकेगा:

परन्तु ऐसा व्यक्ति उससे वसूल की गई रकम को मुख्यत: दायी व्यक्ति से मुजरा कराने का हकदार होगा ।

१४०-तारीख जिसको भू–राजस्व शोध्य होगा तथा देय होगा.- (१) किसी राजस्व वर्ष के मद्दे देय भू–राजस्व उस वर्ष के प्रथम वर्ष दिन शोध्य हो जायगा ।

(२) राज्य सरकार, भू–राजस्व का भुगतान किश्तों में तथा राजस्व वर्ष के प्रथम दिन की पश्चात्-वर्ती तारीखों को (जो इसमें इसके पश्चात् विहित तारीख के नाम से विनिर्दिष्ट है) किये जाने हेतु उपलब्ध करते हुए नियम बना सकेगी, और ऐसे नियमों में वे व्यक्ति जिनको तथा वे स्थान जहां ऐसी किश्तों का भूगतान किय जायगा, विहित किये जा सकेंगे।

(३) उपधारा (२) के अधीन विहित किये गये व्यक्ति को भू-राजस्व का भुगतान नकदी में किया जा सकेगा या विप्रेषक के खर्चे पर मनीआर्डर किय जा सकेगा ।

(४) राजस्व वर्ष के प्रथम दिन तथा ऐसे नियमों द्वारा भू–राजस्व के भुगतान के लिये नियत की गई किसी तारीख के बीच बीतने वाली कोई कालावधि अनुग्रह की कालावधि समझी जायगी, और वह उपधारा (१) के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

१४१- **"बकाया" तथा "बकायादार" की परिभाषाए.-** कोई भी भू-राजस्व, जो शोध्य हो और जिसका भुगतान विहित तारीख को या उनके पूर्व न किया गया हो, उस तारीख से बकाया हो जाता है और उसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति, चाहे वे धारा १३८ के उपबन्धों के अधीन उत्तरदायी हो या धारा १३९ के उपबन्धों के अधीन, बकायादार हो जाते है।

१४२-**पटेल, पटवारी, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत रसीद देने के लिये आबद्ध होंगे.-** (१) जहां कोई पटेल, पटवारी, ग्रामसभा या ग्राम पंचायत किसी व्यक्ति से भू-राजस्व के मद्दे या भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य किसी धनराशि के मद्दे कोई भुगतान प्राप्त करे, वहां वह ऐसी राशि के लिये रसीद विहित प्ररूप में देगी ।

(२) यदि कोई पटेल, पटवारी, ग्राम या ग्राम पंचायत उपधारा (१) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार रसीद नहीं देती है तो यथास्थिति ऐसा पटेल, पटवारी या ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की दशा में, वह व्यक्ति जो ऐसी ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की ओर से ऐसी रसीद देने के लिये उत्तरदायी है, भुगतानकर्ता के आवेदन पर, तहसीलदार के आदेश से ऐसी शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा जो भुगतान की गई रकम के दुगुने के अधिक नहीं होगी ।

१४३-**भू-राजस्व के भुगतान में व्यक्तिक्रम पर शास्ति.-** यदि भू-राजस्व की किसी किश्त का या उसके किसी भाग का भुगतान विहित तारीख के पश्चात् एक मास के भीतर न किया जाय तो उपखंड अधिकारी, जानबूझकर व्यक्तिक्रम करने वाले व्यक्ति के मामले में, ऐसी शस्ति अधिरोपित कर सकेगा जो उस रकम के, जिसका इस प्रकार भुगतान न किया गया हो, सौ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

परन्तु कोई भी ऐसी शास्ति, किसी भी ऐसी किश्त का, जिसका कि भुगतान सरकार के आदेश से निलम्बित कर दिया गया हो, भुगतान न किया जाने के कारण उस कालावधि की बाबत अधिरोपित नहीं की जायेगी जिसके कि दौरान वह भुगतान निलम्बित रहा हो ।

१४४-**फसलों के मारे जाने पर भू राजस्व की माफी या उसका निलम्बन.-** (१) राज्य सरकार, उन वर्षो में, जिनमें किसी क्षेत्र में फसले मारी गई हों जिन वर्षो में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विधि के अधीन किये गये किसी आदेश के परिणामस्वरूप, किसी क्षेत्र में फसलें नहीं उगाई जा सकी हों, भू-राजस्व की माफी या उसका निलम्बन कर सकेगी, और माफी या निलम्बन का अवधारण इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किया जायेगा ।

(२) किसी राजस्व अधिकारी द्वारा ऐसे नियमों के अधीन पारित किये गये किसी आदेश के विरूद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा और किसी ऐसे आदेश का प्रतिवाद करने के लिये किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा ।

१४५-**प्रमाणित लेखा बकाया तथा बकायादार के बारे में साक्ष्य होगा.-** (१) कलेक्टर या तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किये गये लेखा-विवरण के बारे में, तब तक कि प्रतिकूल सावित न कर दिया जाय, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये यह उपधारित किया जायेगा कि वह सरकार को देय बकाया या उसकी रकम तथा उस व्यक्ति का, बकायादार है, सही विवरण है ।

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट किया गया विवरण तैयार करने के पूर्व बकायादार को कोई सूचना देना आवश्यक नहीं होगा ।

१४६-**मांग की सूचना.-** तहसीलदार या नायब तहसीलदार, बकाया की वसूली के लिये धारा १४७ के अधीन कोई आदेशिका जारी होने के पूर्व, किसी बकायादार पर मांग की सूचना तामील करवा सकेगा ।

१४७-**बकाया की वसूली के लिये आदेशिका.-** सरकार को या ग्राम सभा को देय भू- राजस्व का बकाया तहसीलदार द्वारा निम्नलिखित आदेशिकाओं में से किसी एक या अधिक आदेशिकाओं द्वारा वसूल किया जा सकेगा –

(क) जंगम सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय द्वारा;

(ख) उस खाते की, जिस पर बकाया शोध्य है, कुर्की तथा विक्रय द्वारा और जहां ऐसा खाता एक से अधिक सर्वेक्षण-संख्याकों या भू-खंड संख्यांकों से मिलकर बना हो, वहां ऐसे सर्वेक्षण संख्यांकों में से एक या अधिक सर्वेक्षण संख्यांकों या भू-खंड संख्यांकों के, जैसा भी कि उस बकाया को वसूल करने के लिये आवश्यक समझा जाय, विक्रय द्वारा:

परन्तु किसी सहकारी सोसायटी के किन्ही शोध्यों की वसूली के लिये किसी भी खाते का विक्रय, धारा १५४-क में विहित प्रकिया को पहले नि:शेष किए विना नही किया जायगा;

(खख) उस खाते की, जिस पर कि बकाया शोध्य है, कुर्की द्वारा तथा उसे धारा १५४-क के अधीन पट्टे पर देकर;

(खखख) बकायादार के किसी अन्य खाते की, जो कि कृषि के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाया जाता हो, कुर्की द्वारा तथा उसे धारा १५४-क के अधीन पट्टे पर देकर;

(ग) बकायादार की किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय द्वारा:

परन्तु खंड (क) तथा (ग) में विनिर्दिष्ट की गई आदेशिकाओं से निम्नलिखित की कुर्की तथा विक्रय नहीं हो सकेगा, अर्थात् -.

(एक) बकायादार, उसकी पत्नी और उसके बच्चों के पहिनने के आवश्यक वस्त्र, भोजन बनाने के बर्तन, चारपाइयाँ तथा बिछौने और ऐसे निजी आभूषण जिन्हे कोई स्त्री धार्मिक प्रथा के अनुसार अपने से पृथक् नहीं कर सकती;

(दो) लिपयों के औजार, और यदि बकायादार कृषक है तो यान्त्रिक शक्ति द्वारा चालित उपकरण के अतिरिक्त उसके खेती के उपकरण और ऐसे मवेशी तथा बीज जो तहसीलदार की राय में, उसे उस हैसियत में अपनी जीविका उपार्जित करने में समर्थ बनाने मे लिये आवययक हो;

(तीन) वे वस्तुएं जो केवल धार्मिक विन्यासों के उपयोंग के लिये पृथक रख दी गई हो;

(चार) किसी कृषक के तथा उसके अधिभोग में के गृह तथा अन्य भवन (उनकी सामग्रियों तथा उनके स्थलों सहित एवं उस भूमि सहित, जो कि उनसे बिलकुल लगी हुई हों तथा उनके उपयोग के लिये आवश्यक हो:

परन्तु यह और भी कि खंड (ख) में विनिर्दिष्ट की गई आदेशिका खाते की कुर्की तथा विक्रय की अनुज्ञा उस दशा में नहीं देगी जहां कि बकायादार-

(एक) अनुसूचित क्षेत्रों में छह हेक्टर या छह हेक्टर से कम भूमि; या

(दो) अन्य क्षेत्रों में, चार हेक्टर या चार हेक्टर से कम भूमि धारण करता हो।

स्पष्टीकरण.- इस परन्तुक के प्रयोजन के लिये "अनुसूचित क्षेत्र" से अभिप्रेत है कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत के संविधान की पंचम अनुसूची की कंडिका ६ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

१४९-**अन्य जिलों में आदेशिकाओं का प्रवर्तन**.- धारा १४७ के खंड (क) तथा (ग) में विनिर्दिष्ट की गई आदेशिकाएँ या तो उस जिले में, जिसमें कि व्यतिक्रम किया गया है या किसी अन्य जिले में प्रवर्तित कराई जा सकेगी ।

१५०-अभ्यापत्ति के साथ भुगतान तथा वसूली के लिये वाद.- (१) यदि भू-राजस्व की बकाया की वसूली के लिये किसी वयक्ति के विरूद्ध कार्यवारियाँ इस अध्याय के अधीन की जाती है, तो वह व्यक्ति सम्पति के विक्रय

की बोली खत्म होने के पूर्व किसी भी समय उस रकम का जिसका कि दावा किया है, भुगतान कर सकेगा और उसी समय, स्वयं द्वारा या अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरित अभ्यापित ऐसी कार्यवाहियाँ करने वाले राजस्व अधिकारी को परिदत्त कर सकेगा और तदुपरि वे कार्यवाहियाँ रोक दी जायेगी।

(२) उपधारा (१) उपबन्धों का अनुपालन करने वाला कोई भी व्यक्ति, धारा १४५ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपखंड अधिकारी को इस आशय का आवेदन कर सकेगा कि कुछ भी शोध्य नहीं था यह कि शोध्य रकम उस रकम के कम थी जिसकी कि वसूली के लिये कार्यवाहियां की गई थी और उपखंड अधिकारी इस प्रकार उठाई गई आपत्ति को विनिश्चित करेगा ।

(३) उपखंड अधिकारी के उस आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी जो कि उपधारा (२) के अधीन पारित किया गया हो, किन्तु सम्बन्धित व्यक्ति अभ्यापित के साथ भुगतान की कोई राशि या उसके भाग को वसूली के लिये सिविल वाद संस्थित कर सकेगा।

१५१-विक्रय-आगमों का उपयोजन .- (१) इस अध्याय के अधीन के प्रत्येक विक्रय के आगम, प्रथमत: उस वकाया की जिसके कि कारण विक्रय किया गया था तथा ऐसे विक्रय के व्ययों की तुष्टि के लिये, द्वितीयत: सम्बन्धित क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन बकायादार से शोध्य उपकरों की किसी बकाया के भुगतान के लिये, तृतीयत: बकायादार द्वारा राज्य सरकार को देय किसी अन्य बकाया के भुगतान के लिये, और चतुर्थत: वकायादार से किसी सहकारी सोसायटी का शोध्य किसी बकाया के भूगतान के लिये उपयोजित किये जायेंगे और इसके बाद यदि कोई अधिशेष हो, तो वह उसको, या जहां एक से अधिक वकायादार हों, वहां ऐसे बकायादारों को उनके अपने-अपने उन अंशों के अनुसार देय होगा जो कि वे बेची गई सम्पत्ति में रखते हों:

परन्तु ऐसे अधिशेष का बकायादार या बकायादारों को भुगतान तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि जंगम सम्पत्ति के मामले में विक्रय की तारीख से, या स्थावर सम्पत्ति के मामले में विक्रय के पुष्टिकरण की तारीख से दो मास का अवसान न हो गया हो ।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, धारा १४७ के खड (ग) के अधीन विक्रय के आगम, प्रथमत: बेची गई स्थावर सम्पति की बावत् विक्रय की तारीख तक के लिये बकायादार द्वारा देय भू-राजस्व की बकाया के भुगतान के लिये उपयोजित किये जायेंगे और अधिशेष, यदि कोई हो, उपधारा (१) के अनुसार उपयोजित किया जायेगा।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

१५३-क्रेता का हक-. जहां स्थावर सम्पत्ति का विक्रय इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन किया जाता है और ऐसा विक्रय पूर्ण हो गया है, वहां वह सम्पत्ति क्रेता में उस समय से निहित हो गई समझी जायेगी जबकि सम्पत्ति का विक्रय किया गया हो न कि उस समय से जब कि विक्रय पूर्ण हो जाता है ।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

१५४ क-उस खाते को, जिसके सम्बन्ध में बकाया शोध्य हो, या बकायादार किसी अन्य खाते को पट्टे पर देने की तहसीलदार की शक्तियाँ -.(१) जहाँ किसी खाते के समन्ध में भू–राजस्व का बकाया शोध्य हो या जहां कोई धन उसी रीति में वसूली योग्य हो जिसमें धारा १५५ के अधीन भू– राजस्व का वकाया वसूल किया जाता है; वहां तहसीलदार इस संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सहकारी सोसाइटी के शोध्यों की वसूली के लिये धारा १४७ के खंड (ख) के अधीन या खंड (खख) या खंड (खखख) के अधीन जैसी भी कि दशा हो खाते को कुर्क करने के पश्चात् उस खाते को जिस पर बकाया शोध्य है, या बकायादार के किसी ऐसे अन्य खाते को जो कृषि के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जाता है, बकायादार के भिन्न किसी व्यक्ति को ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर जो कलेक्टर नियत करे, दस वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये पट्टे पर दे सकेगा जो ठीक आगामी कृषि वर्ष के प्रथम दिन से प्रारम्भ होती हो:

परन्तु किसी सहकारी सोसायटी के शोध्यों की वसूली के लिये कुर्क किया गया खाता दस वर्ष से अनधिक कालावधि के लिये पट्टे पर दिया जायेगा:

परन्तु यह और भी कि किसी ऐसे भूमि स्वामी के, जो ऐसी जनजाति का सदस्य है, जो धारा १६५ की उपधारा (६) के अधीन आदिम जनजाति घोषित की गई है, खाते की कोई भूमि, ऐसी जनजाति के सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति को पट्टे पर नहीं दी जायगी ।

(२) इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति के दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी जो भू राजस्व के बकाया के भुगतान के लिये या किसी ऐसे धन के जो उसी रीति में वसूली योग्य हो जिसमें कि धारा १५५ के अधीन भू-राजस्व का बकाया किया जाता है, बकाया के भुगतान के लिये इस कोड के अधीन दायी हो

(३) पट्टे की कालावधि का अवसान होने पर, वह खाता सम्बन्धति वयक्ति को, ऐसे खातों के सम्बन्ध में बकाया के लिये राज्य सरकार के किसी दावे से मुक्त रूप में या ऐसे धनों के लिये, जो उसी रीति में वसूल योग्य हों जिसमें धारा १५५ के अधीन भू-राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है, राज्य सरकार के या किसी भी अन्य प्राधिकारी के किसी भी दावे से मुक्त रूप में वापस दिला दिया जावेगा जिन दावों की तुष्टि के लिये कि वह खाता उपधारा (१) के अधीन पट्टे पर दिया गया था:

परन्तु इस उपधारा में कोई भी बात किसी सहकारी सोसाइटी के शोध्यों की वसूली के लिये कुर्क किये गये और पट्टे पर दिये गये खाते को उस स्थिति में लागू नहीं होगी जहां उन शोध्यों की, जिनकी तुष्टि के लिये वह उपधारा (१) के अधीन पट्टे पर दिया गया था, पूर्ण तुष्टि पट्टे की कालावधि का अवसान होने पर, नहीं होती है ।

१५५-भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य धन. - निम्नलिखित धन, यथाशक्य, इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन उसी रीति में वसूल किया जा सकेगा जिस रीति में कि भू–राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है.-

(क) ऐसे प्रभारों के सिवाय जो धारा ५८ की उपधारा (२) के अधीन भू-राजस्व में सम्मिलित किये गये हैं, इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन देय या उद्ग्रहणीय समस्त लगान, स्वामित्व जल की दरें, उपकर, फीस, प्रभार, प्रीमियम, शास्तियाँ, जुर्माने तथा खर्च;

(ख) ऐसे ममस्त धन जो किमी ऐसे अनुदान, पट्टे संविदा के, जिसमें यह उपबन्ध हो कि वे उसी रीति में वसूल किये जा सकेंगे जिस रीनि में कि भू–राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है, अधीन राज्य सरकार के शोध्य होते हैं;

(खख) किसी प्रत्याभूति संविदा के अधीन प्रत्याभूत की गई रकम की सीमा तक राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत किये गये समस्त धन जिनके सम्बन्ध में उस प्रत्याभूति-संविदा में यह उपबन्ध हो कि वे उसी रीति में वसूली योग्य होंगे जिसमें कि भू–राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है;

(ग) ऐसी समस्त शक्तियाँ जिनके बारे में इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा यह घोषित किया गया हो कि वे उसी रीति में वसूल योग्य होंगी जिस रीति में कि भू-राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है; और

(घ) कोई ऐसी राशि जिसके बारे में राज्य के किसी क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन नियुक्त किये गये समापक द्वारा यह आदेश दिया गया है कि वह राशि किसी सोसाइटी के आस्तियों के प्रति अभिदाय के रूप में या समापक के खर्च में वसूल की जाय :

परन्तु खंड (घ) में विनिर्दिष्ट राशि की वसूली के लिये प्रस्तुत किये गये आवेदन पर तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी जब तक कि ऐसे आवेदन के साथ, ऐसी विधि के अधीन नियुक्ति किये गये रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न न कर दिया गया हो कि उक्त राशि भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जानी चाहिए

(ड.) समस्त धन-

(एक) जो मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कृषकों को कृषि के या भूमि के सुधार के प्रयोजनार्थ बेचे कृषिक उपकरणों या अन्य सामग्री के विक्रय सम्बन्धों किसी

करार के, जो कि उक्त निगम द्वारा किया गया हो, अधीन शास्ति के कारण, उक्त उपकरणों या सामग्री के दामों के कारण या अन्यथा उक्त निगम को देय होते हो;

(दो) जो उक्त निगम द्वारा दिये गये किसी उधार का या उक्त निगम के साथ किये गये पट्टे, संविदा या करार के अधीन या उस निगम के किसी अन्य व्यवहार के अधीन उक्त निगम को शोध्य किसी रकम का प्रतिसंदाय करने में उक्त निगम को देय होते हों:

परन्तु इस खंड में विनिर्दिष्ट की गई धनराशि की वसूली के लिये प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र पर तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जायगी जब तक कि ऐसे आवेदन-पत्र के साथ उक्त निगम के प्रबन्ध-निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उक्त धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भाँति की जानी चाहिए, संलग्न न कर दिया गया हो

(च) समस्त धन जो-

(एक) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित द्वारा उद्यमियों को किसी उद्योग की स्थापना करने, उसका विस्तार करने या उसके चलाने के प्रयोजन के लिये या किसी उद्योग से आनुषंगिक किसी अन्य प्रयोजन के लिये बेची गई मशीनरी या अन्य सामग्रियों का भाड़ा क्रय पर या अन्यथा विक्रय किये जाने सम्बन्धी किसी करार के, जो कि उक्त निगमों द्वारा किया गया हो, अधीन सेवा प्रभार के कारण, शास्ति के कारण, ब्याज के कारण, उक्त मशीनरी या अन्य सेवा सामग्रियों के मूल्य के कारण उक्त निगमों को देय होते हों;

(दो) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित द्वारा किसी पट्टे, संविदा या करार के अधीन यथास्थिति भाडे पर दिये गये या बेचे गये किसी भवन के किराये या मूल्य के कारण उक्त निगमों को देय होते हो;

(तीन) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित द्वारा दिये गये किसी उधार का या उक्त निगमों के साथ किये गये पट्टे, संविदा या करार के अधीन उक्त निगमों के किसी अन्य व्यवहार के अधीन उक्त निगमों के शोध्य किसी रकम का प्रतिसंदाय करने में उक्त निगमों को देय होते हों:

परन्तु इस खंड में विनिर्दिष्ट की गई धनराशि की वसूली के लिये प्रस्तुत किये आवेदन-पत्र पर तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी जब तब कि ऐसे आवेदन पत्र के साथ उक्त निगम के प्रबंध-निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उक्त धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति की जानी चाहिए, संलग्न न कर दिया गया हो ।

(छ) समस्त धन जो-

(एक) नल कूपों के सन्निर्माण सम्बन्धी प्रभारों के कारण मध्यप्रदेश लिफ्ट इरीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड को देय होते हो;

(दो) किन्हीं उत्सिचन स्कीमों से सिंचाई के प्रयोजन से प्रदाय किये गये जल के मद्दे लगने वाले जल कर के कारण मध्यप्रदेश लिफ्ट इरीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड को देय होते हों;

(तीन) मध्यप्रदेश लिफ्ट इरीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ निष्पादित किये गये किसी पट्टे, करार या संविदा के अधीन उक्त कार्पोशन को शोध्य किसी धनराशि के कारण देय होते हों:

परन्तु इस खंड में विनिर्दिष्ट की गई धनराशि की वसूली के लिये प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र तव तक कोई कार्यवाही नही की जायगी जब तक कि ऐसे आवेदन-पत्र के साथ उक्त कार्पोशन के प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उक्त धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति की जानी चाहिए, संलग्न न कर दिया गया हो।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

१५८-भूमि स्वामी.- (१) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय, निम्नलिखित किन्हीं भी वर्गों का हो, भूमिस्वामी कहलायेगा और उसे वे समस्त अधिकार होंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन भूमिस्वामी को प्रदत्त किये गये हैं तथा वह उन समस्त दायित्वों के अध्यधीन होगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन भूमिस्वामी पर अधिरोपित किये गये हैं, अर्थात्.-

(क) प्रत्येक व्यकित उस भूमि के सम्बन्ध में जो कि मध्यप्रदेश लैण्ड रेवेन्यू कोड, १९५४ (क्र. २ सन १९५५) के उपबन्धों के अनुसार भूमिस्वामी या भूमिधारी अधिकारो में उसके द्वारा महाकौशल क्षेत्र मे धारित हो;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के सम्बन्ध में जो किे मध्य भारत भू-आगम एवं कृषिकाधिकार विधान, सम्वत् २००७ (क्र. ६६ सन् १९५०) में यथा परिभाषित पद का कृषक के रूप में या माफीदार, इनामदार या छूट खातेदार के रूप में उसके द्वारा मध्य भारत में धारित हो;

(ग) प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के सम्बन्ध में जो कि भोपाल स्टेट लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९३२ (क्र. ४ सन १९३२) में यथा-परिभाषित दखलकार के रूप मे उसके द्वारा भोपाल क्षेत्र मे धारित हो;

(घ)(एक) प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के सम्बन्ध जो किे विन्ध्यप्रदेश लैण्ड रेवेन्यू एण्ड टेनेन्सी ऐक्ट, १९५३ (क्र. ३ सन् १९५५) में यथा परिभाषित पचपन-पैंतालीस; पट्टेदार कृषक, निकुन्जधारी के रूप में या तालाब धारक के रूप में उसके द्वारा विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में धारित हो;

(दो) प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के (जो उस भूमि से, जो निकुंज या तालाब हो या जो सरकारी या लोक प्रयोजनो के लिये अर्जित की गई हो या उन प्रयोजनो के लिये अपेक्षित हो, भिन्न हो) सम्बन्ध में जो कि गैर हकदार कृषक के रूप में उसके द्वारा विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में धारा ५७ की धारित हो और जिसके कि सम्बन्ध में वह रीवा स्टेट लैंड रेवेन्यू एण्ड टेनेन्सी कोड, १९३५ की उपधारा (४) के उपबन्धों के अनुसार पट्टा पाने का हकदार हो;

(तीन) प्रत्येक व्यकित उस भूमि के सम्बन्ध में जो कि कृषक के रूप में उसके द्वारा विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में धारित हो और जिसके सम्बंध में वह विन्ध्यप्रदेश लैडं रेवेन्यू एण्ड टेनेन्सी ऐक्ट, १९५३ (क्र. ३ सन १९५५) की धारा १५१ की उपधारा २ तथा ३ से उपबन्धो के अनुसार पट्टा पाने का हकदार हो किंतु जिसने ऐसा पट्टा इस सहिता के प्रवृत्ता होने के पूर्व अभिप्राप्त न किया हो

(ड.) प्रत्येक व्यकित उस भूमि के सम्बन्ध में जो कि राजस्थान टेनेन्सी ऐक्ट, १९५५ (क्र. ३ सन् १९५५) में यथा परिभाषित खातेदार कृषक के रूप में या निकुंजधारी के रूप मे उसके द्वारा सिरोंज क्षेत्र में धारित हो

(२) किसी ऐसे देशी राज्य का, जो कि मध्यप्रदेश राज्य का भाग है, शासक, जो संविधान प्रारम्भ होने के पूर्व उसके द्वारा की गई प्रसंविदा या करार के आधार पर ऐसे शासक के रूप में इस कोड के प्रवृत्त होने के समय भूमि धारण किये हुए था या भूमि धारण के हकदार था, इस कोड के प्रवृत्त होने की तारीख से इस कोड के अधीन ऐसी भूमि का भूमिस्वामी होगा और उन समस्त अधिकारों तथा दायित्वों के अध्यधीन होगा जो कि इस कोड के द्वारा या अधीन किसी भूमिस्वामी को प्रदत्त तथा उस पर अधिरोपित किये गये हों।

स्पष्टीकरण.- धारा में अभिव्यक्ति "शासन" तथा "देशी राज्य" के वही अर्थ होंगे जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद ३६६ के क्रमश: खंड (२२) तथा (१५) में इन अभिव्यक्तियों के लिये दिये गये है।

(३) प्रत्येक व्यक्ति---

(एक) जो राज्य सरकार या कलेक्टर या आवंटन अधिकारी द्वारा उसे मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, १९९२ के प्रारंभ पर या उसके पूर्व मंजूर किये गये किसी पट्टे के आधार पर भूमिस्वामी अधिकार में भूमि धारण किये हुये है, ऐसे प्रारंभ की तारीख से, और

(दो) जिसे राज्य सरकार या कलेक्टर या आवंटन अधिकारी द्वारा भूमि का आवंटन भूमिस्वामी अधिकार में, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, १९९२ के प्रारंभ के पश्चात् किया गया है, ऐसे आवंटन की तारीख से, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में भूमि स्वामी समझा जायेगा और उन समस्त अधिकारों दायित्वों के अध्यधीन होगा जो इस संहिता द्वारा या उसके अधीन किसी भूमि स्वामी को प्रदत्त और उस पर अधिरोपित किये गये हैं:

परन्तु ऐसा कोई भी व्यक्ति पट्टे या आवंटन की तारीख से १० वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी भूमि को अन्तरित नहीं करेगा ।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

१६१-बन्दोबस्त चालू रहने के दौरान राजस्व में कमी- (१) कलेक्टर, बन्दोबस्त चालू रहने के दौरान किसी समय, भूमिस्वामी के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, ऐसे नियमों के अनुसार, जो कि इस सम्बन्ध में बनाये जायें, किसी भूमि के सम्बन्ध में राजस्व को निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर कम कर सकेगा; अर्थात्--

(एक) यह कि भूमि बाढ़ों के परिणामस्वरूप या ऐसे भूमि–स्वामी के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से पूर्णत: या भागत: खेती के अयोग्य हो गई है;

(दो) यह कि राज्य खर्चे से सन्निर्मित तथा अनुरक्षित सिंचाई का कोई स्त्रोत, चाहे वह नया हो या पुराना, बेमरम्मत पडा हुआ है और उससे उसके सम्पूर्ण खाते, या उसके किसी भाग की, जिसको कि राजस्व की बढाई गई दर सिंचाई के कारण लागू कर दी गई है, सिंचाई नही हो रही है।

(तीन) यह कि सिंचाई के किसी प्राइवेट स्त्रोत से उसके सम्पूर्ण खाते या उसके किसी भाग की, जिस पर बढाये गये भू-राजस्व का निर्धारण सिंचाई के कारण किया गया है, किसी ऐसे कारण से, जो भूमिस्वामी के नियंत्रण से परे है, सिंचाई नही हो रही है। (चार) यह कि भूमिस्वामी द्वारा उस भूमि के सम्बन्ध में देय राजस्व उस राजस्व से अधिक है जिसकी की संगणना ऐसी भूमि के लिये गत बन्दोवस्त में या किसी अन्य विधि के अधीन है नियत की गई दरों से की गई थी।

(पांच) यह कि ऐसे भूमि–स्वामी के खाते का क्षेत्रफल, किसी कारण, से उस क्षेत्रफल से कम हो गया है जिस पर विद्यमान भू-राजस्व निर्धारित किया गया था।

(२) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी कमी का आदेश किया जाता है, वंहा ऐसी कमी उन आदेश की तारीख के ठीक आगामी राजस्व वर्ष के प्रारम्भ से प्रभावशील होगी।

(३) यदि वह हेतुक, जिसकी कि वजह से उपधारा (१) के अधीन राजस्व में कमी की गई हो, बाद में नहीं रह जाता है या दूर कर दिया जाता है, तो कलेक्टर भूमिस्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात, यह निदेश देते हुए आदेश कर सकेगा कि ऐसी कमी प्रभाव में नही रहेगी, और ऐसा आदेश पारित कर दिया जाने पर ऐसी कमी उस आदेश की तारीख के ठीक आगामी राजस्व वर्ष के प्रारम्भ से प्रतिसंहृत हो जायगी।

१६२-अनाधिकृत कब्जे में की कतिपय भूमियों का व्ययन.- (१) धारा २४८ में अंतविष्ट किसी बात के होते हुए भी तथा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे क्षेत्रों में , जो कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किये जाए राज्य सरकार की किसी भूमि का जो कि अंगीकृत कब्जे में हो, कलक्टर द्वारा उस सीमा तक तथा ऐसी राशि का भुगतान कर दिए जाने पर जैसी कि विहित की जाए, कृषिक प्रयोजनों के लिए भूमिस्वामी अधिकारों में और ककृषिक प्रयोजनों के लिए सरकारी पट्टेधारी हक में व्ययन किया जा सकेगा।

(२) म०प्र० राजपत्र (असाधारण) दिनांक २१ अगस्त २०१५ में प्रकाशित भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश क्रमांक ५ की धारा ५ द्वारा उपधारा (१) के स्थान पर स्थापित की गई । इस संशोधन को म०प्र०

राजपत्र (असाधारण) दिनांक ३१ दिसम्बर २०१५ प्रकाशित भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधनियम क्रमांक २३ की धारा ३ द्वारा यथावत रखा गया पूर्व उपधारा (१) निम्नानुसार थी:-

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन भूमि का व्ययन कर दिया जाता है तो ऐसी भूमि के संबंध में धारा २४८ के अधीन किसी राजस्व न्यायालय में लंबित समस्त कार्यवाहियां समाप्त हो जाएंगी।

१६३-**भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये जाने के लिये लम्बित आवेदन.**-- भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये जाने के लिये भूमिधारियों द्वारा किये गये समस्त ऐसे आवेदन, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व महाकौशल क्षेत्र के किसी राजस्व न्यायालय के समक्ष चाहे अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन में या चाहे अन्यथा लम्बित हों, फाईल कर दिये जायेंगे और ऐसे भूमिधारियों द्वारा जमा रकम, यदि कोई हों, उन्हें वापस कर दी जायगी।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

१६५-**अन्तरण के अधिकार-** (१) इस धारा के अन्य उपबन्धों के तथा धारा १६८ के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए भूमिस्वामी अपनी भूमि का कोई भी हित अन्तरित कर सकेगा।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी—

(क) भूमिस्वामी द्वारा किसी भूमि का कोई भी बन्धक इसके पश्चात् तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि कम से कम पाँच एकड सिचिंत भूमि या दस एकड़ असिंचित भूमि किसी भी विल्लंगम या भार से मुक्त रूप में उसके पास न बच जाय;

(ख) खंड (क) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भूमिस्वामी द्वारा किसी भी भूमि का कोई भाग बन्धक इसके पश्चात् विधिमान्य नहीं होगा यदि वह छह वर्ष से अधिक की कालावधि के लिये हो, और जब तक कि उस बन्धक की एक शर्त यह न हो कि बन्धक विलेख में वर्णित की गई कालावधि का अवसान हो जाने पर उस बन्धक के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि भूमिस्वामी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भुगतान किये बिना ही उसका पूर्णत: मोचन हो गया है, और बन्धकदार उस बन्धक भूमि का कब्जा भूमिस्वामी को तुरन्त वापस दे देगा;

(ग) यदि बन्धक की गई भूमि का कोई कब्जा बन्धकदार बन्धक की कालावधि का छह वर्ष का, इनमें से जिसका भी अवसान पहले होता हो, अवसान हो जाने के पश्चात् भूमि का कब्जा नहीं सौपता है, तो बन्धकदार तहसीलदार के आदेश द्वारा अतिचारी के तौर पर बेदखल किये जाने का दायी होगा और तहसीलदार द्वारा बन्धककर्ता को उस भूमि का कब्जा दिया जायेगा:

परन्तु इस उपधारा में की कोई भी बात किसी ऐसी भूमि के बन्धक के मामले में लागू नहीं होगी जो भूमिस्वामी द्वारा कृषि -भिन्न प्रयोजनों के लिये धारित हो

(३) जहां भूमिस्वामी उपधारा (२) के उपबन्धों के अनुसरण में अपनी भूमि का कोई ऐसा बन्धक करता है जो भोग-बन्धक से भिन्न हो, वहां बन्धक विलेख में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बन्धक के अधीन प्रोद्भूत होने वाले ब्याज की कुल रकम बन्धकदार द्वारा दी गई मूल रकम के आधे से अधिक नही होगी।

(४) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी भूमिस्वामी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह कोई भी भूमि-

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में अंतरित करे जो ऐसे अंतरण के फलस्वरूप उतनी भूमि का हकदार हो जावेगा जो स्वयं उसके द्वारा या उसके कुटुम्ब द्वारा धारित भूमि, यदि कोई हो; सहित खेल मिलाकर ऐसी अधिकतम सीमाओं से, जो कि विहित की जाएं, अधिक हो जाये;

(ख) x x x;

परन्तु-

(एक) इस उपधारा में की कोई भी बात निम्नलिखित दशाओं में लागू नहीं होगी-

(क) (एक) किसी सार्वजनिक, धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिये स्थापित किसी संस्था के पक्ष में किये गये अंतरण या औद्योगिक प्रयोजन के लिये किये गये अंतरण या बन्धक के रूप में किये गये अंतरण की दशा में;

(दो) किसी सहकारी सोसाइटी के पक्ष में औद्योगिक प्रयोजन के लिये किये गये अंतरण या बन्धक रूप में किये गये अंतरण की दशा में, तथापि इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कृषि प्रयोजनों के लिये कोई भी बन्धक, किसी अग्रिम की वसूली के लिये विक्रय की धारा १४७ के खंड (ख) के उल्लंघन में प्राधिकृत नहीं करेगा;

(ख) कृषि भिन्न प्रयोजनों के लिये धारित भूमि के अंतरण की दशा में:

परन्तु यह और भी कि पूर्ववर्ती परन्तुक के खंड (एक) के उपखंड (क) के अधीन औद्योगिक प्रयोजन के लिये भूमि का अन्तरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात-

(एक) यदि ऐसे भूमि किसी कृषि भिन्न प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित की जानी हो तो ऐसे व्यपवर्तन के लिये धारा १७२ के अधीन उपखड अधिकारी की अनुज्ञा ऐसे अंतरण के पूर्व प्राप्त कर ली गई है; और

(दो) धारा १७२ के उपबन्ध ऐसे अंतरण को इस उपांतरण के साथ लागू होंगे कि उसकी उपधारा (१) के परन्तुक में वर्णित तीन मास तथा एक मास की कालावधि, ऐसे व्यपवर्तन हेतु आवेदन के प्रयोजनों के लिये क्रमाश: पैंतालीस दिन और एक मास होगी ।

स्पष्टीकरण.- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये, किसी व्यक्ति के कुटुम्ब में वह व्यक्ति स्वयं, उसकी अवयस्क संतान तथा ऐसे व्यक्ति की पत्नी या उसका पति जो उनके साथ संयुक्त रूप से रहता हो, और यदि ऐसा व्यक्ति अवयस्क हो तो उसके साथ सयुक्त रूप से रहने वाले उनके माता पिता सम्मिलित होंगे।

(५) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, भूमिस्वामी की कोई भी भूमि, किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन से, किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बेची जायेगी जो ऐसे विक्रय के फलस्वरूप उतनी भूमि का हकदार हो जायगा जो स्वयं उसके द्वारा या उसके कुटुम्ब द्वारा धारित भूमि, यदि कोई हो, सहित कुल मिलाकर ऐसी अधिकतम सीमाओं से, जो कि विहित की जाय, अधिक हो जाय:

परन्तु इस धारा में की कोई भी बात किसी ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में लागू नहीं होगी जहां ऐसी सोसाइटी के पक्ष में पारित किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में किसी ऐसी भूमि का विक्रय धारा १५४-एक में विहित प्रक्रिया नि:शेष करने के पश्चात किया जाना हो ।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजन के लिये, अभिव्यक्ति 'किसी व्यक्ति के कुटुम्ब' का वही अर्थ होगा जो कि उसके लिये उपधारा (४) में दिया है।

(६) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसी जनजाति के, जिसे कि राज्य सरकार ने, उस सम्बन्ध में अधिसूचना द्वारा, उसे पूरे क्षेत्र के लिये, जिसको कि यह कोड लागू होता है, या उसके किसी भाग के लिये आदिम जनजाति (एबारीजनल ट्राइब) होना घोषित किया हो, किसी भूमिस्वामी का अधिकार-

(एक) ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें आदिम जनजातियाँ प्रमुख रूप से निवास करती हों, तथा ऐसे तारीख से, जिसे/जिन्हें कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे; किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्र में की ऐसी जनजाति का न हो द्वारा विक्रय या अन्यथा या उधार सम्बन्धी किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप न तो अन्तरित किया जायगा और न ही अंतरणीय होगा;

(दो) खंड (एक) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि ऐसी जनजाति का न हो, कलेक्टर की पद श्रेणी से अभिन्न पद श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की ऐसी अनुज्ञा के विना, जो कि लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से दी जायगी, विक्रय द्वारा

या अन्यथा या उधार सम्बन्धी किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप न तो अन्तरित किया जायगा और न ही अंतरणीय होगा ।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये, अभिव्यक्ति 'अन्यथा' के अंतर्गत पट्टा नहीं आता है।

(६-क) उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसी जनजाति के जिसे उपधारा (६) के अधीन आदिम जनजाति होना घोषित किया गया है भूमिस्वामी से भिन्न किसी भूमिस्वामी का कृषि भूमि को छोड़कर अन्य भूमि में का अधिकार किसी ऐसे व्यक्ति को जो आदिम जनजामि का न हो कलेक्टर की अनुज्ञा, जो लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से दी जायेगी, के बिना विक्रय द्वारा अन्यथा अथवा उधार सम्बन्धी किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप, न तो अन्तरित किया जायेगा और न ही अंतरणीय होगा:

परन्तु ९ जून, १९८० के पश्चात तथा २० अप्रैल १९८१ के पूर्व किया गया ऐसा प्रत्येक अंतरण, जो इसमें अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार न हो, जब तव कि ऐसे अंतरण का अनुसमर्थन कलेक्टर द्वारा इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार नहीं कर दिया जाता, शून्य होगा और उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा, भले ही इस कोड या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में कोई बात अन्तर्विष्ट क्यों न हो ।

(६-ख) परिसीमा अधिनियम, १९६३ (१९६३ का स. ३६) मे अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कलेक्टर स्वप्रेरणा से किसी भी समय, या ऐसे संव्यवहार से तीन वर्ष के भीतर, ऐसे प्ररूप में जैसा कि विहित किया जाय, इस निमित्त आवेदन किया जाने पर ऐसा जाँच, जैसी कि वह उचित समझे, कर सकेगा, और ऐसे अन्तरण से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात अन्तरण का अनूसमर्थन करने वाला या अन्तरण का अनुसमर्थन करने से इंकार करने वाला आदेश पारित कर सकेगा।

(६-ग) कलेक्टर, उपधारा (६-क) के अधीन अनुज्ञा देने वाला या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाला अथवा उपधारा (६-ख) के अधीन संव्यवहार का अनुसमर्थन करने वाला या अनुसमर्थन से इंकार करने वाला कोई आदेश पारित करते समय निम्नलिखित बातों का सम्यक ध्यान रखेगा-

(एक) क्या वह व्यक्ति, जिसे भूमि अंतरित की जा रही है, अनुसूचित क्षेत्र का निवासी है या नहीं;

(दो) वह प्रयोजन जिसके लिये भूमि अंतरण के पश्चात उपयोग में लाई जायेगी या जिसके लिये उपयोग में लाया जाना संभाव्य है;

(तीन) क्या अंतरण से अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक हितों की पूर्ति होती है या ऐसे हितों की पूर्ति होना संभाव्य है अथवा क्या वह ऐसे हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है;

(चार) क्या दिया गया प्रतिकूल पर्याप्त है;

(पां ।) क्या ऐसा संव्यवहार मिथ्या, बनावटी या बेनामी है; और

(छ:) ऐसी अन्य बातें जो विहित की जायें।

कलेक्टर की उपधारा (६-क) के अधीन अनुज्ञा देने से इंकार करने वाला विनिश्चय अथवा उपधारा (६-ख) के अधीन अंतरण के संव्यवहार का अनुसमर्थन करने वाला या अनुसमर्थन करने से इंकार करने वाला विनिश्चय अंतिम होगा भले ही कोड में नई प्रतिकूल बात अंतर्विष्ट क्यों न हो ।

स्पष्टीकरण.-- इस धारा के प्रयोजन के लिये –

(क) 'अनुसूचित क्षेत्र' से अभिप्रेत है कोई ऐसा क्षेत्र जिसे भारत के संविधान की पंचम अनुसूची की कंडिका ६ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के भीतर अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया;

(ख) अंतरण मिथ्या, बनावटी या बेनामी नहीं था यह साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो यह दावा करता है कि ऐसा अंतरण विधिमान्य है ।

(६-घ) उपधारा (६-क) के अधीन अनुज्ञा देने से इंकार कर दिया जाने या उपधारा (६-ख) के अधीन अनुज्ञा देने से इंकार कर दिया जान पर, असमिति, यदि भूमि उसके कब्जे में है, कब्जा तुरंत छोड़ देगा और मूल भूमिस्वामी को उस भूमि का कब्जा प्रत्यावर्तित कर देगा।

(६-ड) यदि भूमिस्वामी किसी भी कारण से उस भूमि का जिसके कब्जे का अधिकार उसे उपधारा (६-घ) के अधीन प्रत्यावर्तित हो जाता है, कब्जा नहीं लेता है या कब्जा लेने में असमर्थ रहता है, तो कलेक्टर उस भूमि का कब्जा ग्रहण करवाएगा, और ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाय, उस भूमि का प्रबंध भूमि-स्वामी की ओर से उस समय तक करवायेगा जब तक कि मूल भूमि-स्वामी अपनी भूमि पर कब्जा नहीं कर लेता:-

परंतु यदि कब्जा प्रत्यावर्तित करने में कोई प्रतिरोध किया जाता है तो कलेक्टर ऐसे बल का प्रयोग करेगा या करवायेगा जैसा कि आवश्यक हो ।

(६-ड.-ड.) उपधारा (६) के अधीन घोषित किसी आदिम जनजाति के भूमिस्वामी से भिन्न किसी भूमिस्वामी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो आदिम जनजाति का न हो, अन्तरित की गई कृषि भूमि ऐसे अंतरण की तारीख से दस वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पूर्व किसी अन्य प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित नहीं की जायेगी ।

(६-च) इस कोड में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी उपधारा (६-क) से [६-ड ड)] तक के उपबन्ध प्रभावशील होंगे।

(७) उपधारा (१) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी–

(क) जहां किसी भूमिस्वामी के खाते में समाविष्ट भूमि का क्षेत्रफल या उस भूमिस्वामी के एक से अधिक खाते होने की दशा में उसके समस्त खातों का कुल क्षेत्रफल सिचित भूमि के पांच एकड़ या असिंचित भूमि के दस एकड़ से अधिक हो, वहां उसके खाते या खातों में की भूमि का केवल उतना क्षेत्रफल, जितना कि सिंचित भूमि के पांच एकड़ या असिंचित भूमि से दस एकड़ से अधिक हो, किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्क किये जाने, बेचे जाने के दायित्वाधीन होगा ।

(ख) किसी ऐस जनजाति के, जिसे उपधारा (६) क अधीन आदिम जनजाति होना घोषित किया गया हा, भूमिस्वामी के खाते में समाविष्ट कोई भूमि किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्क की जाने या बेची जाने के दायित्वाधीन नहीं होगी;

(ग) खंड (क) या खंड (ख) के उपबन्धों के प्रतिकूल, सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का संख्यांक ५) की धारा ५१ के अधीन कोई रिसीवर किसी भूमिस्वामी की भूमि का प्रबंध करने के लिये नियुक्त नहीं किया जायेगा और न कोई भी ऐसी भूमि प्रांतीय दिवाला अधिनियम, १९२० (१९२० का संख्यांक ५) के अधीन किसी न्यायालय अथवा किसी रिसीवर में निहित हागी:

परंतु इस उपधारा में की कोई भी बात उस दशा में लागू नहीं होगी जहा कि किसी बंधक द्वारा उस भूमि पर कोई भार सृजित किया गया हो ।

(७-क) उपधारा (१) में अनर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मध्यप्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, १९६८ (क्रमांक २८ सन् १९६८) की धारा ३३ में विनिर्दिष्ट किये गये किसी भी, भूस्वामी का यह अधिकार नहीं होगा कि वह उक्त धारा में विनिर्दिष्ट की गई अपनी भूमि में क किसी भी हित का कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना अन्तरण कर दें।

(७-ख)उपधारा (१) में अंनर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो कोई भूमि राज्य सरकार से धारण करता है या कोई ऐसा व्यक्ति जो धारा १५८ की उपधारा (३) के अधीन भूमि स्वामी अधिकार में भूमि धारण करता है अथवा जिसे कोई भूमि सरकारी पट्टेदार के रूप में दखल में रखने का अधिकार राज्य सरकार या कलेक्टर द्वारा दिया जाता है और जो तत्पश्चात ऐसी भूमि का भूमिस्वामी बन जाता है, ऐसी भूमि का अंतरण कलेक्टर की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की अनुज्ञा, जो लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से दी जायेगी, के बिना नहीं करेगा ।

(८) इस धारा में की कोई बात किसी भूमिस्वामी को किसी ऐसे अग्रिम के, जो कि उसे भूमि विकास उधार अधिनियम, १८८३ (१८८३ का संख्यांक १९) या कृषक उधार अधिनियम, १८८४ (१८८४ का संख्यांक १२) के अधीन दिया गया हो, भुगतान को प्रतिभूति करने हेतु अपनी भूमि में के किसी अधिकार का अंतकरण करने से नहीं रोकेगी या राज्य सरकार के उस अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी जो कि ऐसे अग्रिम की वसूली हेतु ऐसे अधिकार का विक्रय करने के लिये उसे प्राप्त है।

(९) इस धारा में की कोई भी बात –

(एक) किसी भूमिस्वामी का, किसी ऐसी अग्रिम के, जो उसे किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा दिया गया हो, संदाय को प्रतिभूति करने हेतु अपनी भूमि में के किसी अधिकार को बंधक के रूप में अंतरित करने से निवारित नहीं करेगी । किंतु इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि वसूली सुनिश्चत करने के लिए भूमि का विक्रय धारा १५४-क में विहित प्रक्रिया को निःशेष किये बिना नहीं किया जायेगा; या

(दो) किसी भूमि-स्वामी को दिये गये अग्रिम की वसूली धारा १५४-क के उपबंधों के अनुसार सुनिश्चित करने के ऐसी किसी सोसाइटी के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी ।

(९-क) इस धारा में की कोई भी बात किसी ऐसे भूमिस्वामी को, जो विस्थापित व्यक्ति हो, किसी ऐसे अग्रिम के, जो कि उसे दण्डकारण्य विकास प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो, भुगतान को प्रतिभूनि करने हेतु अपनी भूमि में के किसी अधिकार का अंतरण करने से नहीं रोकेगी या उस प्राधिकारी के उस अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी जो कि ऐसे अग्रिम की वसूली हेतु ऐसे अधिकार का विक्रय करने के लिये उसे प्राप्त है ।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा में "विस्थापित व्यक्ति" से अभिप्रेत है उन राज्य क्षेत्रों से, जो अब पूर्वी पाकिस्तान में समाविष्ट है, विस्थापित हुआ कोई ऐसा व्यक्ति जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास सम्बन्धी किसी स्कीम के अधीन १ अप्रैल सन् १९५७ को या उसके पश्चात् मध्यप्रदेश में पुनर्वासित किया गया है ।

(९-ख) इस धारा की कोई भी बात भूमिस्वामी को किसी ऐसे अग्रिम के, जो कि उसे कृषि के प्रयोजन के लिये या खाते के सुधार के प्रयोजन के लिये, किसी वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिया गया हो भुगतान को प्रतिभूति करने के हेतु अपनी भूमि में के किसी अधिकार का अंतरण करने से नहीं रोकेगी या किसी ऐसे बैंक के उस अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी जो कि ऐसे अग्रिम की वसूली के हेतु ऐसे अधिकार का विक्रय करने के लिये उसे प्राप्त है।

(१०) भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का संख्यांक १६) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा अधिकारी, जो उस अधिनियम के अधीन दस्तावेजों की रजिस्ट्री करने के लिए सशक्त हो, किसी भी ऐसी दस्तावेज को, जो इस धारा के उपबंधों करने के लिये तात्पर्यित है, रजिस्ट्रीकरण के लिये ग्रहण नहीं करेगा ।

(११) इस धारा में की कोई भी बात –

(क) किसी ऐसे अन्तरण को, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व विधिमान्यत: किया गया था, अविधिमान्य नहीं बनायेगी, या

(ख) किसी ऐसे अन्तरण को, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व विधिमान्यत: किया गया था, विधिमान्य नहीं बनायेगी ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिये, एक एकड़ सिंचित भूमि को दो एकड़ असिंचित भूमि के बराबर समझा जायगा और इसी प्रकार इसका विपर्यय ।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

१६८-पट्टे – (१) उन मामलों में के सिवाय जिनके कि लिये उपधारा (२) में उपबंध किया गया है, कोई भी भूमिस्वामी उसके खाते में समाविष्ट किसी भूमि को तीन वर्ष की किसी क्रमवर्ती कालावधि के दौरान एक वर्ष से अधिक समय के लिये पट्टे पर नहीं देगा:

परंतु इस उपधारा में की कोई भी बात किसी भूमि के ऐसे पट्टे को लागू नहीं होगी जो –

(एक) भूमिस्वामी द्वारा ऐसी रजिस्ट्रीकृत सहकारी कृषि सोसाइटी को दिया गया हो जिसका कि वह सदस्य है;

(दो) भूमि-स्वामी द्वारा कृषि- भिन्न प्रयोजनों के लिये धारित हो।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) "पट्टा" से अभिप्रेत है किसी भूमि का उपयोग करने के अधिकार का ऐसा अंतरण जो एक अभिव्यक्त या विवक्षित समय के लिये, किसी कीमत के, जो दी हो, या जिसे देने का वचन दिया गया हो अथवा धन या किसी अन्य मूल्यांकन वस्तु के, जो कालावधीय रूप से अंतरिती द्वारा, जो उस अंतरण को ऐसे निबंधनो पर प्रतिगृहीत करता है, अन्तरक को दी जानी है, प्रतिफल के रूप में किया गया हो;

(ख) किसी ऐसे ठहराव को, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति (पट्टेदार) अपने बैलों से या अपने द्वारा उपाप्त बैलों से और उसके द्वारा भूमिस्वामी को भूमि की उपज का कोई विनिर्दिष्ट अंश देने की शर्त पर भूमिस्वामी की किसी भूमि पर खेती करना है, पट्टा समझा जायेगा;

(ग) केवल घास काटने या पशु चराने या सिंघाड़ा उगाने या लाख का प्रजनन या संग्रहण करने, तेंदू पत्ते तोड़ने या उनका संग्रहण करने के अधिकार का दिया जाना भूमि या पट्टा नहीं समझा जायेगा ।

(२) भूमिस्वामी, जो—

(एक) विधवा है; या

(दो) अविवाहित स्त्री है, या

(तीन) ऐसी विवाहित स्त्री है जिसे पति ने त्याग दिया हे, या

(चार) अवयस्क है; या

(पांच) ऐसा व्यक्ति है जो वृद्धावस्था के कारण या अन्यथा शारीरिक या मानसिक दृष्टि से नि:शक्त हो गया है; या

(छह) ऐसा व्यक्ति है जो किसी विधि- आदेशिका के अधीन निरूद्व या कारावासित है; या

(सात) ऐसा व्यक्ति है जो संघ के सशक्त बल की सेवा में है; या

(आठ) सार्वजनिक, पूर्व या धार्मिक संस्था है; या

(नौ) स्थानीय प्राधिकारी या सहकारी सोसाइटी है;

अपना सम्पूर्ण खाता या उसका कोई भाग पट्टे पर दे सकेगा:

परंतु जहां कोई खाता एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्तत: धारित है, वहां इस उपधारा के उपबंध तब तक लागू नहीं होंगे जब तब कि ऐसे समस्त व्यक्ति पूर्वोक्त वनों में किसी एक वर्ग या एक से अधिक वर्गो के न हों:

परंतु यह और भी कि इस उपधारा के अनुसरण में दिया गया कोई भी पट्टा मृत्यु हो जाने या अन्य प्रकार से नि:शक्तता समाप्त हो जाने के एक वर्ष पश्चात् प्रवृत्त नहीं रहेगा ।

(३) x x x

(४) जहां पट्टा उपधारा (२) के अनुसरण में दिया जाता है, वहां पट्टेदार उस भूमि को ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर धारण करेगा जैसी कि उसके तथा भूमिस्वामी के बीच करार पाई जायँ और उसे उस दशा में उपखंड अधिकारी के आदेश से बेदखल किया जा सकेगा जबकि भूमि स्वामी ने इस आधार पर आवेदन किया हो कि उस पट्टे के किसी तात्विक निबन्धन या शर्त का उल्लंघन हुआ है या इस आधार पर आवेदन किया हो कि पट्टा प्रवृत्त नहीं रहा है।

(५) जहां इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय कोई भूमि किसी ऐसे भूमि स्वामी से; जो उपधारा (२) में वर्णित वर्गो में से किसी वर्ग का या एक से अधिक वर्गो का है, पट्टे पर धारित है, है, वहां इस संहिता के प्रवृत्त होने पर पट्टे के सम्बंध में यह समझा जावेगा कि वह उपधारा (२) के अनुसरण में दिया गया पट्टा हैं ।

१६९-अनधिकृत पट्टा, आदि – यदि कोई भूमिस्वामी-

(एक) अपने खाते में समाविष्ट किसी भूमि को धारा १६८ के उल्लंघन में किसी कालावधि के लिये पट्टे पर दे देता है; या

(दो) किसी ऐसे ठहराव (arrangement) जो धारा १६८ की उपधारा (१) के अधीन पट्टा न हो, द्वारा किसी व्यक्ति को अपने खाते में समाविष्ट किसी भूमि पर, अपने भाड़े के श्रमिक के रूप में न होकर अन्यथा, खेती करने हेतु अनुज्ञात करता है, और उस ठहराव के अधीन ऐसा व्यक्ति उसे धारा २५० के अनुसार बेदखल किये गये बिना, दो वर्ष से अधिक कालावधि के लिये ऐसी भूमि को कब्जे में रखने के लिये अनुज्ञात किया जाता है, तो मौरूसी कृषक के अधिकार-

(क) उपर्युक्त (एक) के मामले में, पट्टेदार को ऐसी भूमि में तदुपरि प्रोद्भूत हो जायेगें; और

(ख) उपयुक्त (दो) के मामले में, कब्जे की तारीख से दो वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने पर, ऐसे व्यक्ति को उस भूमि में प्रोद्भूत हो जायेंगे:

परंतु इस धारा में की कोई भी बात किसी ऐसी भूमि को लागू नहीं होगी जो किसी ऐसी जनजाति के, जिसे धारा १६५ की उपधारा (६) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया है, किसी भूमि स्वामी के खाते में समाविष्ट हो तथा जो यथास्थिति उसके द्वारा पट्टे पर दी गई है या जिसके सम्बंध में उसने पूर्वोक्तानुसार कोई ठहराव किया है ।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

१७१-सुधार करने का अधिकार, - कृषि के प्रयोजन के लिये धारित भूमि का भूमिस्वामी, उस भूमि पर अधिक अच्छी खेती के लिये या पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये उसके अधिक सुविधापूर्ण उपयोग हेतु उस पर कोई भी सुधार करने का हकदार है।

१७२-भूमि का व्यपवर्तन- (१) यदि –

(एक) नगरीय क्षेत्र में या ऐसे क्षेत्र की बाहरी सीमाओं से पांच मील की त्रिज्या के भीतर; या

(दो) किसी ऐसे ग्राम में, जिसकी जनसंख्या गत जनगणना के अनुसार दो हजार या उससे अधिक हो; या

(तीन) ऐसे अन्य क्षेत्रों में, जिन्हें राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे;

किसी प्रयोजन के लिये धारित भूमि का भूमिस्वामी अपने खाते या उसके किसी भाग को कृषि के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित करना चाहता है तो वह इस बाबत अनुज्ञा दी जाने के लिये उपखंड अधिकारी को आवेदन करेगा, जो इस धारा के तथा इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए, अनुज्ञा देने से इंकार कर सकेगा या अनुज्ञा ऐसी शर्तो पर दे सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे:

परंतु यदि उपखंड अधिकारी उपधारा (१) के अधीन आवेदन प्राप्त होने क पश्चात् तीन मास तक; उसके सम्बंध में अनुज्ञा या इंकारी का आदेश करने तथा उसे आवेदक का परिदत्त करने में उपेक्षा या चूक करता है, और आवेदक ने उस चूक या उपेक्षा की ओर उपखंड अधिकारी का ध्यान लिखित संसूचना द्वारा आकृष्ट कर दिया हो तथा ऐसी चूक या उपेक्षा एक माम की और कालावधि तक जारी रहती है तो यह समझा जायगा कि उपखंड अधिकारी ने अनुज्ञा विना किसी शर्त के प्रदान कर दी है:

परंतु यह और कि यदि किसी ऐसी भूमि का, जो विकास योजना में कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिए आरक्षित की गई है किंतु उसका उपयोग कृपि के लिये किया जाता है भूमिस्वामी अपनी भूमि या उसके किसी

भाग को ऐसे प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित करना चाहता है जिसके लिए वह भूमि विकास योजना में आरक्षित है, तो भूमिस्वामी द्वारा अपने आशय की उपखंड अधिकारी को दी गई जानकारी पर्याप्त होगी और ऐसे व्यपवर्तन के लिए कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं है:

परंतु यह भी कि यदि किसी ऐसी भूमि का, जो कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित की गई है, भूमिस्वामी अपनी भूमि या उसके किसी भाग को उद्योग के प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित करना चाहता है और ऐसी भूमि विकास योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में स्थित हो, तो भूमि स्वामी द्वारा अपने आशय की उपखण्ड अधिकारी को दी गई लिखित जानकारी पर्याप्त होगी और ऐसे व्यपवर्तन के लिये कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं है :

परंतु यह भी कि यदि सक्षम प्राधिकारी किसी अवैध कालोनी जिसकी भूमि व्यपवर्तित नहीं की गई है, के नियमितीकरण के कार्य का जिम्मा लेता है तो ऐसी भूमि विकास योजना के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए व्यपवर्तित हो गई समझी जाएगी और ऐसी भूमि धारा ५९ के अधीन प्रीमियम तथा पुनरीक्षित भू-राजस्व के लिए दायी होगी.

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिये सक्षम प्राधिकारी का वही अर्थ होगा जो उसके लिए मध्यप्रदेश नगरपालिक नियम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निबंध तथा शर्तें) नियम, १९९८ में दिया गया है ।

(२) व्यपवर्तित करने की अनुज्ञा देने से उपखंड अधिकारी द्वारा केवल इन आधारों पर इंकार किया जा सकेगा कि उस व्यपवर्तत से लोक न्यूसेन्स होना संभाव्य है, या यह कि भूमिस्वामी उन शर्तो का, जो कि उपधारा (३) के अधीन अधिरोपित की जाय, अनुपालन करने में असमर्थ है या अनुपालन करने के लिये राजी नहीं है।

(३) व्यपवर्तन के संबंध में शर्तें निम्नलिखित उद्देश्यों, अर्थात् सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सुविधा सुनिश्चित करने के लिये ही अधिरोपित की जा सकेंगी अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं और उस भूमि की दशा में जिसका कि उपयोग निर्माण स्थलों के रूप में किया जाता है, उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिये अधिरोपित की जा सकेंगी कि स्थलों की विना, उनका विन्यास तथा उन तक पहुंच दखलकारों के स्वास्थ्य तथा सुविधा की दृष्टि से पर्याप्त हैं या संम्बधित बस्ती के लिये उपयुक्त हैं ।

(४) यदि कोई भूमि, भूमिस्वामी द्वारा बिना अनुज्ञा के या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भूमिस्वामी की सम्मति से या उसकी सम्मति के बिना व्यपवर्तित कर दी गई हो तो उपखंड अधिकारी, उसकी जानकारी प्राप्त होने पर, उस व्यक्ति पर, जो व्यपवर्तन के लिए जिम्मेदार है, ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो ऐसी व्यपवर्तित भूमि के बाजार मूल्य का बीस प्रतिशत से अधिक न हो, और उपधारा (१) के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार कार्यवाही कर सकेगा मानो व्यपवर्तित करने की अनुज्ञा के लिये आवेदन कर दिया गया हो।

(५) यदि कोई भूमि, पूर्वगामी उपधाराओं में से किसी उपधारा के अधीन पारित किये गये किसी आदेश या अधिरोपित की गई किसी शर्त के उल्लंघन में व्यपवर्तित की गई है तो उपखंड अधिकारी उस व्यक्ति पर, जो ऐसे उल्लंघन के लिये जिम्मेदार है, सूचना तामील कर सकेगा जिसमें उसे यह निर्देश दिया जायगा कि वह उस सूचना में कथित युक्तियुक्त कालावधि के भीतर उस भूमि को उसके मूल प्रयोजन के लिये उपयोग में लाये या शर्तों का अनुपालन करें और ऐसी सूचना में ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह किसी संरचना को हटा ले, किसी उत्खात को भर दे या ऐसे अन्य उपाय करे जो इस दृष्टि से अपेक्षित हों कि उस भूमि को उसके मूल प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जा सके या यह कि शर्त को पूरा किया जा सके । उपखंड अधिकारी ऐसे व्यक्ति पर ऐसे उल्लंघन के लिये उपयोग में लाया जा सके या यह कि शर्त को पूरा किया जा सके । उपखंड अधिकारी ऐसे व्यक्ति पर ऐसे उल्लंघन के लिये ऐसी शास्ति, जो ऐसी व्यपवर्तित भूमि के बाजार मूल्य का बीस प्रतिशत से अधिक की नहीं होगी तथा ऐसी अतिरिक्त शास्ति भी, जो प्रत्येक धारा ऐसे दिन के लिये, जिसके कि दौरान ऐसा उल्लंघन चालू रहे, एक हजार रूपये से अधिक की नहीं होगी, अधिरोपित कर सकेगा ।

(६) यदि कोई व्यक्ति, जिस पर उपधारा (५) के अधीन सूचना तामील की गई है, उपखंड अधिकारी द्वारा उस उपधारा के अधीन आदिष्ट उपाय सूचना में कथित कालावधि के भीतर नहीं करता है तो अधिकारी ऐसे उपाय

या तो स्वयं कर सकेगा या करवा सकेगा: और ऐसा करने में उपगत कोई भी खर्च ऐसे व्यक्ति से उसी प्रकार वसूल किया जा सकेगा मानो कि वह भू – राजस्व की बकाया हो ।

(६-क) यदि कोई भूमि धारा १६५ की उपधारा (६-डड) के उल्लंघन में व्यपवर्तित की गई है, तो उपखंड अधिकारी उपधारा (५) तथा (६) में अधिकथित कार्रवाई करने के अतिरिक्त ऐसे उल्लंघन के लिए ऐसी शास्ति, जो पांच हजार रूपये से अधिक की नहीं होगी, तथा ऐसी अतिरिक्त शास्ति, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसके कि दौरान ऐसा उल्लंघन चालू रहे; एक सौ रूपये से अधिक की नहीं होगी, अधिरोपित करेगा ।

(७) लुप्त

स्पष्टीकरण-एक.– इस धारा में व्यपवर्तन से अभिप्रेत है भूमि को, जिस पर धारा ५९ के अधीन किसी एक प्रयोजन के लिये निर्धारण किया गया हो, उस धारा में वर्णित किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग में लाना किंतु भूमि को, जबकि उस पर किसी अन्य प्रयोजन के लिये निर्धारण किया गया हो, कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग में लाना व्यपवर्तन नहीं समझा जायगा ।

स्पष्टीकरण–दो – इस धारा के प्रयोजन के लिये शब्द 'विकास योजना' का वही अर्थ होगा जो कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन १९७३) में उसके लिये दिया गया है।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

१७४-त्यजन किये गये उपखंड का निपटारा – यदि धारा १७३ के अधीन सर्वेक्षण संख्यांक या भू-खंड संख्यांक के किसी उपखंड का त्यजन कर दिया जाता है, तो तहसीलदाल उसी सर्वेक्षण संख्यांक या भू-खंड संख्यांक के अन्य उपखंडों के भूमिस्वामी को ऐसी प्रीमियम पर जो कि वह उचित समझे, ऐसे उपंखंड को दखल में लेने के अधिकार देगा और यदि ऐसे भूमिस्वामियों में स्पर्धा हो तो वह ऐसे अधिकार को उनमें से सबसे ऊँची बोली लगाने वाले भूमिस्वामी को बेच देगा।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

१७६-खाते का परित्याग. – (१) यदि कोई ऐसा भूमिस्वामी, जो अपने खाते पर या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दो वर्ष तक खेती नहीं करता है, भू-राजस्व का भुगतान नहीं करता है और उसने उस ग्राम को, जिसमें कि वह सामान्यत: निवास करता है, छोड़ दिया है तो तहसीलदार, ऐसी जांच के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, उस खाते में समाविष्ट भूमि का कब्जा ले सकेगा और एक बार में एक कृषि वर्ष की कालावधि के लिये उस भूमि को भूमिस्वामी की ओर से पट्टे पर देकर उस खेती की व्यवस्था कर सकेगा ।

(२) जहां भूमिस्वामी या भूमि के लिए विधिपूर्वक हकदार कोई अन्य व्यक्ति, उस तारीख के, जिसको कि तहसीलदार ने उस भूमि का कब्जा लिया हो, ठीक आगामी कृषि वर्ष के प्रारंभ से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर उस भूमि के लिये दावा करता है, वहां वह, भूमि, शोध्यों का, यदि कोई हो, भुगतान कर दिया जाने पर तथा ऐसे निबंधनों एवं शर्तो पर, जैसी कि तहसीलदार उचित समझे, उसे वापस दिला दी जायेगी ।

(३) जहां उपधारा (२) के अधीन कोई दावा नहीं किया जाता है या यदि कोई दावा किया जाता है तो वह नामंजूर कर दिया जाता है तो तहसीलदार, उस खाते को परित्यक्त घोषित करते हुए आदेश करेगा और वह खाता ऐसी तारीख मे, जो कि उस आदेश में उस निर्मित विनिर्दिष्ट की जाये, सरकार ने पूर्णरूप से निहित हो जायेगा ।

(४) जहां कोई खाता उपधारा (३) के अधीन परित्यक्त घोषित कर दिया जाता है, वहां राजस्व की उस बकाया के सम्बंध में जो उस खाते की बाबत उस भूमिस्वामी से शोध्य हो, उस भूमिस्वामी के दायित्व का उन्मोचन हो जायेगा ।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

१७८ क-**भूमिस्वामी के जीवन काल में भूमि का बंटवारा** - (१) जब कभी भूमिस्वामी अपने जीवनकाल में उसके वैध उत्तराधिकारियों (वारिसों) के बीच अपनी कृषिक भूमि का बंटवारा करना चाहता है तो वह तहसीलदार को बंटवारा के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(२) तहसीलदार, वैध वारिसों की सुनवाई करने के पश्चात्, खाते का बंटवारा कर सकेगा और इस संहिता के अधीन नियमों के अनुसार खाते के निर्धारण का प्रभाजित कर सकेगा ।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

१८१ क-**पट्टाधृति अधिकार का फ्री होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन**— संहिता के अध्याय ६ और इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी नगरीय क्षेत्रों मे आवासिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रदान किए गए विभिन्न पट्टों को, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, फ्री होल्ड में संपरिवर्तित कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिये "फ्री होल्ड" से अभिप्रेत है, भूमि में ऐसा अधिकार जो ऐसे भू-राजस्व, जो कि विहित किए जाएं, के भुगतान को छोड़कर के अधीन विल्लंगमों से मुक्त है।

१८२-**सरकारी पट्टेदार के अधिकार तथा दायित्व.** – (१) सरकारी पट्टेदार, इस संहिता में के किन्हीं अभिव्यक्ति उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अपनी भूमि उस अनुदान के, जो कि सरकारी अनुदान अधिनियम, १८९५ (१८९५ का संख्यांक १५) के अर्थ के अंतर्गत अनुदान समझा जायेगा, निबंधों तथा शर्तो के अनुसार धारण करेगा ।

(२) सरकारी पट्टेदार को उसकी भूमि से, राजस्व अधिकारी के आदेश द्वारा निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधारों पर बेदखल किया जा सकेगा अर्थात्:–

(एक) यह कि उसने लगान का उस तारीख से, जिसकी वह शोध्य हो गया था, तीन मास की कालावधि तक भुगतान नहीं किया है; या

(दो) यह कि उसने ऐसी भूमि का उपयोग उन प्रयोजनों से, जिनके कि लिये वह प्रदान की गई थी, भिन्न प्रयोजनों के लिये किया है;

(तीन) यह कि उसके पट्टे की अवधि का अवसान हो चुका है; या

(चार) यह कि उसने अनुदान के किसी निबंध तथा शर्त का उल्लंघन किया है:

परंतु इस उपधारा के अधीन किसी सरकारी पट्टेदार को बेदखल करने के लिए कोई आदेश उसे अपनी प्रतीक्षा में सुने जाने का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

१८३-**सेवा भूमि**.-(१) ग्राम सेवक के रूप में सेवा करने की शर्त पर भूमि धारण करने वाला कोई व्यक्ति, उस दशा में भूमि का हकदार नहीं रह जायेगा जबकि वह ऐसी भूमि को कृषि – भिन्न प्रयोजनों के लिये अपवर्तित कर देता है।

(२) ऐसा संव्यवहार, जिसके द्वारा कोई ग्राम सेवक अपनी सेवा भूमि में के अपने हित को विक्रय, दान, बंधक, उप-पट्टे या अन्यथा, एक वर्ष अनधिक कालावधि तक के उप-पट्टे द्वारा के सिवाय, अंतरित करने का प्रयत्न करता है, शून्य होगा ।

(३) यदि ऐसी भूमि में का धारक मर जाये, पद त्याग दे या विधिपूर्वक पदच्युत कर दिया जाये, तो वह भूमि उसके पद उत्तरवर्ती को संक्रांत हो जायेगी ।

(४) धारक का ऐसी भूमि में अधिकार किसी डिक्री के निष्पादन में कुर्क नहीं किया जायेगा और न ही ऐसी भूमि का प्रबंध करने के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का संख्यांक ५) की धारा ५१ के अधीन कोई रिसीवर नियुक्त किया जायेगा ।

१८४-सिरोंज क्षेत्र में की सेवा भूमि का उस दशा में निपटारा जबकि सेवाओं के आगे आवश्यकता न हो.— यदि कलेक्टर यह घोषित कर देता कि सिरोंज क्षेत्र में ग्राम सेवक द्वारा की जाने वाली सेवाओं की आगे आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा ग्राम सेवक अपनी सेवा भूमि के सम्बन्ध में भूमिस्वामी हो जायेगा और तद्नुसार भू-राजस्व का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा ।

अध्याय – १४
मौरूसी (दखलकार) कृषक
(Occupancv Tenants)

१८५-मौरूसी कृषक – (१) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय –

(एक) महाकौशल क्षेत्र में –

(क) कोई ऐसी भूमि धारण करता है जो मध्यप्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, १९५४ (क्रमांक २ सन् १९५५) के प्रवृत होने के पूर्व मालिक मकबूजा थी और जिसके सम्बंध में ऐसे व्यक्ति को पूर्ण मौरूसी कृषक के रूप में अभिलिखित किया गया था; या

(ख) कोई भूमि, मध्यप्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, १९५४ (क्रमांक २ सन् १९५५) में यथा परिभाषित मौरूसी कृषक के रूप में धारण करता है; या

(ग) कोई भूमि, मध्यप्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, १९५४ (क्रमांक २ सन् १९५५) में यथा परिभाषित मामूली कृषक के रूप में धारण करता है; या

(दो) मध्य भारत क्षेत्र में ----

(क) कोई इनाम भूमि, कृषक या उप-कृषक या साधारण कृषक के रूप में धारण करता है; या

स्पष्टीकरण– अभिव्यक्ति "इनाम भूमि" का वही अर्थ होगा जो उसे मध्य भारत माफी तथा इनाम कृषक एवं उप-कृषक संरक्षण विधान, १९५४ (क्रमांक ३२ सन १९५४) में दिया गया है ।

(ख) कोई भूमि, मध्य भारत रैयतवारी उप-पट्टेदार संरक्षण विधान, १९५५ (क्रमांक २९ सन् १९५५) में यथा परिभाषित रैयतवारी उप-पट्टेदार के रूप में धारण करता है; या

(ग) मध्य भारत जागीर समाप्ति विधान, १९५१ (क्रमांक २८ सन् १९५१) में यथा परिभाषित कोई जागीर भूमि उप-कृषक के रूप में या उप-कृषक के कृषक के रूप में धारण करता है; या

(घ) मध्य भारत जमींदारी समाप्ति विधान, १९५१ (क्रमांक १३ सन् १९५१) में यथा परिभाषित स्वामी कोई भूमि उप-कृषक के रूप में या उप-कृषक के कृषक के रूप में धारण करता है; या

(तीन) विन्ध्य प्रदेश क्षेत्र में, कोई भूमि, विन्ध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू एण्ड टेनेन्सी ऐक्ट, १९५३ (क्रमांक ३ सन् १९५५) में यथा परिभाषित पचपन पैंतालिस कृषक पट्टेदार कृषक, निकुंजधारी या किसी तालाब धारक के उप-कृषक के रूप में धारण करता है; या

(चार) भोपाल क्षेत्र में ---

(क) कोई भूमि, भोपाल स्टेट सब-टेनेण्ट्स प्रोटेक्शन ऐक्ट, १९५२ (क्रमांक ७ सन् १९५३) में यथा परिभाषित उप-कृषक के रूप में धारण करता है; या

(ख) कोई भूमि, भोपाल स्टेट लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९३२ (क्रमांक ४ सन् १९३२) में यथा परिभाषित दखलकार से शिकमी के रूप में धारण करता है; या

(पाँच) सिरोंज क्षेत्र में –

(क) कोई, भूमि, राजस्थान टेनेन्सी ऐक्ट, १९५५ (क्रमांक ३ सन् १९५५) में यथा परिभाषित खातेदार कृषक या निकुंजधारी के उप-कृषक के रूप में धारण करता है; या

(ख) कोई भूमि, राजस्थान टेनेन्सी ऐक्ट, १९५५ (क्रमांक ३ सन् १९५५) में यथा परिभाषित खुदकाश्त के उप-कृषक या कृषक के रूप में धारण करता है;

मौरूसी कृषक कहलाएगा और उसे वे समस्त अधिकार होंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन मौरूसी कृषक को प्रदत्त किये गये हैं तथा वह उन समस्त दायित्वों के अध्यधीन होगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन मौरूसी कृषक पर अधिरोपित किये गये हैं ।

(२) जहां उपधारा (१) के खंड (दो) की मद (ग) या (घ) में निर्दिष्ट कोई भूमि, इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय, किसी उप-कृषक के वास्तविक कब्जे में है, वहां ऐसे कृषक को ही ऐसी भूमि का मौरूसी कृषक समझा जायेगा न कि उस उपकृषक को।

(३) जहां उपधारा (१) की कोई भी बात किसी ऐसे व्यकित को लागू नहीं होगी जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय ऐसे भूमिस्वामी से, जो धारा १६८ की उपधारा (२) में वर्णित वर्गो में से किसी एक या एक से अधिक वर्गो का है भूमि धारण करता है ।

(४) इस धारा की कोई भी बात उपधारा (१) के खंड (दो) की मद (ग) या (घ) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में से किसी भी प्रवर्ग के उप-कृषक या उप-कृषक के कृषक ने उन अधिकारों पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यथास्थिति मध्य भारत जागीर समाप्ति विधान, १९५१ (क्रमांक २८ सन् १९५१) या मध्य भारत जमींदारी समाप्ति विधान, १९५१ (क्रमांक १३ सन् १९५१) के उपबंधों के अनुसार पक्का कृषक के अधिकार अर्जित करने के बारे में है ।

१८६-**अधिकतम लगान.**— किसी भी करार या प्रथा या किसी न्यायालय की किसी भी डिक्री या आदेश के होते हुये भी या किसी भी विधि के प्रतिकूल होते हुये भी, मौरूसी कृषक द्वारा उसके द्वारा धारित भूमि के सम्बंध में देय अधिकतम लगान –

(क) सिंचित भूमि के किसी भी वर्ग के मामले में-- ऐसी भूमि पर निर्धारित किये गये भू-राजस्व के चौगुने से;

(ख) विन्ध्य प्रदेश क्षेत्र में, बाँध भूमि के मामले में-- ऐसी भूमि पर निर्धारित किये गये भू-राजस्व के तिगुने से; और

(ग) किसी अन्य मामले में-- निर्धारित किये गये भू-राजस्व के दुगुने से अधिक नहीं होगा:

परंतु जहां ऐसी भूमि की धारा ५८-क के अधीन भू-राजस्व की देनगी से छूट दी गई हो, वहां पूर्वोक्त अधिकतम में से भू-राजस्व की वह रकम कर दी जायगी जिसकी कि उक्त धारा के अधीन इस प्रकार छूट दी गई हो ।

स्पष्टीकरण – जहां किसी भूमि पर भू-राजस्व का निरीक्षण न किया गया हो वह पूर्वोक्त गुणितों की गणना ऐसी भूमि पर निर्धारण योग्य भू-राजस्व के आधार पर की जायगी ।

१८७-**परिवर्तन.** – (१) जहां कोई मौरूसी कृषक अपने लगान का भुगतान वस्तु के रूप में सेवा, श्रम सफल के अंश या अनाज के विनिर्दिष्ट परिणाम के रूप में करता है, वहां वह उसे नगदी में परिवर्तित कराने के लिये उपखंड अधिकारी को आवेदन कर सकेगा ।

(२) उपधारा (१) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, उपखंड अधिकारी जांच करने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा ऐसे लगान को नकदी में परिवर्तन करेगा जो उस अधिकतम लगान से अधिक नहीं होगा जैसा कि धारा १८६ में अधिकथित है ।

१८८-लगान – (१) इस संहिता के प्रवृत्त होने की तारीख के ठीक आगामी कृषि वर्ष के प्रारम्भ मे मौरूसी कृषक द्वारा देय लगान वह अधिकतम लगान होगा जो धारा १८६ में अधिकथित है या यदि कृषक तथा उसके भूमिस्वामी के बीच तय पाया गया लगान होगा:

परंतु जहां तय पाया गया लगान वस्तु के रूप में देय हो, तो जब तक कि ऐसा लगान धारा १८७ के अधीन नगदी में परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है, वह कृषक ऐसे अधिकतम लगान का भुगतान करने का दायी होगा जैसा कि धारा १८६ में अधिकथित है।

(२) प्रत्येक मौरूसी कृषक अपने भूमिस्वामी को लगान का भुगतान ऐसी तारीख को या उसके पूर्व करेगा जो कि उस सम्बंध में विहित की जाय।

१८९-कतिपय मामलों में भूमिस्वामी द्वारा पुनर्ग्रहण.—(१) भूमिस्वामी, जिसकी कि भूमि सिवाय उन प्रवर्गो के जो कि धारा १८५ की उपधारा (१) के खंड (एक) की मद (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट है धारा १८५ की उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गो में से किसी भी प्रवर्ग के मौरूसी कृषक द्वारा धारित है, उस दशा में जब कि उनकी निजी खेती के अधीन भूमि का क्षेत्रफल पच्चीस एकड़ असिंचित भूमि से कम है, उसके मौरूसी कृषक द्वारा धारित भूमि का अपनी निजी खेती के लिये पुनर्ग्रहण करने हेतु इस संहिता के प्रवृत्त होने के एक वर्ष के भीतर उस खंड अधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

(२) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, उपखंड अधिकारी पक्षकारों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात् जैसी कि आवश्यकता हो आवेदन को विनिश्चित करेगा:

परंतु पुनर्ग्रहण का अधिकार उतने क्षेत्रफल तक ही सीमित होगा जो पहले से ही उस भूमिस्वामी की निजी खेती के अधीन के क्षेत्रफल सहित पच्चीस एकड़ असिंचित भूमि से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह और भी कि ऐसा कोई पुनर्ग्रहण अनुज्ञात नहीं किया जायगा कि जिसने उस मौरूसी कृषक के कब्जे में की भूमि का कुल क्षेत्र फल :-

(एक) उस मामले में, जबकि वह मौरूसी कृषक ऐसी भूमि किसी ऐसे भूमिस्वामी से, जो धारा १६८ की उपधारा (२) में वर्णित वर्गो में से किसी वर्ग का न हो, इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व पाँच वर्ष से भी अधिक समय से धारण किये रहा है, पच्चीस एकड़ असिंचित भूमि से कम हो जाय;

(दो) किसी अन्य मामले में, दस एकड़ से कम हो जाय;

(३) जहां उपधारा (२) के अधीन पारित किये गये किसी आदेश के अधीन भूमिस्वामी को उस भूमि का जो कि मौरूसी कृषक द्वारा ऐसे भूस्वामी से धारित है, कोई भाग पुनर्ग्रहण करने के लिये अनुज्ञात किया जाता है, वहां उपखंड अधिकारी पुनर्ग्रहण की जाने के लिये अनुज्ञात की गई भूमि का चयन तथा सीमांकन इन नियमों के अनुसार करेगा जो कि उस संबंध में बनाये जायें। पुनर्ग्रहण केवल उसी दशा में अनुज्ञात किया जायेगा जब कि भूमिस्वामी मौरूसी कृषक को ऐसे प्रतिकर का भुगतान करने के लिये सहमत हो जाता है जैसा कि उपखंड अधिकारी पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात्, उस भूमि पर जो, कि भूमिस्वामी द्वारा पुनर्ग्रहण करने के लिये अनुज्ञात की गई है, गोस्वामी कृषक द्वारा किये गये सुधार के लिये नियत करे। उपखंड अधिकारी ऐसे मामले से, मौरूसी कृषक द्वारा किये गये सुधार के लिये नियत करे। उपखंड अधिकारी ऐसे मामले से, मौरूसी कृषक के पास बच रही भूमि के संबंध में लगान भी विहित रीति में नियत करेगा। (४) पुनर्ग्रहण अनुज्ञात करने वाला प्रत्येक आदेश, उस आदेश की तारीख के ठीक आगामी कृषि वर्ष से प्रभावी होगा और पुनर्ग्रहण की गई भूमि के सम्बन्ध में, मौरूसी कृषक का कृषिकाधिकार समाप्त हो जायेगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजन के लिये –

(१) भूमिस्वामी की निजी खेत के अधीन की भूमि के अंतर्गत आयेगी –

(क) कोई ऐसी भूमि जो कि उसने विक्रय द्वारा या अन्यथा १ जनवरी, १९५९ को या उसके पश्चात् अंतरित की हो, और

(ख) कोई ऐसी भूमि जो कि उसके द्वारा पड़त पड़ी रहने दी गई हो।

(२) एक एकड़ सिंचित भूमि को दो एकड़ असिंचित भूमि के बराबर समझा जायेगा तथा इसी प्रकार इसका विपर्यय ।

१९०-मौरूसी कृषकों को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किया जाना.— (१) जहां कोई भूमिस्वामी, जिसकी कि भूमि सिवाय उन प्रवर्गों के, जो कि धारा १८५ की उपधारा (१) के खंड (एक) की मद (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट है, धारा १८५ की उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में से किसी भी प्रवर्ग के मौरूसी कृषक द्वारा धारित है, धारा १८९ की उपधारा (१) के अधीन आवेदन उस कालावधि के भीतर नहीं करता है जो कि उसमें अधिकथित है, वहां उस मौरूसी कृषक को, उसके द्वारा ऐसे भूमिस्वामी से धारित भूमि के सम्बन्ध में भूमिस्वामी के अधिकार पूर्वोक्त कालावधि का अवसान होने के ठीक आगामी कृषि वर्ष के प्रारम्भ से प्रोद्भूत हो जायेंगे ।

(२) जहां भूमिस्वामी द्वारा धारा १८९ की उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार आवेदन किया जाता है, वहां मौरूसी कृषक को उस भूमि के संबंध में जो भूमिस्वामी को अनुज्ञात किये गये पुनर्ग्रहण, यदि कोई हो, के पश्चात् उसके पास बच रहे, भूमिस्वामी के अधिकार उस तारीख के, जिसको कि आवेदन अंतिम रूप से निपटाया जाता है, ठीक आगामी कृषि वर्ष के प्रारम्भ से प्रोद्भूत हो जायेंगे।

(२-क) जहां भूमिस्वामी की भूमि उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट मौरूसी कृषक से भिन्न मौरूसी कृषक द्वारा धारित है, वहां उस मौरूसी कृषक को ऐसी भूमि के सम्बन्ध में भूमिस्वामी के अधिकार–

(क) धारा १८५ की उपधारा (१) के खंड (एक) मद (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट किये गये प्रवर्गों के मौरूसी कृषकों के मामले में, मूल अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक आगामी कृषि वर्ष के प्रारंम्भ से,

(ख) किसी अन्य मामले में, उस तारीख के, जिसको कि ऐसे कृषक को मौरूसी कृषक के अधिकार प्रोद्भूत होते हैं, ठीक आगामी कृषि वर्ष के प्रारम्भ से, प्रोद्भूत हो जायेंगे ।

(३) जहां उपधारा (१), उपधारा (२) या उपधारा (२-क) के अधीन मौरूसी कृषक को भूमिस्वामी के अधिकार प्रोद्भूत हो जाते हैं, वहां ऐसा मौरूसी कृषक अपने भूमिस्वामी को ऐसे प्रतिकर का जो उस भूमि के सम्बन्ध में देय भू-राजस्व के पन्द्रह गुने के बराबर हो, पाँच समान वार्षिक किश्तों में भुगतान करने का दायी होगा, प्रत्येक किश्त उस तारीख को देय होगी जिसको कि तत्सम्बधी वर्ष के लिये धारा १८८ के अधीन देय लगान शोध्य होता है, और यदि भुगतान करने में व्यतिक्रम किया जाता है तो वह भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किया जायेगा:

परंतु यदि किसी हेतुक से किसी वर्ष किसी क्षेत्र में भू-राजस्व पूर्णत: या भागत: निलम्बित कर दिया जाता है या उसमें माफी दे दी जाती है तो प्रतिकर की यह वार्षिक किश्त, जो कि ऐसे क्षेत्र में भूमि धारण करने वाले मौरूसी कृषक द्वारा उस वर्ष के सम्बंध में देय हो, निलम्बित कर दी जायेगी और वह शेष किश्तों में से अंतिम किश्त के एक वर्ष के पश्चात् देय होगी ।

(४) कोई भी मौरूसी कृषक, अपने विकल्प पर, प्रतिकर की सम्पूर्ण रकम को एकमुश्त भुगतान कर सकेगा और जहां कोई मौरूसी कृषक इस विकल्प का प्रयोग करता है, वहां दस प्रतिशत की दर से रिबेट पाने का हकदार होगा।

(५) प्रतिकर की रकम, चाहे उसका भुगतान एक मुश्त किया जाये या चाहे वार्षिक किश्तों में किया जाये, भूमि–स्वामी को चुकाई जाने के लिये ऐसी रीति तथा ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाय तहसीलदार के पास मौरूसी कृषक द्वारा जमा की जायेगी ।

(६) जहां इस धारा के अधीन मौरूसी कृषक को किसी भूमि से भूमिस्वामी के अधिकार प्रोद्भूत हो जायें वहां ऐसे अधिकार प्रोद्भूत होने की तारीख से ऐसा भू-राजस्व भुगतान करने का दायी होगा जो कि भूमिस्वामी द्वारा भूमि के सम्बन्ध में देय हो।

१९१-मौरूसी कृषक को भूमि वापस दिलाया जाना.— (१) यदि वह भूमिस्वामी, जिसके कि पक्ष में धारा १८९ की उपधारा (२) के अधीन पुनर्ग्रहण का आदेश पारित किया गया हो, उस तारीख के, जिसको कि वह

आदेश पारित किया गया हो, ठीक आगामी कृषि वर्ष के दौरान ऐसी भूमि पर स्वयं खेती नहीं करता है, तो मौरूसी कृषक ऐसी भूमि को वापस दिलाये जाने के लिये उपखंड अधिकारी को ऐसे समय के भीतर आवेदन कर सकेगा जो, कि विहित किया जाये:

परंतु मौरूसी कृषक उस दशा में आवेदन के लिये हकदार नहीं होगा जबकि वह भूमिस्वामी को ऐसी भूमि का कब्जा लेने या उस पर खेती करने में किसी भी प्रकार से बाधा पहुँचाए ।

(२) ऐसे आवेदन के प्राप्त होने पर, उपखंड अधिकारी, भूमिस्वामी को सुनवाई का अवसर देने तथा ऐसी और जाँच जैसी कि आवश्यक समझी जाये, करने मे पश्चात् प्रश्नगत भूमि का कब्जा मौरूसी कृषक को वापस देने का आदेश पारित कर सकेगा, और जहां ऐसा आदेश पारित कर दिया जाता है, वहां मौरूसी कृषक को उस भूमि का कब्जा उक्त आदेश की तारीख के ठीक आगामी कृषि वर्ष के प्रारम्भ से दिला दिया जायेगा और तब उसे भूमिस्वामी के अधिकार प्रोद्भूत हो जायेंगे तथा धारा १९० का उपबन्ध के उसकी उपधारा (२) को छोड़कर तद्नुसार लागू होंगे ।

(३) यदि उपधारा (२) के अधीन वापस दे दी गई भूमि के लिये देय लगान के बारे में कोई विवाद हो तो वह विवाद उपखंड अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(४) जहां उपधारा (२) के अधीन कोई भूमि किसी मौरूसी कृषक को वापस दे दी गई है, वहां वह भूमिस्वामी जिसके विरूद्ध वापसी का आदेश दिया गया हो, धारा १८९ के अधीन ऐसे मौरूसी कृषक की किसी भी भूमि के पुनर्ग्रहण का दावा करने से सदैव के लिये विवर्जित हो जायेगा ।

१९२-**मौरूसी कृषक अधिकारों का न्यागमन.**— मौरूसी कृषक का उसके खाते में का हित, उसकी मृत्यु हो जाने पर उसकी स्वीय विधि के अनुसार, विरासत या उत्तरजीविका द्वारा संक्रांत होगा ।

१९३-**कृषकाधिकार की समाप्ति** – (१) मौरूसी कृषक का उसके खाते में का कृषकाधिकार, उपखंड अधिकारी के आदेश द्वारा जो निम्नलिखित किन्हीं भी आधारों पर किया गया हो, समाप्त किया जा सकेगा, अर्थात्---

(क) उसने किसी कृषि वर्ष में, उस वर्ष के लिये ऐसी भूमि के लगान का भुगतान नियत तारीख को या उसके पूर्व नहीं किया हैं; या

(ख) उसने कोई ऐसा कार्य किया है, जो उस भूमि के लिये विनाशक या स्थाई रूप से हानिकर है; या

(ग) उसने ऐसी भूमि का उपयोग कृषि से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किया है; या

(घ) उसने उस भूमि में के अपने हित का अंतरण धारा १९५ के उल्लंघन में कर दिया है ।

(२) उपधारा (१) के खंड (क) में विनिद्रिष्ट किये गये आधार पर कोई भी आदेश मौरूसी कृषक के भूमि में के उसके अधिकारों की समाप्ति के लिये तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक उपखंड अधिकारी ने सूचना द्वारा, मौरूसी कृषक से शोध्य लगान, ऐसी कालावधि के भीतर, जो कि उपखंड अधिकारी द्वारा उस सूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, कार्यवाहियों के खर्च सहित निविदत्त करने की अपेक्षा न की हो और कृषक ने अपेक्षित रकम उक्त कालावधि के भीतर जमा न की हो ।

(३) उपधारा (१) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट आधार पर कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं होगी जब तक कि ऐसी भूमि के भूमिस्वामी ने मौरूसी कृषक पर एक लिखित सूचना, जिसमें विनाश या हानि का वह कार्य विनिर्दिष्ट किया गया हो; जिसके कि सम्बन्ध में परिवाद किया गया है, तामील न कर दी हो, तथा कृषक ने सूचना की तामील की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर या ऐसी और कालावधि के भीतर जो कि उपखंड अधिकारी मंजूर करे उस भूमि को उसी अवस्था में प्रत्यावर्तित न कर दिया हो जिसमें कि वह ऐसे विनाश या हानि के पूर्व थी ।

१९४-**ऐसे मौरूसी कृषक को जिसका कृषकाधिकार समाप्त कर दिया गया हो, लागू होने वाले उपबंध** – (१) ऐसे प्रत्येक मौरूसी कृषक के मामले में, जिसका कृषकाधिकार समाप्त कर दिया गया हो, निम्नलिखित उपबंध लागू होंगें, अर्थात:-

(क) यदि मौरूसी कृषक ने, कृषकाधिकार समाप्त होने की तारीख से पूर्व, उस भूमि में, जो कि खाते में समाविष्ट है, फसलों की बुवाई कर दी हो या उनकी पौध लगा दी हो, तो वह ऐसी भूमि के भूमिस्वामी

के विकल्प पर, या तो फसलों की देखभाल करने तथा उन्हें वहाँ से उठा लेने के प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि का कब्जा रखे रहने तथा उस प्रयोजन के लिये उसका उपयोग करने का; अथवा ऐसी भूमि को तैयार करने में तथा ऐसी फसलों की बुवाई करने, उनकी पौध लगाने तथा देखभाल करने में लगे श्रम का मूल्य तथा उन कार्यों पर उसके द्वारा व्यय की गई पूंजी, उस पर युक्तियुक्त ब्याज सहित, ऐसी भूमि के भूमिस्वामी से प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(ख) यदि मौरूसी कृषक ने, कृषकाधिकार समाप्त होने की तारीख के पूर्व कोई भूमि, जो कि उसके खाते में समाविष्ट है, बुवाई के लिये तैयार कर ली हो किन्तु उस पर फसलों की बुवाई न की हो या उनकी पौध न लगाई हो, तो वह ऐसी भूमि को तैयार करने में लगें श्रम का मूल्य तथा उसके द्वारा व्यय की गई पूँजी, उस पर युक्तियुक्त ब्याज सहित, ऐसी भूमि के भूमिस्वामी से प्राप्त करने का हकदार होगा:

परन्तु--

(एक) मौरूसी कृषक इस धारा के अधीन अपनी भूमि प्रतिधारित करने का या उसके सम्बन्ध में कोई राशि प्राप्त करने का उस दशा में हकदार नहीं होगा जबकि ऐसी भूमि के भूमिस्वामी द्वारा कृषकाधिकार की समाप्ति के लिये कार्यवाहिया प्रारंभ किये जाने के पश्चात् उसने स्थानीय प्रथा के प्रतिकूल ऐसी भूमि पर खेती की हो या ऐसी भूमि को खाते के लिये तैयार किया हो;

(दो) कृषकाधिकार की समाप्ति के समय मौरूसी कृषक द्वारा ऐसी भूमि के स्वामी को देय लगान, यदि कोई हो, मौरूसी कृषक को इस धारा के अधीन देय किसी राशि के प्रति मुजरा किया सकेगा;

(ग) यदि मौरूसी कृषक ने अपने खाते में समाविष्ट किसी भूमि में कृषकाधिकार की समाप्ति की तारीख के पूर्व कोई सुधार किया हो, तो वह ऐसी भमिस्वामी से उसके लिये ऐसा प्रतिकर पाने का हकदार होगा जैसा कि राजस्व अधिकारी, पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात्, अवधारित करे ।

(२) कृषकाधिकार समाप्त करने वाला राजस्व अधिकारी, उपधारा (१) के अधीन देय रकम, यदि कोई हो, अवधारित करेगा ।

१९५-मौरूसी कृषक के अनतरण सम्बन्धी अधिकार - (१) कोई भी मौरूसी कृषक भूमि में के या उसके किसी भाग में के अपने अधिकार को विक्रय, दान, बन्धक, उपपट्टे के तौर पर या अन्यथा अन्तरित करने का हकदार नहीं होगा और प्रत्येक ऐसा विक्रय, दान, बन्धक, उपपट्टा या अन्य अन्तरण धारा १९७ में उपबन्धित किये गये अनुसार परिवर्तनीय होगा:

परन्तु मौरूसी कृषक द्वारा या उसकी ओर से उपपट्टा दिया जा सकेगा यदि ऐसा व्यक्ति धारा १६८ की उपधारा (२) में वर्णित प्रवर्गो में से किसी प्रवर्ग का है ।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिये अभिव्यक्ति 'उप-पट्टा' का वही अर्थ लगाया जायगा जो कि धारा १६८ में 'पट्टा' के लिये दिया गया है।

(२) उपधारा (१) में की कोई भी बात मौरूसी कृषक को अपना खाता या उसका कोई भाग विक्रय या दान द्वारा किसी सह कृषक को या किसी ऐसे वयक्ति को, जो उस कृषक के निकटतर वारिसों के न होने पर उस कृषक का उत्तरजीवी होने की दशा में उस खाते को विरासत में प्राप्त करता, अन्तरित करने से निर्वासित नहीं करेगी ।

(३) इस धारा में की कोई भी बात मौरूसी कृषक को, भूमि विकास उधार अधिनियम, १८८३ (१८८३ का संख्याक १९), या कृषक उधार अधिनिय, १८८४ (१८८४ का संख्याक १२) के अधीन उसे दिये गये किसी अग्रिम के संदाय को प्रतिभूत करने के लिये अपनी भूमि में के किसी अधिकार को अन्तरित करने से निवारित नहीं करेगी या ऐसे अग्रित की वसूली के लिये ऐसे अधिकार का विक्रय करने के राज्य सरकार के अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

(४) इस धारा में की कोई भी बात मौरूसी कृषक को किसी सहकारी संस्था द्वारा उसे दिये गये अग्रिम के संदाय को निर्धारित प्रतिभूत करने के लिये अपने खाते में के किसी अधिकार को अन्तरित करने से नहीं करेगी, या ऐसे अग्रिम की वसूली के लिये ऐसे अधिकार का विक्रय करने के ऐसी संस्था के अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

(५) पूर्वगामी किन्हीं भी उपबन्धों के अधीन अनुज्ञात अन्तरण के अनुसरण में के सिवाय या प्रतिकर की किसी वार्षिक किश्त के बकाया की वसूली सम्बन्धी कार्यवाहियों के मामले में के सिवाय, मौरूसी कृषक के उसके खाने में के हित के विक्रय के लिये न तो कोई डिक्री या आदेश पारित किया जायगा, न ऐसा हित किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्क किया जायेगा या बेचा जायेगा, न ऐसे खाते का प्रबन्ध करने के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का संख्याक ५) की धारा ५१ के अधीन किसी रिसीवर की नियुक्ति की जायगी और न ही ऐसा हित प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, १९२० (१९२० का संख्याक ५) के अधीन न्यायालय में या किसी रिसीवर में निहित होगा।

१९६-सुधार करने के मौरूसी कृषक के अधिकार. - कृषि प्रयोजन के लिये धारित भूमि का मौरूसी कृषक, उस भूमि पर अधिक अच्छी खेती के लिये पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये उस भूमि के अधिक सुविधापूर्ण उपयोग के लिये उस पर कोई भी सुधार करने का हकदार है।

१९७-मौरूसी कृषको द्वारा किये गये अन्तरणो को अपास्त (to set aside) कराने के लिये आवेदन करने का कतिपय व्यक्तियों का अधिकार - (१) यदि कोई मौरूसी कृषक अपने खाते या उसके किसी भाग में के अपने अधिकारों को धारा १९५ के उल्लंघन में अन्तरित करता है तो कोई कृषक या कोई ऐसा व्यक्ति, जो उस कृषक के निकटतर वारिसों के न होने उस कृषक का उत्तरजीवी होने की दशा में उस खाते को विरासत में प्राप्त करता, या वह भूमिस्वामी, जिसकी कि भूमि ऐसा व्यक्ति धारण करता है, कब्जा दिलाये जाने के लिये उपखंड अधिकारी को आवेदन कर सकेगा, और उपखंड, लगान के बकाया के सम्बन्ध में तथा खेती के आवश्यक व्ययों हेतु अग्रिम के सम्बन्ध में मौरूसी कृषक दायित्वों को आवेदक द्वारा स्वीकार कर लेने पर, आवेदक को धारा २५८ के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार कब्जा दिला सकेगा।

(२) जहां उपधारा (१) के अधीन एक से अधिक व्यक्ति आवेदन करें, वहां वे कब्जा पाने के निम्नालिखित पूर्विकता क्रम में हकदार होंगे –

(एक) कोई ऐसा व्यक्ति जो कृषक का उत्तरजीवी होने दशा में उस खाते को विरासत में प्राप्त करता;

(दो) सह – कृषक; और

(तीन) वह भूमिस्वामी जिसकी कि भूमि मौरूसी कृषक धारण करता है ।

१९८-अभ्यर्पण- (१) कोई मौरूसी कृषक, कृषि वर्ष प्रारम्भ होने के कम से कम तीस दिन पूर्व भूमिस्वामी के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज निष्पादित करके, अपने अधिकार अभ्यर्पित कर सकेगा और तदुपरि वह ऐसी तारीख के ठीक आगामी कृषि वर्ष से मौरूसी कृषक नहीं रह जायेगा । कोई भी अभ्यर्पण तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि वह रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा न किया जाय ।

(२) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का संख्यांक २) या भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का संख्यांक १५) में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी मौरूसी कृषको द्वारा इस धारा के उपबन्धो के अनुसरण में निष्पादित अभ्यर्पण की लिखतों को, उन पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क तथा रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान से छूट होगी।

(३) उपधारा (१) के अधीन कोई अभ्यर्पण निष्पादित किया जाने पर भूमिस्वामी का कब्जा धारा १८९ के अधीन अपने पुनर्ग्रहण के अधिकार की सीमा तक ही लेने का हकदार होगा और अतिरिक्त भूमि, यदि कोई हो, राज्य सरकार में निहित हो जायेगी और भूमिस्वामी को ऐसी अतिरिक्त भूमि के लिये प्रतिकर दिया जायेगा जो धारा १८८ के अधीन उसके लिये देय लगान के दुगुने के बराबर होगा ।

(४) जहां कोई भूमि उपकार (३) के अधीन राज्य सरकार में निहित हो जाती है, वहां भूमिस्वामी विहित कालावधि के भीतर तथा विहित रीति में ऐसी भूमि को विनिर्दिष्ट करेगा और कालावधि के भीतर उसके ऐसा न करने पर ऐसी उपखंड अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जायेगी ।

(५) ऐसी भूमि के उपधारा (४) के उपबन्धों के अनुसार विनिर्दिष्ट कर दिये जाने के पश्चात् उपखंड अधिकारी उसका सीमांकन ऐसे नियमों के अनुसार करेगा जो कि उस सम्बन्ध में बनाये जायें और भूमिस्वामी द्वारा पुनर्ग्रहण की गई भूमि के सम्बन्ध में भू-राजस्व भी नियत करेगा ।

१९९-रसीद - प्रत्येक भूमिस्वामी लगान की रकम के लिये ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाय, लिखित रसीद उस समय देगा जबकि किसी भूमि के सम्बन्ध में ऐसी रकम उसके द्वारा प्राप्त की जाय ।

२००-रसीद न देने या अधिक वसूली के लिये शास्ति – यदि कोई भूमि स्वामी धारा १९९ द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार रसीद नहीं देगा या लगान के रूप में कोई रकम प्राप्त करेगा जो इस संहिता के अधीन देय लगान से अधिक हो, तो वह मौरूसी कृषक के आवेदन पर, तहसील के आदेश से इस बात के दायित्वाधीन होगा कि वह वसूल की गई अतिरिक्त रकम वापस करे तथा शास्ति के रूप में दो हजार रूपये से अनधिक राशि या यदि वसूल किये गये कुल लगान की दुगुनी रकम दो हजार रूपये अधिक हो, तो ऐसी रकम के दुगुने के अनधिक राशि का भुगतान करे और तहसीलदार यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी सम्पूर्ण राशि या उसका भाग मौरूसी कृषक द्वारा देय प्रतिकर की रकम के प्रति समायोजित किया जायेगा ।

२०१-भू- राजस्व की माफी तथा उसके निलम्बन के परिणाम स्वरूप लगान की माफी तथा उसका निलम्बन – (१) यदि किसी भूमि के सम्बन्ध में देय सम्पूर्ण भू-राजस्व या उसके किसी भाग के भुगतान में किसी कारणवश माफी दी जाती है या उसे निलम्बित कर दिया जाता है तो कलेक्टर साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी भूमि के लगान के, भुगतान में उतनी रकम तक यथास्थिति माफी दे सकेगा या उसे उतनी रकम तक निलम्बित कर सकेगा जिसका कि उस भूमि के सम्बन्ध में देय सम्पूर्ण लगान के साथ वही अनुपात होगा जो उस भू-राजस्व का, जिससे कि भुगतान में माफी दी गई है या जिसका भुगतान निलम्बित कर दिया गया है, उस भूमि के सम्बन्ध में देय सम्पूर्ण भू – राजस्व के साथ होता है और इस प्रकार माफी दी गई या निलम्बित की गई रकम का वितरण ऐसी भूमि धारण करने वाले मौरूसी कृषकों के बीच ऐसी रीति में कर सकेगा जो उसे उस प्रभाव का ध्यान रखते हुए सम्पूर्ण प्रतीत हों जो कि उनके खातों पर उस कारण से पड़ा हो जिससे कि परिणाम भू-राजस्व में माफी दी गई या उसे निलम्बित किया गया हो । (२) यदि लगान के भुगतान को निलम्बित कर दिया गया हो, तो ऐसे लगान की वसूली के लिये विहित परिसीमाकाल की संगणना करने में ऐसे निलम्बन की कालावधि को अपवर्जित कर दिया जायेगा।

(३) उपधारा (१) तथा (२) के उपबन्ध ऐसी भूमि को, जिससे कि भू-राजस्व को पूर्णत: या भागत: निर्मोचन कर दिया गया हो प्रशमन कर लिया गया हो या मोचन कर दिया हो, किसी ऐसे मामले में होंगे जिसमें कि, यदि उस भूमि के सम्बन्ध में भू-राजस्व का निर्मोचन नहीं किया गया होता, प्रशमन नहीं किया गया होता या मोचन नहीं किया गया होता कलेक्टर की राय में सम्पूर्ण भू- राजस्व या उसके किसी भाग की छूट दे दी गई होती या उसे निलम्बन कर दिया गया होता

२०२-दोषपूर्ण ढंग से बेदखल किये गये मौरूसी कृषक का पुन: स्थान – (१) यदि किसी व्यक्ति को, जो संहिता के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व किसी क्षेत्र में कोई भूमि धारा १८५ में वर्णित हैसियतों में से किसी हैसियत में धारण करता था, इस संहिता के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षो के दौरान उसके द्वारा धारित किसी भूमि से विधि की प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा बेदखल या बेकब्जा कर दिया गया हो तो वह ऐसी भूमि पर अपने पुन:स्थापन के लिये, इस संहिता के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा ।

(२) यदि किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय मौरूसी कृषक के रूप में भमि धारण करता है, इस संहिता के प्रवृत्त होने के पश्चात् किसी ऐसी भूमि से; जो कि उसके द्वारा धारित है, उस संहिता के उपबन्धों के उल्लघन में बेदखल कर दिया गया हो, तो वह ऐसे भूमि पर अपने पुन:स्थापन के आवेदन इस प्रकार बेदखल या बेकब्जा किये जाने की तारीख से दो वर्ष के भीतर तहसीलदार को कर सकेगा ।

(३) उपधारा (१) या (२) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, तहसीलदार, पक्षकारों मे सम्बन्धित दावों की जांच करने के पश्चात् आवेदन को विनिश्चय करेगा और जब वह मौरूसी कृषक को कब्जा वापस दिये जाने का आदेश दे देता है, तो उसे भूमि का कब्जा दिलायेगा ।

(४) तहसीलदार, आवेदक को उपधारा (३) के अधीन भूमि का कब्जा सौंपे जाने के लिये अन्तरिम आदेश जांच के किसी भी प्रक्रम पर पारित कर सकेगा यदि उसे यह प्रतीत हो कि विरोधी पक्ष द्वारा आवेदक को उपधारा (१) या (२) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किये जाने के पूर्व के छह माम के भीतर बेदखल कर दिया गया था या बेकब्जा कर दिया गया था, और यदि आवश्यक हो तो विरोधी पक्ष को उसके (तहसीलदार) के आदेश के अधीन बेदखल कर दिया जायेगा

(५) जब उपधारा (४) के अधीन अन्तरिम आदेश पारित कर दिया गया हो, तो तहसीलदार विरोधी पक्ष से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस समय तक, जब तक कि तहसीलदार द्वारा अन्तिम आदेश पारित न कर दिया जाय, भूमि का कब्जा लेने से प्रविरत रहने के लिये उतनी राशि का बन्धपत्र निष्पादित करे जितनी कि वह (तहसीलदार) उचित समझे ।

(६) यदि यह पाया कि बन्धपत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति ने बन्धपत्र के उल्लंघन में भूमि में प्रवेश कर लिया है या उसका कब्जा ले लिया है तो तहसीलदार बन्धपत्र को पूर्णत: या भागत: समपहृत कर सकेगा और ऐसी रकम भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल कर सकेगा ।

(७) यदि उपधारा (३) के अधीन पारित आदेश आवेदन के पक्ष में हो तो तहसीलदार युक्तियुक्त प्रतिकर भी अधिनिर्णित करेगा जो विरोधी पक्ष द्वारा आवेदक को संदत्त किया जायगा;

परन्तु प्रतिकर की रकम प्रत्येक वर्ष के दखल के लिये उस भूमि के राजस्व के दस गुने से अधिक नहीं होगी।

(८) इस धारा के अधीन अधिनिर्णित प्रतिकर भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किया जा सकेगा

(९) तहसीलदार को यह शक्ति होगी कि वह किन्ही भी ऐसे क्षेत्रों में, जो राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचित किये जाय, एसे मामलों का, जो कि मौरूसी कृषकों के, चाहे अभ्यर्पण द्वारा या अन्यथा दोषपूर्ण ढग से बेदखल किये जाने या बेकब्जा किये जाने से सम्बन्धित हों, स्वप्रेरणा से पुनर्विलोकन करे। जहां इस उपधारा के अधीन कार्यवाही की जाती है, वहां यावत्यशक्य, पूर्वगामी उपधाराओं के उपबन्ध लागू होंगे

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

२०३-**जलोढ़ तथा जल-प्लावन.**- (१) किसी तट पर बनी जलोढ भूमि राज्य सरकार में निहित होगी, किन्तु ऐसे तट से लगी हुई भूमि का भूमिस्वामी, यदि कोई हो उसके खाते में इस प्रकार बढ़ गई जलोढ़ भूमि का उपयोग बन्दोबस्त की चालू अवधि के दौरान तब तक भू-राजस्व का भुगतान किये बिना करने का हकदार होगा जब तक कि उसके खाते में बढ़ गया क्षेत्रफल एक एकड़ से अधिक न हो जाय ।

(२) जब किसी खाते में बढ़ गई जलोढ़ भूमि का क्षेत्रफल एक एकड़ से अधिक हो जाय और उपखंड अधिकारी को यह प्रतीत हो कि सार्वजनिक सुविधा तथा लोक राजस्व के हितों का सम्पर्क ध्यान रखते हुए ऐसी भूमि का निपटारा किया जा सकता है तो वह ऐसे खाते के भूमिस्वामी को ऐसी भूमि भूमिस्वामी अधिकारों में ऐसे प्रीमियम पर देने की प्रस्थापना करेगा जो इस प्रकार बनी भूमि के उचित निर्धारण के बीस गुने से अधिक नहीं होगा यदि उक्त भूमिस्वामी उस प्रस्थापना को स्वीकार न करे तो उपखंड अधिकारी उस भूमि का विहित रीति में निपटारा कर सकेगा

(३) जहां जल-प्लावन द्वारा किसी खाते के क्षेत्रफल में एकड से अधिक की कमी हो जाय, वहां ऐसे खाते के सम्बन्ध में देय भू-राजस्व कम दिया जायगा ।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

२१०-स्कीम की पुष्टि- कलेक्टर चकबन्दी की स्कीम के सम्बन्ध में की गई आपत्ति या आपत्तियों, यदि कोई हो, पर तथा चकबन्दी अधिकारी की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् या तो स्कीम की, उपान्तरणों के साथ या उपान्तरणों के बिना पुष्टि कर सकेगा या उसकी पुष्टि करने से इन्कार कर सकेगा। कलेक्टर का विनिश्चय, किसी भी ऐसे आदेश के अध्यधीन रहते हुए जो कि बन्दोबस्त आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण में धारा ५० मे अधीन पारित किया जाय, अन्तिम होगा।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

२२४-पटेलों के कर्त्तव्य -. प्रत्येक पटेल का यह कर्त्तव्य होगा कि वह-

(क) (एक) ऐसे वसूली प्रभार की कटौती करने के पश्चात्, जैसा कि राज्य सरकार, समय-समय पर, अवधारित करे, भू-राजस्व तथा संबंधित करों तथा उपकरों के संग्रहण को, जो कि उसके मार्फत देय हैं, संग्रहीत करें तथा, "ग्राम कोष" में जमा करें;

(दो) उपखण्ड (एक) के अधीन वसूली प्रभार तथा ऐसे अन्य सरकारी शोध्यों को, जो उसके द्वारा संग्रहीत किए जाने हेतु आदेशित हैं, संग्रहित करें तथा सरकारी खजाने में जमा करें।

(ख) अपने ग्राम की स्थिति के बारे में रिपेार्ट ऐसे स्थानों तथा ऐसे समयों पर करें जैसा कि कलेक्टर इस सम्बन्ध में नियत करें

(ग) ग्रामों में की बंजर भूमि पर लोक पथों तथा सडकों पर अतिक्रमणों को यथासम्भव रोंके;

(घ) सरकारी सेवा में के सर्वेक्षकों द्वारा उसके ग्राम में परिनिर्मित ऐसे आस्थानों तथा सीमा -चिन्हों को, जो कि उसकी देख-रेख के लिये सौपे जायँ, परिरक्षित करें तथा सीमा-चिन्हों को पहुँचाये गये किसी नुकसान की रिपोर्ट करें;

(ड) धारा २५८ के अधीन बनाये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, ग्राम को समुचित स्वच्छ दशा में रखें;

(च) जंगल की अनधिकृत कटाई को या राज्य सरकार के किन्हीं खनिजों या अन्य सम्पत्तियों के अनधिकृत रूप से हटाये जाने को रोकें;

(छ) कोटवार पर नियत्रण रखें तथा उसका अधीक्षण करें, उसकी मूत्यु की या उसके कर्तव्य से अनुपस्थित करने की रिपोर्ट करें तथा ऐसे उपाय करें जो कि कोटवार को उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिये उसे विवश करने हेतु आवश्यक हों;

(ज) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो कि धारा २५८ के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित किये जाएँ।

२२५-किसी विधि के अधीन भू-धारकों पर अधिरोपित कर्तव्य पटेलों पर अधिरोपित कर्तव्य समझे जायेंगे- यदि तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनिमिति द्वारा, भू-धारकों, उनके प्रबन्धकों या अभिकर्ताओं पर कोई लोक कर्तव्य अधिरोपित किये जाते हैं या उनमें किन्हीं लोक दायित्वों का सम्बद्ध होना घोषित किया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि इस संहिता के अधीन नियुक्त किये गये पटेलों पर ऐसे कर्त्तव्य अधिरोपित हैं तथा ऐसे दायित्व उनसे सम्बन्ध हैं :

परन्तु इनमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात भू-धाराकों, उनके प्रबन्धको या अभिकर्ताओं को किन्हीं भी ऐसे कर्तव्यों या दायित्वों से, जो कि उन पर विधि के द्वारा अन्यथा अधिरोपित किये गये हों, उन्मोचित नहीं करेगी।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

२२७-पटेलों को दण्ड - कोई पटेल, जो धारा २२४ या २२५ के अधीन उसे सौंपे गये किसी कर्त्तव्य का पालन करने में उपेक्षा करता हुआ पाया जायेगा वह तहसीलदार के अधीन, जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

२२९-**ग्राम प्रबंध का सौपा जाना.**— इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, किसी ग्राम का प्रबन्ध या किसी पटेल को सौंपे गये कर्तव्यों का पालन किसी ग्राम पंचायत को या जहां कोई ग्राम पंचायत गठिन न की गई हो, वहां धारा २३२ के उपबंधों के अनुसार गठित की गई किसी ग्राम सभा को सौंप सकेगी ।

२३०-**कोटवारों की नियुक्ति तथा उनके कर्तव्य.**— (१) ऐसे कर्तव्यों के पालन के लिये जो कि विहित किये जायँ, प्रत्येक ग्राम या ग्रामों के समूह के लिये एक या अधिक कोटवार धारा २५८ के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार नियुक्त किये जायेंगे :

परंतु मध्य भारत क्षेत्र में, इस धारा के अधीन कोटवारों के कर्तव्यों का पालन पुलिस चौकीदारों द्वारा किया जायगा जो, इस संहिता के प्रवृत्त होने पर, इस धारा के अधीन कोटवार समझे जायेंगे, और सब बातो में राजस्व अधिकारियों के नियंत्रण अधीन होंगे ।

(२) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय भोपाल तथा सिरोंज क्षेत्रों में ग्राम-चौकिदार का या विन्ध्य प्रदेश क्षेत्र में चौकीदार का पद धारण करता है, इस धारा के अधीन कोटवार समझा जायगा ।

२३१-**कोटवारों का पारिश्रमिक.**— राज्य सरकार, साधारण आदेश द्वारा ऐसे निर्बन्धनों, निर्बन्धनों और शर्तों के, जो उस आदेश में वर्णित की जायें, अध्यधीन रहते हुए, कोटवारों का पारिश्रमिक या तो भविष्यलक्षी प्रभाव से या भूतलक्षी प्रभाव से नियत कर सकेगी किंतु ऐसा भूतलक्षी प्रभाव १ मार्च, १९८२ से पूर्व की तारीख से नहीं होगा ।

ग—ग्राम सभा

२३२-**ग्राम सभा.**— 'ग्राम सभा' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) की, यथास्थिति, धारा ५-क या धारा १२९-क के अधीन गठित निकाय और 'ग्राम कोप' से अभिप्रेत है उक्त अधिनियम की धारा ७-अ की उपधारा (१) के अधीन स्थापित निधि।

२३३-**दखलरहित भूमि का अभिलेख.**- समस्त दखल-रहित भूमि का अभिलेख इस संबंध में बनाये गये नियमों के अनुसार प्रत्येक ग्राम के लिये तैयार किया जायगा तथा रखा जायगा जिसमें—

(क) धारा २३७ के अधीन निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिये पृथक् रखी गई दखल-रहित भूमि पृथकता दर्शाई जाएगी;

(ख) * * *

२३४-**निस्तार-पत्रक का तैयार किया जाना**- उपखंड अधिकारी इस संहिता तथा इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से संगति रखते हुए एक निस्तार-पत्रक तैयार करेगा, जिसमें किसी ग्राम में की समस्त दखल-रहित भूमि के प्रबंध की स्कीम तथा उससे आनुषंगिक समस्त विषय और विशिष्टत: धारा २३५ में विनिर्दिष्ट विषय में सन्निविष्ट होंगे ।

(२) निस्तार पत्रक का प्रारूप ग्राम में प्रकाशित किया जाएगा और ग्राम सभा की इच्छाओं को अभिनिश्चित करने के पश्चात् उसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा ।

(३) ऐसे अंतिम निस्तार पत्रक की एक प्रति ग्राम पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी ।

(४) ग्राम सभा द्वारा उसके उपस्थित तथा मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प पर, उपखण्ड अधिकारी, कलेक्टर की पूर्व अनुमति से तथा ऐसी किसी जांच के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, –

(क) निस्तार पत्रक की प्रविष्टि में परिवर्तन कर सकेगा;

(ख) ग्रामवासियों के अतिरिक्त निस्तार पत्रक के अधिकारों को पूरा करने के लिये निस्तार पत्रक की किसी प्रविष्टि के अधीन अतिरिक्त दखल रहित भूमि अभिलिखित कर सकेगा।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

२३९-**दखल रहित भूमि में रोपित फलदार वृक्षों और अन्य वृक्षो में अधिकार** – (१) जहां इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व, किसी व्यक्ति द्वारा किसी ग्राम की दखल रहित भूमि, में कोई फलदार वृक्ष लगाया गया हो, और वैसा अभिलिखित हो, वहां इस बात के होते हुए भी कि ऐसी भूमि राज्य सरकार में निहित है, ऐसा व्यक्ति और उसके हित उत्तराधिकारी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे वृक्षों के कब्जे तथा फलोपयोग के लिए, किसी रायल्टी या अन्य प्रभार का भुगतान किये बिना हकदार होंगे ।

(२) राज्य सरकार या तहसीलदार की पदश्रेणी से अनिम्न श्रेणी का कोई राजस्व अधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को, किसी ग्राम की दखल रहित भूमि पर, जो उस प्रयोजन के लिये पृथक् रक्षित की जाय, फलदार वृक्ष या ऐसी अन्य जातियों के वृक्ष, जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये जायँ, रोपित किये जाने और उगाने की अनुज्ञा दे सकेगा, और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को वृक्षारोपण, अनुज्ञा पत्र और वृक्ष पट्टे इस धारा के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपलब्ध के अनुसार मंजूर कर सकेगा ।

(३) इस धारा के अधीन किया गया वृक्षारोपण अनुज्ञापत्र और वृक्ष पट्टा ऐसे प्ररूप में और ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए होगा जो विहित की जायें ।

(४) इस धारा के अधीन प्रदत्त अधिकार अन्तरणीय होगा किन्तु अनुज्ञापत्र या पट्टे के धारक को या उसके हित उत्तराधिकारी को उस भूमि पर, जिस पर ऐसा वृक्ष खड़ा है, इस अधिकार के सिवाय कोई अधिकार नहीं होगा कि वह अनुज्ञापत्र और पट्टे के निर्बन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उस भूमि पर वृक्ष उगाये और ऐसे वृक्षों में भोगाधिकारों (usufructuary rights) का, जिनके अन्तर्गत ऐसे वृक्षों के पिण्ड (कार्य) (corpus) में अधिकार भी हैं, उपभोग करें:

परन्तु विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा कोई भी अन्तरण, उपधारा (२) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को लिखित पूर्व मन्जूरी के बिना नहीं किया जायेगा ।

(५) यदि वृक्षारोपण अनुज्ञापत्र या वृक्षपट्टे के निबन्धनों और शर्तें में से किसी निबंधन तथा शर्त का भंग किया जाता है तो वह अनुज्ञापत्र या पटटा, उसके धारक को सुनवाई का युक्तियुक्ति अवसर देने के पश्चात रद्दकरणीय होगा।

(६) राज्य सरकार, इस धारा के प्रयोजनों के कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

२४०-**कतिपय वृक्षों के काटे जाने का प्रतिषेध** – (१) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि किन्हीं वृक्षों का काटा जाना लोकहित के लिये अपायकर detrimental (हानिकारक) है या मिट्टी के कटाव को रोकने के लिये कतिपय वृक्षों के काटे जाने का प्रतिषेध या विनियमन करना आवश्यक है तो वह ऐसे वृक्षों के काटे जाने का प्रतिषेध या विनियमन इस सम्बन्ध में बनाये नियमों द्वारा कर सकेगी, चाहे ऐसे वृक्ष भूमिस्वामी की भूमि पर खड़े हों या सरकार की भूमि पर ।

(२) उपधारा (१) के अधीन नियम बनाने में, राज्य सरकार यह उपबन्ध कर सकेगी कि ऐसे समस्त नियम या कोई भी नियम केवल ऐसे क्षेत्र को लागू होंगे जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करें ।

(३) राज्य सरकार, उन भूमियों पर के, जो कि राज्य सरकार के हों, वनोत्पादों के नियन्त्रण, प्रबन्ध, काटकर गिराये जाने या हटाये जाने का विनियमन करने वाले नियम बना सकेगी ।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

२४३-**आबादी** – (१) जहां आबादी के लिये आरक्षित क्षेत्र, कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो, तो वह गांव की दखल रहित भूमि में से ऐसा और क्षेत्र रक्षित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

(२) जहां आवादी के प्रयोजनों के लिये दखल रहित भूमि उपलब्ध न हो, वहां राज्य सरकार आबादी के विस्तारण के लिये कोई भी भूमि अर्जित कर सकेगी।

(३) लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ (भूमि अर्जन अधिनियम, १९८४) (क्रमांक १ सन् १८९४) के उपवन्ध ऐसे अर्जन से लागू होंगे और ऐसी भूमि के अर्जन के लिये प्रतिकर उस अधिनियम के उपवन्धों के अनुसार देय होगा ।

२४४-**आबादी स्थलों का निबटारा** – इस सम्वन्ध में वनाये गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, ग्राम पंचायत या जहाँ ग्राम पंचायत का गठन न किया गया हो, वहाँ तहसीलदार आबादी क्षेत्र में स्थलों का निपटारा करेगा ।

२४५-**भू-राजस्व संहिता बिना, गृह स्थल धारण करने का अधिकार** – आबादी में स्थित ऐसा भवन-स्थल, जो युक्तियुक्त माप (डायमेन्श्न) का है, भू-राजस्व के भुगतान के दायित्वाधीन नहीं होगा, यदि ऐसा स्थल किसी कोटवार के या किसी ऐसे व्यक्ति के दखल में है जो कि ऐसे ग्राम में, या उस ग्राम जिसमें के सामान्यत: ऐसे ग्राम से खेती की जाती है, भूमि धारण करता है, या कृपि शिल्पी या कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करता है ।

२४६-**आबादी में गृह स्थल धारण करने वाले व्यक्तियों का अधिकार** – धारा २४४ के उपवन्धों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के साथ आबादी में गृहस्थल के रूप में कोई भूमि विधिपूर्वक धारण करता है या जो इसके पश्चात् ऐसी भूमि को विधिपूर्वक अर्जित कर ले, ऐसी भूमि के सम्वन्ध में भूमि-स्वामी होगा:

परन्तु मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, १९७३ के आरम्भ होने पर या उसके पश्चात् किसी भूमिहीन व्यक्ति को ग्रामीण आवास योजना के अधीन गृह-स्थल का आवंटन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन किया जाएगा –

(एक) यह कि आबंटिती आबंटन की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी भूमि पर गृह का निर्माण करेगा;

(दो) यह कि आबंटिती आबंटन की तारीख से दस वर्ष की कालावधि के भीतर उस भूमि का, जो कि उसे आवंटित की गई हो, या उसमें के हित का अन्तरण नहीं करेगा,

(तीन) यह कि उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के भंग होने की दशा में यह भूमि भंग की तारीख से राज्य सरकार में निहित हो जायेगी ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिये "ग्रामीण आवास-विकास योजना" से अभिप्रेत है ग्रामीण क्षेत्रों में गृह-स्थलों की व्यवस्था के हेतु भारत सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम जिसके अधीन राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में के भूमिहीन कर्मचारी के कुटुम्बों के लिये, जिनके कि स्वामित्व के पहले से ही कोई गृह स्थल न हों या जिसके स्वामित्व में पहले से ही अपनी स्वयं की भूमि पर कोई निर्मित गृह या कोई झोपड़ी न हो, नि:शुल्क गृह-स्थलों की व्यवस्था, भारत सरकार से १०० प्रतिशत अनुदान सहायता के आधार पर करनी है ।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

२४८-**अप्राधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा कर लेने के लिये शास्ति** – (१) कोई भी व्यक्ति, जो कि अप्राधिकृत रूप से दखल रहित भूमि, आबादी, सेवा भूमि या किसी ऐसी भूमि पर, जो धारा २३७ के अधीन किसी विशेष प्रयोजन के लिये पृथक् रखी गई हो, या किसी ऐसी भूमि पर, जो शासन की या राज्य की किसी अधिनियमिति के अधीन गठित या स्थापित संस्था या किसी प्राधिकारी, निगमित निकाय की सत्पत्ति हो कब्जा कर लेते हैं या उस पर कब्जा बनाये रखता है, तहसीलदार के आदेश द्वारा संक्षिप्तत: वेदखल किया जा सकेगा और कोई भी

फसल जो कि भूमि पर खड़ी हो तथा कोई भी भवन या अन्य निर्माण कार्य, जो उसने उस पर निर्मित किया हो, यदि ऐसे समय के भीतर, जैसा कि तहसीलदार नियत करे, उसके द्वारा नहीं हटाया जाता है, तो अधिहरित किया जा सकेगा। इस प्रकार अधिहरित की गई किसी भी सम्पत्ति का तहसीलदार के निर्देशानुसार निपटारा किया जायेगा और किसी भी फसल, भवन या अन्य निर्माण कार्य को हटाने का तथा भूमि को उसकी मूल स्थिति में लाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्चा उनके भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगा। ऐसा व्यक्ति, तहसीलदार के विवेकानुसार, अप्राधिकृत दखल की कालावधि के लिये भूमि का लगान उस स्थान में ऐसी भूमि के लिये स्वीकार्य दर की दुगुनी दर से चुकाने के तथा ऐसे जुर्माने के, जो ऐसी अधिक्रमित भूमि के बाजार मूल्य का बीस प्रतिशत रूपये तक हो सकता है, तथा ऐसे और जुर्माने के, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसको ऐसा अप्राधिकृत दखल या कब्जा प्रथम बेदखली के दिनांक के पश्चात् चालू रहे, गैर नगरीय क्षेत्रों में पांच सौ रूपये और नगरीय क्षेत्रों में दो हजार रूपये तक हो सकता है, लिये भी दायित्वाधीन होगा। तहसीलदार सम्पूर्ण जुर्माने या उसके किसी भाग को ऐसे व्यक्तियों को प्रतिकर देने के लिये उपयोग में ला सकेगा जिन्हें उसकी राय में अधिक्रमण से हानि या क्षति हुई हो :

परन्तु तहसीलदार –

(एक) महाकौशल क्षेत्र में, --

(क) विलीन राज्यों मे भिन्न क्षेत्रों में सितम्बर सन् १९१७ के प्रथम दिन के पूर्व;

(ख) विलीन राज्यों में अप्रैल सन् १९५० के तृतीय दिन के पूर्व;

(दो) मध्य भारत क्षेत्र से अगस्त सन् १९५० के पन्द्रहवें दिन के पूर्व;

(तीन) विन्ध्य प्रदेश क्षेत्र में अप्रैल सन् १९५५ के प्रथम दिन के पूर्व;

(चार) भोपाल क्षेत्र में नवम्बर सन् १९३३ के आठवें दिन के पूर्व; और

(पाँच) सिरोंज क्षेत्र में जुलाई सन १९५८ के प्रथम दिन के पूर्व;

निर्मित भवनों या निर्माण कार्यों द्वारा किये गये अधिक्रमण के सम्बन्ध में इस उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में नहीं लायेगा।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये शब्द "विलीन राज्यों" का वही अर्थ होगा जो कि मध्यप्रदेश मर्जड स्टेट्स (स्टेट) लॉज ऐक्ट, १९५० (क्रमांक १२ सन् १९५०) में उसके लिये दिया गया है।

(१-क) किसी अप्राधिकृत कब्जे के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा किसी संकल्प के सम्यक् रूप से पारित किए जाने पर तहसीलदार, ऐसे संकल्प की सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर इस धारा की कार्यवाहियों को प्रारंभ करेगा तथा पूर्ण करेगा और उसके द्वारा की गई कार्यवाही ग्राम पंचायत को संसूचित करेगा।

(२) विलुप्त]

(२-क) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन बेदखली के आदेश की तारीख के पश्चात् सात दिन से अधिक दिनों तक भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा चालू रखे तो ऐसे जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उक्त उपधारा के अधीन अधिरोपित किया जा सकता हो, उपखंड अधिकारी उस व्यक्ति को पकड़वायेगा और उसे प्रथम बेदखली की दशा में पन्द्रह दिन की कालावधि के लिये तथा दूसरी या पश्चात्वर्ती बेदखली की दशा में छह मास की कालावधि के लिये सिविल कारागार में परिरूद्ध किये जाने के लिये वारंट के साथ भेजेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी कार्यवाही –

(एक) तब तक नहीं की जायगी जब तक कि ऐसी सूचना जारी न की गई हो जिसमें कि ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा की गई हो कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट किये गये दिन उपखंड अधिकारी के समक्ष उपसंजात हो तथा यह कारण दर्शाये कि उसे सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाय;

(दो) ऐसी सरकारी तथा नजूल भूमियों पर किये गये अतिक्रमणों के सम्बन्ध में नहीं की जायेगी, जिनके कि बन्दोबस्त के लिये सरकार ने समय-समय पर आदेश जारी किये हों :

परन्तु, यह और भी, कि उपखंड अधिकारी ऐसे व्यक्ति को, वारंट में वर्णित कालावधि का अवसान होने के पूर्व भी निरोध से निर्मुक्त किये जाने का आदेश दे सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाय कि अप्राधिकृत कब्जा छोड़ा जा चुका है:

परन्तु यह भी कि कोई स्त्री इस उपधारा के अधीन गिरफ्तार या निरूद्ध नहीं की जायेगी ।

(२-ख) राज्य सरकार उपधारा (२-क) के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिये नियम बना सकेगी।

(३) x x x

(४) x x x

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

२५०-अनुचित रूप से बेकब्जा किये गये भूमिस्वामी का पुन: स्थापन.— (१) इस धारा और धारा २५०-क के प्रयोजन के लिये, भूमि स्वामी के अन्तर्गत मौरूसी कृषक और सरकारी पट्टेदार आयेंगे।

(१-क) यदि किसी भूमि स्वामी को भूमि से विधि के सम्यक अनुक्रम में बे-कब्जा न करने अन्यथा बेकब्जा कर दिया गया हो, यदि कोई व्यक्ति भूमि स्वामी की किसी ऐसी भूमि पर, जिसके कि उपयोग के लिये ऐसा व्यक्ति इस कोड के किसी उपबन्ध के अधीन हकदार न रह गया हो, अप्राधिकृत रूप से कब्जा किये रहे, तो भूमिस्वामी या उसका हित-उत्तराधिकारी-

(क) किसी ऐसे, भूमिस्वामी की दशा में जो ऐसी जनजाति का हो जिसे धारा १६५ की उपधारा (६) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो –

(एक) अप्राधिकृत बे-कब्जा के उन मामलों में जो कि १ जुलाई सन् १९७६ के पूर्व के हों, १ जुलाई सन् १९७८ के पूर्व; और

(दो) किन्हीं अन्य मामलों में, यथास्थिति बे-कब्जा किये जाने की तारीख से उस तारीख से, जिसको कि ऐसे व्यक्ति का कब्जा अप्राधिकृत हो जाय, पाँच वर्ष के भीतर;

(ख) खण्ड (क) के अन्तर्गत न आने वाले किसी भूमि स्वामी की दशा में, यथास्थिति कब्जा किये जाने की तारीख से या उस तारीख से, जिसको कि ऐसे व्यक्ति का कब्जा अप्राधिकृत हो जाय, दो वर्ष के भीतर, तहसीलदार को यह आवेदन कर सकेगा कि उसे कब्जा वापस दिलाया जाय।

(१-ख) तहसीलदार, यह ज्ञात होने पर कि किसी भूमि स्वामी को उसकी भूमि से विधि के सम्यक् अनुक्रम में बे-कब्जा न करके अन्यथा बे-कब्जा कर दिया गया है, इस धारा के अधीन कार्यवाहियाँ स्व-प्रेरणा से आरम्भ करेगा]

(२) तहसीलदार, पक्षकारों से सम्बन्धित उनके दावों की जांच करने के पश्चात्, आवेदन को विनिश्चित करेगा और जब वह भूमि स्वामी को कब्जा वापस दिये जाने का आदेश दे देता है, तो फिर वह उसे भूमि को कब्जा दिलायेगा भी ।

(२-क) इस धारा के अधीन आरम्भ की गई कार्यवाहियाँ, दूसरे पक्षकार से उत्तर प्राप्त हो जाने के पश्चात् तब तक दिन-प्रति-दिन चालू रहेंगी जब तक कि दीर्घकालिक स्थगन अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से आवश्यक न समझा जाये, और उस दशा में उस आदेश – पत्रक (order - sheet) की, जिसमें ऐसे स्थगन के लिये कारण अन्तर्विष्ट हों, एक प्रति कलेक्टर को भेजी जायेगी।

(३) तहसीलदार, जांच के किसी भी प्रक्रम पर, यथास्थिति, भूमिस्वामी, मौरूसी कृषक या सरकारी पट्टेदार को भूमि का कब्जा दिये जाने के लिये अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा, यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उसे इस धारा के अधीन आवेदन प्रस्तुत किये जाने या स्व-प्रेरणा से कार्यवाहियाँ प्रारम्भ की जाने के पूर्व के छह

माह के भीतर उसे विरोधी पक्षकार द्वारा बे-कब्जा कर दिया गया था। ऐसे किसी मामले में विरोधी पक्षकार को, यदि आवश्यक हो, तहसीलदार के आदेशों के अधीन बेदखल कर दिया जायेगा ।

(४) जब उपधारा (३) के अधीन कोई अन्तरिम आदेश पारित कर दिया गया हो, तो तहसीलदार द्वारा विरोधी पक्षकार से यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह तहसीलदार द्वारा अन्तिम आदेश पारित किया जाने तक उस भूमि का कब्जा लेने से विरत रहने के लिये ऐसी राशि का, जैसी कि तहसीलदार उचित समझे, बन्धपत्र निष्पादित करें ।

(५) यदि यह पाया जाय कि बन्धपत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति ने बन्धपत्र के उल्लंघन में उस भूमि में प्रवेश किया है या उसका कब्जा ले लिया है, तो तहसीलदार बन्धपत्र को पूर्णत: या भागत: समपहृत कर सकेगा और ऐसी रकम भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल कर सकेगा।

(६) यदि उपधारा (२) के अधीन पारित किया गया आदेश आवेदक के पक्ष में हो तो तहसीलदार विरोधी पक्षकार द्वारा आवेदक को संदत्त किया जाने वाला प्रतिकर भी अधिनिर्णीत करेगा जो उस दर पर होगा जो दो हजार रूपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष के आनुपातिक हो ।

(७) इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत किया गया प्रतिकर भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा।

(८) जब उपधारा (२) अधीन, भूमिस्वामी को पुन: कब्जा दिलाया जाने के लिये, तो तहसीलदार विरोधी पक्षकार को इस बात के लिये अपेक्षित कर सकेगा कि वह आदेश दे दिया गया हो, आदेश के उल्लंघन में भूमि का कब्जा लेने से विरत रहने के लिये ऐसी राशि का, जैसी कि तहसीलदार उचित समझे, बन्धनामा निष्पादित करे।

(९) जहां उपधारा (२) के अधीन, भूमिस्वामी को पुन: कब्जा दिलाया जाने के लिये आदेश दे दिया गया हो, वहा विरोधी पक्षकार जुर्माने के, जो ऐसी भूमि के बाजार मूल्य का बीस प्रतिशत तक का हो सकेगा के लिये भी दायित्वाधीन होगा।

परन्तु विलोपित

२५० क-धारा २५० के अधीन कब्जा वापस न दिया जाने पर सिविल कारागार में परिरोध –(१) यदि कोई व्यक्ति, धारा २५० के अधीन कब्जा वापस दे दिया जाने के आदेश की तारीख के पश्चात सात दिन से अधिक कालावधि तक किसी भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा किये रहता है, तो उक्त धारा की उपधारा (६) के अधीन देय प्रतिकर या उपधारा (९) के अधीन जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभार डाले बिना, ऐसे भूमिस्वामी को कब्जा वापस दिया जाने के लिये किये गये प्रथम आदेश की दिशा में, उपखंड अधिकारी उसे गिरफ्तार करवायेगा और पन्द्रह दिन की कालावधि के लिये परिरूद्ध किये जाने के लिये, उसे वारण्ट के साथ सिविल कारागार में भेजेगा, तथा ऐसे भूमि स्वामी को कब्जा वापस दिया जाने के लिये किये गये द्वितीय या पश्चात्वर्ती आदेश की दशा में, उपखंड अधिकारी उसे गिरफतार करवायेगा और तीन मास की कालावधि के लिये परिरूद्ध किया जाने के लिये, उसे वारण्ट के साथ सिविल कारागार में भेजेगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि उस व्यक्ति से यह अपेक्षा करने सूचना जारी न कर दी गई हो कि वह उपखंड अधिकारी के समक्ष ऐसी तारीख को, जो कि सूचना में विनिर्दिष्ट की जायेगी, उपसंजात हो और इस सम्बन्ध में कारण दर्शाये कि उसे सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाय:

परन्तु यह और भी कि उपखंड अधिकारी ऐसे व्यक्ति को, वारण्ट में उल्लिखित कालावधि का अवसान होने के पूर्व, निरोध से छोड़े जाने का आदेश दे सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अप्राधिकृत कब्जा छोड़ दिया गया है:

परन्तु यह भी कि इस धारा के अधीन किसी स्त्री को गिरफ्तार या निरूद्ध नहीं किया जायेगा।

(२) राज्य सरकार उपधारा (१) के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये नियम बना सकेगी ।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

२५२-**लोकोपयोगी निर्माण कार्यों का अनुरक्षण** – (१) ग्राम सभा का यह कर्तव्य होगा कि वह ग्राम में लोकोपयोगी निर्माण कार्यों का अनुरक्षण करें तथा उन्हें समुचित अवस्था में रखे ।

(२) इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, ग्राम सभा, लिखित आदेश द्वारा, ग्राम में निवास करने वाले वयस्क पुरूषों (उन प्ररूषों को छोड़कर जो वृद्ध तथा अशक्त हैं या किसी शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त हैं) को ऐसा श्रम करने के लिये अपेक्षित कर सकेगी जैसा कि वह ग्राम के ऐसे लोकोपयोगी निर्माण-कार्यों को, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा उस सम्बन्ध में अधिसूचित किये जायें, समुचित अवस्था में रखने के लिये उस आदेश में विनिर्दिष्ट करे ।

(३) उपधारा (२) के अधीन कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि वे निर्माण-कार्य लोकोपयोगिता के न हों तथा उनसे साधारणत: उन व्यक्तियों को, जिनके कि लिये आदेश पारित किया जा रहा हो, फायदा पहुँचने की सम्भावना न हो ।

(४) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन श्रम करने के लिये अपेक्षित किया गया व्यक्ति, ऐसा श्रम अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करवा सकेगा या उसके किये जाने के लिये ऐसी दर से, जो कि तहसीलदार द्वारा अवधारित की जाए, भुगतान कर सकेगा ।

(५) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (२) में निर्दिष्ट किया गया श्रम करने में अपेक्षा करेगा या वैसा श्रम करने से इन्कार करेगा या श्रम किये जाने के लिये उपधारा (४) में उपबन्धित किये गये अनुसार भुगतान नहीं करेगा, तहसीलदार के आदेश पर, उतनी रकम का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा जो उपधारा (४) के अधीन तहसीलदार द्वारा अवधारित की गई दरों के हिसाब से संगणित किये गये उस श्रम के मूल्य के बराबर हो, और ऐसी रकम भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जा सकेगी ।

२५३-**उपबन्धों के उल्लंघन के लिये दण्ड** – (१) इस संहिता में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई व्यक्ति जो इस अध्याय के या इस अध्याय के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में कार्य करेगा, या जो किन्हीं नियमों या वाजिब-उल-अर्ज में दर्ज की गई किसी रूढ़ि का उल्लंघन करेगा या उनका अनुपालन नहीं करेगा या निस्तार पत्रक में की गई किसी प्रविष्टि को भंग करेगा, पचास हजार रूपये से अनधिक ऐसी शास्ति का दायी होगा जैसी कि उपखंड अधिकारी, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उचित समझे, तथा उपखंड अधिकारी किसी भी ऐसी इमारती लकड़ी, वन उपज या किसी अन्य उपज के अधिग्रहण का भी आदेश दे सकेगा जिसका कि ऐसे व्यक्ति ने राज्य सरकार की भूमियों में से लेकर उपयोग कर लिया हो या जिसे कि उसने वहां से हटा लिया हो ।

(२) जहां उपधारा (१) के अधीन दण्डनीय कोई उल्लंघन, भंग या अनुपालन ग्राम सभा द्वारा किया गया हो, वहां ग्राम सभा का प्रत्येक पदाधिकारी उस उपधारा के अधीन तब तक दायी होगा जब तक कि वह यह साबित न कर दें कि वह उल्लंघन, भंग या अनुपालन उसकी जानकारी के बिना हुआ था या यह कि उसने ऐसे उल्लंघन, भंग या अनुपालन को रोकने के लिये समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(३) जहां उपखंड अधिकारी इस धारा के अधीन शास्ति अधिरोपित करते हुए कोई आदेश पारित करता है, वहां वह यह निर्देश दे सकेगा कि सम्पूर्ण शास्ति या उसके किसी भाग का उपयोजन ऐसे उपायों के, जो कि ऐसे उल्लंघन, भंग या अनुपालन के कारण जनता को होने वाली हानि या क्षति को रोकने के लिये आवश्यक हों, खर्च की पूर्ति के लिये किया जा सकेगा ।

२५४-**ग्राम सभा के कर्तव्यों का पटेल द्वारा पालन किया जाना** – इस अध्याय के अधीन ग्राम सभा को सौंपे गये किसी भी कृत्य का पालन उस समय तक पटेल द्वारा किया जायेगा जब तक कि धारा २३२ के अधीन ग्राम सभा सम्यक् रूप से गठित न हो जायें ।

२५५-**खेती तथा प्रबन्ध के मापदण्डों का विहित किया जाना** - (१) कृषि अर्थव्यवस्था को दक्षता के उच्चस्तर पर लाने की दृष्टि से, सरकार नियमों द्वारा, दक्षतापूर्ण खेती तथा प्रवन्ध के मापदण्डों का विनियमन कर सकेगी ।

(२) ऐसे नियमों में, अंगीकृत की जाने वाली कृषि-पद्धतियों, सुधरे हुए बीजों से उपयोग, खाद के संरक्षण तथा उचित उपयोग, अतिरिक्त खाद्यान्नों के विक्रय तथा कृषि कर्मकारों की उचित मजदूरी एवं उनके नियोजन के निबन्धनों को सुनिश्चित करने सम्बन्धी निर्देशों तथा ऐसे अन्य निर्देश के, जो कि भूमियों के दक्षतापूर्ण उपयोग के लिये आवश्यक या वांछनीय हों, जारी किये जाने के लिये उपबन्ध किया जा सकेगा ।

(३) ऐसे नियम उन कृषकों को लागू होंगे जो ऐसी सीमओं से, जो कि विहित की जाएँ , अधिक भूमि पर स्वयं खेती करते हों ।

(४) यदि कोई कृषक, जिसको कि ऐसे नियम उपधारा (३) के अधीन लागू होते हैं, उपधारा (२) के अधीन जारी किये गये निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो राज्य सरकार उन निर्देशों का किसी अन्य अभिकरण द्वारा ऐसी रीति में पालन करवा सकेगी, जैसी वह उचित समझे और उस कृषक से ऐसे समस्त खर्चे वसूल कर सकेगी जो कि उपगत किये जाए।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

२५७-**राजस्व प्राधिकारियों की अनन्य अधिकारिता** – इस संहिता में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में अन्यथा उपवन्धित के सिवाय, कोई सिविल न्यायालय किसी ऐसे मामले पर, जिसे कि अवधारित करने, विनिश्चित करने या निपटाने के लिये राज्य सरकार मण्डल या कोई राजस्व अधिकारी इस संहिता द्वारा सशक्त हो, कोई विनिश्चय या आदेश अभिप्राप्त करने के लिये संस्थित किये गये किसी वाद या किये गये किसी आवेदन को ग्रहण नहीं करेगा, और विशिष्टतया, तथा इस उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई सिविल न्यायालय निम्नलिखित किन्हीं भी विषयों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा :–

(क) राज्य सरकार और किसी व्यक्ति के बीच धारा ५७ की उपधारा (१) के अधीन किसी अधिकार के संबंध में कोई विनिश्चय;

(क-१) जिस प्रयोजन के लिये भूमि धारा ५९ के अधीन विनियोजित की गई है उस प्रयोजन बाबत कोई विनिश्चय;

(ख) राजस्व सर्वेक्षण की अधिसूचना की विधिमान्यता या उसके प्रभाव के बारे में कोई प्रश्न या बन्दोबस्त की अवधि के बारे में कोई प्रश्न;

(ग) बन्दोबस्त अधिकारी या कलेक्टर द्वारा आबादी का अवधारण करते हुए किये गये किसी विनिश्चय को उपान्तरित करने के लिये कोई दावा;

(घ) भू-राजस्व दिये बिना, या उचित निर्धारण से कम निर्धारण पर भूमि धारण करने के लिये या किसी भूमि पर निर्धारित भू-राजस्व पूर्णत: या भागत: समनुदेशित किये जाने के लिये राज्य सरकार के विरूद्ध कोई दावा;

(ङ) इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन निर्धारित या पुन: निर्धारित भू-राजस्व की रकम;

(च) किन्हीं भू-अभिलेखों में कोई प्रविष्टि कराने या किसी ऐसी प्रविष्टि का लोप कराने या उसे संशोधित कराने के लिये राज्य सरकार के विरूद्ध कोई दावा;

(छ) अध्याय १० के अधीन सीमांकन किया जाने या सीमा चिन्हों के लगाये जाने से सम्बन्धित कोई प्रश्न;

(ज) राज्य सरकार के विरूद्ध कोई ऐसा दावा जो भू-राजस्व के संग्रहण से या किसी ऐसी राशि की, जो इस संहिता या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन भू-राजस्व के तौर पर वसूली योग्य हो, वसूली से सम्बन्धित हो या उससे उद्भूत होता हो;

(झ) भू-राजस्व की छूट या उसके निलम्बन के लिये, या इस बात की घोषणा के लिये कि किसी वर्ष में फसलें बिगड़ गई है, राज्य सरकार या किसी राजस्व अधिकारी के विरूद्ध कोई दावा;

(ञ) धारा १६६ के अधीन कतिपय अन्तरणों के मामलों में समपहरणसम्बन्धी कोई विनिश्चय;

(ट) धारा १६८ की उपधारा (४) के अधीन भूमिस्वामी के पट्टेदार की बेदखली;

(ठ) धारा १७० की उपधारा (१) तथा धारा १७०-ए की उपधारा (२) के खंड (क) तथा (ख) के अधीन किसी भी भूमिस्वामी द्वारा किये गये अन्तरण (हस्तांतरण) को रद्द करनें के लिये कोई भी दावा;

(ठ-१) धारा १७०-ख के अन्तर्गत आने वाला कोई विषय;

(ड) धारा १८२ के अधीन सरकारी पट्टेदार की बेदखली;

(ढ) धारा १८९ के अधीन मौरूसी कृषक द्वारा धारित भूमि का भूमिस्वामी द्वारा पुनर्ग्रहण और यदि मौरूसी कृषक के पास कोई भूमि बच रही हे०ा० तो लगान का नियत किया जाना;

(ण) धारा १९० के अधीन भूमिस्वामी के अधिकार प्रदान किये जाने के लिये मौरूसी कृषकों द्वारा दावे;

(त) धारा १९१ के अधीन मौरूसी कृषक को कब्जे का वापस दिलाया जाना;

(थ) धारा १९३ के अधीन मौरूसी कृषक के कृषकाधिकार की समाप्ति;

(द) धारा १९७ के अधीन मौरूसी कृषक द्वारा किये गये अन्तरण को उपास्त कराने के लिये कोई दावा;

(ध) धारा २०० के अधीन भूमिस्वामी पर शास्ति का अधिरोपण;

(न) धारा २०१ के अधीन लगान का निलम्बन तथा उसकी माफी;

(प) धारा २०२ के अधीन दोषपूर्ण ढंग से बेदखल किये गये मौरूसी कृषक के पुन: स्थापन के बारे में कोई विनिश्चय;

(फ) धारा २०९ की उपधारा (३) के अधीन प्रतिकर के रूप में देय रकम, धारा २१० के अधीन खातों की चकबन्दी की स्कीम की पुष्टि की जाना, धारा २१३ के अधीन स्कीम को कार्यान्वित करने के अधिकारों का अन्तरण तथा धारा २१५ के अधीन खातों की चकबन्दी के खर्चे का निर्धारण तथा प्रभाजन;

(ब) निस्तार-पत्रक में की किसी प्रविष्टि को उपान्तरित करने के लिये कोई दावा;

(ब-एक) अप्राधिकृत रूप से भूमि का कब्जा लेने के लिए धारा २४८ के अधीन शास्ति के संबंध में कोई विनिश्चय;

(भ) धारा २५० के अधीन अनुचित रूप में बेकब्जा किये गये भूमिस्वामी के पुन:स्थापन के बारे में कोई विनिश्चय;

(भ-एक) धारा २५० क के अधीन सिविल कारावास में निरूद्ध किये जाने के बारे में कोई विनिश्चय;

(भ-दो) धारा २५०-ख के अधीन भूमिस्वामी या सरकारी पट्टेदार को भूमि का वास्तविक कब्जा परिदान किये जाने के बारे में कोई विनिश्चय;

(म) धारा २५१ के अधीन राज्य सरकार में तालाबों के निहित होने के बारे में कोई विनिश्चय तथा उसके अधीन राज्य सरकार के विरूद्ध उद्भूत होने वाला कोई दावा;

(य) इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के उपबन्धों के अधीन अधिरोपित या निर्धारित किसी प्रीमियम, शास्ति, उपकर या रेट को अपास्त कराने या उपान्तरित कराने के लिये राज्य सरकार के विरूद्ध कोई दावा;

(य-१) राज्य सरकार के विरूद्ध कोई दावा, जो धारा २५५ के अधीन खेती तथा प्रबन्ध के मापदण्ड विहित किये जाने के बारे में उद्भूत होता हो;

(य-२) किसी राजस्व अधिकारी या इस संहिता के अधीन नियुक्त किसी अन्य अधिकारी पर इस संहिता द्वारा अधिरोपित किसी कर्तव्य के पालन के लिये विवश करने हेतु कोई दावा।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

धारा-२५८-नियम बनाने की साधारण शक्ति – (१) राज्य सरकार, साधारणत: इस संहिता के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये नियम बना सकेगी ।

(२) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये उपबन्ध हो सकेंगे –

(एक) धारा ३ के अधीन गठित राजस्व मण्डल के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबन्धन तथा शर्तें;

(दो) भू-अभिलेख अधीक्षकों तथा सहायक भू-अभिलेख अधीक्षकों के कर्तव्यों का विहित किया जाना;

(तीन) भूमि को किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिये व्यपवर्तित किये जाने पर धारा ५९ के अधीन भू-राजस्व के निर्धारण का विनियमन तथा प्रीमियम का अधिरोपण;

(चार) धारा ६० के अधीन उस भूमि पर निर्धारण जिस पर निर्धारण नहीं हुआ हो;

(पांच) धारा ६८ के अधीन सर्वेक्षण-संख्यांकों तथा ग्रामों की विरचना और कृषि प्रयोजनों के उपयोग में लाई जाने वाली भूमि को समाविष्ट करने वाले सर्वेक्षण संख्यांकों का न्यूनतम विस्तार;

(छ:) धारा ७० के अधीन सर्वेक्षण–संख्यांकों का उपखण्डों में विभाजन और सर्वेक्षण-संख्यांक के निर्धारण का सर्वेक्षण-संख्यांकों के उपखंडों के बीच प्रभाजन;

(सात) उन अभिलेखों का विहित किया जाना जिनमें धारा ७१ के अधीन सर्वेक्षण-संख्यांकों तथा सर्वेक्षण संख्यांकों के उपखंडों का क्षेत्रफल तथा निर्धारण प्रविष्ट किया जायेगा;

(आठ) धारा ७३ के अधीन किसी एक ग्राम को दो या अधिक ग्रामों में विभाजित करने या दो या अधिक ग्रामों को एक ग्राम में संयोजिक करने या ग्राम गठित करने या ग्राम की सीमाएँ परिवर्तित करने की रीति;

(नौ) धारा ७७ के अधीन यह आवश्यक जांच जो पूरी की जायेगी तथा वह प्ररूप जिसमें और विशिष्टियाँ जिनके साथ निर्धारण दर सम्बन्धी प्रस्तावनाएँ अग्रेषित की जायेंगी;

(दस) वह रीति जिसमें धारा ८२ के अधीन निर्धारण की सूचना दी जायेगी;

(ग्यारह)धारा ८७ के अधीन कृषि के लाभों के सम्बन्धों में तथा कृषि एवं कृषि-भिन्न प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई गई भूमि के मूल्य के सम्बन्ध में जांच करने की रीति;

(बारह) धारा ९१-क के अधीन राजस्व सर्वेक्षण या बन्दोबस्त के संचालन विनियमन;

(तेरह) धारा ९३ के अधीन नगरीय क्षेत्रों में की भूमियों को भू-खंड संख्यांकों के रूप में विभाजित किये जाने, विद्यमान सर्वेक्षण-संख्यांकों को भू-खंड संख्यांकों के रूप में मान्य किये जाने, भू-खंडांक संख्यांकों को पुनर्गठित किये जाने या नवीन भू-खंड संख्यांक विरचित किये जाने का विद्यमान;

(चौदह)धारा ९४ के अधीन भू-खण्ड संख्यांकों को उपखंडों में विभाजित करने तथा भू-खंड संख्यांक के निर्धारण को उपखंडों के बीच प्रभाजित करने की रीति; और किसी स्थानीय क्षेत्र में उपखंडों की मान्यता के लिये या तो क्षेत्रफल की या भू-राजस्व की या दोनों की सीमाएँ;

(पन्द्रह)धारा ९५ के अधीन अभिलेखों का विहित किया जाना ;

(सोलह)धारा ९६ के अधीन अन्य विशेष प्रयोजनों का विहित किया जाना ;

(सत्रह)धारा ९७ के अधीन मानक दरों को प्रकाशित करने की रीति;

(अट्ठारह)(क) धारा ९८ (१) के अधीन, भूमियों के समस्त रजिस्ट्रीकृत विक्रयों तथा पट्टों के अभिलेख रखने की रीति; और

(ख) धारा ९८ (२) के अधीन भूमियों के औसत वार्षिक भाटक मूल्य का अवधारण।

(उन्नीस)धारा १०४ की उपधारा (२) के अधीन पटवारियों के अन्य कर्तव्यों का निहित किया जाना;

(बीस) धारा १०६ के अधीन राजस्व निरीक्षकों के अन्य कर्तव्यों का विहित किया जाना;

(इक्कीस) धारा १०७(२) के अधीन अन्य विशिष्टियों का विहित किया जाना;

(बाईस) धारा १०८ के अधीन अधिकार-अभिलेख के प्ररूप का तथा उन अतिरिक्त विशिष्टियों का, जो अधिकार-अभिलेख में सम्मिलित किये जाने वाले कागज-पत्रों में प्रविष्ट की जानी हों, विहित किया जाना;

(तेईस) धारा १०९ के अधीन पटवारी द्वारा दी जाने वाली अभिस्वीकृत का प्ररूप;

(चौबीस) (क) धारा १०९ के अधीन रिपोर्ट किये गये अधिकारों के अर्जन को दर्ज करने के लिये धारा ११० (१) के अधीन रजिस्टर का विहित किया जाना;

(ख) अन्य व्यक्तियों तथा प्राधिकारियों का, जिन्हें कि धारा ११० (३) के अधीन लिखित प्रज्ञानता दी जायेगी, विहित किया जाना;

(पच्चीस) (क)धारा ११४ (१) के अधीन अन्य भू-अभिलेखों का विहित किया जाना,

(ख) उस फीस का विहित किया जाना जिसका कि भुगतान करने पर धारा ११४ (२) के अधीन रसीद-बही दी जायेगी और उन प्रविष्टियों का विहित किया जाना जो कि उसमें अन्तर्विष्ट होंगी;

(छब्बीस) धारा १२० के अधीन सहायता की अध्यपेक्षा का विनियमन;

(सत्ताईस) धारा १२१ के अधीन भू-अभिलेखों का तैयार किया जाना, रखा जाना तथा पुनरीक्षित किया जाना;

(सत्ताईस-क) वह रीति जिसमें धारा १२३ (३) के अधीन तहसीलदार द्वारा आपत्तियों का निपटारा किया जायेगा;

(अट्ठाईस) (क) धारा १२४ (३) के अधीन ग्रामों के तथा सर्वेक्षण संख्यांकों या भू-खंड संख्यांकों के सीमा चिन्हों सम्बन्धी विनिर्देश तथा उनके सन्निर्माण एवं अनुरक्षण की रीति; और

(ख)धारा १२४(४) के अधीन नवीन सीमा चिन्हों के सन्निर्माण का खर्च भू-धारकों के बीच विभाजित करने की रीति;

(उन्तीस) ग्राम की सड़क, ग्राम की बंजर भूमि या सामुदायिक प्रयोजनों के लिये आरक्षित भूमि तथा उससे लगी हुई भूमि के बीच सीमा चिन्हों को अंकित करने की रीति और वह रीति जिसमें वे सु-अवस्था में रखें जायेंगे तथा उनका नवीकरण किया जायेगा;

(तीस) धारा १२९ के अधीन सर्वेक्षण संख्यांकों, उपखंडों या भू-खंड संख्यांकों का सीमांकन करने की प्रक्रिया, सीमा चिन्हों का प्रकार तथा फीस का उद्ग्रहण;

(इकतीस) धारा १४० के अधीन वे तारीखें जिनको तथा वे किश्तें जिन्हें भू-राजस्व देय होगा तथा वे व्यक्ति जिन्हें तथा वह स्थान जहां ऐसी किश्तों का उक्त धारा के अधीन भुगतान किया जायेगा;

(बत्तीस) वह प्ररूप जिसमें धारा १४२ के अधीन रसीद दी जायेगी;

(तैंतीस) धारा १४४ (१) के अधीन भू-राजस्व की छूट या उसके निलम्बन का विनियमन;

(चौंतीस) धारा १४६ के अधीन मांग की सूचना जारी करने में और धारा १४७ में विनिर्दिष्ट की गई आदेशिकाओं का निष्पादन करने में राजस्व अधिकारियों का मार्गदर्शन;

(पैंतीस) धारा १६० के अधीन वार्षिकी मंजूर करने के लिये आवेदन का प्ररूप, वह समय जिसके भीतर ऐसा आवेदन किया जायेगा तथा ऐसी मन्जूरी की शर्तों का विहित किया जाना;

(छत्तीस) धारा १६१ के अधीन बन्दोबस्त के चालू रहने के दौरान राजस्व से कम किये जाने का विनियमन;

(सैंतीस) धारा १६२ के अधीन भूमि के व्ययवन की रीति तथा प्रीमियम और पट्टे के भाटक की राशि;

(अड़तीस) धारा १६५ के अधीन भूमि की अधिकतम सीमाओं का विहित किया जाना;

(उन्तालीस) उस रीति का विहित किया जाना जिसमें धारा १६६ के अधीन समपहृत भूमि का चयन तथा सीमांकन किया जायेगा एवं अन्तरिती के पास बच रही भूमि पर भू-राजस्व नियत किया जायेगा;

(चालीस) धारा १७० के अधीन किसी खाते का कब्जा दिलायें जाने सम्बन्धी दावों को निपटाने की प्रक्रिया का विनियमन;

(चालीस-क) वह प्ररूप तथा रीति जिसमें धारा १७०-ख की उपधारा (१) के अधीन उप-खंड अधिकारी को जानकारी अधिसूचित की जायेगी;

(इकतालीस) धारा १७६ के अधीन किसी भूमिस्वामी को अपने खाते या उसके किसी भाग को व्यपवर्तित करने के लिये अनुज्ञा दी जाने या अनुज्ञा देने मे इंकार किये जाने का विनियमन;

(बयालीस) धारा १७३ के अधीन किसी भूमिस्वामी द्वारा अधिकारों के त्यजन किये जाने का विनियमन;

(तैंतालीस) उन निबन्धनों तथा शर्तों का विहित किया जाना जिस पर किसी व्यक्ति को धारा १७६ (२) के अधीन किसी परित्यक्त खाते का कब्जा दिया जा सकेगा;

(चवालीस) (क) धारा १७८ (२) के अधीन खातों के विभाजन तथा निर्धारण के प्रभाजन का विनियमन; और

(ख).....

(पैंतालीस) धारा १७९ (२) के अधीन वृक्षों में के अधिकार का क्रय करने के हेतु आवेदनों के बारे में राजस्व अधिकारियों का मार्ग-दर्शन;

(पैंतालीस-क) धारा १८१-क के अधीन नगरीय क्षेत्रों में आवासिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये प्रदान किए गए विभिन्न पट्टों को फ्री होल्ड में संपरिवर्तित करने की रीति;

(छियालीस).....

(सैंतालीस) धारा १८९ के अधीन भूमिस्वामी द्वारा पुनर्ग्रहण किये जाने के लिये अनुज्ञात भूमि के चयन तथा सीमांकन की तथा उस पर भू-राजस्व नियत करने की एवं मौरूसी कृषक के पास बच रही भूमि के सम्बन्ध में लगान नियत करने की रीति का विहित किया जाना;

(अड़तालीस) उस रीति तथा प्ररूप का विहित किया जाना जिसमें धारा १९० (५) के अधीन भूमिस्वामी को देय हों;

(अड़तालीस-क) उस समय का विहित किया जाना जिसके भीतर धारा १९१ की उपधारा (१) के अधीन आवेदन किया जायेगा;

(उनचास) धारा १९७ के अधीन उस मौरूसी खाते का, जो कि अन्तरित कर दिया गया हो, कब्जा दिलाये जाने सम्बन्धी दावों को निपटाने की प्रक्रिया का विनियमन;

(पचास) धारा १९८ (४) के अधीन उस भूमि के, जो कि राज्य सरकार में विहित हो गई हो, चयन की सीमांकन की रीति का विहित किया जाना तथा भूमिस्वामी द्वारा आरक्षित भूमि पर भू-राजस्व का नियत किया जाना;

(इक्यावन) वह प्ररूप तथा जिसमें धारा १९९ के अधीन लगान के लिये रसीद दी जायेगी;

(बावन) भूमिस्वामी में ऐसी वृद्धि तथा कमी के निर्धारण का विनियमन जैसा कि अध्याय १५ के अधीन अपेक्षित या अनुज्ञात है;

(तिरपन) धारा २२२ (१) के अधीन पटेलों की नियुक्ति विनियमन, जहाँ किसी ग्राम में दो या अधिक पटेल हों, वहाँ पटेल के पद कर्तव्यों के वितरण की रीति, पटेल के पारिश्रमिक का नियत किया जाना और धारा २२४ के अधीन पटेल के अतिरिक्त कर्तव्यों का विहित किया जाना तथा धारा २२६ के अधीन उसे पद से हटाया जाना और धारा २२८ के अधीन प्रति स्थायी पटेल का नियुक्त किया जाना;

(चौवन) उन ग्रामों के लिये, जो किसी नगरपालिका या किसी नगरपालिक निगम या किसी अधिसूचित क्षेत्र समिति किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में सम्मिलित न हों; ग्रामों की स्वच्छता, जानवरों के शवों को गाड़े जाने, कुओं के संरक्षण तथा उनको लगाये जाने, ग्रामों की सड़कों के समारक्षण का तथा ग्राम स्वायत्त शासन से सम्बन्धित वैसे ही विषयों का विनियमन;

(पचपन) (क) कोटवारों की नियुक्ति, उनके लिये दण्ड, उनका निलम्बन और उनकी पदच्युति;

(ख) कोटवारों के कर्तव्यों का विहित किया जाना और उनके पर्यवेक्षण का ढंग;

(छप्पन) (क) धारा २३२ के अधीन ग्राम सभा की स्थापना के लिये प्रक्रिया का विनियमन;

(ख) वह रीति जिसमें ग्राम सभा धारा २३२ (४) के अधीन जंगम तथा स्थावर सम्पत्ति अर्जित करेगी, उसे धारण या अन्तरित करेगी एवं संविदाएँ आदि करेगी, और

(ग) ग्राम सभा फीस तथा अन्य आयों के रूप में वसूल की जाने वाली राशियाँ।

(सत्तावन) धारा २३३ के अधीन रखे जाने वाले अभिलेखों का विहित किया जाना;

(अट्ठावन) वह रीति जिसमें धारा २३४ (२) के अधीन ग्रामवासियों की इच्छाएँ अभिनिश्चित की जायेंगी;

(उनसठ) (क) धारा २३७(१) के अधीन निस्तार अधिकारी का प्रयोग करने के लिये दखल रहित भूमि के पृथक् रखे जाने का विनियमन; और

(ख) धारा २३७(१) (ट) के अधीन विस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिये अन्य प्रयोजन;

(ग) धारा २३७ (३) के अधीन दखलरहित भूमि के व्यपवर्त्तन का विनियमन;

(साठ) (एक) व्यक्तियों के वे प्रवर्ग जिन्हें वृक्षारोपण अनुज्ञा-पत्र और वृक्ष पट्टे मंजूर किये जाने के लिये अग्रता दी जायेगी;

(दो) ऐसे व्यक्तियों के चयन की रीति जिन्हें वृक्षारोपण अनुज्ञापत्र और वृक्ष पट्टा मन्जूर किया जाना हो;

(तीन) पृथक् रक्षित की जाने वाली भूमि का परिमाण;

(चार) वृक्षारोपण अनुज्ञा-पत्र और वृक्ष पट्टा मंजूर करने हेतु निबन्धन और शर्त;

(पांच) वृक्षारोपण अनुज्ञा-पत्र और वृक्ष पट्टे का स्वरूप;

(छः) वृक्षारोपण अनुज्ञा-पत्र और वृक्ष पट्टे के अधीन भोगाधिकारी की सीमा;

(इकसठ) धारा २४०(१) के अधीन वृक्षों के काटे जाने का तथा धारा २४० (३) के अधीन वनोत्पाद (फारेस्ट ग्रोथ) के नियन्त्रण, प्रबन्ध, काटकर गिराये जाने या हटाये जाने का विनियमन;

(बासठ) धारा २४१ के अधीन प्रकाशित आदेश को उद्घोषित करने की रीति का विहित किया जाना तथा उसके अधीन वृक्षों को काटकर गिराये जाने या हटाये जाने का विनियमन;

(त्रेसठ) (क) धारा २४२ (१) में विनिर्दिष्ट किये गये विषयों के बारे में रूढ़ियों का अभिनिश्चित करने तथा उन्हें अभिलिखित करने की रीति; और

(ख) धारा २४२ (१) के अधीन रूढ़ियों का अभिलेख प्रकाशित करने की रीति;

(चौंसठ) धारा २४४ के अधीन आबादी क्षेत्र में के स्थलों के निपटारे की रीति का विहित किया जाना;

(पैंसठ) धारा २४९ के अधीन मछली पकड़ने या ग्रामों में जीव-जन्तुओं को पकड़ने, उनका आखेट करने या उनकी गोली मारने का तथा राज्य सरकार की भूमि से किन्ही पदार्थों के हटाने का विनियमन;

(छियासठ) (क) धारा २५१ (२) के अधीन आवेदन के प्ररूप का विहित किया जाना; और

(ख) धारा २५१ (६) के अधीन तालाबों से जल के उपयोग का विनियमन;

(सड़सठ) धारा २५२ के अधीन ग्राम में निवास करने वाले व्यक्तियों को श्रम करने के लिये अपेक्षित करने में ग्राम सभा द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विनियमन;

(अड़सठ) धारा २५५ के अधीन खेती तथा प्रबन्ध के मानदण्डों का विहित किया जाना;

(उनहत्तर) धारा २५६ के अधीन अभिलेखों, नक्शों तथा भू-अभिलेखों का निरीक्षण किया जाने तथा उनकी प्रतिलिपियाँ प्रदान की जाने के लिये शर्तों का विहित किया जाना;

(सत्तर) साधारणत: इस संहिता के अधीन कार्यवाहियों में राजस्व अधिकारियों तथा समस्त अन्य व्यक्तियों के मार्ग-दर्शन के लिये;

(इकहत्तर) कोई भी अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या विहित किया जाय ।

(३) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन होंगे ।

(४) इस संहिता के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे और ऐसे उपान्तरणों के अध्यधीन होंगे जो कि विधान सभा द्वारा किये जाए।

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

अनुसूची-एक

(धारा ४१ देखिये)

राजस्व अधिकारियों तथा राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया के नियम

xxxxx.....xxxxxxx.....xxxxx

(अवधेश प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.